राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] ग्यारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का नवां दिवस [संख्या : 5

मंगलवार;

12 जनवरी, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 36, श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : प्रश्न संख्या 36.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आपने स्थगित कर दिया है तो फरमा दें, साहब। नहीं, स्थगित कर दिया है तो फरमा दें।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न संख्या 35 का क्या होगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे पहले प्रश्न संख्या 35 है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी उपस्थित हैं। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या–35

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। मैं पूर्व में यही बात कर रहा था कि प्रश्न संख्या 35 का सम्बन्ध समाज कल्याण मंत्रीजी से नहीं होकर, यह कल ही स्थानान्तरित हुआ है कार्मिक विभाग को। और मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया है। इसलिए प्रश्न संख्या 36, श्री भीमसेन चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में भूमिहीनों का भू-आवंटन प्रकरण

36. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में लाखों बीघा बारानी भूमि भूमिहीनों को आवंटन हेतु उपलब्ध है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के हजारों भूमिहीन बेरोजगार युवक भू-आवंटन की मांग करते रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार बारानी भूमि आवंटन पर लगी रोक को हटाकर भू-आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(शिक्षा मंत्री) श्री बुलाकीदास कल्ला (राजस्व मंत्री के स्थान पर) : (1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में बारानी भूमि सहित कुल 5,34,211 बीघा भूमि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उपलब्ध है। भूमिहीनों को बारानी भूमि आवंटन करने पर वर्तमान में रोक लगी हुई है।

(2) जी हां। उपनिवेशन तहसील पूगल क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन कराने हेतु वर्ष 1988 से 5803 भूमिहीन व्यक्तियों के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 7(1) में सद्भावी काश्तकार व राजस्थान के निवासी को ही भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। राजस्व (ग्रुप–4) विभाग की आज्ञा संख्या प. 6(9) राज/ग्रुप-4/76 दि. 21.4.76 के द्वारा बीकानेर जिला मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाने के कारण बारानी क्षेत्र की आवंटन योग्य भूमि के आवंटन पर रोक है। उपनिवेशन क्षेत्र की बारानी भूमि के आवंटन पर आदेश क्रमांक प. 3(25) उपनि /91/दिनांक 13.3.91 के द्वारा रोक है। बारानी भूमि पर लगी रोक को हटाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में हजारों कृषक ऐसे है जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच हैं। उनके पास किसी भी तरह का कोई आय का साधन नहीं है। लोगों का जीवन स्तर सुधार करने के लिए राज्य सरकार का दायित्व बनता है तो ऐसे काश्तकारों के लिए सरकार क्या सोचती है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने अपने लिखित उत्तर में बताया कि 5803 भूमिहीन व्यक्तियों के आवेदन पत्र 1988 से विचाराधीन हैं लेकिन आठ जिले जो मरुस्थलीय जिलों में आते हैं जिनमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, नागौर, बीकानेर और चूरू, इनमें 21.4.76 को 4.2.78 को और उसके बाद 13 3.91 को, ये तीन आदेश जो जारी हुए, उसके आधार पर इन जिलों में बारानी भूमि के आवंटन के ऊपर रोक लगी हुई है। भविष्य में गुणावगुण पर नई सरकार विचार करके इसके आवंटन पर विचार करेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं, नियमों में यह व्यवस्था है, जो भूमि आवंटन के नियम हैं उनमें व्यवस्था हैं उसके हिसाब से जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं, वे भूमि पाने के अधिकारी हैं। न तो आपने कोई नियमों में संशोधन किया, बिना नियमों में संशोधन के एक आदेश का सहारा लेकर इतने लोगों को वंचित रखना कहां तक उचित है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नियमों में संशोधन का एक अलग प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अलग नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने यह कहा कि आप उसका क्या विचार रखते हैं, तो हमने कहा कि इसको मेरिट के आधार पर हम भविष्य में देख लेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि जब नियमों में व्यवस्था है कि जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं वे भूमि पाने के अधिकारी हैं। न तो आपने नियमों में कोई संशोधन किया। इसके अलावा एक आदेश का सहारा लेकर इन लोगों को वंचित रखना कहां तक उचित है ? मेरा यह स्पेसिफिक सवाल है, नियमों का अलग कहां है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कमांड और अनकमांड भूमि जो उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित भूमि है और जो कालोनाइजेशन में आती है, उस पर तो कोई रोक है नहीं। केवल बारानी भूमि को वहां पर रिजर्व रखना, चूंकि मरुस्थल और उजाड़ में नहीं जाये और मरुस्थल में खेती करना वैसे भी अनुपयोगी माना गया था। और एक आदेश का मैंने आपको जिक्र किया कि आठ मरुस्थलीय जिले हैं जिसमें केवल बीकानेर ही नहीं है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, नागौर, बीकानेर और चूरू, सहित आठ जिले सम्मिलित हैं। इन सबमें बारानी भूमि के आवंटन पर 1976 से रोक लगी हुई है। फिर भी मैंने जैसा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन किया कि नई सरकार भविष्य में गुणावगुण के आधार पर इसको पूरी डिटेल में देखकर आगे जो भी मेरिट के आधार पर फैसला कर सकती है, करने की चेष्टा करेगी।

श्री भीमसेन चौधरी . माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का यह कहना कि मरुस्थलीय भूमि होने के कारण रोक लगा रखी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने बारबार जो ऐसे काश्तकार, जिन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उनको आप नियमन करते हैं मरुस्थलीय भूमि के अन्दर। और दूसरा मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो भूमि सिंचित क्षेत्र में चक प्लान में आ जाती है हमारे मरुस्थल में, उनमें भी आप भूमि आवंटन करते हैं। तो चक प्लान में आ जाने से केवल पानी नहीं मिलता, इसलिए मरुस्थलीय भूमि को आवंटन करने की आपने क्यों रोक लगा रखी है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि पूरे मसले के ऊपर, चक प्लान में आने पर तो वैसे भी कोई रोक नही है और वह आवंटित की जा रही है। जो बारानी भूमि है इसके बारे में विस्तार से मैंने कहा ना कि वर्तमान में यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन भविष्य में इसको मेरिट के आधार पर देखकर जो भी किसानों के हित में होगा, उसको हम लागू करने की चेष्टा करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : इसमें मेरिट क्या है। मैं यह कह रहा हूं कि इसमें मेरिट क्या है साहब ? सवाल तो इतना ही है कि आपको भूमि आवंटित करनी है या नहीं करनी है, इसमें मेरिट का क्या सवाल है ?

श्री गोरधनदास (जैसलमेर) : मेरा क्षेत्र भी आ चुका है इन जिलों में। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मेरा क्षेत्र भी आ चुका है। इसलिए कृपया इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता को पूछने दें। पहले सप्लीमेंट्री पूछें आप।

श्री भीमसेन चौधरी : जो कमांड भूमि है, जो सिंचित क्षेत्र में रकबा आ जाता है रेगिस्तानी इलाका, और जिसमें पानी नहीं मिलता, उसको तो आप अलाट करते हैं और बारानी भूमि, जो किसान लेना चाहता है उसको आप देना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार की भेदभावपूर्ण नीति स्पष्ट नजर आती है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए कि जो काश्तकार भूमिहीन हैं उनको आप रोजगार देने के लिए, आप कोई रोजगार दे नहीं सकते सिवाय इसके कि खेती करने के लिए जमीन मिले। इसलिए सरकार को तुरन्त पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन क्षेत्र में जो भूमि आवंटन के नियम हैं, उसमें वैसे भी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको तो वह सद्भावी काश्तकार की जैसे भूमिहीनों को देते हैं वैसी श्रेणी में आते हैं। आम नवयुवकों को वर्तमान नियमों में वैसे भी कोई जमीन अलाट करने का अधिकार नहीं है। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वह इसके लिए इलीजिबल है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको बताया है कि अभी पुराने नियम बने हुए हैं, उसके ऊपर हम नये सिरे से गुणावगुण का विचार करके, यही तो मैं कह रहा हूं, इसके आगे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं कि गुणावगुण के आधार पर विचार करके जो माननीय सदस्य ने भावना व्यक्त की है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : बारानी भूमि के आवंटन के नियम 1970 में बने हुए हैं उनके अन्तर्गत 75 बीघा तक बारानी भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। और लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में पांच लाख बीघा से अधिक भूमि आवंटन योग्य है, कृषि योग्य मौजूद है। और हजारों काश्तकार बेरोजगार हैं। तो सरकार को इसके बारे में जो रोक लगी है, उसको हटाने का विचार करना चाहिए, यही निवेदन है मेरा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपको यह पत्र पढ़कर सुना देता हूं। मरुस्थलीय जिलों में स्थिति भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित नहीं कर मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(16) राज/3/73 दिनांक 20.8.75 के द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त भूमि के नियमानुसार आवंटन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं माना जावे तथा राजकीय अनधिकृत भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों का राज्य सरकार के आदेश परिपत्र के अनुसार इसका नियमन किया जाये। राज्य सरकार ने मरुस्थलीय जिले में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न करने तथा मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है कि मरुस्थलीय जिलों में एक हैक्टेयर भूमि तक के टुकड़े के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। अतः निदेशानुसार लेख है कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में एक हैक्टेयर तक के टुकड़े में स्थित भूमि के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। ऐसे एक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हैक्टेयर भूमि के टुकड़ों का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 में उल्लेखित आवंटन हेतु निषेध क्षेत्र आवंटन के लिए व्यक्तियों की योग्यता एवं प्राथमिकता तथा अन्य प्रावधानों को मध्यनजर रखा जाकर उक्त नियमों के अधीन किया जाये। एक हैक्टेयर से अधिक का सिवाय चक क्षेत्र मरुस्थलीय विकास के लिए आरक्षित रखा जाये। मैं इस सन्दर्भ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो स्वयं उपनिवेशन क्षेत्र में आते हैं, हमारे यहां जो कमाण्ड एरिया और अनकमान्ड एरिया, जो उपनिवेशन क्षेत्रमें आता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। और आप मानेंगे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, बारानी भूमि में खेती करना आजकल बिलकुल अनुपयोगी हो गया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो अनकमाण्ड भूमि आई हुई है कमाण्ड एरिया के पास या कमाण्ड एरिया के बीच में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसका आवंटन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : उसको आप आवंटन कर रहे हैं क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसका आवंटन कर रहे हैं। केवल बारानी भूमि का आवंटन अभी नहीं कर रहे हैं। उसका भी मैंने आपको जो आदेश पढ़कर सुनाये ..

श्री अध्यक्ष : बारानी भूमि का आवंटन जो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने सदन को सूचित किया कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को हम कर रहे हैं, उसके लिए यह एक्सेप्शन क्यों है। अगर....

श्री गोरधनदास (जैसलमेर) : केवल नहरी भूमि के लिए बात कर रहे हैं यह बारानी भूमि के लिए वह भी नहीं है। परिस्थिति बदल चुकी है, 1976 का यह आदेश लेकर बैठे हुए हैं, इसको बदलना होगा, साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया न कि नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर इसका फैसला हम कर लेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं इसके बारे में कब तक फैसला कर लेंगे आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी जो डी.डी. पी के अन्तर्गत जिले आते हैं उनमें आवंटन पर रोक के बारे में सदन को सूचित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि डी.डी. पी. प्रोजेक्ट की गाइड लाइन जो केन्द्रीय सरकार ने, जो हमें विशेष सहायता कुछ जिलों को, मरुस्थलीय जिलों को देती है उसकी गाइडलाइन के तहत यह रोक लगी हुई है। क्या आप गुणावगुण में वह डी.डी. पी. के प्रोजेक्ट के तहत जहां रोक लगी है उसको भी हटाने में आप सक्षम हैं क्या। नम्बर एक बात। नम्बर दो बात, आप जिस आवंटन को खोलने की बात कर रहे हैं। उपनिवेशन क्षेत्र में, कई हजारों काश्तकारों के पुराने आवेदन-पत्र लम्बित है, क्या आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नये सिरे से ग्रावेदन-पत्र मांग कर उनको ग्रावंटित करने का विचार रखते हैं या पुराने ग्रावेदन-पत्रों का पहले निस्तारण करने की इच्छा रखते हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि उपनिवेशन क्षेत्र में डी.डी.पी. की जो ग्रापने गाइड लाइन बताई वह लागू नहीं होती । इस सम्बन्ध में....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, डी.डी.पी. जिलों के बारे में ग्रापने सात जिलों का जिक्र किया कि इन जिलों में प्रोजेक्ट चालू है ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपनिवेशन क्षेत्र में डी.डी.पी. की क्राइटेरिया लागू नहीं होती ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, तो डी.डी.पी. प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार ने विशेष सहायता दी है, विशेष सहायता के लिए उनकी शर्तों को मानना हमारे लिए बाध्यकारी है । ग्राप सदन को यह कह रहे हैं कि ग्राप गुणावगुण के ग्राधार पर सारे पर विचार करेंगे । क्या इस तरह के प्रोजेक्ट जहां ग्ररबों रुपये हमने ले लिये हैं, आप इस वक्त उन सारी शर्तों का उल्लंघन करके गुणावगुण के ग्राधार पर नये सिरे से विचार कर सकते हैं क्या ? मेरा इतना ही पूछना है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गुणावगुण पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है । ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो बताया, उसके ऊपर जो रोक लगी है, उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के ऊपर, वह 13 मार्च के क्रमांक एफ 3125/उपनिवेशन/1991 के आदेश द्वारा रोक लगी है । यहां डी. डी. पी. का कहीं कोई ग्रादेश बीच में नहीं ग्राता । इस बीच ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ग्राप इससे पहले वाले सर्कुलर, जिसको पढ़ रहे थे 1975 का या 1976 का, कृपया उस पर देखें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपनिवेशन क्षेत्र में ग्रा गया न, मैंने बताया इन तीन ग्रादेशों के ग्राधार पर यह रोक लगी थी, लेकिन उपनिवेशन क्षेत्र में खास तौर से जो रोक लगाई गई है वह 1991 के आदेश से लगी है, इसके ऊपर हम गुणावगुण के ऊपर विचार करके ग्रागे फैसला कर लेंगे । मैं समझता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, पूरी ग्रपनी बात मैंने कह दी है ।

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्न संख्या 37. श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद ।

पंचायत समिति नगर व कामां (भरतपुर) के सरपंचों/उप सरपंचों/पंचायत सचिवों के विरुद्ध जांच प्रकरण

37. श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद(नगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की पंचायत समिति नगर व कामां के सरपंचों, उप सरपंचों व पंचायत सचिवों के विरुद्ध विभागीय जांच विचारधीन है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध कब से ? अब उक्त दोषियों के विरुद्ध कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) क्या सरकार जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को भी कोई अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या तथा कब तक और नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री सी.पी. जोशी): (1) सूची संलग्न है । राज्य सरकार इन जांचों में विशेष रुचि लेते हुए इन मामलों को त्वरित गति से सम्पादित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

हालांकि दूसरा प्रश्न है फिर भी ।

(2) पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा कर सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरे प्रश्न का अवलोकन करें। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि भरतपुर जिले की पंचायत समिति नगर और कामां के किन-किन सरपंचों, उप सरपंचों और पंचायत सचिवों के विरुद्ध कब से विभागीय जांच विचाराधीन है । आपने सरपंच और पंचायत सचिवों के खिलाफ जो जांच विचाराधीन है, उसका उत्तर तो दिया है लेकिन उप सरपंचों का इसमें आपने कहीं कोई हवाला नहीं दिया । जब कि मैंने उप सरपंचों के खिलाफ भी कौन-सी जांच विचाराधीन है, उसका भी सवाल के अन्दर उल्लेख किया था ।

श्री सी. पी. जोशी : यह, माननीय सदस्य, आप मुझे जानकारी दे दें कि किस पंचायत के उप सरपंच के खिलाफ का जिक्र कर रहे हैं । जानकारी तो मैं अपने आप कलेक्ट कर लूंगा....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुझ को तो है, मैं आपसे जानकारी मांग रहा हूं ।

श्री सी.पी. जोशी : मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अगर किसी उप सरपंच के खिलाफ जांच विचाराधीन नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय, आप यह भी उत्तर दे सकते थे कि पंचायत समिति नगर और कामां के किसी उप सरपंच के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन नहीं है । यह आपका दायित्व है । मैंने सवाल पूछा है, उत्तर देने का काम आपका है ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा । आपको क्या तकलीफ है, आप मुझे उस...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे तो मालूम है । मुझे मालूम है । मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा था, उसका उत्तर आप ने दिया नहीं । या तो इसके उत्तर में यह बात कहिये कि उप सरपंचों के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन ही नहीं है । मैं मान लूंगा । (व्यवधान)

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय मंत्री महोदय, आपके अफसर आपको इतनी भी जानकारी नहीं दे सकते क्या ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : जब आपको मालूम है तो आप क्या बात पूछना चाहते हैं, जब आपको मालूम है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई ? मैंने सवाल पूछा है। मैं मंत्रीजी से पूछ रहा हूं माननीय रामनारायण जी साहब।

श्री अमराराम (धोद) : यह पूछना चाह रहे हैं जो वह बताना नहीं चाह रहे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी उप सरपंच के खिलाफ कोई भी विभागीय जांच पेंडिंग नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो इसका खण्ड दो है इसी में, इसमें है, क्या सरकार जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों को भी कोई अधिकार देने का विचार रखती है ? इन्होंने उसका जवाब दिया है बड़े गोलमाल तरीके से कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिला परिषद के जो सदस्य और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, आप उनको भी कोई शक्ति या अधिकार दे रहे हैं। जैसे, जो पंचायत समिति का सदस्य है, वह दो पंचायतों के ऊपर होता है। तो उन पंचायतों में कोई विकास के कार्य हो रहे हैं उसको पंचायत समिति सदस्य वैरीफाई करे जे. ईएन. की जगह, या जिला परिषद के सदस्यों को भी कोई अधिकार दे रहे हैं। यह पूछना चाह रहा था। दूसरा, पहले खण्ड में यह भी था कि यह जांच कब से विचाराधीन है और आप इस पर कब निर्णय ले लेंगे ? आपने तो जवाब दे दिया कि सरकार इन मामलों को त्वरित गति से सम्पादित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रही है। आपके उत्तर में, आप जरा खुद देखें कि दो-तीन मामलों में तो 89 और 90 से जांच विचाराधीन है। अधिकांशतया मामलों में 94 से जांच विचाराधीन है। आठ-आठ, नौ-नौ साल हो जाएं, आज तक आपने इसकी कोई जांच पूरी की नहीं। इसमें ज्यादातर मामले गबन के हैं, उसकी रिकवरी हो नहीं पाई। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक जांच पूर्ण करके आप कार्यवाही करके कोई न कोई निर्णय ले लेंगे। यह मैं जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही इर्रिलेवेंट। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि सरकार जिला परिषद के सदस्यों और पंचायत समिति के सदस्यों को क्या अधिकार देना चाहती है। मान्यवर, आपने हमें क्या अधिकार दे रखे हैं ? विधायकों को क्या अधिकार है? इसी तरीके के वह भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं.... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, किस हैसियत से आप जवाब दे रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : सामूहिक बॉडी को जो अधिकार हैं वह तो अधिकार हैं ही। माननीय सदस्य, विधान सभा को जो अधिकार हैं वह हमें भी अधिकार हैं। पंचायत समितियों के सदस्य को अलग से अधिकार और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती और है भी नहीं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य पंचायती राज मंत्रीजी की तरफ से

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

उत्तर दे रहे हैं या यह पढ़ रहे हैं या उनको फीड कर रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : पंचायत समिति को मजबूत करने के लिए पंचायत समिति और जिला परिषदों को अधिकार दिये जा सकते हैं। लेकिन इंडीविजुअली किसी मेम्बर, जिला परिषद या पंचायत समिति के मेम्बर को अधिकार नहीं दिये जा सकते। (व्यवधान) सामूहिक रूप से पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको आप अधिकार दे सकते हैं। वह तो एक बात है, रेलेवेंसी है (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्रीजी की तरफ से बोल रहे हैं क्या । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय ने जवाब दिया, बहुत अच्छा है। माननीय सदस्य का प्रश्न इर्रिलेवेंट है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न मेरा इर्रिलेवेंट था तो माननीय अध्यक्ष महोदय इसको स्वीकार नहीं करते। यह आपका अधिकार था। यह मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य का अधिकार नहीं है। मैं पंचायत समिति और प्रधान का और जिला परिषद के जो अधिकार हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। इंडीविजुअल अधिकार भी होते हैं जैसे सदस्यों को भी अधिकार है। विधान सभा के सदस्यों को अधिकार क्या है, वैसे जिला परिषद के सदस्य भी और पंचायत समिति के सदस्य को क्या अधिकार है, यह जानना चाहता था—

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नया पंचायती राज बी. जे. पी. के राज में लागू हुआ था इसलिए मैं बी जे. पी. के सदस्य से पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : .... (व्यवधान) कि जांच इतने लम्बे समय से चल रही है इस पर कब तक निर्णय लिया जाएगा मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री खेमराज कटारा : अध्यक्ष महोदय, नया पंचायती राज बी. जे. पी. के राज में लागू हुआ था। आपने तो बी. जे. पी. की सरकार को सौगंध भी दिलाई थी .(व्यवधान) —पंचायत समितियों को अधिकार क्यों नहीं दिये गये ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को क्या परेशानी हो रही है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपको इस लायक नहीं समझा कि आप यहां खड़े होकर उत्तर दें। आपको तो बैठ जाना चाहिए+++

श्री खेमराज कटारा : (व्यवधान)... बी. जे. पी. की सरकार में नया पंचायती राज लागू हुआ था उसमें आपको अधिकार लेने से किसने सौगंध दिलाई थी ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य को क्या परेशानी हो रही है ?

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : ताम्बी साहब, आसन पैरों पर है ।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य न तो कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और बीच में मंत्रीजी का दायित्व सम्भालने के लिए बहुत आतुर दिखते हैं मुझे । प्रश्न यह है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को कोई व्यक्तिशः अधिकार हैं क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जी हां, यही पूछना चाह रहे हैं और नहीं है तो क्या देना चाह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : और नहीं है तो क्या देने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन है या नहीं है ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत समिति और जिला परिषद के पद तो भैरोंसिंहजी ने बना दिये । इनकी कोई जरूरत ही नहीं है ...(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : किसी ने भी बना दिये यह सवाल नहीं है । अध्यक्ष जी ने स्पेसिफिक कर दिया उसको ।

श्री हेमाराम चौधरी . नहीं नहीं, आप डर क्यों रहे हैं ? विकास के सारे कामों का एक्जीक्यूशन पंचायत करती है । फिर पंचायत समिति है और फिर जिला परिषद है । तो ये बीच में क्या है ? जिस समय चुनाव हुए थे उस समय तो यह था कि इनको आधे एम. एल. ए. पावर मिलेंगे इसलिए अब इसमें यह संशोधन लाना पड़ेगा और इन पदों की जरूरत नहीं । पहले वाली जो व्यवस्था थी सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, वही सही होगी ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, कल राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय हरिसिंह जी बोल रहे थे कि पंचायत राज की जितनी भी व्यवस्था है, कांग्रेस सरकार ने की ।

श्री हेमाराम चौधरी :...(व्यवधान).... यह कोई नहीं .. (व्यवधान).... रिजर्वेशन का दिया बाकी सिस्टम आपने बनाया ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कांग्रेस के टाइम में ही हुआ और आज जिला परिषद और पंचायत समिति के मैम्बर के अधिकार का सवाल आया तो कहने लगे कि बी. जे. पी. राज में हुआ । तो हमारे राज में अगर हमने नहीं दिया तो आप क्या अधिकार देना चाहते हैं, यह तो बतायें आप । आप अधिकार देना भी नहीं चाहते है । अब तो आप राज में हो । अब अधिकार देकर बतायें हमें ।

श्री अध्यक्ष : गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, प्रश्न नहीं किया है उन्होंने जो आज की वस्तुस्थिति है वह इस सदन को सूचित की है । पंचायत समिति को अधिकार नहीं है । एक्जीक्यूटिव बॉडी है ही नहीं वह । और अधिनियम में जो प्रावधान है उसकी जगह हो रहा है । अधिनियम के प्रावधान के अन्दर पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर को व्यक्तिशः कोई अधिकार नहीं है । अब सरकार का कोई व्यक्तिशः अधिकार देने का इरादा है क्या ?

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो भावना व्यक्त की है, आप स्वयं जानते हैं कि सदस्यों का व्यक्तिगत अधिकार इतना बड़ा है कि वे जिला प्रमुख को इलेक्ट करते हैं। उससे बड़ा कोई व्यक्तिगत अधिकार हो नहीं सकता। माननीय सदस्य जो जिला परिषद के.... (व्यवधान)....

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : (व्यवधान) इनके वश का नहीं है....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरी बात सुनिये। सब वश का बता दूंगा मैं। आपके बश का बता दूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य प्रधान और जिला प्रमुख बना रहे हैं ये अधिकार उनको है। व्यक्तिगत अधिकार का जहां तक सवाल है, अभी राज्य सरकार इस बारे में गम्भीरता से सोच रही है कि क्या जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य की आवश्यकता भी है कि नहीं। क्योंकि आर्गेनिक लिंक इसके साथ है कि नहीं है इसलिए हम गम्भीरता से इस प्रश्न पर सोच रहे हैं... (व्यवधान).. कि जो उसको सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में मैंने इतना स्पष्ट उदाहरण दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इससे बड़ा आप और क्या उत्तर चाहते हैं मुझसे ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इनको क्लेरीफाई भी कर दिया था उसके बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय, जो बात सब जानते हैं कि जिला प्रमुख को कौन चुनता है, प्रधान को कौन चुनता है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप जिला परिषद के सदस्यों और पंचायत समिति के सदस्यों को कोई और अधिकार देने का प्रस्ताव या विचार रखते हैं क्या ? यदि हां, तो कब तक दे रहे हैं ? अगर आप खतम करना चाहते है तो खतम कर दीजिये और... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

मुख्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहूंगा कि जब से पिछला चुनाव हुआ तब से पंचायतों की कुछ इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि जिसमें बराबर एक बहस का विषय बन गया कि सरपंच मैम्बर नहीं है पंचायत समिति का, प्रधान मैम्बर नहीं है जिला परिषद का। और यह सवाल हम लोगों ने भी बार-बार उठाया है कि पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाया जाये। इस दिशा में नयी सरकार बनते ही हमने बहुत ही गम्भीरता से विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और हम जल्दी ही चाहेंगे कि पंचायत सतियों को, जिला परिषदों को कैसे शक्तिशाली बनाया जाये। किस प्रकार गांधीजी का जो सपना था ग्राम स्वराज का. उसी पेटर्न पर नगर स्वराज, जिस पर हम चाहेंगे कि लोकल सैल्फ गवर्नमेंट को कैसे प्रशासनिक अधिकार मिलें। कुछ विषय ऐसे हों जो उनके स्तर पर ही उनके फैसले हों। वहीं योजनाएं बनें। गांव के अन्दर विकास के काम वे स्वयं करें, और शिक्षा के सम्बन्ध में और अन्य क्षेत्र में वे स्वयं निर्णय करने की क्षमता रख सकें। इस दिशा में सरकार बहुत ही गम्भीरता से विचार कर रही है

(मुख्य मंत्री)

और बहुत जल्दी ही, जैसा कि राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त भी यह बात सामने आयी, हम जिला प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं और पंचायत समितियों को व जिला परिषद को भी अधिकार सम्पन्न बनायेंगे। मैं समझता हूं माननीय सदस्य की जो भावना है उसके पीछे यही भावना छिपी हुई है कि पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य को और अधिकार मिलें। जब पंचायत समिति और जिला परिषद को अधिकार मिलेंगे तो स्वतः ही फिर उनका प्रभाव बढ़ जायेगा। हमारे सहयोगी माननीय मंत्री ने जो बात कही है वह उससे ताल्लुक रखती है कि आप और हम सबको यह बैठ कर तय करना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में, जब अगला चुनाव हो, उस वक्त क्या स्थिति बने और ये जो पंचायत समिति के मैम्बर सरपंच नहीं हैं या प्रधान जिला परिषद के मैम्बर नहीं हैं, यह सारा मामला, मैं समझता हूं, हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे और फैसला करेंगे जिससे कि आगे यह अड़चन नहीं आये। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अन्तिम पूरक प्रश्न है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे का इस पर डिस्कशन हो जाये तो हमारे भी सुझाव आ जाएं।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य खड़ा हो।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : ....(व्यवधान)....जिला परिषद और पंचायत समितियों को, हमारी सरकार को तो दो महीना-डेढ़ महीना हुआ है, आने के बाद जिला परिषद के अधिकार के बारे में ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं। आप बैठिये।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बार वक्तव्य दे दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अन्तिम पूरक प्रश्न मेरा यह है कि 8–8, 9–9 साल से जांच विचाराधीन है। कब तक यह जांच पूर्ण करके आप निर्णय ले लेंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए आप कोई समयावधि निर्धारित करने का भी विचार रखते हैं कि इतने टाइम पीरियड के अन्दर ये जांच पूरी हो जानी चाहिए। नहीं तो रोज आते हैं, जाते हैं. पेशियां चलती रहती हैं। बड़ा वेस्टेज होता है। क्या कोई समयावधि भी निर्धारित करने जा रहे हैं? यह जानना चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महीने के अन्दर हमने 97 डी. ईज. को डिस्पोज की स्टेज पर ला दिया है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही यह अमेंडमेंट कर रहे हैं कि जिस तरह से को-आपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत फाइनेंशियल रेस्पोंसिबिलिटी उस व्यक्तिगत आदमी की। जो राजस्व वसूल करता है, हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो हमारी विजीलेंस कमेटी है और ग्राम सभा प्राइमरी

(श्री सी. पी. जोशी)

स्टेज पर यदि प्रारम्भिक जांच में यह महसूस करती है कि उसके खिलाफ कार्यवाही होती है, तो हम कार्यवाही को आगे लेंगे। इस सारी प्रक्रिया को हम निपटा कर, हमारी कोशिश यह है कि 31 मार्च तक जो 655 कैसेज पेंडिंग हैं, उन सब कैसेज को हम डिस्पोज करके एक नये सिरे से पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिला करके काम प्रारम्भ करना चाहते हैं। और हम पूरा करके बता देंगे आपको।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सरपंचों के बारे में कहा कि हम सरपंचों को यह अधिकार दिलाने जा रहें हैं कि वह पंचायतों के विकास का निर्णय करें। आज भी सरपंच इस बात में सक्षम है। पिछली सरकार ने यह अधिकार दे रखे हैं कि कोई भी विकास का काम होता है तो बाकायदा पंचायत में फैसला लेकर, जे.ईएन. को बुलाकर, और उससे पूरा बना कर, डी.आर.डी.ए. के माध्यम से ही पास होता है और ग्राम सभाओं में फैसला किया जाता है। पंचायत में कौनसा विकास का काम करना है, क्या कोई नई बात भी करने जा रहे हैं ?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : पिछली सरकार ने किया है यह। (व्यवधान) यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : माननीय मुख्य मंत्रीजी डी.आर. डी.ए. और सरपंच का क्या ताल्लुकात है ?

श्री अध्यक्ष : थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य और मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य एक-दूसरे का प्रश्न और उत्तर देने का कष्ट नहीं करें सदन में। प्रश्न यह नहीं है। आप जो कह रहे है वह ठीक है। आज जो स्थिति है कानून की, अधिनियम की और पंचायतीराज की, उस अधिनियम के अन्तर्गत जितने भी डी.आर. डी.ए. के काम हैं उनको एक्जीक्यूट ग्राम पंचायत करती है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही है कि सरपंच ग्राम पंचायत का है वह पंचायत समिति का सदस्य नहीं है और प्रधान जिला परिषद का सदस्य नहीं है। डी.आर.डी.ए. को हस्तान्तरण, नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सदस्य नहीं है, विशेष आमन्त्रित है।

श्री अध्यक्ष : प्रधान जिला परिषद का सदस्य नहीं है। सरकार डी.आर.डी.ए. के कुछ प्रावधानों को हस्तान्तरण करने का इरादा रखती है। राज्यपाल के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न पंचायत के तीनों लेयर्स हैं इसमें कोआर्डिनेशन का है, सामंजस्य का सवाल आता है। उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम इस चीज को एग्जामिन कर रहे हैं। और जैसी मुझे जानकारी है, पूर्ववर्ती सरकार ने भी कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई बात कही है शायद। इस सदन में आई है उसकी चर्चा। इसलिए उस प्रश्न को इस सन्दर्भ में एक्जामिन करके, और जब तक कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक यह वाटर टाइट कम्पार्टमेंट की तरह अलग-अलग पंचायतें और पंचायत समि-

(श्री अध्यक्ष)

तियां, जिला परिषद अलग-अलग रहेंगी। मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य प्रमुख रहे थे। इसलिए वो भुक्तभोगी है और वह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या थी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही कि पंचायत समिति के सदस्यों को और जिला परिषद के सदस्यों को अधिकार देने के बारे में विचार रखते है, इसके बारे में प्रयास कर रहे है। और माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने यह बात कही कि उनका रहने का औचित्य है भी कि नहीं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो दोनों का आपस में विरोधाभास है, इसका क्या कारण है। या तो यह बात क्लियर हो कि पंचायत समिति, जिला परिषद का सदस्य रखना चाहते हैं या नहीं चाहते। एक पंचायत समिति का सदस्य जो पंचायत का मेम्बर होता है, एक जिला परिषद का सदस्य जो 10 पंचायतों पर चुना जाता है, सरपंच को तो आपने अधिकार दे रखे हैं, लेकिन जिला परिषद के सदस्य को और पचायत समिति के सदस्यों को अधिकार देने के बारे में आप विचार नहीं रखते। आप सरपंच को और अधिकार देना चाहते हो। आप प्रधान को जिला परिषद का मेम्बर बनाना चाहते हो लेकिन जिला परिषद के सदस्यों को और पंचायत समिति के सदस्यों को अधिकार नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए आप। पंचायती राज मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा उसमें कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है। माननीय सदस्य का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट 73 है, जिसका आर्टिकल 2(3) (सी) है। उसमें लिखा हुआ है कि :–

All the seats in a Panchayat shall be filled by persons chosen by direct elections from territorial constituency in the panchayat area. राज्य सरकार की यह मंशा है कि टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी, जो पिछली सरकार ने पंचायत समिति मण्डल, और जिला परिषद मण्डल बनाया है, इसके बनिस्पत यदि टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी को हम पंचायत को आधार बना लें तो पंचायत का जो इलेक्टेड आदमी है उसको हम सरपंच कह रहे हैं, he will be able to cast his vote for panchayat samiti. He will be able to cast his vote for zila parishad. तो टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिये की, उसको एबोलिश करके हम नये ढंग से प्रभावित करने का काम करना चाहते हैं। यह कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है। (व्यवधान)

श्री हीरा सिंह चौहान : संविधान में (व्यवधान) संशोधन के कारण से लागू हुआ है कोई पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। यह संवैधानिक प्रावधान है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके कारण से ऐसा करना पड़ा था। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय का अध्ययन पूरा नहीं है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने एक बात कही कि पिछली पंचायत डिलिमिटेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये गलत काम किया । माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । आपने कह दिया कि डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष हम जिला प्रमुख को बनाने जा रहे हैं । अलबत्ता तो इसमें कांस्टीट्यूशनल प्रोब्लम आयेगी । और मंत्रीजी, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप यह एडमिट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिये डिलिमिटेशन किया, तो क्या आप पंचायतों को पुनः डिलिमिटेशन करना चाहते हैं । और मेरा सुझाव है, आप मानें या ना मानें, इतनी जल्दबाजी में आपने नारा दे दिया कि हम जिला परिषद को, जिला प्रमुखों को अधिकार दे रहे हैं और डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बना रहे हैं । मुख्य मंत्रीजी इसी सदन में कर लीजिये वरना आपके जो नये एम.एल.ए. आये हैं, उनको अगर पता लग गया तो अगले सत्र में आप नहीं कर पायेंगे । क्योंकि एम.एल.ए. की जो स्थिति बन जायेगी, आपकी पार्टी के एम.एल.ए. ही आपके खिलाफ आवाज उठाने लग जायेंगे । यह इनोसेंट है, अभी इनको मालूम नहीं है कि आप डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष जिला प्रमुख को बना कर इनकी नसबंदी करना चाहते हो । यह समझ जायेंगे, करना है तो जल्दी कर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात व्यक्त की है वो उनकी मंशा के बिलकुल विपरीत है । संविधान में जो व्यवस्था कर दी.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्रीजी बोल रहे हैं ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन के बाद न तो बी.एस.पी. के माननीय सदस्य की भावनाओं की कोई बात हो सकती है, संविधान संशोधन के बाद हमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है चाहे हम चाहें या नहीं चाहें । बी.एस.पी. वाले चाहें या नहीं चाहें, यह हमारा पोलिटिकल कमिटमेंट है । हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे और सत्ता के विकेन्द्रीकरण से न तो नसबंदी हमारी होगी, नसबन्दी बी.एस.पी. की भी....(व्यवधान) हमारी नसबंदी होनी होगी तो....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : संकुचित विचारधारा है आपकी । सवाल कोई पार्टी से सम्बन्धित नहीं था । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से सदन में सवाल पूछा उसको राजनीतिक पार्टी के जाल में फंसा करके आप कहना क्या चाहते हैं । सवाल भावना का है । मैंने पूरे राजस्थान के पंचायत समिति के सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों के बारे में पूछा था, पार्टी का कोई सवाल नहीं है । इस तरीके से आपकी संकीर्ण मानसिकता इस सदन में दिखाई दी है । बी.एस.पी. क्या करेगी इसमें ।

श्री सी. पी. जोशी : हम पूरी बी.एस.पी. की नसबन्दी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी, माननीय सदस्य बीच में नहीं, ग्रासन पैरों पर हैं, टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी जो पंचायत समिति की है और ग्राम पंचायत को टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी को आप कोटर्मिनस कर देते हैं, तो भी पंचायत समिति का सदस्य, जब तक कांस्टीट्यूशन में जो आज स्थिति है, वह ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। इसलिए वाइडर कन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को आपको देखना चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी को ही हम कोटर्मिनस पंचायतों के साथ करना चाहते हैं। इसमें जो प्रोब्लम आ रही है....

श्री अध्यक्ष : उससे प्रोब्लम यह आयेगी कि न तो सरपंच को टर्मिनस होने से बच जाये....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत एक्ट पूरा पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष : आप ठहरिये माननीय सदस्य। कोटर्मिनस कांस्टीट्यूएंसी और टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी बनाने के परिणामस्वरूप न तो पंचायत समिति का सदस्य ग्राम पंचायत का मेम्बर होगा और ना वहां जाकर बैठ सकेगा। और न सरपंच पंचायत समिति का सदस्य हो सकेगा। आप विधिवेत्ताओं से इसकी जांच करवाइये, उसके बाद में कोई निर्णय लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन के बाद थ्री-टायर सिस्टम लागू हुआ है। आज उत्साही मंत्रीजी ने यह कह दिया कि यह ग्राम पंचायत को ही पंचायत समिति के सदस्य की जगह कर देंगे और सरपंच भी चुन लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह संविधान में बिना संशोधन क्या राज्य सरकार के पास इतने अधिकार निहित हैं कि, हिन्दुस्तान के संविधान में बिना संशोधन ही, आप नया पुनर्सीमांकन करेंगे, एक बात। दूसरी बात, पुनर्सीमांकन से पहले आपको विधिवत रूप से नोटिफाई करना पड़ेगा। क्या आप नोटिफाई करके पुनर्सीमांकन करेंगे ? और क्या संविधान में बिना संशोधन आप पुनर्सीमांकन और थ्री-टायर को टू–टायर में करने के आपके पास अधिकार हैं ? कृपया आप बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज पंचायती राज का जो कंसेप्ट है....

श्री अशोक गहलोत : आपने ये सुझाव दिये हैं उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठायेगी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी बात करेगी, क्योंकि यह मसला भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। यह एक अहम मुद्दा है। जो अध्यक्ष महोदय ने बात कही है उन बातों को ख्याल में रखते हुए फैसला किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो सुझाव दिया इसका स्वागत है, परन्तु कृपया इन सभी बातों का....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्य नहीं, नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बाबूलाल नागर।

रोज (नीलगाय) से फसलों का बचाव प्रकरण

38. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र दूदू में रोज (नील-गायों) द्वारा फसलों को नष्ट करने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु कोई योजना वन क्षेत्र बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां ?

राज्य मंत्री, वन (श्री मगराज चौधरी): विधान सभा क्षेत्र दूदू में रोज अथवा रोजड़ों द्वारा फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प. 11(27)वन/91 दिनांक 16–1–96 द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(बी) के अन्तर्गत ऐसे रोज अथवा रोजड़े, जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, को मारने की अनुमति देने के लिए जयपुर जिले के मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उपमुख्य वन्य जीव प्रतिपालक एवं दूदू क्षेत्र के प्रादेशिक रेंजर को प्राधिकृत कर रखा है ।

पूरे राज्य में रोजड़ों को शिड्यूल 5 की सूची में शामिल करने के लिए पुन: भारत सरकार को निवेदन किया जायेगा जिससे कि रोजड़ों के द्वारा जो पूरे राज-स्थान के करीब 26 जिलों में फसलों को नुकसान किये जाने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही है उनका उचित समाधान किया जा सके और काश्तकार अपनी फसलों को बचाने में स्वत: अपने स्तर पर रोजड़ों को मारने के बारे में सक्षम हो सकें, और इस प्रकार की कार्यवाही करने में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाही नहीं की जा सके । इसलिए बराबर निवेदन किया जा रहा है ।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि पशु नीलगाय को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पवित्र पशु माना जाता है । उसको मारना अधर्म समझा जाता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां वन्य क्षेत्र घोषित किया जाय या जो गोचर भूमि है उसमें मेडबंदी कर दी जाय जिससे कि नीलगाय उसमें बन्द कर दी जाय, वहीं उनको चारा मिल जाय और वहीं वे एकत्रित हो सकें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : सर-कार उनकी सेंक्चूरी क्यों नहीं बना देती है, माननीय वन मंत्री जी ?

श्री मगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या केवल मात्र दूदू क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि राजस्थान के 26 जिलों में है और यह जिस प्रकार का आक्रामक पशु है, ताकतवर पशु है, ऐसी स्थिति में वहां पर कोई अभयारण्य बनाकर, सेंक्चूरी बनाकर इसको कब्जे में लाकर ही रखने वाली बात सम्भव नहीं है । दूसरा इसका तो एकमात्र इलाज यही है कि इसके वध को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 है, जो केन्द्र सरकार का अधिनियम है, जिसके शिड्यूल 3 में इसे मारने की मुमानियत है तो मारने की मुमानियत, जो रोक लगी हुई है उसको हटाकर और शिड्यूल 5 की सूची में शामिल करवाने के लिए बराबर सरकार

(श्री भगराज चौधरी)

अपने स्तर पर केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है। केन्द्र सरकार अभी तक इसके लिए सहमत हुई नहीं है। अगर सहमत हो जाती है तो....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता, समाधान निकाला जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, नीलगाय गाय की ही एक प्रजाति है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि नीलगाय गाय प्रजाति से नहीं है? यह एन्टीलॉप्स प्रजाति से है और जो नाम है नीलगाय, यह ब्ल्यू बुल से लिया गया है। अंग्रेजी का हिन्दी किया गया है। इसलिए गाय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकी एक जानकारी और मैं इस हाउस को देना चाहता हूं कि यह नाम जो नीलगाय का आया है, यह औरंगजेब के टाइम में उन्होंने इस स्पीसी को बचाने के लिए, क्योंकि इस स्पीसी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो नीलगाय हिन्दू भी खाते थे और मुस्लिम भी इसको खाते थे। सही बात है। औरंगजेब के बाद का टाइम बता रहा है, उससे पहले की बात कर रहा हूं। एक जानकारी दे रहा हूं आपको। और यह जो जानवर है औरंगजेब के टाइम के अन्दर उन्होंने इसको गाय का नाम दे दिया, क्योंकि वे इसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि हिन्दू इसको नहीं खायें। क्योंकि वाइल्ड बोर, जो सूअर है, वह हिन्दू खाते थे। उन्होंने सोचा कि एक जानवर हमारे लिए रख लें। इसलिए इसको गाय का नाम दिया है। इसका गाय से कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम भी बदलकर रोज रखना चाहिए और इसको आगे चला दीजिये आप। इसमें मेरा सुझाव है कि इसको न तो मेडबंदी से रोका जा सकता है न इसको आप खतम कर सकते हैं। मैंने यह सुझाव पहले भी दिया था इस हाउस के अन्दर कि इसको बहुत सारे बाहर के जो कन्ट्रीज हैं, जहां पर जानवर नहीं हैं, अच्छे जंगलात हैं, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कोई रास्ता निकाला जाय तो बाहर के ही लोग आकर और जीवित इसका एक्सपोर्ट करने के लिए ले जाने के लिए तैयार हैं। और ऐसी एजेंसीज हैं (व्यवधान) यह सुझाव मैं देता हूं इस पर भी आप विचार रखें।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, यह नीलगाय जो है, यह पूरे राजस्थान की ही एक समस्या है। इस पर सरकार को कोई कठोर कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि किसान भी बच सकें। किसानों की 50 प्रतिशत खेती नष्ट हो जाती है और किसानों की हालत बहुत खराब रहती है। यह चिन्ता का विषय है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पर सख्ती से कोई कार्यवाही करें। आपके एस. डी. एम. या तहसीलदार को इस तरह की कार्यवाही करने के निर्देश दें, आदेश दें जिससे कि इन नीलगायों की समस्या निपट सके और ये नीलगाय नहीं है, रोज कहते हैं। रोज के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसके लिए कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यह नीलगाय नहीं है, बिलकुल सही बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने भी दिया है। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : जैसा वी.पी. सिंह साहब ने कहा कि यह नीलगाय नहीं है, यह ब्ल्यू बुल है। इसको नीलगाय का एक गलत नामकरण दिया गया है। दरअसल में यह एन्टीलॉप्स प्रजाति का एक पशु है। यह वाइल्ड एनीमल है और बहुत ही आक्रामक है। इसका कोई गाय की श्रेणी या गाय से किसी प्रकार का नजदीक का कोई रिश्ता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में चूंकि हजारों की तादाद में राजस्थान के 26 जिलों के अन्दर यह पैदा हो गया है, लाखों की तादाद में है। जिस समय यह संरक्षण कानून बनाया गया था, उस समय इसकी संख्या बहुत कम रही होगी। इस कारण से शिड्यूल 3 की सूची में इसको शामिल किया गया था और मारने पर मुमानियत रखी गयी थी। परन्तु उसके पश्चात् आज करीबन 25-26 साल का अरसा हो गया और इसे ईश्वर की कुदरत मानिए कि यह तो लाखों की तादाद में राजस्थान में पैदा हो गया। इसलिए नये सिरे से इसकी प्रजाति की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार से बराबर यह सम्पर्क किया जा रहा है, कहा जा रहा है, उनसे सहमति प्रकट करवाने की कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार की प्रजाति का, जो कि फसलों को बहुत बड़ी तादाद में नष्ट कर रही है, पूरे राजस्थान के सभी जिलों के किसानों की नींद हराम कर दी है। इसलिये ऐसी स्थिति में इसको लाइसेंस के द्वारा, परमिट के द्वारा जहां तक वध करने का प्रश्न है, उसके लिए तो जैसा मैंने निवेदन किया कि आलरेडी जंगलात के अधिकारियों को अधिकृत कर रखा है। और जंगलात के अधिकारियों के अलावा भी पुलिस के कुछ अधिकारियों को और तहसील स्तर के रेवेन्यू अधिकारियों को भी, इसको लाइसेंस कहिये या अनुज्ञा पत्र कहिये जारी करने के बारे में, अधिकृत करने के बारे में विचार किया जा रहा है। मगर मुक्कमिल तौर से अपने स्वयं के स्तर पर काश्तकारों द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किये ही इसको मारने के बारे में हम कानून में बदलाव नहीं करेंगे और शिड्यूल 5 के अन्दर सूची में शामिल नहीं करवा पायेंगे तब तक समस्या बराबर बनी रहेगी। क्योंकि अनुज्ञा पत्र जारी करने की परमीशन देने के पश्चात् भी दुर्भाग्य से केवल मात्र 6 काश्तकार ऐसे आये जिन्होंने अनुज्ञा पत्र मांगा है जबकि इस प्रकार का प्रावधान हुए करीबन 4 साल का अरसा हो गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : इन पशुओं को एक्सोर्ट करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1980 से लेकर इस विधान सभा में कम से कम पचासों बार ..

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पशुओं को एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, बैठिये। माननीय राधेश्याम जी। श्रीमती सुमित्रा जी, आप बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा ही नाम पुकारा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि यह बात तो सही है कि यह नीलगाय या रोज इसे कहिये। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे रही हूं कि नीलगाय के नाम पर यदि आपने सेण्टर से अनुमति मांगकर के यह काम शुरू कर दिया तो यह भारतीय जनता पार्टी वाले "गाय मरा रहे हैं, गाय मरा रहे हैं" कहकर, वापस आकर राज नहीं छीन लें आपसे। यह ध्यान रख लेना।

एक माननीय सदस्य : किसान रोजाना मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : गंगानगर से आने वाले राधेश्यामजी, अपना प्रश्न रखिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न कर रहा था कि 1980 से लेकर निरन्तर यह मामला हाउस में उठता रहा है, और चौथी बार से यह बात सुन रहा हूं और हमेशा मंत्रीजी का जवाब यह होता है कि हमने सैण्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। इतनी भारी बरबादी गंगानगर जिले के अन्दर हो रही है, 70 प्रतिशत फसलों का जो नाश कर रही है, इसका नाम नीलगाय नहीं है। इसका नाम रोज है। हम इसको गलत नाम से पुकार रहे हैं। देहात में कहीं भी इसका नाम नीलगाय नहीं है। यह रोज है और यह किसानो का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अन्दर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह का मंत्रीजी हाउस को कोई आश्वासन दें। केवल मात्र यह कह देने से कि हमने सैण्ट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया है। आप पिछली प्रोसीडिंग्स उठाइये, बीसों बार यहां धरने दिये, प्रोसीडिंग देखिये। पिछले मंत्रियों की बात सुनिये। यही की यही बातें पहले कही गयी थीं जो आपने दोहराया है .. (व्यवधान) ..

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान में इस बात का बहुत बड़ा आन्दोलन छिड़ जाएगा अगर नीलगाय की हत्या के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव यहां पर पास या संशोधन करवाया गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारा सुझाव है कि नीलगाय को नहीं मारा जाए तथा कोई और रास्ता निकाला जाए। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नीलगाय नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (जमवारामगढ़) : यह नीलगाय है... (व्यवधान) .. यह नीलगाय है, यह परम्परा रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : या तो खेती होती नहीं है, परन्तु जब किसान खेती करते हैं....(व्यवधान)....हां, मैं खेती जानता हूं ।... (व्यवधान) किसानों की सारी खेती बरबाद हो चुकी हैं। (व्यवधान) किसान बर्बाद हो जाते हैं वे इस नीलगाय की .. (व्यवधान) ...

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : और नीलगाय मारने का लाइसेंस भी है। लाइसेंस होने के बावजूद भी किसान इसको मारना नहीं चाहता। नही मारना चाहते, क्योंकि, मैं ऐसे क्षेत्रों से लोगों के कई उदाहरण दे सकता हूं जिनके पास बन्दूक या लाइसेंस है। मारने के बाद जिस प्रकार से ये आवाज करती है, घंटों ये आवाज करती हैं जिससे किसान का दिल दहला जाता है और कोई मारना नहीं चाहता है (व्यवधान) मैं कह रहा हूं आपको। मुझे मालूम है (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं या तो इसकी दूरबीन से नसबन्दी कर दी जाये। दूरबीन से भी नसबन्दी यदि सम्भव हो तो वह कर दी जाये। (व्यवधान) या बड़े-बड़े चारागाह बनाए जाएं, या जैसा वी. पी. सिंह ने कहा कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाए (व्यवधान)....

श्री हीरालाल विश्नोई : पहले भी, 1990 में भी इसका सुझाव दिया था। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको यही मालूम नहीं है कि यह नीलगाय है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी और माननीय वन मंत्रीजी, इससे किसान बड़ा दुःखी है। किसान ने खेती करना बन्द कर दिया है। (व्यवधान) इसने जबरदस्त आतंक फैला रखा है। आप कोई भी रास्ता अख्त्यार कर लीजिये। आप इसकी प्रगति को रोकिये। (व्यवधान) चाहे इसको मारिये, चाहे कोई भी उपाय कीजिये लेकिन किसानों को इससे मुक्ति दिलाइये। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, इनको खेती के बारे में मालूम नहीं है। किसान पूरे छह महीने....(व्यवधान) किसानों का बहुत जबरदस्त नुकसान करते हैं। आपको मालूम है कि अगर यह रोज नीलगाय है तो बन्दर भी आदमी है। इनको इस बात का मालूम तो है नहीं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए पूरी रात ठण्ड में खड़ा रहता है और जो लोग इसको नीलगाय कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गाय के 4 थन होते हैं, रोजड़े के 2 थन होते है। गाय 10 महीने 10 दिन में ब्याहती है और यह 4 महीने में ब्याह जाती है। (व्यवधान) इसको गाय कहना गलत है। यह एक जंगली जानवर की प्रजाति है, रोजड़ा इसका नाम है। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका नाम नीलगाय है। इसकी हत्या नहीं होने देंगे। इनको एक बात बताऊं .. (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जो माननीय मंत्रीजी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और आसन के माध्यम से उनसे यह अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार से अपनी एप्रोच करके इनको जल्दी से जल्दी शिड्यूल तीन से शिड्यूल पांच में ट्रांसफर करवाने का कष्ट करें ताकि प्रदेश के काश्तकारों को इससे राहत मिल सके।

श्री श्रवणकुमार : अध्यक्ष महोदय, इनको एक बात का मालूम नहीं है। नील-

(श्री श्रवणकुमार)

गाय के नाम से हिन्दू के अन्दर जागृति पैदा करने वाले....(व्यवधान) यह किसानों में रोज के नाम से जाना जाता है और रोज किसानों को नुकसान पहुंचाता है। (व्यवधान) अगर रोज ही नीलगाय है तो बन्दर भी आदमी है। इनको मालूम ही नहीं है इस बात का। उन्होंने गायों का नाम कर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गाय रोज है और रोज के नाम से पुकारा जाता है। रोज ही अगर नीलगाय है तो फिर बन्दर भी आदमी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस गाय, रोज को मारने के बजाये क्यों नहीं सेंक्चुरी बनाकर सबको उसमें डाल दिया जाए तो सब झगड़ा ही खत्म हो जाए, साहब। खेती की रखवाली की जाए, सेंक्चुरी बनाकर डाल दी जाए। आपके माध्यम से यह मेरा सुझाव है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : सेंक्चुरी कहां बनेगी? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोजड़ा किसान के लिए समस्या का एक अहम मुद्दा है जिसके लिये माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि भारत सरकार से इसकी अनुमति ले रहे हैं और इधर इसको नीलगाय समझकर मारने पर एतराज आ रहा है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं काश्तकारों की तरफ से कि जब तक इनके और सवाल पूरे नहीं होते, जवाब नहीं आते, तब तक इनको बढ़ने से रोकने के लिए कोई भी नसबन्दी जैसा उपाय किया जा सकता है, इस पर विचार करें।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गाय के तो 4 थन होते हैं, इसके तो दो ही थन होते हैं। इसलिए इसको हम तो नील बकरी कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जाइये। कृपया शान्त रहिये। माननीय मंत्रीजी, वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1972 के कौन-से शिड्यूल में यह नीलगाय है।

श्री भगराज चौधरी : यह शिड्यूल-3 में रखा हुआ है। शिड्यूल नम्बर 3 की सूची में शामिल किया हुआ है। वन्य जीव अधिनियम, 1972 का जो शिड्यूल 3 है और उस सूची में अपने वाइल्ड लाइफ के जो नाम अंकित किये हुए हैं, उसी सूची में इसको शामिल किया हुआ है और उस शिड्यूल के नीचे जो भी ...

श्री अध्यक्ष : इसका नाम क्या है, शिड्यूल में क्या नाम है?

श्री भगराज चौधरी : नाम इसका वैसे तो अंग्रेजी में....(व्यवधान) शिड्यूल में पढ़ा मैंने...(व्यवधान) सुन लीजिये, वैसे यह ब्लू–बुल और नीलगाय लिखा हुआ है। अंग्रेजी में ब्लू-बुल है और हिन्दी में नीलगाय लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल 3 में इंग्लिश में नीलगाय लिखा हुआ है NILGAI और दूसरा इसका नाम ब्लू-बुल भी है। चूंकि शिड्यूल 3 के नीचे जो जानवरों की सूची दी हुई है उसमें नीलगाय

(श्री भंगराज चौधरी)

का नाम अंकित है । चूंकि यह नीलगाय है नहीं, गलती से इसको नीलगाय मान लिया गया है । अब इसलिए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रोजड़ा, रोजड़ा तो आप सब लोग कहते हो लेकिन शिड्यूल की बात मैं कर रहा हूं । यह मामला विधि से सम्बन्ध रखता है । शिड्यूल 3 में जो भी वाइल्ड लाइफ आते हैं उनको नहीं मारा जा सकता है । शिड्यूल 3 से शिड्यूल 5 में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि यह सेण्ट्रल एक्ट है, इसलिए आपने भारत सर–कार को लिखा है ।

श्री भंगराज चौधरी : लगभग 4–5 साल से बराबर राजस्थान सरकार के स्तर पर किया जा रहा है और भारत सरकार को सहमत करने की कोशिश की जा रही है कि इसको शिड्यूल 3 से हटाकर के.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने लिखा है कि नहीं लिखा है ? कोशिश तो आप बहुत कर रहे हैं । (व्यवधान) आर्डर प्लीज ।

श्री भंगराज चौधरी : नहीं, लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय । देखिये, जनवरी.... राज्य सरकार के स्तर पर इसको शिड्यूल 3 से हटाकर शिड्यूल 5 की सूची में सम्मिलित करने के ऊपर जो प्रयत्न किये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : आप इधर माइक पर बोलिये । उधर मत देखिये, मेरी तरफ देखिये ।

श्री भंगराज चौधरी : जनवरी, 1992 को वन मंत्रियों की बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से भी केन्द्र सरकार के मंत्री से निवेदन किया गया कि राजस्थान में इस प्रकार की विशेष समस्या पैदा हो गयी है । इसलिए इसको शिड्यूल 5 में रखा जावे । उसके पश्चात मार्च, 1992 में फिर निवेदन किया गया उसके बाद में जुलाई, 1994 के अन्दर भी यह बात जब कही गयी तो केन्द्र सरकार ने यह कहा कि आप अनुज्ञा पत्र जारी करके इस प्रकार की समस्या का समाधान, उनका वध करने के बारे में अनुज्ञा–पत्र जारी करके करवा सकते हैं । पर इसको हम शिड्यूल पांच में नहीं रखेंगे । उसके पश्चात् 1996, 97 और 98 में बराबर वन मंत्रीजी द्वारा मीटिंग्स आमन्त्रित की गयी थीं, उसके दौरान भी इस मामले को बार-बार उठाया गया था । फिर भी केन्द्र सरकार.... (व्यवधान)....जो भी है, आप देखिये, **I am sitting on behalf of Government.**

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप प्रश्न को बहुत लम्बा कर रहे हैं और कन्फ्यूज कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि शिड्यूल पांच में ट्रांसफर के पहले क्या आप वन विभाग के अधिकारियों को, जिनको आपने अधिकृत किया है, यह अधिकृत करना विधिसंगत है ?

श्री भंगराज चौधरी : नहीं, यह विधि-संगत है कि....(व्यवधान)....नो–नो....

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महो-दय, यह जो शिड्यूल बता रहे हैं, एक मिनट में मैं निवेदन करना चाहूंगा । मैं

(श्री अमराराम)

मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो रोज प्रजाति है, वह इस वाइल्ड लाइफ में कौनसी धारा में आती है? नीलगाय की बात नहीं कर रहे। रोज नुकसान कर रहा है। उसके लिये पूछ रहे हैं, नीलगाय की बात ही नहीं कर रहे हैं। रोज जो नुकसान करता है वह वाइल्ड लाइफ की कौनसी धारा में आती है? इसमें आती ही नहीं, जिसमें प्रोहिबिटेड है। वह तो नीलगाय के लिये हैं, जिसको बदलने की बात कर रहे है। रोज जो नुकसान करते हैं उसको बनाने की सीमा है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : रोज जिसमें है, वह मंत्रीजी बता दें कि किस धारा में है?

श्री अध्यक्ष : शिड्यूल के अन्दर रोज और रोजड़ा नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : तो मारें फिर?

श्री अध्यक्ष : वहां पर नीलगाय है। अब यह रोजड़ा .. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं अपन। अध्यक्ष महोदय, नुकसान तो रोज कर रहा है। नीलगाय कर ही नहीं रही हैं। नीलगाय को हटवाने की बात कर रहे हैं। नुकसान रोज कर रहा है और हटाने की बात नीलगाय की कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न उठाया है कि यह नीलगाय है इसको मारा नहीं जाए। (व्यवधान) बैठिये–बैठिये आप। आप बहुत जल्दी उठ रहे हैं। मुझे याद है आपने क्या कहा था। और ज्यादातर माननीय सदस्यों का यह कहना है कि यह रोज है। इसको राजस्थानी डायलेक्ट में रोजड़ा भी कहते हैं और जो मादा नहीं नर है वह आठ–दस फीट की कोई दीवार हो या बांड़ हो, उसको कूद जाता है। कई जगह पर इन्होंने कई लोगों को जान से भी मार दिया है। लेकिन इस विषय में लोगों की अलग-अलग भावनाएं मारने के सम्बन्ध में हैं। सरकार सभी पक्षों को देखकर के, क्योंकि अभी एक सजेशन आया था कि इसको स्टरलाइज कर लो, पूरे राजस्थान के अन्दर, अगर वन मंत्रीजी स्टरलाइज करने की बात करें तो मैं समझता हूं कि इनको कम से कम एक नया विभाग स्थापित करना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप : एक रोजड़ा मंत्री बना दो, रोजड़ा मंत्री।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मारना कोई भी नहीं चाहता। उनको भगाने के कारण कोई मर जाए तो फिर उस पर एक्शन नहीं हो, यह मकसद है। बाकी रोज को कोई मारना नहीं चाहता। उसको हर समय बचाने के लिये काम करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न–काल समाप्त। प्रश्न–काल समाप्त। क्वेश्चन आवर इज ओवर, माननीय सदस्य बैठिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला चूरू का स्टेडियम प्रकरण

45. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जिला मुख्यालय चूरू स्थित स्टेडियम के लिए कोई विशेष राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी व कब तक ?

(2) क्या सरकार सुजानगढ़ व चूरू में इन्डोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की जायेगी ।

(3) क्या सरकार राष्ट्रस्तरीय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या सरकार खेल नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, चूरू स्टेडियम के लिए 10.00 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये गये हैं ।

(2) सुजानगढ़ में स्टेडियम निर्माण विचाराधीन है । चूरू के स्टेडियम के मास्टर प्लान में एक इन्डोर हाल भी शामिल है । यह प्रोजेक्ट कुल रुपये 241.00 लाख की लागत का है जो राजस्थान सरकार एवं जनसहयोग के अतिरिक्त 50% भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर निर्मित हो सकेगा । प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(3) जी हां, नई खेल नीति विचाराधीन है ।

(4) जी हां, नई खेल नीति विचाराधीन है ।

जिला भरतपुर का डार्क-जोन प्रकरण

46. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले में किन-किन स्थानों पर कितनी मात्रा में भू–जल उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले में कौन-कौन से क्षेत्र भू–जल स्तर के हिसाब से डार्क–जोन में आते हैं ?

(3) क्या पूर्व में डार्क–जोन घोषित क्षेत्र में अधिक वर्षा से भू–जल स्तर में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या उन क्षेत्रों को अब डार्क–जोन खतम कर सरकार पूर्व की स्थिति में रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों को और कब तक ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुमानित भू–जल उपलब्धता का विवरण पंचायत समितिवार इस प्रकार है :–

बयाना (28.77), डीग (12.41), कामां (25.47), कुम्हेर (1.09), नगर (18.97), रूपवास (12 78), नदबई (– 14.78), सेवर (– 14.03) एवं वैर (– 2.09) मिलियन क्यूबिक मीटर है ।

(भू–जल मंत्री)

(2) भरतपुर जिले की नगर, कुम्हेर, डीग, नदबई एवं सेवर पंचायत समितियां 1.1.95 के आंकलन के आधार पर डार्क–जोन में आती हैं।

(3) जी हां, पूर्व में 1.1.95 के आंकड़ों के आधार पर भू–जल आकलन समिति द्वारा डार्क–जोन घोषित क्षेत्रों को पुनः मूल्यांकन 1.1.98 के आंकड़ों के आधार पर पूर्ण कर प्रतिवेदन राज्य स्तरीय भू–जल आकलन समिति के अनुमोदनार्थ भिजवाया गया है। अनुमोदन के उपरान्त विभिन्न पंचायत समितियों के भू–जल उपलब्धता का पुनः वर्गीकरण किया जाएगा और जो भी स्थिति होगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

सीलिंग भूमि के विचाराधीन प्रकरण

47. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में भूतपूर्व महाराजाओं के पास सीलिंग से ज्यादा भूमि किस-किस के पास है ?

(2) उक्त भूतपूर्व महाराजाओं से सीलिंग से ज्यादा भूमि वापस लेने हेतु किस न्यायालय में कब से मुकदमा चल रहा है ?

उत्तर

(1) राज्य के 32 जिलों में से प्राप्त 17 जिलों में तीस भूतपूर्व राजाओं जयपुर अलवर, जोधपुर के पास सीलिंग से ज्यादा भूमि हैं। सूची संलग्न है। शेष 15 जिलों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) बिन्दु एक में अंकित चारों भू.पू. राजाओं के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होने के बाबत सूचना संलग्न है।

(सूचना/विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

ग्राम खोंवास (जयपुर) की गैर मुमकिन तलाई का अतिक्रमण प्रकरण

48. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खोंवास, तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में गैर मुमकिन तलाई की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो किसने एवं कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार जमवारामगढ़ (जयपुर) ने दिनांक 10 मार्च, 1989 को उक्त अतिक्रमण की बेदखली के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या अतिक्रमी को बेदखल किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 26 अप्रेल, 1994 को भी उक्त अतिक्रमी को तीन माह का कारावास एवं 2000/– रु. का जुर्माना किया गया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(4) क्या उक्त आदेश की पालना की जाकर बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी

(श्री कन्हैयालाल)

है ? यदि नहीं, तो उक्त स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(5) क्या सरकार ऐसे अतिक्रमी एवं दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं अब उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम खींवास तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में गै. मु. तलाई की भूमि पर 7 व्यक्तियों द्वारा विभिन्न वर्षों में 5 से 13 बिस्वा क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है। विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि परिशिष्ट–1 में क्र. सं. 1 पर दर्ज अतिक्रमी केदार पुत्र हरसहाय हरि. ब्राह्मण को ख.नं. 71 रकबा 05 बिस्वा से न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा दिनांक 10-3-89 को बेदखली करने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय), जयपुर के यहां अपील होने व निर्णय दिनांक 30-11-92 द्वारा उक्त बेदखली आदेश को निरस्त कर देने के कारण बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अन्य अतिक्रमियों के अतिक्रमण हटा दिये गये हैं।

(3) दिनांक 27.4.94 को न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा अतिक्रमी केदार पुत्र हरसहाय को 3 माह के कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया था व रुपये 13/– का जुर्माना किया गया।

(4) दिनांक 27.4.94 के आदेश के विरुद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर के यहां अपील होने पर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई करने का आदेश दि. 26.7.95 को दिया गया। इस कारण बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

(5) उक्त विवाद सन् 1995 से सिविल न्यायालय (क. ख.) प्रथम न्यायिक जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर में विचाराधीन है। जिसमें यथास्थिति रखने के आदेश हैं। इस कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। न्यायालय से स्थगन आदेश समाप्त होने पर अथवा न्यायालय से निर्णय होने पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

वन विभाग सीकर का दवा खरीद प्रकरण

49. श्री अमराराम (धोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वन विभाग कार्यालय सीकर में दवाई खरीद में अनियमितताएं हुई हैं ? क्या उक्त प्रकरण की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त कार्यालय में कितना व्यय किया गया ? मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम)

(3) क्या उक्त योजनाओं का विभाग द्वारा मूल्यांकन किया गया ? यदि हां, तो कितनी-कितनी योजनायें सफल पाई गईं?

उत्तर

(1) सीकर स्थित वन विभाग के अरावली वृक्षारोपण परियोजना के मण्डल वन कार्यालय में कीटनाशक दवाइयों की खरीद के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर तफतीश जारी है।

(2) गत 5 वर्षों में उक्त कार्यालय द्वारा किये गये व्यय की मदवार सूची परिशिष्ट-"क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का मूल्यांकन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत किया जाता है। मूल्यांकन अनुसार वृक्षारोपण सामान्यत: सफल पाये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला सवाईमाधोपुर में वन विकास

50. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1995 से 1998 तक जिला सवाई माधोपुर एवं करौली में कुल कितनी राशि वन विभाग को आवंटित की गई और उसका उपयोग किस-किस कार्य में अब तक किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान कुल कितने-कितने वृक्ष किस-किस किस्म के कहां-कहां पर लगाये गये एवं उनमें से अब तक कितने-कितने वृक्ष मृत एवं जीवित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से 1998 तक जिला सवाई माधोपुर एवं करौली में वन विकास कार्य हेतु आवंटित बजट एवं उपयोग का विवरण परिशिष्ट-"क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त जिलों में चालू वर्ष में कराये गये वृक्षारोपण स्थल, पौधों की संख्या, किस्म एवं जीवित रहे पौधों का विवरण परिशिष्ट-"ख" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

वन क्षेत्र जमवारामगढ़ (जयपुर) में अवैध खनन

51. श्री रामचन्द्र (जमवारामगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के जमवारामगढ़ के वन्य क्षेत्र में अवैध खनन कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने-कितने क्षेत्र में ? उक्त क्षेत्र में अवैध खनन कब से एवं किसके द्वारा किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्य-

(श्री रामचन्द्र)

वाही की गई है और अब आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जमवारामगढ़ वन क्षेत्र में केवल केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 38 खनन पट्टों में ही खनन कार्य चल रहा है। कभी-कभी स्थानीय लोग अपने भवन निर्माण कार्य अथवा अन्यथा वन क्षेत्र से चेजा पत्थर निकालते हैं।

(2) अनाधिकृत रूप से चेजा पत्थर ले जाने वाले अपकर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अप्रेल से दिसम्बर, 1998 की अवधि में अनाधिकृत रूप से पत्थर ले जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 68 प्रकरण दर्ज कर जुर्माने के रूप में 0.98 लाख रुपये वसूल किये गये हैं। भविष्य में भी अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

फसल बीमा योजना

52. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार राज्य में कृषि बीमा योजना लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इसकी कोई नीति निर्धारित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

उत्तर

राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना राज्य में लागू करने का विचार भारत सरकार से अनुमोदन के पश्चात् रखती है।

चूंकि यह योजना भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार उनके अनुमोदन के पश्चात लागू की जायेगी। शेष भारत सरकार से सम्बन्धित हैं।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में सड़क निर्माण कार्य

53. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 1998–99 में कुल कितनी डामर, डब्ल्यू. बी. एम. तथा ग्रेवल सड़कें नई बनाई जाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में 1998–99 में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु विशेष मद में कितनी राशि आवंटित की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) थोवला से कोड फांटा सड़क का मरम्मत कार्य कब शुरू किया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 98–99 में 31.25 कि.मी. डामर, 44.5 कि. मी. डब्ल्यू. बी. एम. तथा 18.5 कि.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मी. ग्रेवल सड़कें बनाई जानी प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-"क" में अंकित है।

(2) उक्त क्षेत्र में 1998-99 में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु विशेष मरम्मत रख-रखाव एवं प्राकृतिक आपदा मद में क्रमशः 45.71 लाख एवं 17.80 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। सड़कवार विवरण परिशिष्ट-"ख" में संलग्न है।

(3) थांवला से कोड फांटा सड़क कुल 21 कि. मी. डामरीकृत सड़क है इसमें से 3 कि. मी. लम्बाई ठीक है, तथा शेष 18 कि. मी. लम्बाई साधारण मरम्मत योग्य नहीं है जिसकी नवीनीकरण हेतु अनुमानतः रुपये 36.00 लाख की आवश्यकता होगी जिसकी मरम्मत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की क्षतिग्रस्त सड़कें

54. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 52 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विभिन्न श्रेणी की सड़कों की कुल लम्बाई 326.50 कि.मी. है इसमें से इस वित्तीय वर्ष 98-99 में 91.80 कि.मी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। शेष सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर प्रगति पर है एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण अगले वित्तीय वर्ष में कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

55. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पूर्व में सहायक अभियन्ता का कार्यालय था? यदि हां, तो अब उसको बन्द किये जाने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुनः चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामस्वरूप)

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम कैमला में नाली निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर कर व्यय की गई ? अब तक उक्त राशि व्यय न करने के क्या कारण रहे और अब कब तक यह राशि इस कार्य पर व्यय कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । सहायक अभियन्ता कार्यालय टोडाभीम को बन्द नहीं किया गया हैं एवं इसका नाम परिवर्तित कर परियोजना उपखण्ड टोडाभीम रखा गया हैं । वर्तमान में सहायक अभियन्ता प्रोजेक्ट उपखण्ड कार्यालय टोडाभीम में ही कार्यरत है ।

(2) जी हां । विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत कुल 306 कि.मी. डामर सड़कों की लम्बाई है । जिसमें 136 कि.मी. लम्बाई में साधारण मरम्मत (पेचरिपेयर) कार्य किया जा चुका है एवं 19 कि.मी. में साधारण मरम्मत कार्य प्रगति पर है । शेष लम्बाई में साधारण मरम्मत कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कराये जाने के प्रयास किये जावेंगे ।

(3) जी हां । विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम कैमला में सड़क व नाली निर्माण हेतु सांसद विकास योजनान्तर्गत 2.69 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे । सड़क एवं नाली निर्माण पर अब तक कुल 2.20 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है । नाली कार्य में विवाद के कारण कार्य पूर्ण करने में देरी हुई । शेष नाली निर्माण कार्य 3/99 तक पूर्ण किया जाकर शेष राशि का व्यय कर दिया जावेगा ।

पंचायत समिति नगर व कामां के संचालित छात्रावास

56. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले में किन–किन स्थानों पर छात्रावास संचालित हैं ? छात्र संख्या व स्वीकृत राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या पंचायत समिति नगर व कामां में सरकार वर्तमान सत्र में कोई नया छात्रावास खोलनें का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में संचालित छात्रावासों की सूची मय स्वीकृत प्रवेशित छात्र संख्या एवं स्वीकृत राशि के परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं ।

(2) वर्तमान सत्र में पंचायत समिति व नगर व कामां में नया छात्रावास खोलने का प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

राज्य में छात्रावासों का संचालन प्रकरण

57. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामस्वरूप)

(1) राज्य में कुल कितने छात्रावास संचालित हैं एवं कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द छात्रावासों को चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) सरकार द्वारा दी जा रही छात्र–वृत्ति क्या नियमित रूप से वितरित की जा रही है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक नियमित रूप से लागू कर दिया जायेगा ?

(3) क्या राज्य के छात्रावासों में सप्लाई की जा रही खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में कोई अनियमितता होने की शिकायतें प्राप्त हुयीं ? यदि हां, तो क्या–क्या तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 480 राजकीय एवं 74 अनुदानित छात्रावास कुल 554 छात्रावास संचालित हैं । उनमें से 10 राजकीय तथा 7 अनुदानित कुल 17 छात्रावास वर्तमान में कार्यरत नहीं है । बन्द पड़े राजकीय छात्रावासों को यथाशीघ्र चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(2) छात्रवृत्ति नियमित रूप से वितरित की जा रही है ।

(3) राजकीय छात्रावासों में खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में अनियमितता बाबत केवल अजमेर जिले के सरवाड़ छात्रावास के अतिरिक्त अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उक्त छात्रावास के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

समाज कल्याण बोर्ड का गठन

58. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में गठित समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में इस समय कौन–कौन पदाधिकारी हैं ? उक्त पदाधिकारियों का मनोनयन कब–कब, कितने समय तक के लिए किया गया था ?

(2) चालू वर्ष में बोर्ड ने क्या गति–विधियां चलाई, जिस पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) उक्त बोर्ड के आय के स्रोत क्या–क्या है ? चालू वर्ष के स्वीकृत बजट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या है तथा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के इस समय पदाधिकारी निम्नानुसार हैं :—

1. डा. श्रीमती मनोरमा पटवर्धन,	अध्यक्ष	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रशासनिक आदेश दिनांक 16.8.96 के अनुसार तीन वर्ष के लिये ।

(समाज कल्याण मंत्री)

2. निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.3.93 के अनुसार 3 वर्ष के लिये।
3. निदेशक सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य	
4. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य	
5. निदेशक महिला एवं बालक विकास विभाग	सदस्य	
6. कॉलेज शिक्षा निदेशक	सदस्य	
7. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य	
21 महिला सदस्याएं		राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.1.95 के अनुसार 3 वर्ष के लिये।
2 महिला सदस्याएं		अधिसूचना दिनांक 25.11.95 के अनुसार 3 वर्ष के लिये।
8 महिला सदस्याएं		अधिसूचना दिनांक 26.2.96 के अनुसार 3 वर्ष के लिये।
1 महिला सदस्या		केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के आदेश दिनांक 2.6.97 के अनुसार।

(2) चालू वर्ष में राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा निम्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं :—

चालू गतिविधियों का नाम	व्यय की गई राशि	
	केन्द्रीय बोर्ड	राज्य सरकार
1. समाज कल्याण परियोजना (सी.डी.)	19,65,944	1,91,817
2. समाज कल्याण परियोजना (सीमा क्षेत्र)	19,17,869	1,34,434
3. शिशुपालना कार्यक्रम	9,32,425	
4. महिला मण्डल	65,868	
5. ग्रामीण महिलाओं के लिये जागरूकता प्रसार परियोजनाएं	1,36,000	
6. प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम	1,86,162	
7. ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो	41,814	

(समाज कल्याण मंत्री)

8.	महिलाओं के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण	41,200
9.	परिवार परामर्श केन्द्र.	—
10.	महिला सप्ताह	2,328
11.	महिला शक्ति मेला	50,000
12.	विधिक साक्षरता शिविर	10,000
13.	पुलिस मीडिया	11,401

(3) उक्त बोर्ड के आय के स्रोत निम्न हैं :—

1.	राज्य बोर्ड संस्थापन व्यय	50 प्रतिशत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से 50 प्रतिशत राज्य सरकार से
2.	सी.डी. परियोजनाओं का व्यय	क्रमशः 2:1 के अनुपात में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।
3.	सीमा क्षेत्र परियोजनाओं	उक्तानुसार ही
4.	महिलाओं एवं बाल कल्याण की विभिन्न गतिविधियों हेतु	शत प्रतिशत व्यय केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है ।

केन्द्रीय बोर्ड से स्वीकृत बजट अनुमान वर्ष 98–99 की प्रति संलग्न है ।

(4) भारत में समर्पित सामाजिक कार्य की लम्बी और गौरवशाली परम्परा रही है । इसे सुनियोजित एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करने के उद्देश्य से भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के प्रथम प्रधान–मंत्री इतिहास पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से श्रीमती डा. दुर्गाबाई देशमुख एव श्रीमती इन्दिरा गांधी के मार्ग-दर्शन में 13 अगस्त, 1953 को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई । बोर्ड के कार्यक्रम एवं गतिविधियों को देश के कोने–कोने तक पहुंचाया जाये । इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुये 1954 में राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाह-कार बोर्ड के साथ–साथ समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों में समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई ।

बोर्ड के मुख्य उद्देश्य

ऐसे क्षेत्रों में जहां समाज कल्याण संग-ठन नहीं है, उनके क्षेत्रों में समाज कल्याण संगठनों को स्थापित करने में मदद करना, महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों के कल्याण के लिये विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना, असहाय एवं जरूरतमंद महिलाओं को कार्यक्रमों के द्वारा स्वावलम्बी बनने में सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं मार्गदर्शक परियोजनाएं तैयार कर एवं चालू करना, केन्द्रीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है ।

उपरोक्त क्रम में ही राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में स्वय के प्रशासनिक नियन्त्रण में कल्याण विस्तार योजनाएं एवं

(समाज कल्याण मंत्री)

स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से समाज के पिछड़े गरीब ग्रामीण एवं जरूरतमंद महिलाओं बालकों अनाथों विकलांगों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को यथा समय सलाह एवं वित्तीय सिफारिश करना, राज्य बोर्ड को मुख्य उद्देश्य है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में वर्ष 97–98 में राज्य बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों द्वारा 7635 बालकों एवं 2973 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

(बजट अनुमान विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

पंचायत समिति धोद (सीकर) के पूर्व सरपंचों का बकाया प्रकरण

59. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सीकर की पंचायत समिति धोद के पूर्व सरपंचों में अब तक विभिन्न योजनाओं एवं आडिट रिपोर्टों के हिसाब से कितनी-कितनी राशि बकाया है ? सूची मदवार एवं वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने उक्त बकाया की वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत समिति धोद की माहवार बैठकें हो रही हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोद के पूर्व सरपंचों में अब तक विभिन्न योजनाओं एवं आडिट रिपोर्टों के अनुसार 102987/– रुपये बकाया है। सूची संलग्न है।

(2) बकाया राशि की वसूली हेतु की जा रही कार्यवाही संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति धोद की बैठकें पंचायती राज अधिनियम की धारा 46 (1) के अनुरूप माहवार नहीं हो रही है। अधिनियम के अनुसार समय पर बैठक नहीं करने के कारण ज्ञात करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

पंचायत समिति नगर व कामां के विद्यालय

60. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति नगर व कामां में कितने विद्यालय कहां कहां स्थित हैं ? उक्त विद्यालयों में छात्रों/अध्यापकों की संख्या कितनी हैं और कितने पद कहां-कहां कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के विद्यालयों में अध्यापक नियमित रूप से पढ़ायें, इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है।

(3) क्या सरकार के पास क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत कराने के

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

प्रस्ताव आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नगर व कामां में विद्यालयों छात्रों की संख्या तथा अध्यापकों की संख्या की सूची संलग्न कर दी गयी है। पंचायत समिति नगर में 51 पद 1997 से एवं पंचायत समिति कामां में 144 अध्यापकों के पद वर्ष 1997 से रिक्त चल रहे हैं।

(2) राज्य की पंचायत समितियों के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियमित रूप से पढ़ाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 345 के अन्तर्गत पंचायत समितियों में नियुक्त शिक्षा प्रसार अधिकारियों द्वारा सामयिक निरीक्षण करने का प्रावधान है।

(3) पंचायत समिति नगर में 23 एवं पंचायत समिति कामां में 25 विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी मरम्मत के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भरतपुर को भेजे हुए हैं। जिन पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भरतपुर में कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

ओबजर्वर ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का भुगतान प्रकरण

61. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ओब्जर्वर ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन ने सितम्बर 1998 में इंटरनल राजस्थान नाम का विशेषांक निकाला था ? यदि हां, तो इस अंक में सरकार के किस-किस विभाग में कौन कौन से विज्ञापन छापे गये, जिन पर कितना-कितना भुगतान सरकार द्वारा किया गया? विज्ञापनवार तथा विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अंक में राज्य सरकार के उपक्रमों व सहकारी संस्थाओं के विज्ञापन छापे गये ? यदि हां, तो किस-किस संस्थान में कौन-कौन से विज्ञापन दिये और उन पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

(3) उक्त विज्ञापनों को छपवाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया तथा इनकी क्या उपयोगिता थी ? निर्णय लेने वाले अधिकारियों की सूची, विज्ञापनवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभागवार एवं विज्ञापनवार विवरण परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त विज्ञापनों को छपने देने का निर्णय राज्य सरकार के सर्वोच्च स्तर पर लिया गया था। इस प्रकाशन के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में लोगों को राज-

(राज्य मंत्री, जन-सम्पर्क)

स्थान की संस्कृति, कला, साहित्य, अर्थ-व्यवस्था, उद्योग, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने अपने स्तर पर निर्णय नहीं लिया था बल्कि राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की गई थी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जयपुर–नदबई बस सेवा

62. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से नदबई हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस ही संचालित की जा रही है? क्या उक्त बस अधिकतर खराब रहती है?

(2) क्या सरकार यात्री भार को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर (घाटगेट) से नदबई हेतु एक अतिरिक्त बस और संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वर्तमान में चल रही खराब बस को ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर (घाटगेट) से नदबई हेतु तीन वाहनें संचालित हैं। इनमें से गत एक वर्ष की अवधि में एक बस ही केवल 13 दिन निरस्त/ब्रेकडाउन रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में संचालित वाहनों को औसतन 68 प्रतिशत यात्री भार उपलब्ध हो रहा है। उपलब्ध यात्री भार को देखते हुए अतिरिक्त बस चलाया जाना अनार्थिक होगा।

(3) जी नहीं। वर्तमान में संचालित तीनों ही वाहनें वर्ष 1993, 1994 व 1995 के मॉडल की है, जिनकी स्थिति सही है।

पूर्व सरपंच ग्राम शाहपुरा (सीकर) का जांच प्रकरण

63. श्री अमराराम (धोद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत शाहपुरा पंचायत समिति धोद जिला सीकर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत हुई अनियमितताओं की जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति मय उस पर की गई कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बकाया रही राशि की वसूली कर ली गई है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी? यदि हां, तो उसमें आगे क्या कार्यवाही हुई?

(4) क्या उक्त ग्राम पंचायत में इन्दिरा आवास योजना में काम पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया है?

(श्री अमराराम)

यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण में कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । जिला परिषद, सीकर द्वारा पुलिस थाना लोसल में भूतपूर्व सरपंच श्री गौरीशंकर शर्मा के विरुद्ध मु. नं. 86/94 धारा 409 आई.पी.सी. के तहत दर्ज करवाया गया था । पुलिस थाना प्रभारी द्वारा अनुसंधान किया गया था परन्तु अदम सबूत के अभाव में थाना प्रभारी अधिकारी लोसल द्वारा दिनांक 8.2.95 को मुकदमें की एफ. आर. लगा दी गई थी। अभिकरण के पत्र दिनांक 9.2.95 द्वारा प्रकरण को पुनः रि-ओपन करने हेतु विकास अधिकारी, प. सं. धोद को लिखते हुए पत्र की प्रति थाना प्रभारी को भेज दी गई । अभिकरण द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीकर को मुकदमे में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लिखा गया जो उपरोक्त परिशिष्ट-3 पर संलग्न है । थाना प्रभारी ने विकास अधिकारी, प. सं. धोद को पत्र क्रमांक 4636 दिनांक 31.12.98 द्वारा अवगत कराया कि मुकदमे में तफतीश जारी है । (परिशिष्ट--4)

(4) उक्त ग्रा.पं. ने इन्दिरा आवास कार्य पर 5 मस्ट्रोलों में कुल 84 मजदूर लगाये थे, जिनके भुगतान योग्य राशि रुपये 24,896/– बनती थी । उनमें से 51 श्रमिकों को राशि रुपये 15,335/– का भुगतान सरपंच द्वारा कर दिया गया है । 16 मजदूरों ने राशि रुपये 5781/– का भुगतान लेने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया है कि उन्होंने सरपंच द्वारा करवाये गये कार्य में कार्य नहीं किया है । शेष 17 मजदूर ग्राम से बाहर होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है । विकास अधिकारी की रिपोर्ट परिशिष्ट-5 सदन की मेज पर प्रस्तुत है । इस प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री फतेह सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कतिपय गांवों में विद्युत कनेक्शन काट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति

(श्री अध्यक्ष)

देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय प्रस्ताव की विषय वस्तु पर बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख

(1) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की पंचायत समिति अरणोद के ग्राम मानपुरा एवं नीमच में चल रहे प्राथमिक विद्यालय को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले के उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम नांगल में लम्बे अरसे से निवास कर रहे हरिजन मीणा परिवारों को बेदखल करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान क्षेत्र पचपदरा की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला डूंगरपुर के सिचाई के तालाबों की नहरों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमीन खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर की तहसील रामसर के ग्रामों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(6) श्री बाबूलाल नागर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू के अधिकांश ग्रामों में खरीफ की फसल एवं चारा खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(8) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के कई ग्रामों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(9) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना नगर व सीकरी में पशु व दुपहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिछीवाड़ा पंचायत समिति में उप तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मारवाड़ जंक्शन की जनता को पेयजल आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे और आपके चालीस साल से मधुर सम्बन्ध रहे हैं और आज अखबार में नवज्योति ने यह दिया है कि–"विधान सभा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अध्यक्ष ने विधि मंत्री को फटकार लगायी।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने यह लिखा है कि राज्य विधान सभा में आज अध्यक्ष परसराम मदेरणा ने विधि मंत्री खेतसिंह राठौड़ सहित सत्तापक्ष के और कुछ प्रतिपक्ष के सदस्यों को फटकार लगाते हुए ..., बड़ी भद्दी लैंग्वेज इन्होंने प्रयोग में ली। फटकार लगाने का ऐसा मतलब होता है कि हमने कोई बहुत ही अनैतिक कार्य किया हो तो कोई फटकार लगाता। ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी और मुझे तो फटकार लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मैं तो अपनी सीट पर बैठा था। आपने सिर्फ गुलाबचन्दजी कटारिया बोल रहे थे उस वक्त में यह फरमाया था कि बीच में इंटरफियर मत करो। जब यह बोल रहे हैं तो आप इनको शांति से सुनो। इसका मतलब यह थोड़े ही है कि फटकार लगायी। (व्यवधान) आप सुनो। आज यह मेरे लिये आया है, कल आपके नेता के लिये आएगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अखबार वालों को यह हिदायत होनी चाहिये और खास तौर से मैं सूचना और प्रसारण मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनकी नाराजगी प्रकट करना ही फटकार है। आसन के जरिए नाराजगी प्रकट कर देना ही फटकार में आता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेहरबानी करके ऐसा प्रयोग, ऐसी लैंग्वेज को आप इजाजत देंगे तो अखबार वालों का हौसला और बुलन्द होगा और नये-नये शब्द गढ़-गढ़ कर वे यहां प्रयोग करेंगे और उससे आपकी और मेरी इज्जत पर थोड़ा-सा असर पड़ेगा। यह मैं आपको खास तौर से कहना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आपको तो इस फटकार शब्द के विरोध में इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर आफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भावनाओं से मैं सहमत हूं। वास्तविक स्थिति यह है कि न तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है उसमें आपने कोई बीच में यहां व्यवधान डाला और न आपको मैंने कभी कोई फटकार लगायी। माननीय सदस्य गुलाबचन्द जी कटारिया बोल रहे थे तो किसी एक माननीय सदस्य ने बीच में व्यवधान डाला तो उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि व्यवधान की जो परिपाटी पड़ने जा रही है इस सदन के अन्दर ग्यारहवीं विधान सभा में, यह बहुत गलत परम्परा होगी। और मैंने आपसे अनुरोध यह किया था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आप जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, इनको इस चर्चा में भाग लेने के लिये समय दें और आप अपनी तरफ से नाम दें। यह मैंने जरूर कहा था। आप तो अपने आसन पर बैठे हुए थे।

एक माननीय सदस्य : प्यार से कहा था या गुस्से से ?

श्री अध्यक्ष : जो रिपोर्टर है किसी पत्र के उन्होंने ऐसी कोई बात लिख दी है, जो उनको नहीं लिखनी चाहिये और मेरा तो आपको फटकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने आपको फटकार दी ही नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

अगर आपको कोई वेदना हुई है तो यह अखबार की वजह से हुई है। अब मैं समझता हूं कि आपको मेरी तरफ से मैंने कभी भी कोई बात नहीं कही, और जो भी यहां पर न्यूज पेपर कोरस्पोडेंट है, उन्हें भी सदन की सही स्थिति को प्रकाशित करना चाहिए। दूसरी तरह से अगर वह करते हैं तो उसके कोई और भी मतलब लिये जा सकते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो किसी और को फटकार लगायी और पास बैठे किसी मंत्री ने छपवा दिया हो।

श्री अध्यक्ष : प्रकिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं। श्री नन्दलाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के ग्राम मानपुरा एवं नीमच में चल रहे प्राथमिक विद्यालय को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समरी देना चाहता हूं। एक मिनट।

(**व्यवस्था-सूचक घण्टी**)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप बात क्यों कर रहे हैं ? जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं वे शांति से चले जाएं। माननीय सदस्य, आप काफी अनुभवी हैं, 295 के अन्तर्गत केवल आपका जो लिखित है, .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, सदन की एक गरिमा है। देखिये अध्यक्ष महोदय, दो-दो सीनियर मंत्री, आपसे हमें आशा है कि आप इस सदन की गरिमा को बनाये रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसलिये आप उसको पढ़िये। आप केवल पढ़ सकते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में पंचायत समिति अरणोद के ग्राम पंचायत बड़ा घामनिया के गांव मानपुरा एवं नीमन्द गांव में चल रहे प्राथमिक विद्यालय को राज्य सरकार के आदेश से तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया है। फलस्वरूप इन विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं को पढ़ाई से वंचित कर दिया है।

अतः ऐसे लोक महत्व के प्रश्न पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप इसमें विवेचन नहीं कर सकेंगे। न उसको....

श्री नन्दलाल मीणा : विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री नन्दलाल मीणा : मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कहां कह रहे हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : बोलिये साहब, कहना चाहते हो तो।

श्री अध्यक्ष : नहीं कह रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : कुछ नहीं कहना चाहते ?

श्री अध्यक्ष : उनको मैं बाद में भी ... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : कुछ नहीं कहना चाहते और आदिवासियों के हिमायती बनना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, वह बात नहीं कर सकते इसमें। श्री शिवनाथ सिंह।

झुन्झुनूं जिले के ग्राम नांगल में हरिजन व मीणा परिवारों को बेदखली

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे विषय को सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं :–

झुन्झुनूं जिले के उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम नांगल में लम्बे अर्से से कुछ हरिजन मीणा परिवार अपने मकान व छप्पर आदि बनाकर बसे हुए थे व भेड़, बकरी व मवेशी रखते थे। करीब तीस साल पहले अभियान चलाकर पूरे राज्य में इन गरीब लोगों को रहने वास्ते प्लाट अलॉट किये जाकर पट्टे दिये गये थे, जिनके पास रिहायशी जमीनें नहीं थी। उसी अभियान के अन्तर्गत नांगल गांव के इन गरीब पचास मीणा व हरिजन परिवारों को ये पट्टे दिये गये थे।

दिनांक 5 जनवरी, 1999 को तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं ने इन गरीब लोगों के छप्पर, मकान तोड़-फोड़ दिये व बेघर कर दिया। सामान ट्रेक्टरों में डालकर ले गये तथा औरतों के साथ धक्का-मुक्की की तथा बदसलूकी की गयी।

तहसीलदार उदयपुरवाटी ने ये सब कार्यवाही असामाजिक तत्वों को साथ लेकर बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये की है। इन लोगों ने की गयी कार्यवाही की नकल लेनी चाही तो नकल नहीं दी गयी और तहसील से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। उच्च स्तर पर शिकायत की आशंका से अब फर्जी रिकार्ड बनाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। किसी भी आबाद व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार की यह नादिरशाही कार्यवाही थी इससे जनता में बड़ा रोष है। गरीब लोग इस सर्दी में खुले आसमान में नीचे पड़े हुए हैं। इस घटना से सम्बन्धित तहसील का तमाम रिकार्ड अविलम्ब जब्त किया जाना चाहिये। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होकर दोषी को दण्ड मिलना चाहिये तथा उन गरीब लोगों के आश्रय का इन्तजाम किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

पचपदरा में पेयजल व्यवस्था

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निवेदन है कि पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की गिड़ा उप तहसील में करीब 30 होदियां और पचपदरा तहसील की ग्राम परालिया, ओपघी की ढाणी, मतारो की ढाणी, परलू कागो की ढाणी, कालाना, क्यार चारणेत, भीमतलाई स्टेशन,

(श्री अमराराम चौधरी)

चांदेसरा, आकड़ली आदि ग्रामों में जब से होदियां बनायी जा रही हैं, एक बार भी पानी नहीं पहुंचाया तथा होदियां जगह-जगह से टूट रही हैं।

बालोतरा शहर में भी तीन ओवर हैड टंकियां बनायी गयीं लेकिन इन टंकियों को पाइप लाइन से नहीं जोड़ने से ग्रीष्मकाल में पीने के पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इस कारण इन तीनों ओवर हैड टैंक्स में ग्रीष्म ऋतु से पूर्व पाइप लाइन जोड़ने की व्यवस्था की जावे।

ग्राम खनोड़ा का नीचे से कुआं धुड़ गया है जिसके कारण उस कुएं से मरम्मत के अभाव में पर्याप्त पानी गांव वालों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। भैयों की ढाणी खनोड़ा में कुएं में पर्याप्त पानी है जिस पर जनरेटर लगाने में विलम्ब हो रहा है जिसके कारण वहां के रहने वालों के लिए पीने के पानी की भारी समस्या हैं।

उक्त सभी तथ्यों को मद्यनजर रखते हुए सरकार से निवेदन है कि शीघ्र ही पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की उक्त पेयजल समस्या का समाधान करने का निर्देश दिलावें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर के सिंचाई के तालाबों एवं नहरों की सफाई

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगर-पुर जिले में सिंचाई के तालाबों की नहरें साफ नहीं होने के बारे में सिंचाई मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में सिंचाई के तालाबों की नहरें मिट्टी से भरी हुई हैं जिससे पानी बीच में ही सीपेज होकर निकलता जा रहा है जिससे बोई गयी गेहूं की फसलें बरबाद हो रही हैं और आगे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। अमरपुरा एनीकट से सोम फीडर द्वारा 6–7 तालाबों को भरा जाता है। सोम फीडर ठीक नहीं होने से उक्त तालाबों को भरने में परेशानी आ रही है जिससे तालाबों से सिंचित होने वाली जमीन पर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि डूंगरपुर जिले के सिंचाई के समस्त तालाबों की नहरों में जो मिट्टी जमी हुई है, बी.जे.पी. के आठ साल तक के शासन में इन तालाबों में पानी नहीं भरा जा सका है और आज ज्यों के त्यों तालाब सूखे पड़े हैं, अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर जिले के समस्त तालाबों की समस्त नहरों की सफाई अकाल के समय में कराने के आदेश करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खान।

बाड़मेर की तहसील रामसर के ग्रामों में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महो-दय, कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत बाड़मेर जिले की तहसील रामसर के ग्रामों में पीने के पानी की भयं-कर समस्या के सम्बन्ध में इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

(श्री अमीन खान)

अध्यक्ष महोदय, तहसील रामसर के ग्राम सजन का पार, मोहम्मद का पार, लधे का पार, मेकरनवाला, गरठीजा, सैलाउ, हिण्डीया शेरे का वाला, सालारिया, कालारिया आदि गांव, साउथ गिराब सालारिया नामकी योजना से जोड़े हुए हैं। यह योजना 1982–83 से चालू हैं परन्तु उपरोक्त गांवों में आज तक पानी की टंकियों में पानी नहीं जाता है और कई टंकियां टूट गयी हैं और गांवों की जनता आस–पास के गांवों में 15 मील से पानी लाकर पीती है। गांव में औरतें भी पानी के लिए भटकती दिखाई देती हैं। गिराब खड़ीन योजना में ग्राम रामदेव मन्दिर, चारा गड़ालिया, धनोड़ा-खारीया राठौडान में भयंकर पानी का संकट है और आज तक कोई पानी का इन्तजाम नहीं है जिससे यहां के लोग रात–दिन एक मात्र पानी के लिए भटकते फिरते रहते हैं जो एक सरकार के लिए कलंक है।

अतः मैं इस सदन व आपकी मार्फत जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र विशेष तौर पर कार्यवाही कर जनता को राहत दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

विधान सभा क्षेत्र दूदू के अधिकांश ग्रामों में खरीफ की फसल एवं चारा खराब होने से उत्पन्न स्थिति

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दूदू के अधिकांश ग्रामों में खरीफ की फसल एवं चारा खराब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अधिकांश गांवों में खरीफ की फसल एवं चारा नष्ट हो गया है जिसकी सूचना समय रहते तहसीलदार दूदू एवं सांभर ने उप–खण्ड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को मय पटवारी की रिपोर्ट के भेज दी थी जिसमें उन्होंने इस बात को सही बताया था कि इस दूदू क्षेत्र के अधिकांश राजस्व ग्रामों में खरीफ की फसल एवं चारा शत–प्रतिशत नष्ट हो गया। किन्तु आज तक भी इस क्षेत्र को फसल एवं चारा खराब होने के उपरान्त भी अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया हैं जबकि उक्त क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित होने के सभी मापदण्डों में आता है। जबकि इस तरह के मापदण्ड में आने वाले अन्य क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया है। उक्त क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नही करने के कारण किसानों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं उनमें असन्तोष की भावना व्याप्त होती जा रही है। उक्त क्षेत्र के निवासी एवं पशु पलायन करने पर मजबूर हो गये हैं। समय रहते शीघ्र कार्यवाही नहीं की गयी तो जन एवं पशुधन को काफी हानि उठानी पड़ सकती है।

इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जिलाधीश, जयपुर एवं राहत सचिव, राजस्थान सर–कार को भी जानकारी दे दी गयी थी लेकिन सरकार की ओर से अभी तक भी कोई कदम नहीं उठाया गया है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सहायता मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र को

(श्री बाबूलाल नागर)

अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए एवं यथाशीघ्र अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जावें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

चित्तौड़गढ़ जिले में पीने के पानी की समस्या

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के बाबत विशेष उल्लेख के जरिये चित्तौड़गढ़ जिले में पानी की समस्या के क्रम में आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ जिले में पानी की विकट समस्या आ खड़ी हुई है। यदि इसका शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने वाली गर्मियों में स्थिति बहुत गम्भीर हो जायेगी, उसको सम्भालना भारी हो जायेगा। निम्बाहेड़ा, छोटीसादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद, बड़ीसादड़ी, डुगला, कपासन, भोपाल सागर, राशमी, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर, बेगू, रावतभाटा आदि सभी जगह शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो- पानी की विकट समस्या है। हैण्डपम्प व ट्यूबवैल अधिकतर सूखने लग गये हैं। पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ये हालत है, कहीं ट्यूबवैल की मोटरों की कमी है तो पूरे जिले में अधिकतर स्थानों पर हैण्डपम्प के पाइपों की कमी है, हैण्डपम्प खराब पड़े हैं तो मिस्त्रियों की संख्या पूरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी की समस्या की तरफ ध्यान दिलवाना चाहूंगा। निम्बाहेड़ा शहर में अभी से पानी की जबरदस्त समस्या उठ खड़ी हुई है। शहर के लिए गम्भीरी से पानी लाने की योजना प्रस्तावित है, उसे स्वीकृत करवायी जाए। छोटी सादड़ी को बांडी बांध से पानी की योजना पर 2 करोड़ से अधिक का खर्चा हो चुका है किन्तु पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत पेयजल योजनाएं, जैसे– गाछोला सेमस्थली, भिन्नाणा आदि जो अधूरी पड़ी हैं उन्हें पूर्ण कराया जाय व अभी से ही आपातकालीन योजना के लिये पैसा स्वीकृत कर व्यवस्था करायी जाय। नये हैण्डपम्प के पाइप, नये हैण्डपम्प ट्यूबवैल व पानी के टैंकरों की आवश्यकतानुसार शीघ्र व्यवस्था कर समस्या का समाधान करवाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव दिया है यही की यही समस्या भीलवाड़ा और गुलाबपुरा में भी है; वहां पानी का बहुत ज्यादा संकट आने वाला है। गर्मी तक कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ऐसी ही समस्या आ गयी है क्योंकि मेजा बांध के अन्दर पानी का स्तर इतना नीचा चला गया है कि पानी सप्लाई नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष : अगला बीच का जो है, उसके बाद आयेंगे। श्री वृद्धिचन्द जैन।

बाड़मेर जिले के ग्रामों में पेयजल की समस्या

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में जल संकट समस्या के बारे में विशेष उल्लेख के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

बाड़मेर जिले के कई ग्रामों में जल संकट की समस्या गम्भीर रूप धारण किये हुये हैं।

जिले के अधिकांश गांवों में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं बनी हुई हैं परन्तु उनमें नियमित रूप से पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे कई ग्राम हैं जहां बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसी भी ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं बनी हैं जिनके अन्तिम ग्रामों में होद बने हुये हैं, परन्तु अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, जहां पानी पहुंचाना आवश्यक है। जिले के कुछ गांवों में ओपन वेल (कुएं) अधूरे पड़े हैं। ठेकेदारों ने कार्य करना बन्द कर दिया है उन्हें पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिले के सभी गांवों में अकाल की स्थिति है। गर्मी में पीने के पानी का संकट गम्भीर रूप धारण कर लेगा।

अतः अभी से युद्ध स्तर पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सक्रिय होकर गांवों में जल पहुंचाना होगा। जहां ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं से गांवों और ढाणियों में पानी नहीं पहुंचता है, वहां टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाने के लिए अभी से तैयारी करनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

नगर वि. स. क्षेत्र के पुलिसथाना नगर व सीकरी में पशु व दुपहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार के गठन के पश्चात् से राजधानी जयपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में चोरी एवं लूट की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट में, पांच सितारा होटलों में, घरों में, दुकानों में व बसों में चोरी की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है इस पर तुरन्त काबू पाया जाना चाहिए।

नगर विधान सभा क्षेत्र के भी पुलिसथाना नगर व सीकरी में पशु व दुपहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं बहुत अधिक हो रही है। इससे स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। मैंने इस सन्दर्भ में राज्य के आला प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन किया है परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई हैं।

अतः मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति में तुरन्त सुधार कर चोरी की घटनाओं पर रोक लगाकर लोगों को राहत दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष श्री शंकरलाल अहारी।

बिछीवाड़ा में उप तहसील खोलना

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम

(श्री शंकरलाल अहारी)

295 के अन्तर्गत बिछीवाड़ा पंचायत समिति को उप तहसील बनाने बाबत ।

बिछीवाड़ा पंचायत समिति में 58 पंचायतें आती हैं । भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आदिवासी एवं गरीब काश्तकारों को रेवेन्यू के कामकाज के लिए भारी समस्या पैदा होती है । जमीन सम्बन्धी समस्त काश्तकारों के लिए मुबसीत होती है । डूंगरपुर तहसील में जाने के लिए काश्तकारों को करीब 50 किलोमीटर जाना-आना पड़ता है । बिछीवाड़ा पंचायत समिति पहाड़ी क्षेत्र है, आने-जाने के कोई रास्ते नहीं हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बिछीवाड़ा पंचायत समिति अर्थात् बिछीवाड़ा में उप तहसील खोलने के लिए मैं सरकार को निवेदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी ।

मारवाड़ जंक्शन की जनता को पेयजल आपूर्ति

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ।

खारची विधान सभा क्षेत्र के मारवाड़ जंक्शन, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना खारची-चेलावास से जुड़ा हुआ है । यहां की जल सप्लाई ट्यूबवेलों से होती है । इस योजना के अन्तर्गत 4 ट्यूबवेल चेलावास में एवं 2 ट्यूबवैल खारची गांव में हैं । इसके अतिरिक्त 2 ट्यूबवैल सूर्यनगर के पास हैं जिनका पानी फ्लोराइड युक्त एवं खारा होने से बन्द कर दिये गये हैं ।

इन ट्यूबवैलों से मारवाड़ जंक्शन के अलावा 8 अन्य गांवों (खारची, आगदोष, चेलावास, नरसिंहपुरा, कारोलिया, हेमलियावास खुर्द रेवड़िया व जोड़ दुछोड़) में भी सप्लाई की जा रही । इस वर्ष बारिश नहीं होने से चेलावास के ट्यूबवैलों का जल स्तर नीचे गिर गया है तथा पानी की आवक कम हो गयी है । वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन को 750 किलोलीटर मांग के विरुद्ध 450 किलोलीटर पानी उत्पादन हो रहा है । अतः दिनांक 6-1-99 से इस समय एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देने की व्यवस्था से जनता में भारी किल्लत हो रही है । महीने भर बाद में मौजूदा पानी के स्रोत सूख जाने की सम्भावना प्रबल है ।

अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि 20 किलोमीटर की दूरी पर जाड़त के पास होकर जवाई बांध का पानी पाइपों के जरिये सोजत जा रहा है । इन्हीं पाइप लाइनों का पानी खारची तक 20 किलोमीटर पाइप डालकर उत्पन्न विकट समस्या का, जवाई नहर का पानी पहुंचा कर अति शीघ्र समाधान किया जा सकता है ।

प्रस्तावित योजना सिरीयारी बांध, जो 30 किलोमीटर दूरी पर है, से पानी लाने में समय लगेगा । समस्या अभी भी गम्भीर है । अतः इस जन समस्या की, प्रबल पेयजल समस्या के समाधान की, माननीय पेयजल मंत्रीजी से त्वरित गति से मारवाड़ जंक्शन की जनता को पेयजल पूर्ति करवाने की आशा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ।

शून्यकाल में उठाये गये मुद्दे

रतनगढ़ एवं चूरू विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का निर्माण

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं। जनता अपने जनादेश को बदलती रहती हैं परन्तु यह पहली बार देखने को मिला है कि पूर्ववर्ती सरकार ने लोक कल्याण के जो काम किये थे उन लोक कल्याण के कामों को अब राजनीतिक द्वेषता के कारण बन्द किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रतनगढ़ और चूरू दो विधान सभा क्षेत्रों में तीन करोड़ पचास लाख रुपये की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें स्वीकृत हुई थीं। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की निविदाएं भी आमन्त्रित कर ली गयीं और मात्र वर्क आर्डर देना ही बाकी था। सात जनवरी को रतनगढ़ क्षेत्र की 16 सड़कों को और चूरू क्षेत्र की दो सड़कों को निरस्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये सारी सड़कें गांवों को गांवों से जोड़ने की थीं। यहां सरकार दावे तो बहुत करती है कि हम ग्रामोन्मुखी काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह पहली बात नहीं है। इसी तरह रतनगढ़ क्षेत्र में एक सैकण्डरी स्कूल खुला था उस स्कूल को बन्द करके उसको दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया। मैं समझता हूं कि सरकार चलती है लेकिन हम सब जन प्रतिनिधि जनता के लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया था तब यह नहीं देखा था कि यह निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का है और यह निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्णय को, जो सरकार ने पहले स्वीकृत सड़कें, जिनके टेण्डर होकर निविदायें आमन्त्रित कर ली गयीं जिनको अब निरस्त किया है, उन्हें निरस्त नहीं किया जाए, उन पर काम वापस चालू किये जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : (व्यवधान) मेरे यहां एक हास्पिटल खुला था सांवरपुरा तेहरान में कांग्रेस के राज में। इन्होंने बदल दिया, चीपलाड़ा ले गये उसको। इनको उस वक्त नहीं सूझा। आज इनको यह सूझ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बिलकुल असत्य बयान कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वीकृत हुई। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : बिलकुल सही कह रहा हूं। यह हुआ या नहीं हुआ? सांवरपुरा तेहरान का हास्पिटल चीपलाड़ा में चेंज हुआ कि नहीं हुआ आपके शासनकाल में?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं राठौड़ साहब से ही पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह सेवक कह रहा है। अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अभी काहे की अनुमति ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अभी नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अभी जिस आर्डर में मेरे पास नाम आये हैं मैं उन्हीं को अनुमति दे रहा हूं। श्री रामस्वरूप मीणा।

टोडाभीम तहसील में ओलावृष्टि से फसलों को क्षति

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम तहसील के नादौती और टोडाभीम में विगत तीन दिन पहले भयंकर ओलावृष्टि हुई थी जिसके फलस्वरूप टोडाभीम तहसील के गांव मोहनपुरा, धोलेटा और धवान, इन तीन गांवों के अन्दर सरसों, चना और गेहूं की फसलों का सर्वनाश हो गया है। मैं खुद मौके पर गया। मैंने तहसीलदार जी को भी साथ में लिया। सारा प्रशासन मेरे साथ था और हमने जाकर एक-एक खेत को देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं बचा। मतलब ओले इतने बड़े थे, कतले गिरी थीं ओले की और उसके कारण इतना नुकसान हो गया। प्रशासन ने 100 प्रतिशत नुकसान लिखा है। अस्सी प्रतिशत और सौ प्रतिशत नुकसान लिखा है। इसलिए मेरी तहसील नादौती के आठ गांव हैं जिनमें भी इसी प्रकार नुकसान हुआ है। मोहनपुरा, धवाण, कमालपुरा, इसी के साथ-साथ हमारे नादौती और उसके आस-पास की जितनी भी ढाणियां हैं, जमांवा होदाएली, कैमरी, तालचड़ा, बाड़ा, वजीरपुर, इब्राहिमपुर और कैमरी की समस्त ढाणियां, इनमें भयंकर नुकसान हुआ है। अस्सी से सौ प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां तालाब से सिंचाई होती है। सिंचाई का लगान उनका माफ करवाया जाय। जहां अस्सी से सौ प्रतिशत नुकसान प्रशासन ने लिख दिया है। इसके साथ-साथ ही मेरा विनम्र निवेदन है कि उनका लगान भी माफ करवाया जाय और साथ में उनको मुआवजा भी दिलवाया जाय, ताकि किसान को जो अपना जवान बेटा मर गया है, फसल उनकी बड़ी हो चुकी थी, बालें आ गयी थीं उसके अन्दर, सरसों तो बिलकुल पक गयी थी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : नहीं, मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूं, 295 नहीं है यह। 295 नहीं पढ़ रहा हूं मैं। अति महत्वपूर्ण मामले को उठा रहा हूं सदन के अन्दर। जिसके अन्दर सदन का ध्यान उस ओर जाना चाहिए। यह किसान की जिन्दगी और मौत का सवाल है। उसका जवान बेटा, फसल चली गयी और आज हम उसके बारे में गम्भीरता से नहीं लें तो दु:ख की बात है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की नादौती और टोडाभीम में जो ओलावृष्टि हुई है, जहां

(श्री रामस्वरूप)

अस्सी और सौ प्रतिशत नुकसान हुआ है, निश्चित ही किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और उनकी सिंचाई का जो लगान है वह भी माफ करवाया जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर जसवन्त यादव।

नील गाय से फसलों को क्षति

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, मण्डावर तहसील के अन्दर नील गाय रोजड़ा के अलावा करीबन तीन-साढ़े तीन हजार जंगली गायें हैं। उन गायों की आदतें इस तरह की हैं कि वह दिन में भी आदमियों को मार देती हैं और सात-आठ इन्सानों की हर साल मौत हो जाती है। अब तक मण्डावर, बानसूर, तिजारा, बहरोड़ के अन्दर करीबन एक करोड़ रुपये की फसल का नुकसान कर चुकी हैं। जिस खेत में घुस जाती हैं, उस खेत का सफाया कर देती हैं। किसान अगर उसको भगाना चाहे तो उस किसान को जान से हाथ धोना पड़ता है या पूरे खेत को बर्बाद होते हुए देखना पड़ता है। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसका कोई समाधान हो।

श्री अध्यक्ष : आपने नुकसान तो पचास लाख का बताया है और अभी आपने डबल कर दिया।

डा. जसवन्त सिंह यादव : एक विधान सभा क्षेत्र में पचास लाख का। चार तहसीलों में, पूरे जिले की तहसीलों में करीबन एक करोड़ रुपये का नुकसान होता है। और हर साल होता है, 6–7 आदमी मर जाते हैं अपने खेत को बचाने के लिए। सरकार इसका कोई समाधान करे।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी कह रहे हैं मैं घोषणा करने को तैयार हूं। ओलावृष्टि जो हुई है उसके लिए मैं जांच करवाऊंगा और घोषणा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह मंत्रीजी के और आपके सम्बन्ध में आपसी बात है। आप समाधान कर लीजिए। श्री सांवरलाल जी।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन आम चुनावों में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता दी और राजस्थान में कुल जो वोट पड़े, 35 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिले, 44 प्रतिशत वोट कांग्रेस पार्टी को मिले और सीटों का भारी अन्तर रहा। राजस्थान की जनता यह अपेक्षा करती थी कि जो नयी सरकार बनी है वह कानून व्यवस्था और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगी। परन्तु जिस दिन से यह नयी सरकार बनी है उसी दिन से पता नहीं, मल के महीने में शपथ ली है क्या, आये दिन आम आदमी का जीवन असुरक्षित हो रहा है। जो चुने हुए विधायक हैं उनको धमकियां मिल रही हैं और हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक थे उनके कमरे में जाकर उनको चाकू मार दिया। आये दिन हम पढ़ते हैं कि चालक को पेड़ से बांधकर ट्रक को ले उड़े। इसी प्रकार लाल बत्ती लगाकर अवैध लोग किसी को ठग लेते हैं. मेरे कहने का मतलब राजस्थान की सरकार.....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य कौनसे नियम के तहत कौनसी बात कह रहे हैं ?

श्री सांवरलाल : शून्यकाल में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बात कह रहा हूं । इसमें आपको आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में पांच मिनट बोलने का समय दिया है ।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो आशा राजस्थान की जनता को थी कि यह लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करेंगे, ऐसा लगता है कि एक महीने के अन्दर ही जनता बिल्कुल निराश हो गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं राजस्थान सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि राज्य में आम आदमी का जीवन सुरक्षित करें । आज हालत यह हो रही है, गांवों के अन्दर भी बहुत बुरी हालत हो रही है । राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है । चारा, पानी और रोजगार की भयंकर समस्या है । गांव–गांव, ढाणी–ढाणी में इस प्रकार की वारदातें होने की सम्भावनाएं बढ़ रही हैं । इसलिए मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि स्थिति को नियन्त्रण में रखे । आम आदमी के प्रति सरकार की जवाबदेही है उनको सुरक्षा प्रदान करे । लोगों को रोजगार दे । चारा, पानी की व्यवस्था करे । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद ।

राज्य में मौसमी बीमारियों की रोकथाम

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक सप्ताह से पूरे प्रान्त में भयंकर शीत लहर चल रही है और उस शीत लहर के चलते मौसमी बीमारियों का होना स्वाभाविक था । खासकर के जयपुर में जो कच्ची बस्ती और गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हैं उन पर वायरल फीवर और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है और उसके कारण सिर में दर्द, बदन में टूटन, 104 और 105 डिग्री तक बुखार, और उसके कारण अस्पतालों में भारी तादाद में लोग इलाज कराने जा रहे हैं । उनकी कोई पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था नहीं है । मैं आपके माध्यम से प्रभारी स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि खास करके पिछड़ी, और कच्ची बस्तियों और विशेषकर अल्पसंख्यक बस्तियों में, क्योंकि ईद का त्यौहार सिर पर है, इसकी माकूल चिकित्सा का इन्तजाम करने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि । श्री किशन मोटवानी, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की नौ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री किशन मोटवानी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य–सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की

(श्री किशन मोटवानी)

निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं ।

(1) अधिसूचना संख्या प. 6(2) राज-6/76/25 दिनांक 22.7.98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(12) रेव/11/76/39 दिनांक 2.8.84 में संशोधन किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 6(13) राज–6/91/26 दिनांक 31.7.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 में संशोधन किये गये हैं,

(3) अधिसूचना संख्या प.6/39 राज-6/85/27 दिनांक 31.7.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (खेती के लिए तालाब तल भूमि का आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं,

(4) अधिसूचना संख्या प. 6(1) राज-6/92/28 दिनांक 31.7.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और सेवा शर्तें) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है,

(5) अधिसूचना संख्या प. 6(63) राज-4/75 राज-6/42 दिनांक 26.8.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (सिनेमाओं के संनिर्माण और पेट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधाएं स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन और नियमितिकरण) नियम, 1978 में संशोधन किये गये हैं,

(6) अधिसूचना संख्या प. 10(1) राज–6/94/पार्ट/43 दिनांक 27.8.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भूमि अभिलेखों) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है,

(7) अधिसूचना संख्या प. 6(6) राज-6/92/44 दिनांक 29.8.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किये गये हैं,

(8) अधिसूचना संख्या प. 6(19) राज–6/98/45 दिनांक 29.8.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक या लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 में संशोधन किया गया है, एवं

(9) अधिसूचना संख्या प. 6(13) राज-6/91/46 दिनांक 29.8.98 जिसके द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु आवंटन नियम के आदेश प. 5(109) राज–ख/60 दिनांक 20.7.63 में संशोधन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दोरा, खनिज राज्य मंत्री खनिज विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे ।

खनिज विभाग

श्री हीरालाल इन्दोरा (राज्य मंत्री, खनिज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खान विभाग की अधिसूचना संख्या प. 14 (13) खान/ग्रुप–2/95 दिनांक 10.9.98 जिसके द्वारा एकल व्हील कटर (कटर्स) के

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

द्वारा मार्बल के असमान खण्डों की चिराई के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 5 एवं 17 जनवरी, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद, वित्त मंत्री अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे।

अतिरेक मांगों-वर्ष (1991-92) का उपस्थापन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन की कार्यवाही

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का वक्तव्य। श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5.1.99 को श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ विधायक के निवास पर घटित घटना प्रकरण के सम्बन्ध में सरकार का वक्तव्य, आपकी आज्ञा से दे रहा हूं। माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र चूरू के साथ दिनांक 5.1.99 को हुई घटना की जांच जारी है। राज्य सरकार समस्त विधायकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सचेत है एवं किसी तरह से किसी खतरे की विधायक महोदय द्वारा सूचना प्रदत्त करने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि विधायक महोदय से खतरे की सूचना मिलने पर तुरन्त उसका आकलन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं खुफिया पुलिस के अधिकारी द्वारा करवाया जाता है एवं खतरे के आंकलन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय विधायक को सुरक्षा प्रदत्त की जाती है। माननीय विधायकों की सुरक्षा हेतु सरकार किसी भी रूप में आवश्यक कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। माननीय विधायक के चूरू स्थित मकान पर पथराव की घटना 19.12.98 के सम्बन्ध में पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में अभियोग दर्ज कर अनुसधान किया जा रहा है, एवं अभी इसके सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटना महाविद्यालय छात्रसघ के चुनाव सम्पन्न होने के बाद छात्रों द्वारा विजय जुलूस निकालने के बाद अलग-अलग भागों में बिखरे हुए जुलूस के एक भाग में सम्मिलित लोगों द्वारा कारित की गयी है। दिनांक 25.11.98 को भी चुनाव प्रचार के दौरान विधायक महोदय के साथ धक्का-मुक्की करने का अभियोग पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया गया था परन्तु अनुसंधान में ऐसी कोई बात नहीं पायी गयी। उक्त अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन अदमवाकू दिया गया। फिर भी माननीय विधायक महोदय को व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु अस्थाई रूप से एक गनमैन, 3.1.99 को ही प्रदत्त कर दिया गया था। सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की जांच कर धमकी देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्य द्वारा जयपुर की घटना के सम्बन्ध में पुलिस को दूरभाष पर सूचना दी गयी थी एवं लगभग 8-10 मिनट में ही

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मोबाइल गश्त की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच गयी थी। तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटना स्थल पर जाकर घटना की जानकारी ली गयी एवं गश्ती–दलों को आवश्यक निर्देश दिये गये। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए माननीय सदस्य के घर पर अस्थाई रूप से हथियारबन्द पुलिस तैनात कर दी गयी। माननीय सदस्य के साथ हुई घटना का अभियोग अशोक नगर थाने में दर्ज कर अनुसन्धान किया जा रहा है। सरकार घटना के अभियुक्तों को बेनकाब करने के लिए कृत-संकल्प है। घटना के समय माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया गया गनमैन भी सुरक्षार्थ उपलब्ध नहीं था। इसकी भी अलग से जांच कर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यहां मेरी सुरक्षा का नहीं है। सवाल है निर्वाचित सदस्यों की सुरक्षा का। सरकार ने कहा कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान होगा। नये मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा के साथ हमें भी लगा कि निश्चित तौर पर हम चाहे ना पक्ष में पहुंच गये, परन्तु हमारे मान और सम्मान की रक्षा की जायेगी। 25/11 को चूरू में जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन एक अभियोग दर्ज हुआ 385/98। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन अभियोग दर्ज हुआ है उसके साथ ही मेरे साथी रामावतार पर मेरी उपस्थिति में मेरे साथ धक्का–मुक्की हुई और रामावतार के गम्भीर चोटें आयीं। मेडिकल मुआयना भी हुआ। अब उसमें एफ.आर. लगा दी। अध्यक्ष महोदय, एफ.आर. लगाने के बाद ना तो आज तक उन्होंने कोई एवीडेंस जो थी उसको सुना, ना परिवादी को सुना, ना मुझे सुना और राजनैतिक दबाव में आकर तुरन्त वहां एफ.आर. लगा दी गयी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 19/12 को एक घटना दुबारा होती है चूरू के अन्दर जहां का मैं निर्वाचित सदस्य हूं। मैं उस चूरू क्षेत्र से ढाई सौ किलोमीटर दूर मेरे ससुर के आकस्मिक निधन में जाता हूं और पीछे से पुलिस की उपस्थिति में अध्यक्ष महोदय, मेरे घर पर आधा घण्टे गाली-गलौज और पथराव होता है। सोचना इस बात को है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने पुलिस अधीक्षक को कहा था कि आप इस पर कार्यवाही करें तो मुझे कहने लगे कि आप इसकी रिपोर्ट करें। मैंने कहा, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि एक सुनियोजित ढंग से षड्यन्त्र रचा गया और उस समय पुलिस की मौजूदगी में मेरे घर पर पथराव हो, पुलिस खड़ी मूक दर्शक की तरह देखती रहे और उसके बाद मैं उस पर अभियोग दर्ज करवाऊं। मैं नहीं करवाऊंगा। पुलिस ने स्वयं एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको वस्तुस्थिति में गिरफ्तार किया गया। उनके घर पर जाकर मुचलकों पर दस्तखत करवा लिये गये। गिरफ्तार किये गये लोगों में भी चार राजकीय सेवा के कर्मचारी थे। अब उनके नाम विभाग को लिखा गया यह गम्भीर बात है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। 5.1.99 को जो घटना हुई उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गनमैन उपलब्ध करवा दिया। परन्तु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जयपुर महानगर के अन्दर कुछ लोग षड्यंत्रपूर्वक भय का वातावरण करना चाहते हैं। कल परीक्षक-नियन्त्रक के साथ मारपीट हुई। चाकू लगा। अनजान लोग थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अनुसंधान है और अनुसंधान जारी भी है और एक व्यक्ति को मेरे सम्मुख लेकर आये थे कि आप इसको पहचानते हो? मैं चूंकि यह सारी वारदात से पहले जो तीन व्यक्ति मेरे घर पर आये, मेरी उनसे वार्तालाप हुई, आपस में ललकारने की बात हुई इसलिए मैं उनको पहचानता हूं कि जिसको लेकर आये वह नहीं थे। इसलिए मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। एफ. आर. लगायी गयी। अगर उस वक्त माकूल कार्यवाही हो जाती, अध्यक्ष महोदय, पथराव की घटना हुई है इन दोनों तीनों घटनाओं के साथ जब पुलिस 17.12.98 को यह लिख रही है कि चूरू के अन्दर जिस वातावरण में चुनाव सम्पन्न हुआ है वहां के निर्वाचित विधायक को सुरक्षा की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एडीशनल डी. जी. अशोक भण्डारी को पत्र लिखता हूं। मैं मुख्य मंत्री सचिवालय में समय मांगता हूं कि मुझे इसके बारे में चर्चा करनी है तो मुझे समय नहीं मिलता है और मेरे पत्र पर जो मैंने अशोक भण्डारी को लिखा है, और उनसे चर्चा की है, वह कहते हैं कि सरकार की कमेटी बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा नहीं है। ना ही मैं यह कहना चाहता हूं, इसमें मैं कोई व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित हूं, यह अलग बात है। सवाल पूरे सदन के माननीय सदस्यों का हैं। आज मेरे साथ घटना हुई है, कल दूसरे किसी सदस्यों के साथ घटना होगी। हम सार्वजनिक जीवन में जीते हैं। हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, कहीं भी किसी सभा में जाना पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिस संवेदनशीलता से प्रभारी मंत्रीजी ने पूरी बात को माना उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक माकूल व्यवस्था इस तरह की हो, जिसमें एफ. आर. लगाई है उस पत्रावली पर दुबारा अनुसंधान हो और जिसके अन्दर पथराव में पुलिस की एफ. आई. आर. पर जिसमें खुद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनका तत्काल चालान हो और तीसरी घटना की जांच तुरन्त हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक जिस प्रकार के घटनाक्रम को माननीय सदस्य ने इस सदन में रखा, मैं सोचता हूं कि इससे यह बात स्पष्ट होने लगी है कि या तो जो लोग इस प्रकार का अपराध करने वाले हैं उनको कहीं न कहीं से संरक्षण है। अगर यह संरक्षण नहीं होता तो जो एफ. आई. आर, आपने पहले काटी, जो नामजद थे, जिनको आपने गिरफ्तार किया, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम इन लोगों को इस घटनाक्रम से जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक घटना होती जा रही है इसका मतलब यह षड्यंत्र कहीं न कहीं से चल रहा है। और यह केवल जयपुर की घटना नहीं है। यह घटना एक के बाद एक तीसरी घटना है। इसका मतलब यह है कि घटना कोई सुनियोजित ढंग से की जा रही

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है। और जब सुनियोजित ढंग से कोई घटना हो रही है, उसका अन्वेषण वहां से प्रारम्भ करना पड़ेगा जहां पहली घटना प्रारम्भ हुई। तब जाकर शायद इसमें से एक के बाद दूसरी लिंक बनेगी। मैं सोचता हूं किसी एक व्यक्तिगत, हमारे माननीय सदस्य की सुरक्षा का सवाल नहीं है। अगर हम पहले ही कदम पर इस प्रकार के बदमाश लोगों को दबाने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर तो आये दिन इस प्रकार की घटना होती जायेगी। आज वह हमारे साथ होगी कल आप में से किसी सदस्य के साथ होगी, परसों और किसी तीसरे के साथ होगी। यहां किसी राजनैतिक पार्टी का सवाल नहीं है कि यह सदस्य बी.जे.पी. का है या कांग्रेस है। इस सदन का माननीय सदस्य है। और अगर इस प्रकार की घटना के तह में जाकर इसकी जो वास्तविकता है उसको पकड़कर जब तक उनको दण्डित नहीं किया जायेगा इस प्रकार के क्रम को नहीं रोक सकेंगे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसको इतने हल्के मूड में नहीं लिया जाये। इस घटना को एक मुख्य घटना मानकर प्रारम्भ से ही इस प्रकार की कोई दिशा, एक तरह से लोगों के पास और अपराधियों के पास जानी चाहिए कि अगर हमने इस प्रकार की कोई घटना की तो उसका परिणाम बहुत ही सख्त होगा। तब जाकर सारी बात को आगे के लिए रोक सकेंगे। यही प्रार्थना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। मैं दो बात निवेदन करना चाहता हूं। एफ. आर. पुलिस जो लगाती है वह फाइनल नहीं होती। इसमें कोर्ट के अन्दर प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने का आपको अधिकार है। क्या यह हाउस यह डिसाइड कर सकता है कि एफ. आर. गलत लगाई गयी, नहीं लगाई गयी? क्रिमीनल लॉ के अन्दर एस. एच. ओ. वर्ड रेफर्ड है। कहीं उसके ऊपर मिनिस्टर भी कोई आर्डर नहीं कर सकता है। डी. जी. कर सकता है because he is the first investigating officer in the State. बाकि पुलिस ऑफिसर नेसेसरीली होना चाहिए था। फाइल के ऊपर क्रिमीनल लॉ में आर्डर करे। मेरा नम्र निवेदन है कि एम. एल. एज की कोई प्रिविलेज्ड क्लास अगर हम राजस्थान में बनाना चाहें, लॉ एण्ड आर्डर के लिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन यह छोटे-छोटे मामले, व्यक्तिगत मामले, आप यहीं डिसाइड करवाना चाहते हैं कि एफ. आर. वापस करें, चालान कर दें उसका यह मिनिस्टर डिसाइड कर सकता है? मिनिस्टर नहीं दे सकता यह आर्डर कि चालान करें। चालान का कोई एवीडेंस होगा तो करेगा। अगर आपकी एफ. आर. मंजूर हो जाती है आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कीजिए। उसके बावजूद मंजूर हो जाती है, आपके पास बेटर एवीडेंस हैं रिकार्ड के अन्दर जो बयान रिकार्ड किया है वह डिस्टोर्शन है, गलत बयान रिकार्ड किये हैं। प्राइवेट कम्पलेंट फाइल कीजिए। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि डेफिनेटली एम.एल.एज या जन-प्रतिनिधियों को विशेष अधिकार मिले। लेकिन ऐसा नहीं है क्रिमीनल लॉ के अन्दर कोई अलग क्लाम बना कर कि अमुक केस के अन्दर चालान कर दो, अमुक केस के अन्दर करदो, यह बिलकुल उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक-एक करके मैं उत्तर दे दूं तो मुनासिब रहेगा अन्यथा....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सब साथ में ही दे देना। साथ में ही दे देना।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खाली हमारे राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ विधायक का ही नहीं है। यह जनरल फीलिंग हो गयी है। और दूसरा, जो टैंथ विधान सभा थी, ऐसी तो कोई घटना वहां पर हुई नहीं। सुरक्षा के बारे में भी कोई भी विधायक ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। तो मेरा यह निवेदन है कि एम.एल.एज. की सुरक्षा के बारे में आप कुछ ऐसी व्यवस्था कराएं।

एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल के अन्दर भी आप देखें तो विधायक चीफ सैक्रेटरी से भी ऊपर हैं, और सैक्रेटरी, कलेक्टर के भी रेड लाइट है गाड़ी पर। हम लोगों को रात में ट्रेवल करना पड़ता है और कई बार इमरजेंसी के कारण रात भर हमें चलना पड़ता है। हर वक्त, ऐसा है कि हम डे सेविंग करना चाहते हैं ताकि दिन को हम काम करें। रात को अपने घर पहुंचे, या कांस्टीट्यूएंसी में पहुंचे। और आप जानते हैं कि नेशनल हाइवे पर कितने एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। ऐसी घटना रोज होती है हमारे साथ कि आज बच गये, घर पहुंच गये, पता नहीं कल क्या होगा। कल फिर रात को चलना है। इसलिए हमारे लिए भी ऐसी ही कोई व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं कि एम.एल.एज. की सुरक्षा के लिए गनमैन की भी व्यवस्था करें।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा सुरेन्द्रजी व्यास ने कहा कि एफ. आर. लग जाती है उसके बाद में कोर्ट में प्रोटेस्ट करें। मेरा निवेदन है कि सी.आर. पी. सी. के अन्तर्गत पुलिस को बहुत जबरदस्त पावर है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि एफ. आर. लग गयी और आपको पूछा तक नहीं गया। आप से सम्बन्धित गवाहों से नहीं पूछा गया। तो यह बहुत जरूरी है। इस एफ.आर. को वापस हायर आथोरिटी से पुनः जांच करायी जाए और जांच कराने के बाद कोर्ट में जाकर एक एम.एल.ए. क्यों प्रोटेस्ट करेंगे जब कि सारे कानून हैं? पुलिस सारे नियमों को जानती है और गलत तरह से एफ. आर. दी गयी हैं। जैसा कटारिया साहब ने कहा कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश जरूर है अन्यथा यह घटना लगातार इस क्रम में नहीं हो सकती है। इसलिए हम आसन से यह प्रोटेक्शन चाहते हैं कि माननीय सदस्यों के साथ में इस प्रकार का अप्रिय व्यवहार हो, या अप्रिय घटना हो, या जिन 60-70 आदमियों ने घर आकर पत्थरबाजी की, गाली-गलौज की, उसमें पांच आदमियों को ही गिरफ्तार किया गया है, यह पूरी जांच का विषय है। इसलिए माननीय गृह मंत्री महोदय जिनके पास इस समय चार्ज है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मामला बड़ा संवेदनशील है। इसलिए इस मामले को गम्भीर रूप से लिया जाए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

इसी प्रकार वी पी. सिंहजी ने कहा कि वास्तव में रास्ते में आने-जाने में इतना ट्रेफिक बढ़ गया है एम.एल.ए. सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाए इसके लिये भी आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई न कोई ऐसी माकूल व्यवस्था की जाए। अब तक नहीं थीं। कोई जरूरी नहीं है अब तक रही होगी लेकिन इस समय भी किसी प्रकार की व्यवस्था करने में आप सक्षम है, सरकार को निर्देश दे सकते हैं और यह व्यवस्था की जाए तो अति उत्तम रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आहूजाजी, आप बोलें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आजकल कोई भी आदमी गिरफ्तार करे, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इसके अन्दर पांच आदमी गिरफ्तार किये हैं। तो आजकल थाने वाले, या पुलिस वाले जो भी कोई गिरफ्तार करें तो सबसे पहले उनके घर वालों को सूचना देते हैं कि हमने अमुक आदमी को पकड़ा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन पांच आदमियों के किन–किन के घरवालों को उनके गिरफ्तार करने के बाद इतला दी, वह नाम बताएं मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है। जिस दिन पोलिंग हुआ उस दिन बीस हजार लोगों ने, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, रास्ते में मुझे भी घेरा जिसका समाचार सभी समाचार पत्रों में आया। और विधायक चुनने के बाद श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, चूरू के साथ जो घटना हुई है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, श्री सुरेन्द्र व्यास जी ने जो कहा है एफ.आर. लगाने के सम्बन्ध में, यह बिलकुल गलत है। मेलिस और मेलाफाइड है। यह मेरा आरोप है, क्योंकि साढ़े चार–चार साल तक एफ.आई.आर. में एफ.आर नहीं लगने दी जाती है। साल-साल, दो–दो साल तक पुलिस एफ.आर. नहीं लगाती। यहां तीन दिन के अन्दर एफ आर. लग गयी। इसका मतलब इसमें कोई गन्ध आ रही है, मेलाफाइड है। इस सम्बन्ध में आप अपने लेवल पर जांच कराएं, यही मेरा विनम्र निवेदन है। और जो घेराबन्दी विधायकों को लेकर के हो रही है, हम भी नागरिक हैं। जैसा सुरेन्द्र जी व्यास ने कहा कि विधायकों को अलग से प्रोटेक्शन न दें अलग न दें लेकिन नागरिक तो राजेन्द्रजी राठौड़, मैं, विधायक और सभी सदस्य हैं ही। इसलिये कृपा करके मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा प्रोटेक्शन आप दें कि जिससे नागरिकों के अपने अधिकारों के हितों की सुरक्षा हो। घेराबन्दी और हमले की कार्यवाही न हो, यह जांच करें और गृह मंत्री महोदय पूरी तरह से आश्वस्त करें सिर्फ टालमटोल न करें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, सवाल चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का नहीं है। मैं सामान्य बात पूरे सदन के समस्त माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में आसन से, और आसन के जरिये सम्बन्धित प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य के साथ एक घटना हुई।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

उस घटना का निस्तारण और निवारण तो आपने उनको अंगरक्षक देकर, मुलजिमों को गिरफ्तार करके और उसकी जांच करके आप कह रहे हैं। लेकिन घटनाएं हमेशा आदमी को सीख देती हैं कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं निहायत अदब के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सम्बन्धित मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों वेतन और भत्ते के मामले में, पेंशन के मामले में पूरे प्रान्तों की विधान सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में लोक सभा में पीठासीन अधिकारियों की बैठक में एक निर्णय लिया है, उसी तरीके से मै यह चाहता हूं कि जिस तरह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में सभी माननीय विधायकों को अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाता है, क्या आप भी राजस्थान विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों की पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के लिये इस तरीके का कोई कदम उठाने जा रहे हैं?

दूसरा, निवेदन यह करना चाहता हूं कि जैसा माननीय बी. पी. सिंहजी ने कहा, यह सही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मंत्रियों को ही दूसरे जिले में दौरे के लिये नहीं जाना पड़ता है, विधायक भी पूरे राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं। और जिस तरीके का यातायात बढ़ गया है उस यातायात के अन्दर जिस तरीके की असुविधा होती है, अगर आप विधायकों को भी लालबत्ती की सुविधा प्रदान करें तो मैं समझता हूं समय भी बच सकता है, और सुरक्षित समय पर पहुंच सकते हैं। या कोई भी इस तरीके का जो आप विचार करने जा रहे हैं वह सुझाव मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी कोई निर्णय लें ताकि आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं हों और हम लोगों का भी समय बचे और सुरक्षित पहुंच सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसादजी।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, आए दिन रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमें भी लालबत्ती की सुविधा मिलनी चाहिये। तो इस विषय में मेरा निवेदन है कि कलेक्टर को लालबत्ती की सुविधा दी गयी है। एस. पी. भी लगा लेता है और जो सदस्य कानून की अवहेलना करके लगाना चाहें तो वह भी लगा सकता है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा हम लोग आये दिन अपने क्षेत्र में जाते हैं। रात में भी जाते हैं और सवेरे भी जाते हैं। अगर लालबत्ती की सुविधा हमें मिलेगी तो मैं सोचता हूं कि सामने से आने वाली गाड़ी हमें रास्ता देगी और हम आराम से निकल जाएंगे।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल ट्रेफिक बहुत बढ़ गया है और जुगाड़ पैदा हो गये हैं। जुगाड़, मैं सोचता हूं कानून में उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। बी. जे. पी. के जमाने में जो जुगाड़ पैदा हो गये थे, आज सैकड़ों की तादाद में हो गये हैं। और जब उनको रोका जाता है तो आन्दोलन करते हैं, धरना देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन जुगाड़ों को भी रोका जाए। इनके जो चालक होते हैं उनके पास कोई लाइसेंस

(श्री दुर्गा प्रसाद)

नहीं होता। वह सड़क पर बेतरतीब गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, रास्ते को कंजस्टेड कर देते हैं। इसके ऊपर भी कोई व्यवस्था अपनानी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि विधायकों से सम्बन्धित कुछ सुझाव सामने आये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब तो माननीय सदस्य यह चाह रहे हैं कि सबके लालबत्ती लग जाए लेकिन पिछली सरकार में एक–एक एम.एल.ए. ने 21–21 गाड़ियों पर लालबत्ती लगा रखी थी। वह किसने सुविधा दी थी ?

अध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया जुगाड़ को खतम कर दिया जाए। पिछले परिवहन मंत्री ने जुगाड़ चालू करा दिये और आज सारे जुगाड़ चल रहे हैं हमारे इलाके में इनको बन्द कराया जाये और, माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हर मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हरेक मामले में राजनीति... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतने सीरियस मैटर को डाइल्यूट नहीं किया जाये (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या आप लालबत्ती....(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान में (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अब आप उधर बैठे हुए हैं .. (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : राजस्थान में 1990 से पहले कहीं जुगाड़ चलते नहीं थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अगर आप लाल बत्ती नहीं चाहते तो मना करो।

श्री जनार्दन गहलोत : अगर जुगाड़ चालू हुए तो 1990 के बाद में, आज सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा जिलों के अन्दर इतने जुगाड़ चल रहे हैं जिनके कोई लाइसेंस नहीं हैं, कोई परमिट नहीं हैं और नाजायाज चल रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जुगाड़ की बात नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : यह इनकी सरकार में चले. इनको तकलीफ किस बात की हो रही है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने एक राय दी कि सबकी गाड़ियों पर लालबत्ती लगा दें। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के पास गाड़ी नहीं है, क्या वे साइकिल पर लालबत्ती लगायेंगे। सबके पास या तो गाड़ियां उपलब्ध करावें आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लाल–बत्ती नहीं चाहते हो क्या ? माननीय करौली से आने वाले सदस्य कह दें कि मुझे नहीं चाहिए... (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो सब्जेक्ट माननीय प्रभारी मंत्री से सम्बन्धित था, राजेन्द्र सिंहजी के ऊपर हमला करने की जो साजिश की गयी....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : करौली से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा करबद् निवेदन है कि अगर वे लालबत्ती नहीं चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है वह घोषणा कर दें कि मुझे नहीं चाहिए ।

श्री जनार्दन गहलोत : यह बहुत .. (व्यवधान) माननीय सदस्य पर कोई हादसा घटित हो, उनके ऊपर हमला करने की साजिश की जाये यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है । सभी सदस्यों को चिन्ता होने का प्रश्न है ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : तो आप इस बात को राजनीति में क्यों डाल रहे हो ?

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम उसको साइडट्रेक कर रहे हैं । उद्देश्य है उनकी सुरक्षा का प्रश्न और हम उसको ले जा रहे हैं ...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, सरकार की कमजोरी को छुपाने के लिए इस मामले को राजनीति में लिया जा रहा है ।

श्री जनार्दन गहलोत : ....कभी जुगाड़ पर, कभी बत्ती पर तो कम से कम हम सब्जेक्ट से तो अलग नहीं हों, धन्यवाद ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य इतने गम्भीर मामले को राजनीति में डालकर जबरदस्ती इस मामले को बिगाड़ना चाह रहे हैं । सवाल विधायकों का है और विधायकों की सुरक्षा का है । लालबत्ती की गाड़ी दें, पीली दें, चाहे हरी दो, यह सरकार का सोचने का विषय है, उससे मतलब नहीं है । लेकिन विधायकों को सुरक्षा प्रदान करना आपका कर्त्तव्य है और सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी । इस मामले में गम्भीरता से विचार नहीं होकर के और माननीय सदस्य इसको राजनीति में डालकर इस बात को घुमा रहे हैं कि बी. जे. पी. की सरकार में क्या हुआ, पिछली सरकार में क्या हुआ । हमारी सरकार में क्या हुआ आप तो विधायकों को सुरक्षा दो । क्या आपका यह कर्त्तव्य नहीं बनता है ? मैं अध्यक्ष महोदय से यही निवेदन करूंगा कि आप सरकार को इस प्रकार का निर्देश दें कि गम्भीरता से इस बारे में विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष :....अच्छा-अच्छा, माननीय सदस्य ।

श्री रामसिंह : डिप्टी साहब मकान पर गये, कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई और 6 तारीख को तारण तहसील के बीहर पंचायत में एस.डी.एम. ने मौके पर जाकर के एक पूरी चार दीवारी को जो 135 मीटर थी, उसको हटा दिया गया । पूरे क्षेत्र में, माहौल में आक्रोष है और लोगों को बहुत दुःख है कि एस.डी.एम. जैसे अधिकारी ने लोगों से मिलीभगत करके चारदीवारी हटा दी । मेरा आपसे निवेदन है तुरन्त कार्यवाही की जाये, धन्यवाद ।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इसी सम्बन्ध में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो सुरक्षा की व्यवस्था लागू हुई थी और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहां-वहां केटेगराइज करके उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गयी थी। गयी सरकार ने जब मंत्री पद पर नहीं रहे, उसके बाद में उन्होंने किसी विवेक के आधार पर वह सुरक्षाकर्मी हटा लिये।

अब प्रश्न इस बात का आता है कि जैसे माननीय पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ पर हमला हुआ और दूसरे भी हुए, तो मंत्री काल के अन्दर कई विशिष्ट पदों पर रहते हुए कभी-कभी, अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को अनुभव करते हैं कि कई निर्णय इस प्रकार के करने पड़ते हैं, कभी आंदोलन के सम्बन्ध में करने पड़ते हैं, कभी किसी और मामले को लेकर करने पड़ते हैं। यहां तक कि मंत्री को, कटुता के ऊपर, उनको जवाब भी देना पड़ता है। तो इसके ऊपर निगरानी दूसरे लोग रखते हैं कि कभी मौका मिले तो हम हमला करें। अब यह जो एक कमेटी बनी हुई है वह इस सारे की समीक्षा करती है और समीक्षा करके वह यह कहती है कि इनको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है और हटा लिया आपने। और फिर हमला हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए उनके ऊपर। सुरक्षा चाहे विधायकों की है या जिसकी भी है, उसके ऊपर एक नीति निर्धारण समिति राज्य स्तर के ऊपर बने, न कि ...न जनों, अधिकारियों के ऊपर छोड़ दें। आज कई अधिकारियों के यहां सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और जो विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं उनको आज सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। जबकि मंत्रियों को, खास तौर पर मैं कहूंगा जो पूर्व मंत्री रह भी जाते हैं या अभी भी हैं, उनको तो हो ही जाती है। और वह जब निर्णय करते हैं फाइलों पर, कई जगह जाती है तो कई जगह किसी के विपक्ष में होता है किसी के पक्ष में होता है। तो उसके ऊपर ना मालूम कब क्या घटना घट जाये। इस बात को मंत्री महोदय देखेंगे। और पहले जो सुरक्षा हटा दी गयी उसके लिए जिम्मेदार पूर्व सरकार भी है जिन्होंने कई मंत्रियों की सुरक्षा गार्ड हटा दी और उनके ऊपर हमले भी हुए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्यों ने विधायकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में विचार रखे हैं। श्रीमन् इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि विधायकों की सुरक्षा निश्चित रूप से और इफेक्टिव मैनर में होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे इस बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है यदि आप इसको कृपया सुनें, इसके अन्दर बड़ा डिफेक्टिव सिस्टम पिछले कुछ सालों में डवलप हुआ है। मैं इसको डिफेक्टिव सिस्टम मानता हूं। मेरी राय में वह डिफेक्टिव सिस्टम है। स्टेट लेवल पर किसको गनमैन प्रोवाइड कराना है या नहीं कराना है, इसकी जिम्मेदारी एक अधिकारियों की कमेटी को दे दी। श्रीमन्, अब दो तरह की समस्या खड़ी होती है। अब एम.एल.ए. साहब ने कहा या किसी पूर्व मंत्री ने कहा कि मेरी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जान को खतरा है, तो कई मर्तबा एस. पी. अपने डिस्क्रिशन के आधार पर टेम्परेरी रूप से उसको गनमैन उपलब्ध करवा देते हैं और यह इन्तजाम प्योरली डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। बाद में करायें या नहीं करायें। बाद में कुछ हो जाये तो हाथ खड़े कर देंगे। तो स्टेट लेवल पर कमेटी बना दी गयी, पिछले जमाने में या पिछली सरकार ने। लेकिन मैं आलोचना के बस नहीं कह रहा हूं, कई निर्णय अच्छे भी हुए हैं। कोई निर्णय गलत भी हुए हैं। उनको रिव्यू करना इस सरकार का दायित्व है और कर्तव्य है। मेरी समझ में यह निर्णय गलत था कि आपने स्टेट लेवल कमेटी बना दी अधिकारियों की। होम सेक्रेट्री आ गये, डी. जी. आ गये, एडीशनल डी. जी. इंटेलिजेंस बैठ गये उसके अन्दर। कोई आदमी कहता है कि एस.पी. अपना आंकलन भेजेगा, एस.पी.सी.आई.डी. जोन अपना आंकलन भेजेगा। उसके बाद में मुस्तकिल गनमैन की व्यवस्था करनी है या नहीं करनी है, यह व्यवस्था पूर्व में थी और आज भी है। लेकिन किन्हीं मामलों में, जैसे माननीय विधायक राजेन्द्र जी के मामले में, इन्होंने डी.जी. से कहा और तीन तारीख को ही इनको गनमैन उपलब्ध करवा दिया गया, चूरू पुलिस लाइन से। अब वह उस वक्त नहीं था, हो सकता है कहीं चला गया, इनकी इजाजत लेकर के कहीं चला गया। अगर वह शायद होता, जो कि नहीं जाना चाहिये था, मैं इन पर आक्षेप नहीं लगा रहा। लेकिन इस मामले मे अपने को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। कभी-कभी हम लोग स्वयं अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। दया भावना दिखाते हुए गनमैन को इन्होंने अलाउ कर दिया, कहीं चला गया। मान लीजिये, भगवान नहीं करे, अच्छा हुआ कोई हादसा इनके साथ नहीं हुआ। कोई हादसा होता तो नाहक में सरकार को बदनामी का बायस बनना पड़ता और कहते कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ऐसा हो गया। जो कि इनको गनमैन को अलाउ नहीं करना चाहिए था। उसका कायदा यह कि अगर गनमैन इनके यहां से जाता है तो इनको तुरन्त उसकी सूचना कहीं सम्बन्धित अधिकारी को देते। डी. जी. के कहने से लगा था, डी. जी. से कहते। यह गनमैन इनको डायरेक्टर जनरल पुलिस, राजस्थान के निर्देश पर एस. पी. चूरू ने प्रोवाइड किया था। कहते तो उसका रिप्लेसमेंट आता। खैर, एक लैप्स था, मैं इनकी गलती नहीं कहता, लैप्स था, जो कि नहीं होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : एस. पी. ने चूरू के लिए गनमैन दिया था या जयपुर के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चूरू लाइन से गनमैन रवाना किया गया था। जब डी. जी. ने चूरू एस. पी. को निर्देश दिया तो चूरू एस. पी. ने 3 तारीख को साढ़े 11 बजे वहां से रोजनामचे में रपट डालकर के माननीय विधायक के लिए गनमैन वहां से दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया इसको कोई दल अन्यथा न ले। बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र जी, मैंने अखबार में पढ़ा था। मैं सदन का सदस्य नहीं था, एक हमला उस वक्त उन पर भी हुआ था। अगर उसी वक्त कोई पुख्ता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नीति इस बारे में निर्धारित कर दी जाती तो शायद पुख्ता नीति के तहत एम. एल. एज. को एक अधिक कारगर सुरक्षा प्राप्त हो सकती थी। वह हमला हुआ था, मैं आलोचना के बस नहीं कह रहा, मैं तो उस वक्त सदन का सदस्य भी नहीं था। अब एक पहलू तो यह रहा सुरक्षा का। दूसरा पहलू माननीय सदस्य कुछ केसेज के बारे में कह रहे थे। इलेक्शन को लेकर इस कांस्टट्रीयूएंसी के अन्दर दोनों तरफ से केसेज और क्रास केसेज कायम हुए वहां पर। 25 तारीख को पोलिंग थी। जिस केस की माननीय राठौड़ साहब कह रहे हैं, 25 तारीख को केस कायम हुआ। वहां पर इंसीडेंट हुआ पोलिंग वाले दिन। एक रामावतार शर्मा नाम के व्यक्ति ने जो इनका समर्थक था कि नहीं था, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लोयी, राजकीय आयुर्वेद विभाग में कार्यरत है, उसने जाकर एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई कि साहब वहां मैंने कुछ लोगों को श्री राठौड़ के साथ धक्का–मुक्की करते देखा और मेरे साथ भी मारपीट की गई। जो उन्होंने गवाह नामजद किए एफ. आई. आर. के अन्दर, तफ्तीश के दौरान वे गवाह मुकर गए। किन कारणों से मुकरे, यह भगवान जाने। अब जैसा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह बात सही है कि सी आर.पी.सी. के तहत the Minister is not competent to issue any order on the investigating file. यह बात बिलकुल सही है। उन्होंने कानून की बात कही, हम अधिक से अधिक यह कर सकते हैं कि फाइल को मंगा लें, मंगा करके सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच को दिखा लें और उस पर कोई निर्णय करना है तो कर दें। या दूसरा आप्शन जो उन्होंने बताया, वह भी सही है कि कोर्ट भी बाध्य नहीं है एफ. आर. की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए। सूओ मोटो कोर्ट अगर देखता है कि एफ. आर. की रिपोर्ट दी गई है तो उसके ऊपर भी कई दफा मुलजिमों को अपने आप तलब कर लेता है। या चूंकि इसके अन्दर उन्होंने एफ. आर. दी है, यह इस्तगासा भी कर सकते हैं, प्राइवेट कम्प्लेंट जिसको कहते हैं, रोजमर्रा की भाषा में, इनके पास वह भी आप्शन उपलब्ध है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि यह चुनाव के माहौल में दोनों तरफ से केसेज कायम हुए। अब राजनीतिक प्रभाव के अन्दर, अगर राजनीतिक प्रभाव के अन्दर, मान लीजिए केसेज किए जाएं, अध्यक्ष महोदय, दबा देने की बात होती तो जो 19–12 की घटना है, जैसा सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, चुनाव की पृष्ठभूमि थी, दोनों तरफ से केसेज कायम हुए, कांग्रेस वालों ने किए, बी. जे. पी. वालों ने किए, तारीख 19–12 को लोहिया कालेज, चूरू के चुनाव हुए जिसमें एन.एस.यू.आई. का कंडीडेट विजयी हुआ। वहां पर अब एन. एस. यू. आई. का जो कैंडीडेट था, वह निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित था। कोई बात नहीं है, वहां पर जुलूस महिला कॉलेज का हुआ, लोहिया बॉयज कॉलेज का हुआ। वहां लोग जीते, जुलूसबाजी हुई, होता है जुलूस के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, जो जीतते हैं वे नारे लगाते हैं और जो हारते हैं, उनके खिलाफ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नारेबाजी होती है। तो स्वभाविक है, अपन सब ने अपने राजनीतिक जीवन में इस बात को देखा है।

जब वहां से जुलूस तितर-बितर हो गया तो एक हैंडफुल ऑफ बॉयज, पर्सन्स कह लीजिए, माननीय सदस्य के मकान के आगे वहां थे तो उन्होंने आकर के कुछ नारेबाजी की कुछ कंकर पत्थर फेंके वहां पर, जैसा कि माननीय सदस्य का आरोप है। यह बात सही है कि अगर पुलिस प्रशासन भयभीत होता उनसे, तो यह रिपोर्ट एस.एच.ओ. ने स्वयं गश्त के बाद जाकर के वहां रोजनामचे में अपनी तरफ से दर्ज कराई, जो कि करवा सकता है। उसका अधिकार है। कोई रिपोर्टकर्ता उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी पुलिस सुओ-मोटो कोई चीज जानकारी में आती है तो स्वयं उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है। और उसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहां तेजाजी का मंदिर है, उस तेजाजी के मंदिर के बगल में गली में अंधेरे का लाभ लेकर वे भाग गए। पुलिस की कहीं मिली भगत होती तो मीडिया का और वहां दूसरे लोगों का आरोप है कि जो गिरफ्तार हुए, हम एक जाति विशेष के हैं, हमको इसलिए पकड़ा गया। अब जाति का भी एंगल आ गया। इसलिए मैं निष्पक्षभाव से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें एक षड्यंत्र था, इसमें षड्यंत्र नहीं था। चुनाव के अन्दर कई माननीय सदस्यों को राजनीतिक टेंशन होता है। नारेबाजी होती है। कहीं कार्यकर्ताओं में आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और दोनों तरफ से केसेज कायम होते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो रहा इस पृष्ठभूमि में, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से यह थोड़ा सा ब्रीफली फैक्ट्स अवगत करा रहा हूं। पोलिटिकल मोशन के अंदर इन चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है, वर्णन किया है।

अब रहा सवाल सुरक्षा का। यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर बहुत ही गम्भीर रूप से सरकार को विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम विधायकों की सुरक्षा का प्रबन्ध करें क्योंकि आज की प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसको मैं खुद मानता हूं। यह पिछली सरकार ने निर्धारित की थी, इसमें समय बरबाद होने की आशंका रहती है। We will get it examined and how to improve the system, I am not giving any assurance at this stage, लेकिन इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस बारे में निश्चित रूप से सरकार ध्यान देगी, विचार करेगी।

अब यहां पर एक लाल बत्ती का सवाल सम्माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है कि लाल बत्ती की सुविधा मुहैया कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कानून बहुत ही जटिल है और कुछ ही लोग इन बत्तियों के हकदार हैं और इसका दुरुपयोग बड़ी तादात में लोग करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह लाल बत्तियां और नीली बत्तियां स्टेट्स सिम्बल बन गई है लोगों के ऊपर रौब जमाने के लिए कि हम लाल बत्ती के अन्दर घूमते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, काइंडली बीयर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विद मी, मैं मी आप ही के वर्ग का हूं। कुछ लोग इसके हकदार नहीं हैं तो भी लाल बत्तियां लगाए घूमते हैं। कुछ लोग हकदार नहीं है, लाल बत्तियां लगाए डोलते हैं। आज हमको फैसला करना पड़ेगा। यहां तक कि हमारे पार्लियामेंट के मैम्बर भी इसके लिये हकदार नहीं हैं, हमारे बहुत से अधिकारी हकदार नहीं हैं, वे लगाये डोल रहे हैं....(व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव (मण्डावर) : एडीशनल एस. पी., एस. डी. एम., डी. वाई. एस. पी., थानेदार, ये सब यूज करते हैं। पहले इनको तो बंद करा दीजिए (व्यवधान) तो ये कहां देश में बंद कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न सब इन्सपेक्टर आदि का किया है, 1995 में जब जिला प्रमुख इलेक्टेड थे, उनका यहां पर परसेप्शन हुआ था, उस वक्त जिला प्रमुखों को लाल बत्ती के लिये माननीय सदस्य ने बहुत पैरवी की थी।

श्री हरि सिंह (महुवा) : हमने हटाने के लिये अनुरोध किया था।

श्री अध्यक्ष : अनुरोध किया था...(व्यवधान) अनुरोध भी किया था और उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख थे, उस वक्त आप कांग्रेस पार्टी में थे तो मेरे पास भी लाल बत्ती के लिए आए थे। इसलिए लाल बत्ती के सम्बन्ध में इसके कौन–कौन अधिकारी होंगे, राज्य सरकार के आदेश हैं। लाल बत्ती की बात मैं नहीं करता क्योंकि लाल बत्ती से रोड पर व्यवधान न हो। माननीय सदस्य जा सकें रात को। लेकिन अगर ज्यादा लाल बत्तियां हो गईं, अगर सब इन्सपेक्टर के भी हरी बत्ती होती है, दूसरों के हैं तो एंटी सोशल एलीमेंट भी इसका मिस यूज कर सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा कार्य हलका कर दिया।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : डी. जी. पी. के समर्थक विधायक लाल बत्ती की गाडियों में, बेटा, परिवार, 21 गाड़ियों में, डकैती करवाने के लिये हथियार भेज रहे हैं, उन लाल बत्ती गाड़ियों में। मैंने एस. पी. को रिपोर्ट की है (व्यवधान)।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह लाल बत्ती अहंकार का प्रतीक है और पहले सिर्फ राज्यपाल को, गवर्नर को, लाल बत्ती लगाने का अधिकार था और किसी मंत्री को और किसी चीफ मिनिस्टर को लाल बत्ती अलाउ नहीं थी। हम यहां पर इस सदन में, और इस सदन का गठन पूज्य बापू महात्मा गांधी की मेहनत से हुआ है, देश ने आजादी पाई थी। और आजादी के बाद हम उस आजादी का उपयोग और उपभोगहमारे अहंकार को और हमारी मासिक वृत्ति की भावनाओं को बढ़ाने के लिये एक से एक आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस लाल बत्ती के मामले में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले राज्यपाल के अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि को चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्य

(श्री रामनारायण चौधरी)

मुख्य मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, मान्यवर, कोई भी हो, उसमें सब आते हैं, जनप्रतिनिधियों को अपने अहकार पर काबू पाना पड़ेगा। मुझे राजेन्द्र सिंह जी के प्रति पूरी सहानुभूति है। हम, मान्यवर, जनप्रतिनिधि हैं, हमें अपने आचरण को, व्यवहार को बदलना पड़ेगा। मान्यवर, राजेन्द्र सिंह जी को यह धमकी क्यों लगी, कितने यहां विधायक हैं, 197 हैं। लेकिन उनमें से कितनों के पास धमकियां आयीं ? (व्यवधान) आप इसको विवादास्पद मत बनाइए।

डा. जसवन्त सिंह यादव : यह क्या बात हुई इसमें ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मेरी बात कह रहा हूं, आप ने अपनी बात कह दी। आप अपनी बात मेरे पर थोपेंगे क्या ? (व्यवधान) मैं मेरी बात कह रहा हूं, इन्होंने अपनी बात कह दी। मान्यवर, 1984 में मेरे पास भी धमकियां आई थीं और उस समय मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर थे और माननीय सदस्य सुमित्रा जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही थी और उधर अयूब खां चुनाव लड़ रहे थे। मेरे पास एक नहीं अनेक धमकियां आयीं। और जब चीफ मिनिस्टर को पता चला तो मुझे फोन किया कि रामनारायण जी, क्या होना चाहिए। मैंने कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ, मेरी रक्षा मैं करूंगा या भगवान करेंगे। महात्मा गांधी को आप नहीं बचा सके, इन्दिरा जी को आप नहीं बचा सके, राजीव गांधी को आप नहीं बचा सके, किसी को नहीं बचा सके। कैनेडी नहीं बचा। आप कितनों की व्यवस्था करेंगे। हमारी व्यवस्था कर देंगे ? यह फालतू अहंकार की बात मत करो। आप विनम्र बनो। विनम्र सेवक बनो और विनम्रता से व्यवहार करो, कोई किसी पर आंच नहीं आयेगी।

मान्यवर, यह लड़कों का चुनाव था। सब जगह हुआ। कहां नहीं हुआ, झुन्झनूं में नही हुआ, जयपुर में नहीं हुआ। एक ग्रुप हार गया, दूसरा जीत गया। अब कोई लड़का चला गया होगा और धमकी दे दी, उसको विनम्रता से लेते। उसको कितना उछाल दिया इस सदन के मार्फत। मान्यवर, यह अच्छा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर कहा हैं कि वह चुनाव लड़ रही थी तो यह चुनौती या धमकी उनको मेरी तरफ से दी गई थी, यह स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी तरफ से कोई धमकी नहीं थी और आप तो बहुत शालीन हैं। आप तो मर्यादापूर्ण महिला हैं, मैं आपका आदर करता हूं। यह देने वाले सब जगह हैं लोग। इस समाज के अन्दर दोनों तरह के लोग होते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अपनी बात कह लूं फिर आप कह दीजिएगा। (व्यवधान) रेड लाइट का, अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ही जिक्र किया, मैं आपका आभारी हूं। मैं उसी पाइंट पर आ रहा हूं। इसके मिसयूज को चैक करने के लिए कोई उपाय नहीं बचेगा। अगर हमको

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसको अलाउ कर दें तो पालियामेंट के मेम्बरों का सवाल आएगा, बहुत सारे लोगों का, जिला प्रमुखों का आएगा, प्रधानों का आएगा, सभी इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव हैं। अध्यक्ष महोदय, इसको रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा। असामाजिक तत्व भी लाल बत्तियां लगाकर घूमेंगे और किस-किस की गाड़ी को रोकेंगे। तो इस मामले का सुरक्षा से कोई सम्बन्ध, इंडिविजुअल विधायक की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है श्रीमन्, नम्बर एक।

नम्बर दो, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि अगर माननीय विधायक को किसी भी, मैं आज इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा अगर किसी विधायक को असुरक्षा की भावना है तो कृपया अपने सम्बन्धित एस.पी. को लिखें, उसका वे तुरन्त आकलन करेंगे और जो भी इस पर उचित कार्यवाही क्योंकि मैंने अभी एक बात कही, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो सिस्टम रिव्यू करने का, जो आकलन करने का सिस्टम बनाया, वह बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। वैसे एस.पी. को अधिकार है कि टेम्परेरी व्यवस्था वे कर सकते हैं। परमानेंट के लिए कमेटी थी। तो अध्यक्ष महोदय, टेम्परेरी मामले के आधार पर, परमानेंट स्टेट कमेटी करेगी। कोई नया मैकेनिज्म तय करेंगे तब तक अगर किसी को अगर इस प्रकार लगता हो कि नहीं, सुरक्षा की बात है जिससे कल को भगवान न करे ऐसी कोई दुर्घटना हो तो सम्बन्धित अपने एस.पी. को लिखकर दें। उसके ऊपर एस.पी. विचार करके उचित कार्यवाही करेंगे, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन कर सकता हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी यह बताएं कि क्या हम नहीं जानते हैं कि कभी कोई ग्रिवेंसेज हो तो एस.पी. और कोतवाल से मिलना चाहिए ? आप ही हमको दिशा-निर्देश दे रहे हैं। आपसे तो सदन यह चाहता है कि अगर साधारण कार्यवाही पुलिस नहीं करती है तो सदन का जो सम्मानित सदस्य हो उसको आप क्या प्रोटेक्शन देंगे। आप हमको सिखा रहे हो ? आज सदन में ज्यादातर वकील बैठे हैं, जानते है, झगड़ा होता है तो थाने में रिपोर्ट दर्ज होती हैं, झगड़ा होता है, थाना कार्यवाही नहीं करता तो एस.पी. को अपनी ग्रिवेंसेज कहने जाते हैं। यह आप हमको बता रहे हैं ? हम कोई नौसिखिया हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो बहुत चतुर हैं, आपको कौन सिखा सकता है, आप जैसे काबिल आदमी को कौन सिखा सकता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, यह क्या बता रहे है कि एस.पी. से मिलो और थानेदार से मिलो। कोई आप ही लॉ के मास्टर हैं ? यह तो हम भी जानते हैं, आई.पी.सी. में जो हमारे अधिकार हैं, सी.आर.पी.सी. में जो हमारे अधिकार हैं हम भी जानते हैं। सदन क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, गवर्नमेंट क्या प्रोटेक्शन देना चाहती है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो ज्यादा जानते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने बहुत लम्बा भाषण झाड़ दिया कि एस.पी. से मिल लो, थानेदार से मिल लो।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो ज्यादा जानते हैं, आप तो इसके मर्मज्ञ हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा पिछली सरकार ने जो व्यवस्था बना दी, तीन आदमियों की कमेटी बना दी वह अच्छी नहीं है । उससे ये इत्तफाक भी नहीं करते, इनकी नाइत्तफाकी है । क्या उसको सुधार करके अब आप किस तरीके की व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे विधायकों को सुरक्षा मिले, उस सम्बन्ध में आपने कुछ कहा नहीं, जो आपको बतानी चाहिए थी । प्रक्रिया और प्रोसिजर बता दिया आपने ।

श्री अध्यक्ष : उस सिस्टम के सम्बन्ध में रिव्यू करने की बात मंत्रीजी ने कही है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह देख लेंगे, बातचीत करके.. (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय इन्होंने रास्ता बता दिया कि कोई ग्रिवेंसेज हैं तो एस.पी. से मिल लो । यही बताने से मिलेंगे क्या हम ? वह तो आई.पी.सी. में, सी.आर.पी.सी. में जो भी प्रोविजन हैं हम जानते हैं । इन्होंने तो हमको रास्ता बता दिया कि अगर हमारे साथ मारपीट होती है, अगर असुरक्षा है तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दो । इन्हीं के कहने से कराएंगे हम ? वह तो आम नागरिक कराता है । हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, ग्रिवेंसेज हैं, तो उसके पास सी.आर.पी.सी. में और आई.पी.सी. में रास्ता है कि अगर वह थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दे, अगर सम्बन्धित थानेदार कार्यवाही नहीं करता है तो एस.पी. को अपनी ग्रिवेंसेज कह दें । यह तो हमको पता है । आई.पी.सी. में, सी.आर.पी.सी. में यह प्रोविजन है । वह तो मंत्रीजी आपसे पहले जानते है हम ।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्राइम्स हो जाते हैं उनके लिए क्या करना है वह बताएं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह आपके लिए भी उतना ही है, वह मेरे लिए भी उतना ही है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रियों के बंगले में इतने क्राइम हो गए, यह तो साधारण-सा इश्यू है, इसको खामख्वाह इतना बड़ा बना दिया ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं कई देर से खड़ा होकर आपसे अनुमति चाह रहा हूं । मुझे अन्तिम रूप से दो–तीन बिन्दुओं पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है । अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, 25.11 को जो अभियोग दर्ज हुआ, आपने कहा उस अभियोग के अन्दर गवाह मुकर गए । मेरा यह आरोप है कि उस अभियोग में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई । क्या आप उसकी किसी दूसरे अधिकारी से दुबारा जांच कराने की मंशा रखते हैं ? आपको जांच करानी चाहिए । अगर झूठा अभियोग हो तो एफ.आर. लग जाएगी ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि 19.12 को जो पुलिस की एफ.आई.आर., मेरे घर पर पथराव करने वालों को गिरफ्तार किया, उसमें मैंने निवेदन किया, उसमें कुछ राज-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कीय कर्मचारी थे। राजस्थान सर्विस रूल्स में कुछ कण्डक्ट भी हैं क्या आप उन पर विभागीय कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं? दो ही बातें हैं। तीसरा आपने कह दिया अनुसन्धान जारी है। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। इसलिए इन दो बातों को कृपया स्पष्ट कर दें और मैं समझता हूं यह प्रश्न मेरा व्यक्तिगत नहीं था। आज पूरे सदन में चर्चा हो गई और आपने सदन को आश्वस्त किया है कि आप सदन के सदस्यों की सुरक्षा के लिए जो पहले कमेटी बनी थी उसमें दुबारा संशोधन करके कोई उपयुक्त प्रक्रिया करेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : कहां कही यह बात? उन्होंने कही ही नहीं। उन्होंने तो कह दिया एस.पी. से मिल लेना आप। यह बात कही कहां? आप तो अपनी तरफ से कह रहे हैं। उनका वर्जन अन्त में यह रहा कि अगर किसी के साथ मारपीट हो जाए, अगर किसी की सुरक्षा खतरे में हो तो एस.पी. से मिल लेना। इसकी चिठ्ठी लेकर एस.पी. से मिलने की जरूरत पड़ेगी हमको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं सम्माननीय जगमाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, मैंने यह नहीं कहा कि आपके संग मारपीट हुई। यह शब्द तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। यह तो आपने अपने आप को इन कर लिया यहां पर। (व्यवधान) आप तेज आवाज में बोलकर मुझे दबाने की चेष्टा करेंगे.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सरकार है, 155 का बहुमत है, अगर 10–5 की भी होती तो दबा देते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो खैर नहीं दिया ईश्वर ने। अब मैं क्या करूं इसके लिए। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 155 का बहुमत आपने दिया है क्या? जनता ने दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आखिर में यह कहा, क्योंकि एक प्रश्न यहां उठाया गया था कि, आप विधायकों की सुरक्षा का एक प्रश्न आया था कि जनरल सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं जिसमें कि सारे विधायकों की बात थी।

श्री रामनारायण चौधरी : कितनों की शिकायत आई सुरक्षा की?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास अभी तक किसी की शिकायत नहीं आई।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर क्या समस्या हो रही है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास किसी की शिकायत नहीं है। एक बात उठी है उसका उत्तर देना चाहिए। इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, कल को टू सेट दी रिकार्ड राइट, मैंने यह बात कही है, किसी सम्माननीय सदस्य को असुरक्षा की भावना है तो वह लिखित में सूचना एस.पी. को दे। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही था कि सबकी एक राय होकर एक बात आएगी कि सदन के अन्दर आज सरकार क्या करने जा रही है विधायकों की सुरक्षा के बारे में, उस सन्दर्भ में की थी। उसको माननीय सदस्य, जो तिजारा से जीतकर आये हैं, उसको गलत रूप में ले गए। वे मेरे मित्र

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भी हैं, उनकी पुरानी आदत है, वे मुझे हड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हड़कावे में आने वाला नहीं हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न माननीय राठौड़जी ने पूछे 19 तारीख के बारे में। 19.12 के बारे में जो सवाल था लोहिया कालेज का, उसमें कर्मचारियों के बारे में कहा है। इस बारे में क्या नियम है, कर्मचारी अगर कोई इसमें इनवोल्व होते हैं ऐसे केसेज के अन्दर इसके बारे में वहां से रिपोर्ट मंगा ली जायेगी। उसके नियम देख लिये जाएंगे। जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वह की जायेगी, क्यों कि वह अरेस्ट हुए हैं, उनकी जमानत हुई है। 25 तारीख का जो केस है, अब यह कहते हैं कि नहीं, मैं सम्बन्धित एस. पी. से कहूंगा कि वह स्वयं फाइल को मंगाकर देखें कि 161 के बयानों में क्या बयान हुए हैं लोगों के, और उसकी रिपोर्ट आने के पश्चात् अगर मुनासिब समझूंगा, लगा, मैं बिलकुल निष्पक्ष भाव से देखूंगा, कि इसमें कहीं गड़बड़ है, तो कार्यवाही की जायेगी अन्यथा फाइनल रिपोर्ट पुलिस तो देगी ही।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि 25.11.98 को जो विटनेसेज थे उनको 161 में स्टेटमेंट ही रिकार्ड नहीं किये गये। आप ऐसा कीजिये कि जो रिपोर्ट आपके पास आई है, आप रिलेवेंट पत्रावली यहां पर मंगवाकर देख लीजिये और उसका अवलोकन करने के बाद अगर उनके स्टेटमेंट नहीं हुए है, 161 सी.आर.पी.सी. में, तो वह करवा लीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 25.11.98 को यह मिनिस्टर थे और इनका ही स्टाफ लगाया हुआ था तो वह क्यों नहीं रिकार्ड करेगा। यह कोई मतलब ही नहीं है। टोटल इनकी ही मशीनरी लगी हुई थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि एस. एच. ओ. के पास में जो पावर्स हैं वे हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति के पास में भी नहीं हैं। **The moment a cognisable offence is committed, the Cr. P. C. automatically rolls.** वह अधिकार न तो चीफ सेक्रेटरी के पास में है, न चीफ मिनिस्टर के पास में है और न हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के पास में है। इसलिए आपने जो बात कही, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में जिले के अन्दर वह यह अनुभव करते हैं कि वह असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो माननीय मंत्री जी शायद उनका यह अभिप्राय समझकर वहां स्थानीय जगह पर एस.पी. को सूचित करने की बात कही होगी। अगर जयपुर में कोई माननीय सदस्य ऐसा महसूस करते हैं कि वह असुरक्षित है तो मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, उसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्यों को निश्चित तौर पर सुरक्षा प्रदान की जायेगी और मैंने भी उसी दिन इस आसन पर आते ही यह बात कही थी कि माननीय सदस्यों को सुरक्षा मिले। यह दायित्व आसन का भी है और अगर उसके पश्चात् मेरे पास में कोई भी सूचना आएगी तो मैं मेरे दायित्व का निश्चित तौर पर निर्वहन करूंगा और राज्य सरकार को उसके निर्देश दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : लाल बत्ती वाला निर्णय नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय ।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती से सम्बन्धित मामला गृह मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं होकर यातायात मंत्रीजी से सम्बन्धित है। तो माननीय उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हैं, इन्होंने जो यहां बात कही है वह गृह मंत्री की हैसियत से कही है या यातायात मंत्री की हैसियत से ।

श्री रामस्वरूप : यह गृह मंत्री जी से सम्बन्धित मामला हैं, स्पष्ट करा लीजिये ग्राप । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : मैं मंत्री जी से कह रहा हूं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी, जो राजाखेड़ा से ग्राते हैं, से निवेदन किया था, तब उन्होंने स्वयं ने मुझे यह बात कही थी कि यह यातायात मंत्रीजी से सम्बन्धित है । तो मैं उनसे इस सम्बन्ध में बात करके कोई रास्ता निकालूंगा, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। मैं ग्रापसे नहीं कह रहा हूं, मैं ग्रासन के जरिये माननीय सम्बन्धित मत्रीजी से कह रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, न तो यहां संसद सदस्यों की बात थी, न जिला प्रमुखों की बात थी, इस 11वीं विधान सभा के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में बात थी। इस सम्बन्ध में आप ग्रलाउ कर रहे हैं या ग्रागे विचार करके कोई निर्णय लेंगे ? वह क्या है यह संतोषजनक जवाब तो कम से कम दें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिहजी साहब ने इसी सदन में यह ग्रादेश फरमाये थे कि जितनी भी लाल बत्तियां हैं, चाहे वह एम.एल.एज. हों या मंत्री हो या ग्रन्य कोई अधिकारी हो, जिनके लाल बत्तियां लगी हुई हैं वह सारी लाल बत्तियां हटवा दी जायेगी। ग्रौर कुछ समय तक उनको प्रतिबन्धित भी किया गया। पर धीरे-धीरे वही परम्परा फिर चालू हो गयी। ग्राज एम. एल.एज. लगा रहे हैं, ग्राज माननीय सांसद लगा रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाए ग्रौर ऐसे लोग जो नाजायज तरीके से ग्रौर बिना किसी ग्रधिकार के लाल बत्तियां लगाते हैं उन पर शास्ति ग्रारोपित की जाए ताकि यह परम्परा बन्द हो ।

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे स्मरण नहीं होता कि उस वक्त तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी कोई बात इस सदन में कही थी ।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : ये तो ग्रसत्य बोल रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रापका ज्ञान कम होगा । उस समय के माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सदन में विराजे हुए हैं। उन्होंने इसी सदन में फरमाया था कि जिन लोगों ने लाल बत्ती लगा रखी हैं वह लाल बत्तियां हटवायी जाएंगी। माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि शास्ति आरोपित की जाए, उससे मेरी ग्रामदनी बढ़ेगी। शास्ति आरोपित की जायेगी तो मेरी ग्रामदनी बढ़ेगी, मैं इसका समर्थन करता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : इसी वक्तव्य पर चर्चा समाप्त। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद पर विचार प्रारम्भ होगा। श्री जनार्दन गहलोत।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर कल महुआ से आने वाले विधायक हरिसिंहजी ने प्रस्ताव सदन में पेश किया और जहाजपुर से आने वाले विधायक रतनलालजी ताम्बी ने उसका समर्थन किया। मैं आपके सम्मुख इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में कई मुद्दे पिछली सरकार की गलत नीतियों के ऊपर भी अंकित थे और आगे आने वाली सरकार क्या करने जा रही है उसके ऊपर भी अंकित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि पिछले 1998 के संसदीय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस देश में स्थायी शासन और स्थायी सरकार देने की बात कह कर जनता के बीच में गयी थी लेकिन इस देश में जब 18 पार्टियों के सरकार बनी और 18 घोड़ों के ऊपर सवारी आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे हैं। माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि चाहे आज देश में कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे मुद्रास्फीति का मामला हो, चाहे महंगाई बढ़ने का मामला हो, सब को राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में अंकित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो वैशाखियों के सहारे केन्द्र में चल रही है, आज भी इसमें अन्तरकलह, भीतरघात है। कहीं ममता, कहीं समता, कहीं ललिता है। रोज इनकी घुड़कियों के बीच में सरकार चल रही है। वैसी ही सरकार राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री ने राजस्थान में दी। राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंह जी ने भी निर्दलीयों को वैशाखियों के ऊपर यहां पर पांच साल तक सरकार दी और उसका नतीजा यह हुआ कि इस राजस्थान के अन्दर असुरक्षा का वातावरण चला, महंगाई आसमान छूने लगी, किसान को बिजली प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन मुख्य मंत्रीजी को निर्दलीयों से डर लगता था....

(13.48 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

इसलिए उन्हें सबको मंत्री मण्डल में रखना पड़ा। कभी चौखी ढाणी में भंवरलाल जी के कारण एम. एल. एज. को बन्द रखना पड़ा। तो ऐसे जब सरकार चली तो वह कैसे स्थायी सरकार और अच्छा शासन दे सकती थी।

श्री मदन दिलावर : वह आपको दे दिये भंवरलाल जी। आप पकड़ कर रखना अच्छी तरह से।

श्री जनार्दन गहलोत : खतरा तो आप से ही है भंवरलाल जी को, आपको कैसे रखें। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कल मैं देख रहा था, माननीय कटारिया जी इस सदन में पोकरण के अणु बम विस्फोट का जिक्र कर रहे थे और बड़ी वाहवाही लूट रहे थे। जिस दिन पोकरण का बम विस्फोट इस देश में किया गया, पूरे देश में और

(श्री जनार्दन गहलोत)

खास तौर से राजस्थान में आर. एस. एस. के लोग विश्व हिन्दू परिषद के लोग जुलूस निकाल कर इसकी वाहवाही लूटना चाहते थे। यह सद्बुद्धि दी दूसरी पार्टियों ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मजबूर होकर मना करना पड़ा नहीं तो राजस्थान के लोगों की क्या मंशा थी, इस बात को समझने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह पिछली सरकार अणु बम विस्फोट करके इस देश को क्या देना चाहती थी ?

डा. जसवंत सिंह यादव : आत्मसम्मान।

श्री जनार्दन गहलोत : आत्मसम्मान तो उस समय मालूम पड़ गया, सभापति महोदय, जब यू. एन. ओ. (व्यवधान) जब प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यू. एन. ओ. को पत्र लिखा तीन दिन बाद। यह खबर शायद जसवंत सिंहजी को पता नहीं है।....और यू. एन. ओ. में पत्र लिखा, जिसकी अगर आपको जानकारी नहीं हो तो वह न्यूयार्क के टाइम्स में छपा है तीन दिन बाद। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यू. एन. ओ. में बोलने गये तो उस पत्र का जिक्र नहीं किया। और उस पत्र में यह लिखा था कि हमको खतरा है चीन से इसलिए हमको अणु बम विस्फोट करना पड़ा। यह वाजपेयी जी की चिट्ठी है जो वहां न्यूयार्क टाइम्स में छपी है। जरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अगर ज्ञान नहीं हो तो वह पढ़ लें इस बात को, लेकिन जब वाजपेयी जी वहां गये उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। इस बात का जिक्र नहीं किया वहां पर, सभापति महोदय, क्या नतीजा निकला ? विदेशी सहायता बन्द हो गई। यह विस्फोट, यह साझा सरकार, यह कोइलेशन की सरकार....

श्री मदन दिलावर : आप यह कहना चाहते हैं कि विदेशी सहायता के लिए देश को गिरवी रख दें।

श्री जनार्दन गहलोत : उसकी साझा सरकार के एजेण्डे में यह मुद्दा नहीं था। दिलावर जी, आप यह समझ लीजिये। आप अभी जरा ज्ञान प्राप्त कर लीजिये। यह साझा सरकार के एजेण्डे में मुद्दा नहीं था अणु बम विस्फोट। यह एजेन्डा था आर. एस. एस. का। आर. एस. एस. के एजेण्डे में था यह अणु बम विस्फोट न कि साझा सरकार के ...

श्री मदन दिलावर : यह गौरव की बात है, आर. एस. एस. के एजेण्डे में था तब भी गौरव की बात है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप यह कह दें कि भारत के लिए बम विस्फोट करना या यह जो शक्तिशाली देश बनना, यह उचित है या नहीं है, कम से कम यह कृपा करके आप कह दो।

श्री मदन दिलावर : देश ताकतवर होता है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने शिक्षा जगत को रसातल में पहुंचा दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठिये, हरिसिंह जी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह शिक्षा के लिए तुगलकी फरमान जारी कर दिया है; आप तो बैठिये।

श्री जनार्दन गहलोत : आपको क्या तकलीफ हो गई (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा, आप भी बोल जाइये लेकिन व्यवधान मत कीजिये कृपया (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : व्यवधान तो ये डाल रहे हैं, ये संघीकरण कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, जब माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया कल बोल रहे थे, मैंने इस सदन में उनको सुना और मुझे उन्हीं के बोलने के बाद यह उपजा कि मैं इस पर बोलू नहीं तो मैं बोलने की इच्छा नहीं रखता था। माननीय सभापति महोदय, तकलीफ इस बात की नहीं है। लेकिन क्या आवश्यकता थी इस बात की, जब यह 1990 में अणु बम तैयार हो गया था, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इसका गठन या निर्माण नहीं हुआ है, कई सरकारें इस देश में आई हैं, कई सरकारें यहां पर आई, वे भी यह कर सकती थी लेकिन हमें इस बात की चिन्ता है, वाजपेयी जी को इस बात की चिन्ता थी कि....(व्यवधान) वाजपेयी जी को चिन्ता थी कहीं पर समता की, कहीं पर ममता की, कहीं पर जयललिता की। और इस देश के अन्दर जिस प्रकार मुद्रा–स्फीति बढ़ रही थी....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके होंगे प्रधान मंत्री डरपोक। आपको जो सदन में बोलना है वह सत्यता से बोलिये। ये माननीय सदस्य कहते हैं कि वह प्रधान मंत्री डरपोक हो गये, आपके होंगे कायर, डरपोक, ये प्रधान मंत्री जी के लिए नहीं कह सकते।

श्री सभापति : कृपया बैठिये **बैठिये**।

श्री जनार्दन गहलोत : महंगाई बढ़ी, कीमतें बढ़ी, जिन बैसाखियों के सहारे पर यह सरकार चल रही थीं, उन्होंने जिस प्रकार घुड़कियां चालू कीं, उसी की चिन्ता थी कि कहीं मेरी सरकार चली नहीं जाए। इसलिए अणु बम विस्फोट किया गया। अगर आवश्यकता होती देश के सम्मान के लिए, तो गौरव की बात है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस प्रकार का निर्माण किया, यह एक दिन का प्रोसेस नहीं है, यह बहुत दिनों से, पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से, इन्दिरा गांधी के जमाने से, उसके बाद भी दूसरी सरकारें आईं, 1990 के पहले बन चुका था, उसके बाद भी सरकारें रही हैं। वे भी कर सकती थीं लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमें इस बात की चिन्ता है सभापति महोदय....

डा. जसवंत सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, अणुबम विस्फोट करने के लिए इतना सीक्रेट होता है कि उसमें स्वयं प्रधान मंत्री जी को अपने विवेक से निर्णय लेना होता है, उसकी किसी केबिनेट में चर्चा नहीं होती है।

श्री सभापति : यादव साहब, डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : वह ज्ञान

(श्री जनार्दन गहलोत)

केवल मात्र वाजपेयी जी ने आपको दिया, पहले मदेरणा जी दे रहे थे, अच्छी बात है। आप पहले मदेरणा जी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, हमारे अध्यक्ष महोदय से आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह अणु और परमाणु में रात दिन का अन्तर है। पहले आप सीखिये कि क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, हमें चिन्ता इस बात की है, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर हमको इस हालात में धकेल दिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जहां कांग्रेस सरकार की जो विदेश नीति थी जिसके कारण से शांति और सहयोग था, इस घटना के बाद सही मायने में दक्षिणी-पूर्वी एशिया में एक तरह से आर्थिक भूचाल आ गया। आज हालत यह हो गई उनकी कि आर्थिक सहायता बन्द हो गई। चारों तरफ खतरा पैदा हो गया। जो गांधी जी के जमाने में, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने में एक इज्जत हुआ करती थी, विदेशों के अन्दर सम्मान हुआ करता था इस देश का, आज हालात यह है कि, पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद, इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी ने सही मायने में इस सम्मान को कायम रखा जहां हिन्दुस्तान की साख बढ़ी। लेकिन मुझे दुःख तब होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में बैठे हों न्यूयार्क में, एक तरफ उनको समय दिया गया बिल गेट, आपको मालूम होना चाहिए, जो सही मायने में बिल गेट कंजूमर का एक किंग है वर्ल्ड का, जिसका समय निर्धारित था प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अटल बिहारी जी वाजपेयी होटल के कमरे में बैठे रहे लेकिन बिल गेट उनसे मिलने नहीं आया। यह हालत हो गई हमारे प्रधान मंत्री की। और उसी समय, उसी टाइम आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री नायडू के साथ, उनके साथ गपशप मार रहे थे। मतलब आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री नायडू साहब तो उनसे चर्चा कर रहे हैं और प्रधान मंत्री कमरे में इंतजार कर रहे हैं, बिल गेट उनसे मिलने नहीं आया। यह सम्मान हमारा विदेशों के अन्दर वर्तमान प्रधान मंत्री ने पैदा किया है इसलिए सभापति महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि....

श्री मदन दिलावर : अच्छा है आप इतना ही बोल रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं इसलिए बोल रहा हूं, आ रहा हूं आप पर भी। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण, मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, क्या उदारीकरण की नीति है, क्या स्वदेशी की नीति है। हमें तब देखने को मिलता है कि एक तरफ उदारीकरण की नीति के मसीहा हो रहे हैं वाजपेयी जी और स्वदेशी मंच के मसीहा हो रहे हैं आडवाणी जी। ये दो-दो बातें कैसे चल रही हैं, दो-दो बातें चली हैं। एक ही मुखौटे में दो-दो बातें चल रही हैं। कहीं चल रही हैं उदारीकरण की बात और कहीं चल रही हैं स्वदेशी की बात....

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य यह भूल गये हैं कि वे लोक सभा में बोल रहे हैं या अभिभाषण पर बोल रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं राजस्थान पर ही आ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, व्यवधान पैदा नहीं करें, सुनिये थोड़ा।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय मदन दिलावर साहब, एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार के हालात इस सरकार....

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय से कहिये।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि, मैं इसलिए यह बात उठाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राज जब बना, पूरे देश के अन्दर जो इस प्रकार के हालात बने, मुद्रा स्फीति और जिस प्रकार से मूल्यों के भाव बढ़े, उसका नतीजा है कि भुखमरी बढ़ी, हालात बिगड़ गये,। और मैं सोचता हूं कि वह हालात हो गये, जिस प्रकार रोम का राजा, जिस प्रकार रोम में भुखमरी बढ़ी हुई थी, अकाल था, खाने को अन्न उपलब्ध नहीं था तो वहां का राजा नीरो बंशी बजा रहा था। रोम का राजा उस समय बंशी बजा रहा था। उसको चिन्ता ही नहीं थी कि वहां क्या हो रहा है। इसी प्रकार राजस्थान के उप मुख्य मंत्री जी और पूर्व सरकार के वित्त मंत्री जी रोज सवेरे बांसुरी बजाया करते थे आधा घंटा। नहीं मालूम हो तो जयदेव प्रसादजी इंदोरिया से पूछ लो। उनको चिन्ता नहीं थी। वित्त मंत्री जी को कतई चिन्ता नहीं थीं कि क्या हो रहा है राजस्थान के अन्दर। कहां भाव बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन मगन थे क्योंकि जैसे नीरो, रोम का राजा जब बंशी बजाता था वैसे हमारे भाभड़ा जी बंशी बजाते थे, तो जो हालात....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : खाली बंशी नहीं बजाई, पूरे रोम को जला दिया, आप किसको जलाने जा रहे हो (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश के अन्दर अपना मुखौटा सामने लेकर आई, मैं इन्हीं के नेता से पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी के पीछे कौन-कौन से मुखौटे ओढ़े हुए हैं, कौन-कौनसे मुखौटे हैं जिनके द्वारा यह जनता को गुमराह करती है। इनका एक मुखौटा नहीं है। इस संघ परिवार के भाजपा का एक अलग मुखौटा, अखिल भारतीय किसान सभा दूसरा, अखिल भारतीय मजदूर संघ तीसरा, आदिवासी कल्याण केन्द्र चौथा, फिशरमैन को-आपरेटिव सोसायटी पांचवां, विवेकानन्द मेडिकल मिशन छठा, अध्यापक परिषद सातवां, विवेकानन्द केन्द्र आठवां, भारतीय विकास परिषद नवां, दीनदयाल शोध संस्थान दसवां, राष्ट्रीय सेविका समिति ग्यारहवां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बारहवां और जनता युवा मोर्चा तेरहवां, शिक्षा भारती चौदहवां और 15वां विश्व हिन्दू परिषद, सोलहवां बजरंग दल और सत्रहवां स्वदेशी जागरण

(श्री जनार्दन गहलोत)

मंच। किन–किन मुखौटों से आप लोग चला रहे हैं इस देश को ...

श्री किरोड़ीलाल : अभी 400 बाकी हैं, उनको तो गिनाओ।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, आपके मुखौटे अलग–अलग जगह हैं जो अलग–अलग जगह पर अलग-अलग दिशाओं में लोगों को गुमराह करके इस देश का वातावरण बिगाड़ने में लगे रहे। आपको इन मुखौटों के माध्यम से सरकार मिल गई, आठ साल के अन्दर आपका शासन देख लिया जनता ने और ऐसा निकाल फेंका इन अलग–अलग मुखौटों को, कांग्रेस का एक मुखौटा है इसलिए कहीं पर जाती है तो फिर आती है। आज हालत यह है, जहां पर कांग्रेस का एक मुखौटा है, एक नेता है। पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू एक नेता थे हमारे एक ही नेता रहता था। उसके बाद इन्दिरा गांधी नेता रही तो हमारी एक नेता रही....

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं .

श्री सभापति : दिलावर जी, कृपया व्यवधान मत कीजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : उसके पीछे देश चला, कांग्रेस पार्टी चली। राजीव गांधी नेता बने तो उसके पीछे एक तरफा एक नेतृत्व चला, आज सोनिया गांधी अगर नेता है.... तो वही एक मात्र नेता है। हमारे यहां यह नहीं है कि वाजपेयी जी अलग नेता, आड़वाणी जी बीच में काट रहे हैं, आर. एस. एस. वाले काट रहे हैं, कभी बजरंग दल वाले काट रहे हैं। वाजपेयी जी पर बड़ी हमको दया आती है....

(14.00 बजे)

श्री गुलाब सिंह (सहकारिता मंत्री) : शिव सेना वाले भी काट रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : शिव सेना तो लगी हुई है, दूसरे ढंग से लगी हुई है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटों की बात कर रहा हूं, माननीय गुलाब सिंह जी। मुखौटा शिव सेना का अलग तो दिख रहा है, वह ठाकरे टांग खींच रहा है वह अलग बात है। ऐसे तो अकाली दल भी लगा हुआ है। आज उधम सिंह नगर का मामला अगर बार–बार खड़ा हो रहा है तो केवल मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश सिंह बादल का अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साझे में है और वह इसकी कोशिश कर रहा है कि उधम सिंह नगर नहीं आये। क्यों नहीं आये ? प्रकाश सिंह बादल की वहां जमीनें हैं, बड़ी–बड़ी जमीनें वहां हैं। पंजाब के कई लोग, बड़े–बड़े भूमिधारी वहां बैठे हैं इसलिए वह भी इस मामले में आ गया....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय ... (व्यवधान) बोलेंगे तो हमारा ज्ञानवर्द्धन होगा। हमारा ज्ञानार्जन होगा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि माननीय सदस्य किस पर बोल रहे हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है..(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय दिलावरजी, वक्ता को किसी प्रकार का डाइरेक्शन नहीं दिया जा सकता। जो कुछ भी भाव वह प्रकट करता है, कृपया उसको सुनिये।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं-नहीं, आज इनको पूरा ज्ञान देना पड़ेगा....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह विषय से हटकर नहीं बोलें, इसका ध्यान रखना होगा।

श्री सभापति : हां, विषय से नहीं हट रहे हैं। विषय से सम्बन्धित है मामला। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, बीच में खड़े हो रहे हैं और बार–बार हमारे माननीय सदस्य को टोक रहे हैं। कभी सोनियाजी की बात करते हैं इस बारे में, सोनियाजी के बारे में। आप बोलने दीजिये। बार–बार टोक रहे हैं, गलत है, साहब यह आपका।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : पिछली सरकार में, सभापति महोदय, यह जो हालात हैं, आप इतने कम संख्या में बैठे हैं, उसी के नतीजों का कारण है। पिछली सरकार ने आठ साल के अन्दर क्या–क्या कांड नहीं दिये हैं यहां पर। राजस्थान के अन्दर जैसे प्रशासन नाममात्र का नहीं था। पुलिस प्रशासन जैसे पंगु बन गया था, उसके हालात यह हैं कि इस प्रकार के काण्ड यहां हुए। भंवरी देवी जैसा काण्ड, भंवरी देवी काण्ड आपसे छुपा हुआ नहीं, जे.सी. बोस छात्रावास काण्ड आपसे छुपा नहीं, सभापति महोदय, जयसिंहपुरा में सामूहिक बलात्कार काण्ड कोई छुपा हुआ नहीं है, शांति तंवर का शोषण काण्ड, महिलाओं को जिस प्रकार निर्वस्त्र करके घुमाने की घटनाएं राजस्थान में घटीं, रामेश्वर जाटव की नाक में नकेल डालकर घुमाया गया, जुगताराम प्रकरण, ये सारे काण्ड कोई आपसे छुपे हुए नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : थोड़ा तन्दूर कांड का भी जिक्र कर लें।

श्री जनार्दन गहलोत : कोई छुपा हुआ नहीं है। और आपको चिन्ता इसलिए है, आपको तो खुश होना चाहिए, अगर नीलू राणा कांड नहीं होता तो ललित किशोर जी को यह दिन नहीं देखना पड़ता। नीलू राणा प्रकरण, कोटा का नीलू राणा मर्डर शायद अगर नहीं होता तो मुझे लगता है, कैसे जनता से आप बच कर आ गये, सफाया तो आपका भी होने वाला था। लगता है कोई न कोई चक्कर में आपने काम चला लिया, नहीं तो ललित किशोरजी का जो हुआ, कृष्णकुमार जी का हुआ....

श्री मदन दिलावर : आपसे बढ़िया आदमी हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : लगता है, कोई न कोई जुगाड़ कर लिया आपने भी।

श्री मोहनलाल मोदी : यह दिलावर साहब यह चाहते हैं ...

श्री जनार्दन गहलोत : जो कांड आपने किये हैं इस राजस्थान में, सभापति महो-

(श्री जनार्दन गहलोत)

दय, कोई शिवानी जडेजा कांड छुपा हुआ नहीं है, शालिनी शर्मा कांड, कितने कांडों की बात हम करें। निशांत मारद्वाज की घटना जब विश्वविद्यालय में घटी, आत्मदाह करना पड़ा, कटारियाजी तो शिक्षा मंत्री रहे हैं। यह उपलब्धियों का बड़ा जिक्र कर रहे थे कल, मैंने बड़े रिजल्ट निकाले, मैंने टाइम पर यह किया। मैं, समापति महोदय, यह पूछना चाहता हूं, क्या यह निशांत मारद्वाज की आत्महत्या का ही इन्तजार कर रहे थे ? पन्द्रह दिन बाद ही राजस्थान विश्वविद्यालय ने सारे नतीजे निकाल दिये। जो मांग करते-करते आत्मदाह के ऊपर पहुंच गया और उसके पन्द्रह दिन बाद नतीजे, रिजल्ट सारे आ गये विद्यार्थियों के। क्या निशांत मारद्वाज के, आत्मदाह का इन्तजार कर रही थी आपकी सरकार ? समापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस राज के अन्दर, मारतीय जनता पार्टी का पार्षद खींची, जब उसने 27 जून, 1998 को आत्मदाह की घटना की बात कही, तब मी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और उसको आत्मदाह करना पड़ा। इन्हीं की पार्टी के, भाजपा के लोगों को मी इसके लिए आत्मदाह करना पड़े, इससे ज्यादा बुरी बात हो नहीं सकती, समापति महोदय। इसलिए ...

श्री मदन दिलावर : इन्होंने बाल रश्मि सोसायटी कांड की चर्चा नहीं की है, थोड़ा सा उसकी मी जानकारी दे दें तो कृपा होगी।

श्री परसादीलाल मीणा : अमी धारीवाल साहब को बुला रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : समापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था, पिछली सरकार में जिस प्रकार के हालात राजस्थान में हुए उसका नतीजा आपके सामने है। आज जिस प्रकार चोरी, डकैती, हत्याएं, पुलिस की हिरासत की मौतें, महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं जितनी बढ़ीं और उसका नतीजा था, आप रेकार्ड उठाकर देखें, समापति महोदय, 1990 में केवल मात्र पूरे साल के अन्दर 740 केस दर्ज हुए थे लेकिन 1996 के अन्दर वही 1036 पहुंच गये। 1997 में 1162 पहुंच गये, मई, 98 तक 1255 पहुंच गये। क्या इसी में कीर्तिमान हासिल करती रही आपकी सरकार, पिछली सरकार ? बलात्कार के केसों की बढ़ोतरी होती गयी।

समापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार साम्प्रदायिक दंगे इस राजस्थान में हुए, मैंने ऐसी सरकारें नहीं देखीं, समापति महोदय, जो मंत्रिमण्डल में बैठे हों और सरकार के मंत्री और विधायक खुद ही आन्दोलन कर रहे हों, बाजार बन्द कर रहे हों। भंवरलाल जी शर्मा मंत्री होकर मी बाजार में दुकानें बन्द कर रहे हैं, साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं और उसमें हिस्सेदार बने+++और यह। यहां के विधायक साम्प्रदायिक दंगों के अन्दर मी मंत्री का कर्तव्य न निमाकर अपने....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह बिलकुल असत्य है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : लम्बा स्टेट-मेंट दो।

श्री जनार्दन गहलोत : लोगों ने आंखों देखी है। भंवरलाल जी, मैं आपके साथ 1970 से रहा हूं, मैं भी आपको जानता हूं, आप भी मुझे जानते हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं भी आपको अच्छी तरह जानता हूं और आप बोल रहे हैं वह भी जानता हूं।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं भी आपको जानता हूं और आपकी कथनी में और करनी में क्या है

श्री हरिसिंह (महुवा) : उस दिन आपने काला सूट पहन रखा था और काले चश्मे लगा रखे थे और चांदपोल में आप दुकानें बन्द करवा रहे थे। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : यह तो सौभाग्य है सभापति महोदय, इस बात की तो हमें खुशी है कि हमारे बीच में भंवरलाल जी मौजूद हैं। हमें तो इस बात की चिन्ता थी उस दिन, एक इंच के फर्क के अन्दर, जो डी.आई.जी. गिल ने फायरिंग कराई वह इनके कान के बगल में से एक इंच का ही फर्क रहा, नहीं तो यह शिकार हो जाते उसके। भगवान का शुक्र है उन दंगों में यह बच गये। इसके लिए हम तो ऊपर वाले को धन्यवाद देते है कि कम से कम भंवर-लाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरे से भंवरलाल जी इसमें और ज्यादा लम्बी बात करेंगे तो .

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके मित्र हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : हां, बहुत पुराने मित्र हैं। मैं इसी प्रकार, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं, मेरे ही अपने विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच साल के अन्दर डकैतों को संरक्षण देने वाले बी.जे.पी. के हिमायती लोग, जिनको राज्य का संरक्षण प्राप्त होता रहा, छह-छह गैंग्स उस एरिया में चल रही हैं, लोगों को हथियार पहुंचाये जा रहे है, उनको रोटी पहुंचाई जा रही है। सरकारी गाड़ियां, लाल बत्ती की गाड़ियों का जिक्र हो रहा था। प्रद्युम्न सिंहजी से अभी सदन के अन्दर, सारी विधायक महोदय की बीस-बीस गाड़ियां, ऊपर लाल बत्ती और वह इन डकैतों को संरक्षण देने में सारा सहयोग दे रहे हैं और राजस्थान सरकार मौन बैठी रही।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभा-पति महोदय, इन्होंने विधायक का नाम लिया है।

श्री सभापति : नहीं लिया है। किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री जनार्दन गहलोत : ना, आपका नाम नहीं लिया।

श्री मदन दिलावर : कहा है विधायक की गाड़ियों पर, थोड़ा स्पष्ट करें कौन-सी गाड़ियां, किसकी गाड़ियां डकैतों को हथि-यार पहुंचाने के लिए जाती थीं ?

श्री जनार्दन गहलोत : मैंने मेरे करौली का जिक्र किया है, माननीय सदस्य, आप करौली के विधायक नहीं हैं।

श्री सभापति : जनरल बात कही है (व्यवधान)....जरूरी नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : और मैं उसका प्रूफ दे सकता हूं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से प्रूफ ले सकते हैं आप।

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : करौली के विधायक तो आप हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : पूर्व विधायक की बात कर रहा हूं, माननीय किरोड़ीलाल जी। आपका और मेरा तो दर्द एक ही है। चिन्ता मत करो। आपका जो दुख है वही मुझे दुख है, आपको जो तकलीफ है वही मेरी है। आपकी और मेरी तो अलग-अलग है ही नहीं।

डा. किरोड़ीलाल : एक डकैत ने अब तक एक दर्जन आदमी मार दिये अभी . (व्यवधान) कार्रवाई तो कराओ अब तो प्रचण्ड बहुमत से आ गये। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सदस्य जो बामनवास से आ रहे हैं, इनके ऊपर भी उन डकैतों ने हमले करने की कोशिश की थी और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनकी साजिश आप पर भी पूरी थी, किरोड़ीलालजी, अन्दर से तो हां भरो।

डा. किरोड़ीलाल : हमने तो डकैतो के खिलाफ पदयात्रा की थी और मरवाया था। पता नहीं कहां-कहां घूमे थे पदयात्री।

श्री जनार्दन गहलोत : अब ऐसा है, अपने-अपने हिसाब से सब ने ही की है। इसकी अपन कभी बैठेंगे जब चर्चा करेंगे, अभी तो राज्यपाल के अभिभाषण की बात चल रही है।

श्री परसादी लाल : दोनों मिलकर यात्रा करो, आगे कौन निकलता है।

श्री जनार्दन गहलोत : हां, दोनों मिलकर ही करेंगे, इस काम के लिए तो तैयार हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा था, यह क्यों हुई? राजस्थान सरकार के मंत्रियों का हस्तक्षेप, राजस्थान पुलिस को पंगु बना दिया और मुझे तो याद है, मैं इस सदन में नहीं था, लेकिन अगर विधान सभा की, प्रोसीडिंग्स निकाल कर देखी जाये तो कटारिया जी ने इसी सदन में, भीनमाल के जैन मुनि की जब हत्या हुई थी तो कटारियाजी ने कहा–यह शासन है या कुशासन है। यह कटारिया जी के शब्द हैं। मैं सोचता हूं, आवश्यकता पड़े तो सदन में वह मंगाकर देखी जा सकती है। मुझे तकलीफ है कि कटारिया जी को यह कहना पड़ा। कटारिया जी को कहना पड़ा पिछले राज के लिए कि यह शासन नहीं कुशासन है। यह बात भीनमाल में जैन मुनि साधु की हत्या के ऊपर कटारिया जी ने कही। आखिर जनप्रतिनिधि हैं सही बात कभी न कभी तो बोलनी ही पड़ती है।

श्री जगमाल सिंह यादव : चन्दनमल जी बैंद भी रोने लग गये थे। हां बिलकुल, सदन में रोये हैं, आंसू आये है। तो वह तो दोनों तरफ से एक जैसा ही मामला है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं सरकार में तो नहीं था उस समय। चन्दनमल जी तो आज भी जमीन पर बैठ गये थे।

श्री जगमाल सिंह यादव : रोये या नहीं रोये यह प्रोसीडिंग में तो नोट होता नहीं है। या होता है प्रोसीडिंग में नोट?

श्री चन्दनमल बैद : उस सरकार के कारनामों पर रोया मैं, और क्या करता ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । कृपया शांत रहिये ।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, पिछली सरकार तो वह थी जिसने चन्दनमल जी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो अपनी पानी की समस्या को लेकर जब स्टेच्यु सर्किल पर प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठियां चलाकर इनको रोका। उस समय वाटर वर्क्स के मंत्री भंवर लाल जी थे उन्हें चिन्ता नहीं थी। आज वैसा आंदोलन फिर करें, मैं चन्दनमल जी से कहना चाहूंगा कि आज वे सरकार में हैं उन पर लाठी मत चलाना, वे जन-प्रतिनिधि हैं। इनकी सरकार ने तो लाठियां चलाने की कोशिश की।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सही मानते हो, क्या है आपकी राय भीनमाल कांड में ?

श्री जनार्दन गहलोत : अब यह तो अलग से प्रश्न है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं मैं तो गिरफ्तार हुआ था गहलोत साहब । माननीय करौली से आने वाले....

श्री सभापति : माननीय जगमाल सिंह जी, यह सवाल-जवाब का टाइम नहीं है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट। इन्होंने रिलेवेन्ट क्वेश्चन....

श्री सभापति : He has referred the matter. No. It is not a time of question and answer.

श्री जगमाल सिंह यादव : इन्होंने यह प्रसंग इस सन्दर्भ में छेड़ा है । बी. जे. पी. का भीनमाल प्रकरण पर यह रोल था । आपकी क्या राय थी, भीनमाल कांड पर ?

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिये ।

He is not bound to reply you ... (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : श्री जगमाल सिंह जी, आपका समय आये तब बोलना । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : स्पष्ट राय थी तो हमारी थी । आर.जे.डी. की स्पष्ट थी । हमने कहा था कि वहां किसी नारी का अपमान हुआ हैं ।

श्री सभापति : आपकी बारी आ रही है, जगमाल सिंहजी, तब बोलिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव: आप भी वही खेल खेल रहे थे । ये भी वही खेल खेल रहे थे । दोनों की नूरानी कुश्ती थी आपकी और बी.जे.पी. की ।

श्री जनार्दन गहलोत : अभी तो एक महीना हुआ है, खेल देखा ही नहीं आपने ।

श्री सभापति : कृपया बैठिये ।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की हालत इस राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की थी उसी प्रकार की हालत इस राजस्थान के अन्दर आर्थिक दृष्टि से किसी ने पैदा की तो वह कौन पार्टी थी ? 1989–90 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब राज्य की देनदारियां

(श्री जनार्दन गहलोत)

केवल मात्र 6,026 करोड़ रुपये थी वही आज क्या हालत हुई है ? यह, पिछले 8 साल की सरकार को राज्यपाल ने अगर कुशासन वाली सरकार कहा है तो कोई गलत बात नहीं कही है। क्योंकि आज जब कांग्रेस को सत्ता वापस सौंपनी पड़ी, जब उन्होंने सत्ता सम्भाली है तो 23,361 करोड़ रुपये की देनदारी है। जब राजस्थान में श्री अशोक गहलोत ने मुख्य मंत्री का पद संभाला चन्दनमल जी वैद ने वित्त मंत्री का पद सम्भाला तब आज 23,361 करोड़ रुपये की देनदारी पिछली सरकार छोड़ कर गयी है, आपकी सरकार ने तो सोचा कि आना तो है नहीं अब, अब जा रहे हैं, जनता का रुख दिख गया। आपने तो ऐसा बांटा, चाहे वह रोडवेज का मामला हो चाहे और कोई, आप तो यहां तक कर गये कि आगे तक के फैसले कर गये। स्कूलें तक आगे की खोल गये, सड़कें भी आगे की खोल गये। जैसे कि आपको तो वापस आना नहीं है, इसलिए कर दो। लोगों से वोट लेने के लिए आदेश करते गये और देनदारियां बढ़ाते गये। हालात यह सारी पैदा हो गई।

माननीय सभापति महोदय, यह राशि जो आज है उस पर राजस्थान को 2,210 करोड़ रुपये ब्याज प्रतिवर्ष चुकाना पड़ता है और यह राशि राज्य के राजस्व में केवल मात्र 50% है। जो ब्याज चुकाना पड़ता है उससे आधा राजस्व आज आपके पास है। यह हालत किसने बनाई ? यह आपकी पिछली सरकार ने बनाई। उसका नतीजा है कि आज राज्य का वित्तीय घाटा करीब 38 हजार करोड़ रुपये सालाना का हो गया है। विरोध पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात का अब जवाब नहीं दे रहे हैं। और मामलों में तो चिन्ता व्यक्त कर रहे थे लेकिन जो फैक्ट्स आंकड़ों के आधार पर इनसे पूछना चाहता हूं, यह आपकी सरकार की देनदारी जो आज वर्तमान वित्त मंत्री जी को झेलनी पड़ रही है, वर्तमान मुख्य मंत्रीजी को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इसका औसत निकाला नहीं होगा इन्होंने। आज राजस्थान में प्रति व्यक्ति के आधार पर पांच हजार रुपये की देनदारी है। राजस्थान की जनता में से प्रति व्यक्ति पांच हजार रुपये की देनदारी है। आज राजस्थान को गिरवी रख दिया इन्होंने। पिछली सरकार ने गिरवी रख दिया। देनदारियां बढ़ा दी। यह हालत पिछली सरकार ने पैदा की। माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार की हालत तो, आप तो थे नहीं उस समय....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज आप कह रहे हैं पांच हजार, कल छः हजार कहा था।

श्री जनार्दन गहलोत : किसी इकानामिस्ट से आप रिकार्ड पूछ लें। आप जरा नॉलेज बढ़ा लीजिये। किसी इकानामिस्ट से आप जरा जानकारी ले लें और आप जब जवाब दें और आपका जब मौका आये, तब आप इसका खण्डन कीजिये, मैं मानूंगा कि आप सही बोल रहे हैं। आपको ज्ञान है नहीं। अभी, आप ज्ञान प्राप्त करिये, भैरोंसिंह जी से ज्ञान लीजिये। अभी आपको पूरा ज्ञान दिया नहीं लगता है। यह सारा भंवरलाल जी को दे दिया। कटारिया जी को दे दिया, थोड़ा राजेन्द्र सिंह जी को मिल गया लेकिन आपको नहीं मिला, इसलिए आप जरा प्राप्त कर लें।

(श्री जनार्दन गहलोत)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं चुकी। आज मेडिकल बिलों तक का भुगतान नहीं कर पायी पिछली सरकार। और तो और ठेकेदारों से जो काम कराया उनके बिलों का भुगतान भी नहीं हुआ। इस प्रकार की हालत में यह राज सौंपा है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के वित्त मंत्री चन्दनमल जी बैद जैसे व्यक्ति के हाथ में आज यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको निखारना वाकई बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। और मैं सोचता हूं कि यह काम, इनके अलावा राजस्थान को वित्तीय संकट से उठाने का और कोई व्यक्ति लायक भी नहीं था। मैं सोचता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने सही व्यक्ति को सही काम दिया है। राजस्थान की हालत वित्त मंत्रीजी की वजह से सुधरेगी ताकि हम राजस्थान का आर्थिक विकास....

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति जी, कैबिनेट के मंत्री महोदय पधारे हैं, उनका हाथ कैसे टूटा हुआ है? कुछ जानकारी तो मिले कि क्या चक्कर पड़ गया?

श्री रामस्वरूप : यह कोई सदन का मामला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान)... गांधीवादी सरकार है, सभापति जी, अहिंसा की पुजारी है....(व्यवधान)....सभापति महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री सभापति : ऐसा है हाथ टूटने का और पट्टी बांधने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। जरूरी नहीं है कि इसका कोई न कोई आपको यहां पर....

श्री रामस्वरूप मीणा : उनके हाथ टूटने से आपको क्या तकलीफ हो गयी? आपकी तो सरकार टूट गई।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, इन पर, मीणा भाई जी पर किसी ने हमला नहीं किया है, आप चिन्ता मत करिये। ये तो फिसल गये हैं। किरोड़ी लालजी, आपने तो बड़े-बड़े हाथ-पैर बांधे हैं और बड़ी-बड़ी पट्टियां बांधनी पड़ी है। इसलिए ये तो फिसले हैं, झगड़े में नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य वयोवृद्ध है, सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं और इनकी हालत को देख कर हमें भी दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सभापति महोदय, हम तो इनकी कुशलक्षेम पूछना चाहते हैं। क्या राज है? कैसे लगी?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, इन पर तो कहीं किसी ने हमला नहीं कर दिया?

श्री सभापति : कृपया आसन को सहयोग दीजिये। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्लीज।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान)...हमले तो आपके राज में होते थे।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने औद्योगीकरण की प्रक्रिया को....

डा. किरोड़ी लाल : महत्वपूर्ण बात नहीं है क्या ? हमने तो अखबार में भी नहीं पढ़ा। यह चोट नहीं, यह सरकार पर चोट है, सभापति महोदय।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को बड़ी चिन्ता हो रही है। आप चिन्ता मत करें। आप कतई चिन्ता मत करें, वे बिलकुल सुरक्षित हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ।

डा. किरोड़ीलाल : या कोई गुप्त चोट है तो मत बताएं। व्यवस्था तो दें।

श्री आर. पी. शर्मा : रामस्वरूप जी का पैर टूटा था तब नहीं पूछा आपने। तब स्वास्थ्य की नहीं पूछी। रामस्वरूप जी, बोलें।

श्री रामस्वरूप : मेरे पैर को तोड़ दिया था जब मैं बिजली की मांग कर रहा था। उस वक्त तो आपको दुःख नहीं हुआ और आज मंत्रीजी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बातें करते हो आप....(व्यवधान) ..

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप जी, प्लीज सिट डाउन। रामस्वरूप जी, आसन को सहयोग कीजिये।....(व्यवधान) ..

श्री रामस्वरूप : आप बिजली मांगो तो टांग तोड़ते हो और तभी आपका सफाया हो गया।

श्री सभापति : किरोड़ी लालजी, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जैसे वे कह रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : माननीय डाक्टर साहब, आप इस बात को सोचों गम्भीरता से। आज आपको दुःख हो रहा है इस बात का।

श्री सभापति : रामस्वरूप जी, प्लीज सहयोग कीजिये। किरोड़ी लालजी, प्लीज।

डा. किरोड़ीलाल : माननीय सभापति जी, रामस्वरूप जी तो अर्द्ध-शतक पूरा करने आ रहे थे तो टेबल से टकरा गये इसलिए पैर टूटा था।

श्री रामस्वरूप : आप तो अपने मुख्य मंत्रीजी की आज भी बजा रहे हो। आपका सफाया हो गया तब भी। आपकी सबकी जमानत जब्त हो गयी तब भी।

श्री सभापति : रामस्वरूप जी, प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापतिजी, पिछली सरकार में बड़े औद्योगीकरण की बात की गई। बड़े औद्योगीकरण की चर्चा होती रही और नतीजा क्या हुआ? जब हमारी सरकार थी उस समय 6 हजार रूग्ण इकाइयां थीं लेकिन वह 8 साल में बढ़ कर 13 हजार हो गई। जे. के. सिंथेटिक्स बंद पड़ी है और पोलिएस्टर धागे की हालत बिगड़ गई। वस्त्र उद्योग मंदी का शिकार हो गया जिससे भीलवाड़ा चौपट हो गया। जे. के. सिन्थेटिक्स का सफाया हो गया। बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य, श्री किरोड़ी लालजी जब सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ने गये थे तो इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की कि सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी जला देंगे और मैं यदि एम. पी. बन गया या एम.एल.ए. बन गया तो यह मान लो कि चिमनी जल

(श्री जनार्दन गहलोत)

जायेगी। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भी यह कहा था कि कांग्रेस का धुआं निकाल दो, सवाई माधोपुर की चिमनी का धुआं मैं निकाल दूंगा। लेकिन क्या हुआ, इनके कहने में क्या हुआ? आज बोल ही नहीं रहे, भूल गये। मैं सोचता हूं उस व्यक्ति को, मुरारका तो सही मायने में भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी के दत्तक पुत्र हैं उनको दे दी फैक्ट्री। उसके बाद भी नहीं चल रही, फिर भी नहीं चली।

सभापति महोदय, इसी राज में एक काम बहुत अच्छा हुआ। इनके मंत्री, इनके अधिकारी खूब विदेशों की यात्रा करते रहे। विदेशों की यात्रा क्यों करते रहे कि विदेशों से एन. आर. आई. को, नये उद्योगों को यहां लाएंगे। अगर आप कीर्तिमान उठा कर देखें तो राजस्थान के अन्दर केवल मात्र यह 8 साल का समय है जिसमें एम.ओ.यू., एम. ओ. यू. का मतलब सांझा समझौता किया गया, एन. आर. आई. के लोगों के साथ सरकार ने कहा हम खोलेंगे कारखाने।

डा. किरोड़ीलाल : एम. ओ. यू. की फुल फॉर्म क्या है?

श्री जनार्दन गहलोत : अण्डरस्टेंडिंग इस बात की की गई कि हम इसको, छोड़िये, इस बात को की कि खोलेंगे। लेकिन आज हालात यह है कि एक भी उद्योग यहां नहीं आया और विदेश यात्राओं पर खर्च करते रहे। सभापति महोदय, राजस्थान वित्त निगम राजस्थान में जब से बना है कभी घाटे में नहीं आया और पिछले साल 1997-98 में इसमें 14 करोड़ का घाटा एक वर्ष में हुआ है। सभापति महोदय, यह घाटा क्यों हुआ? क्या मालूम कितने मामले इसमें किये गये होंगे। मेरे सामने तो एक मामला आया कि राजसमंद में आर. एफ. सी. के मैनेजर बैठते थे। माननीय भाभड़ा जी के पुत्र की वहां माइन्स है कहीं पर (व्यवधान) राजसमंद में माननीय भाभड़ा जी के पुत्र की मार्बल की खान थी। हालात यह हुए कि उनको वहां के मैनेजर ने एक चिट्ठी लिखी कि आर. एफ. सी. की रिकवरी के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं हैं इसलिए एक गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए। और आर. एफ. सी. ने गाड़ी उपलब्ध करा दी। उस गाड़ी का भुगतान कर दिया गया 1 लाख 80 हजार रुपये। जब यह बिल स्वीकृति के लिए आर. एफ. सी. में आया तो राजीव महर्षी जो वहां आई. ए. एस. थे, उन्होंने कहा कि 1 लाख 80 हजार रुपये ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : यह पाइंट आफ आर्डर रैफर कर रहे हैं, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्व उप मुख्य मंत्री जी पर उनका नाम लेकर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई गाड़ी की खरीद-फरोख्त की और मार्बल की खान ली। सभापति महोदय, नियमों से सदन चलता है। अगर आपको कोई आरोप लगाना है तो पहले नोटिस दीजिये, मगर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कोई आरोप नहीं है। भूतपूर्व उप मुख्य मंत्रीजी

(श्री रामनारायण चौधरी)

के बेटे की खान चलती है यह तो एक तथ्य है। इसमें आरोप क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मगर इन्होंने जिस गाड़ी का नाम लेकर कहा कि 1 लाख 80 हजार रुपये... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें क्या हुआ, यह आरोप नहीं है। वो खा गये, पी गये या गबन कर गये ऐसी बात तो कुछ है नहीं, यह तो केवल एक रेफरेंस है।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान वित्त निगम....

श्री सभापति : माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब किसी पर किसी प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो सदन की प्रक्रिया है, नियम है कि उसका नोटिस देना पड़ता है। यह नियम है।

श्री जनार्दन गहलोत : आप सही कह रहे हैं। सभापति महोदय, मैं जो जिक्र कर रहा हूं...

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो रेफरेंस है जो अपने घर में माला जपता है उसका कोई रेफरेंस नहीं आता है... (व्यवधान).. और गालियां भी पड़ेंगी उनको।

श्री जनार्दन गहलोत : राजस्थान वित्त निगम में 14 करोड़ का घाटा पिछले वर्ष हुआ तो क्यों हुआ ? मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी यहां बैठे हैं, उनको मैं इस सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि आज वित्त निगम में घाटा क्यों हुआ। 1 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान एक गाड़ी को किया गया और नतीजा क्या हुआ, राजीव महर्षी जो आई. ए. एस. हैं, उन्होंने कहा 1 लाख 80 हजार रुपये में आपने गाड़ी रखी, आपकी रिकवरी कितनी हुई ? उसने कहा रिकवरी तो एक पैसे की भी नहीं हुई और उसका नतीजा हुआ यह कि वह आर. एफ. सी. का मैनेजर सस्पेंड हो गया। उसने कहा मैनेजरिंग डायरेक्टर साहब, मैं क्या करूं यह तो मैंने ++++दे रखी थी गाड़ी, अब इसमें मेरी क्या गलती है। 1 लाख 80 हजार का भुगतान रिकवरी वसूल करने के नाम पर किया जा रहा हो तो अगर घाटा नहीं होगा तो और क्या होगा ? पिछली सरकार की यह देनदारियां हमारे सर पर क्यों पड़ रही है ? सभापति महोदय, यही तो कारण हैं जिसकी वजह से यह देनदारियां बढ़ रही हैं। इसलिए चिन्ता का विषय है, यह। नतीजा यह हुआ कि उस राजीव महर्षि को यहां से रवाना भी करना पड़ा और दिल्ली भेज दिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इधर से गुजरे तब धमकाते से चले गये और वहां सीट पर बैठ कर कुछ कह रहे हैं, सभापति महोदय, कुछ कहेंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं उन पेयजल समस्याओं का। अभिभाषण में जो जिक्र किया है वर्ष 1999 से 2000 तक 6000 बस्तियों को पेयजल....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : कितना समय और लेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, माननीय माभड़ा जी के बारे में जो चर्चा की गई है उसको कार्यवाही से निकाला जाये। इस प्रकार से आवश्यक चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं .. (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मैं समय कांग्रेस पार्टी का ले रहा हूं।

श्री सभापति : हां, ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : हमारे संसदीय मंत्रीजी की कोई पर्ची आपके पास आ गई हो तो वह काट दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : संसदीय मंत्रीजी का ही निर्देश है कि भाषण को थोड़ा छोटा करें। कृपया बैठिये (व्यवधान) हां, आप, क्या कह रही हैं, सुमित्रा जी? क्या आप पाइंट आफ आर्डर कर रही हैं या यूं ही बोल रही हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह जानना चाहूंगी कि यह सारी धमकियां चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को ही क्यों मिल रही हैं?

श्री सभापति : यह इनके आपस में प्रेम-मोहब्बत ज्यादा है, रामनारायण चौधरी और इनके बीच में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने यह इसलिए कहा कि माननीय रामनारायण जी जो मंडावा से आ रहे हैं, वरिष्ठतम सदस्य है। हम तो उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। यहां से गुजरते हुए आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते और वहां जाकर कहने लग गये, इसलिए मैंने यह बात कही। अगर इसमें भी आपको एतराज है तो मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में।

श्री सभापति : यह इनके आपस की अंडरस्टेंडिंग है। (व्यवधान) कृपया बैठिये आप। चालू रखिये आप।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में पेयजल का जिक्र किया है।

श्री मदन दिलावर : माभड़ा जी के खिलाफ कहे गये शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कार्यवाही से निकाला जाये। यह रेफरेंस नहीं है, यह आरोप है।

श्री जनार्दन गहलोत : यह तो रिकार्ड बोल रहा है। रिकार्ड बोल रहा है तो क्या किया जाये।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं ऐसे सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह रेफरेंस नहीं है, यह आरोप है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : 23 हजार करोड़ का घाटा कर दिया, इस आरोप को कैसे निकाल दोगे।

श्री सभापति : माननीय दिलावर जी, ऐसा मैंने पहले भी कह दिया है कि यह रेफरेंस पर कहा गया है। इसलिए मेरी व्यवस्था सुन लीजिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह रेफरेंस नहीं है, आरोप है, साहब।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं तो आर.एफ.सी. के रिकार्ड की बात कर रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : रेफरेंस में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : मेरी व्यवस्था सुन लीजिये आप। संसदीय परम्पराओं में ऐसा मैंने देखा है कि इस प्रकार का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मेरा एक निवेदन और भी है। मैं इसको देख कर के माननीय अध्यक्ष महोदय को रेफर कर दूंगा वे इस मामले का निर्णय कर देंगे। यह जो मैंने व्यवस्था दी है अध्यक्ष महोदय, इस पर निर्णय देंगे। देख लेंगे उनको। फरमाइए कटारिया साहब।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने क्या बात कही वह तो आप देखें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने विषय को घुमाया कि कोई रिकवरी के लिए किसी अधिकारी ने कोई गाड़ी चलाई और उस गाड़ी में 1 लाख 80 हजार का खर्चा आया। उस अधिकारी ने जो गाड़ी चलाई थी वह+++इनका यह कहना है।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं नहीं, भामड़ा जी के यहां नहीं चली उनका लड़का जिसकी माइंस है, वहां चली।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं उस अधिकारी को इसी कारण से सस्पेंड किया गया था कि तुमने यहां 1 लाख 80 हजार का गाड़ी का खर्चा कैसे दिखाया जबकि रिकवरी नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : इसीलिए राजीव महर्षी को यहां से रवाना कर दिया गया। इसीलिए भामड़ा जी ने उसे दिल्ली रवाना कर दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सच बात तो यह है कि उस अधिकारी को सस्पेंड ही इस नाम से किया गया था कि तुमने जो रिकवरी के लिए गाड़ी चलाई उससे रिकवरी जितनी हुई उससे ज्यादा तुमने खर्चा कैसे किया, इस नाम से वह अधिकारी सस्पेंड हुआ है। बात को उल्टी घुमाकर के+++यह एक नया उसमें जोड़ा। भामड़ा जी के कार्यकाल में उस अधिकारी को सस्पेंड किया इसी कारण से। बात यह है। घुमा कर के बात कर रहे हैं।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जारी रखिये। प्लीज सहयोग कीजिये। (व्यवधान) ..

श्री गुलाबचन्द कटारिया : थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि इनमें से किसकी गाड़ी कितनी चली है, पता अपने आप लग जायेगा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरालाल : जब गाड़ी चली उसका पता ही नहीं पड़ा +++ को और जब रिकवरी सामने आई तब पता पड़ा .. (व्यवधान) .

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये । आहूजा जी, प्लीज ।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, अभिभाषण में पेयजल की समस्याओं के निवारण के लिए काफी बात कही गयी । वर्ष 1999 से 2000 के दौरान 6 हजार बस्तियों में पेयजल पहुंचाया जायेगा, बीसलपुर, मानसी, बाकल व गंधेली साहबा और गर्जसिंहपुरा जैसी योजनाएं बनायी गयीं । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करौली क्षेत्र में डांग इलाका होने के नाते वहां पानी की समस्या बनी रहती है और वहां काफी गम्भीर संकट है । इसी प्रकार की योजना, पांचना बांध से करौली को पानी उपलब्ध हो सके, उसकी योजना बनाये जाने के लिए मैं माननीय वाटर वर्क्स मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा । खास तौर से हैण्ड–पम्पों के रख-रखाव में पिछली सरकार ने जिस प्रकार पंचायतों को यह काम दे दिया है, उसका नतीजा यह हुआ कि जो हैण्ड–पम्प लगे थे, जो पैसों का उपयोग हुआ, आज वे खराब पड़े हैं । इसलिए माननीय सभापति महोदय, इन हैण्ड–पम्पों का रख–रखाव वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए ताकि राजस्थान के कोने-कोने में जो हैण्ड–पम्प आज ग्राम पंचायतों से सुधर नहीं रहे हैं, मैं सोचता हूं यह बात तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर जब थे, तब हमने वाटर वर्क्स के माध्यम से इसलिए करायी कि इसका पंचायतों के अन्दर निवारण हो नहीं पाता था । इसलिए वाटर वर्क्स एक प्रॉपर एजेंसी है ताकि हमारी सरकार का लगा हुआ पैसा वाटर वर्क्स के अन्दर हैण्ड–पम्प जो खुदे हुए हैं, वे जलदाय विभाग से कराये जाने चाहिए ताकि राजस्थान भर की पानी की समस्या का निवारण हो सके ।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज का जिक्र काफी हो चुका है । मैं बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहता, जिसकी ज्योति प्रज्ज्वलित पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को की थी ।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी ने भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके एस.सी., एस.टी., अन्य पिछड़े वर्ग व महिलाओं को पंचायती राज में एवं नगरपालिकाओं में आरक्षण दिया है, वे सही मायने में बधाई के पात्र हैं । मैं सोचता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान की सरकार ने जो एक निर्णय किया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । पिछली सरकार के कार्यकाल में पंचायती राज तो बना, पंचायती राज का गठन तो हुआ, लेकिन पंचायती राज एक तरह से पंगु हो गया, सरपंच की प्रधान नहीं सुनता, डाइरेक्टर का कोई दखल नहीं, जैसी व्यवस्थाएं की गयीं उनका नतीजा यह हुआ कि भ्रष्टाचार पनपा । आज मैं सोचता हूं वर्तमान सरकार ने खास तौर से....

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है। एक भी जिला प्रमुख ऐसा नहीं है जिस पर अध्यापकों की नियुक्ति में इस सरकार के कारण भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो।

श्री जनार्दन गहलोत : आपको न तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता कि आपने किया या नहीं किया।

श्री जसवन्त सिंह : पहले जिला प्रमुख पैसा लेकर 10 नम्बर जो होते थे उनमें अपाइंटमेंट कर देते थे, अब प्योरली मेरिट बेस पर हुआ।

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

श्री जसवन्त सिंह : भ्रष्टाचार समूल रूप से नष्ट हुआ है।

श्री जनार्दन गहलोत : यह कोई जिला परिषद् का मामला नहीं है। यह तो राजस्थान का मामला है।

श्री सभापति : गहलोत साहब; आप भाषण चालू रखिये।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, उनको ज्ञान तो दे दीजिये कि यह अलवर जिला परिषद् का मामला नहीं है। मैं राजस्थान की जिला परिषदों की बात कर रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता था, जिस प्रकार पंचायती राज पंगु हुआ, आर्थिक हालत, जिस प्रकार जितना पैसा भारत सरकार का आया, उस पैसे का कितना दुरुपयोग हुआ है राजस्थान में। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अभिभाषण के अन्दर इस बात का जिक्र किया है कि न्यायिक, वित्तीय व प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल किया जायेगा, राज्य स्तर पर यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : प्लीज थोड़ा जल्दी करें।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, मेरे ससदीय सचिव ने कोई पर्ची दे दी हो तो बता दीजिये। राज्य स्तर पर बिशिष्ठ योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास पंचायती राज के विभागों को एकीकृत करके, सही मायने में एकीकृत करके, इस एजेंसी का काम अच्छा कर दिया जायेगा जिससे मैं सोचता हूं, जिस प्रकार की हालत पंचायती राज की बिगड़ी हुई थी वह सुधरेगी। सभापति महोदय, डी.आर.डी.ए. के अध्यक्ष, जिला प्रमुखों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, सही मायने में उसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ताकि एक प्रशासनिक ढांचे में इस जनतन्त्र के चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर अगर काम होंगे तो निश्चित रूप से उसकी क्रियान्विति होगी।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत के मामले में 8 घण्टे किसानों को बिजली देने का फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं सोचता हूं खास तौर से यह पिछले वर्ष की तुलना में 9.5 प्रतिशत की मांग अधिक है फिर भी राजस्थान सरकार ने सौ करोड़ प्रतिदिन का अतिरिक्त भार अपने कंधे पर लेकर ...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 3 घण्टे बिजली भी नहीं आ रही है चित्तौड़ जिले में।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

ट्रांसफार्मर भी नहीं मिल रहे हैं। खाली बातें करने से बिजली थोड़ी मिल रही है।

श्री जनार्दन गहलोत : आज सौ करोड़ रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त भार निश्चित रूप से राजस्थान सरकार जो उठा रही है. यह निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी की इच्छा शक्ति का प्रतीक है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह एक करोड़ है। सौ करोड़ बोला है आपने, सौ करोड़ तो कुल ही नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : एक करोड़ रुपये प्रतिदिन का भार आज वहन करके...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक करोड़ है।

श्री सभापति : हां, करेक्ट कर दिया है इन्होंने।

श्री जनार्दन गहलोत : आपका नम्बर नहीं आयेगा क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक करोड़ ही है।

श्री सभापति : सौ करोड़ नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : एक करोड़ ही बोल रहा हूं। आप जरा बोलने तो दें, खुद ही बोलने लग जाते हो। 8 घन्टे बिजली देने में एक करोड़ रुपये प्रतिदिन का भार वहन करके कांग्रेस की सरकार की नीति, किसानों के प्रति नीयत, पहले से जब पिछली सरकार कांग्रेस की थी तब भी किसानों को 8 घण्टे बिजली दी जाती थी और मैं सोचता हूं नई सरकार आने के बाद यह निर्णय लेकर निश्चित तौर पर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी नहीं है, किसानों की हितैषी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार में 5 हार्स पावर पर 5 खम्भे किसानों को फ्री दिये जाते थे क्योंकि कृषि नीति एक अप्रेल को आप दुबारा जारी करने वाले हैं, मैं सोचता हूं कि पिछली सरकार ने 5 खम्भे किसानों को फ्री किये थे वह नीति आप निश्चित तौर से जोड़ेंगे और मैं मानता हूं जिस प्रकार आपने मंत्री मण्डलीय उप समिति बनाकर धौलपुर का नैफ्था आधारित विद्युत गृह, 5 सौ मेगावाट का बरसिंगसर लिग्नाइट ताप विद्युत गृह की स्वीकृति के लिए जो पिछली सरकार में प्रगति नहीं हुई थी....

श्री सभापति : अब जल्दी कीजिये गहलोत साहब, प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : उसकी शुरूआत की है उसके लिए निश्चित तौर से मुख्य मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं सोचता हूं पिछली सरकार ने एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की और आज अन्ता बिजली घर का 10 तारीख को उद्घाटन करवाकर जो 650 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी, यह एक अच्छा प्रयास राजस्थान सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, आपका बराबर इशारा मुझे नहीं बोलने देने का है

(श्री जनार्दन गहलोत)

लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं थोड़ा सा ही समय और लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष सेवा निवृत्ति की आयु जो राजस्थान सरकार ने की है, मैं सोचता हूं मुख्य मंत्री जी ने उन नौजवानों की भावनाओं को ध्यान में रखा। एक नौजवान मुख्य मंत्री होने के नाते उन्होंने एक हजार करोड़ का अतिरिक्त भार सहन करना पसन्द किया जो पिछली सरकार ने नौजवानों का रोजगार बन्द कर दिया, मैं समझता हूं सदन को उनको बधाई देनी चाहिए, मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर कई सरकारें आयी और अलग-अलग नियमन करने का फैसला किया। पिछली सरकार ने एक भी गरीब बस्ती के ऊपर पट्टा नहीं दिया। राजस्थान में, जयपुर शहर में माननीय भवरलाल जी शर्मा जो स्वायत्त शासन मंत्री थे, अगर किसी की मंजिलों पर मंजिलें चढ़ती रही तो बिल्डर्स की बिल्डिंग्स तो बढ़ती रही लेकिन गरीब की झौंपड़ी का पट्टा नहीं दिया, उन पर छत नहीं डल पायी। एक भी पट्टा उन्होंने नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, इसलिए चिन्ता का विषय है। हम उन गरीब लोगों के बलबूते पर यहां पर विधान सभा में पहुंचते हैं लेकिन उस पिछली सरकार ने गरीबों को पट्टे नहीं दिये। सहकारी समितियों के मकानों का नियमन नहीं किया और इस प्रकार की हालत कर दी कि आज जयपुर के अन्दर काम्प्लेक्सज तो खड़े होते रहे मंत्री जी को चिन्ता केवल मात्र बड़े-बड़े बिल्डर्स की रही क्योंकि उसके पीछे बड़ी-बड़ी एजेंसीज थी, बड़े-बड़े लोग थे, बी. जे. पी. के अध्यक्ष रामदास जी जैसे लोग रहे, उनकी सिफारिशें भी थीं। इसलिए मंत्री जी को बड़े-बडे बिल्डर्स की तो चिन्ता थी लेकिन गरीब की बस्ती पर छत डले इसकी चिन्ता नहीं थी पिछली सरकार के लोकल सैल्फ मंत्री जी को....

श्री सभापति : अब प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार को निश्चित रूप से इसके अन्दर जल्दी से कोई घोषणा करनी चाहिए।

श्री सभापति : अब जल्दी कीजिये, और भी वक्ता हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु बोर्ड के गठन की घोषणा की। महिला आयोग का गठन, सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण, अल्पसंख्यक आयोग का गठन, टाडा कानून के अन्तर्गत केसों का पुनरावलोकन करके खतम करना, तीन माह में फैसला करना, वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार की अनियमितता हुई, कब्रिस्तान तक को भी बेच डाला, आज उसकी जांच होने की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की और उसके पुनर्गठन की घोषणा की है। मैं सोचता हूं यह निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। सभापति महोदय, इस अवसर पर अन्त में मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। कांग्रेस ने राजस्थान में युवा बोर्ड के गठन की बात कही है। मैं सोचता हूं राजस्थान में युवा

(श्री जनार्दन गहलोत)

बोर्ड का गठन और होना चाहिये ताकि नौजवानों का उसके अन्दर कार्य हो सके।

माननीय, मैं चूंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा व्यक्ति रहा हूं और आज भी स्पोर्ट्स में सम्बन्ध है, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नौकरियों के अन्दर कई बार मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की लेकिन एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिला। आज राजस्थान के अन्दर कमी है इस बात की। राजस्थान के अन्दर अनेक अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन वो हरियाणा जाना पसन्द करते हैं, पंजाब जाना पसन्द करते हैं, दिल्ली से खेलना पसन्द करते हैं, कारण क्या है? कर्नाटक से खेलते हैं, कारण क्या है? कि जो खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है उसको मकान यहां उपलब्ध नहीं होता और सरकारों ने मकान देने की घोषणा कर रखी है, उनको पैसा देने की घोषणा कर रखी है। राजस्थान सरकार ने, पिछली सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि आगे आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के मकान आवंटित करें, उनको सरकारी सेवाओं में नौकरियां दें। सभापति महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिस प्रकार खेलों का स्तर नीचे गिर रहा है, आज आवश्यकता इस समय इस बात की हो गई है कि जैसे इंग्लिश के सब्जैक्ट पर नम्बर दिये जाते हैं, चाहे मैक्स पर दिये जाते हैं, खेलों के सब्जैक्ट को भी कम्पलसरी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह स्टेट इश्यू है। भारत सरकार में इस मामले को हम लोगों ने उठवाया था। लेकिन यह स्टेट्स का मुद्दा है इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खेलों को भी एक कम्पलसरी सब्जैक्ट बनाये ताकि कम से कम राजस्थान के खेल आगे बढ़ सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इस पूरे अभिभाषण में खेल के बारे में एक शब्द भी कहीं लिखा हुआ है क्या? इस पूरे अभिभाषण में, आप जिस खेल और खिलाड़ी की यहां पैरवी कर रहे हैं उसके बारे में आपकी सरकार ने इस अभिभाषण में दो शब्द भी कहीं लिखे हैं क्या?

श्री सभापति : ये सुझाव दे रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं सुझाव दे रहा हूं। ये कांग्रेस के, राजस्थान की कांग्रेस के मेनीफेस्टो में है जो अशोक गहलोत जी ने घोषित किया था। अब वो मुख्य मंत्री है इसलिए सुझाव दे रहा हूं, माननीय सदस्य आप चुनाव लड़ने गये, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी ना आपको।

श्री सभापति : प्लीज, आप समर्थन दीजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : इसलिये आपको एक कॉपी दे दूंगा। माननीय सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका जो प्रस्ताव हरिसिंह जी ने रखा और ताम्बी जी ने समर्थन किया उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, कल गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ पिछड़ा वर्ग में जातियों को सम्मिलित करने के बारे में बात उठाई थी। जाट समुदाय के साथ–साथ अल्पसंख्यक समुदाय की दो जातियों को सिन्धी, मुस्लिम और मेव जाति को भी सम्मिलित करने की बात उन्होंने कही। इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनकी बात का समर्थन भी करता हूं। परन्तु उसके साथ–साथ मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय में दो कौमें, कायमखानी और देशवाली कौमें ऐसी हैं जो अधिकतर गांवों में ही बसती हैं और उनका जीवनयापन खेती पर ही निर्भर करता है। विशेषकर कायमखानी कौम तो, जिनके पास खेती बहुत कम है वो मिलिटरी में, आर्मी नेवी एयर–फोर्स में भर्ती होकर अपना जीवनयापन करती हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि कायमखानियों में से तो हर एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति आम तौर से इसमें आपको मिलेगा। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कौम के लिए आर्मी में भी अलग से कम्पनी निर्धारित करके, सभापति महोदय, वहां पर भी आरक्षण दिया कि अगर दूसरी कौम के जवानों को, दसवीं क्लास पास को भर्ती किया जाता है तो कायमखानी कौम से जवानों को, आठवीं कक्षा पास को मौका मिल जाता है। कुछ हाइट में भी उनको छूट दी जाती है, वेट में भी छूट दी जाती है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्दर, कायमखानी और देशवाली समाज को भी पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के लिए कई दिनों से पत्रावलियां लम्बित पड़ी हुई है, जब भारत सरकार ने इस कौम को छूट दे रखी है और उनको आरक्षण दे रखा है तो पिछड़े वर्ग के अन्दर भी इस कौम को शामिल करके इसको लाभ मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल महामहिम गवर्नर के अभिभाषण का है, यहां पर राजस्थान ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, प्रसिद्ध अजमेर जिले की पवित्र धरती पर दो तीर्थस्थल हैं, एक ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ है, तो दूसरी ओर तीर्थ राज पुष्कर में ब्रह्माजी का मन्दिर है, उसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया। अच्छा होता कि उसका जिक्र करते। मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि पिछले 40 साल के कांग्रेस के शासन में चाहे वो दरगाह शरीफ का उर्स हो, चाहे तीर्थ राज पुष्कर का कार्तिक मेला हो, कांग्रेस की सरकारों ने प्रति वर्ष दो–दो लाख रुपये का अनुदान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। परन्तु पिछले आठ साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सन् 1992 में दरगाह शरीफ के विकास के लिये सात करोड़ 62 लाख रुपये की राशि निर्धारित करके दरगाह शरीफ का चहुंमुखी विकास किया है। यही नहीं, सभापति महोदय, यहां पर 786 का उर्स शरीफ अभी गत वर्ष सम्पन्न हुआ था, उसमें बहुत भारी तादाद में जायरीन आये थे जब यह सवाल राज्य सरकार के सामने आया तो, मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुले दिल से 16 करोड़ रु०,

(श्री रमजान खान)

786 के उर्स शरीफ के लिये देकर के वहां पर आने वाले लाखों जायरीनों को, माननीय सदस्य महोदय ...

श्री रतनाराम चौधरी : पैसों का वहां कोई सदुपयोग नहीं हुआ।

श्री रमजान खान : आने वाले लाखों जायरीनों को जो सुविधा उपलब्ध कराई वो एक मिसाल है जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय ने पिछले आठ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपने आपको, सभापति महोदय, अपने आप में सुरक्षित महसूस किया है मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो वर्तमान में कांग्रेस का शासन आया है उसमें अब अल्पसंख्यक समुदाय का तो खुदा ही रखवाला है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। इस पिछले आठ वर्ष में एक–दो अपवादों को छोड़कर के कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे राजस्थान में नहीं हुये इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बधाई की पात्र है और जहां 40 साल का शासन कांग्रेस का गया, सभापति महोदय, उसमें इतने दंगे जगह-जगह शहरों में हुए कि अगर मैं उसकी सूची आपको गिनाने लगूंगा तो मेरा ख्याल है पूरा एक घण्टा लग जायेगा। इसलिए मैं कांग्रेस की थ्री-फोर्थ बहुमत से जीतकर जो सरकार आई, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो जहां कहीं साम्प्रदायिक दंगे हो जाएं उनके ऊपर तुरन्त रोक लगाई जाये। कहीं भी ऐसी वारदात आये, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो उसके ऊपर बिना हिचकिचाहट के तुरन्त रोक लगाएं ताकि हमारे प्रदेश में अमन चैन बना रहे क्योंकि पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात, धार्मिक स्थलों जो हिन्दुस्तान में और विश्वविख्यात हैं, तीर्थ राज पुष्कर और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ, जिस तरह पिछली सरकार ने इसके लिए अनुदान की राशि का बजट के अन्दर प्रावधान किया है इसी तरह उसी की पालना में कांग्रेस सरकार भी इसके ऊपर चलेगी, ऐसी मुझे आशा है।

जहां तक, सभापति महोदय, तीर्थ राज पुष्कर का प्रश्न है, वैसे तो पिछले 8 साल के अन्दर तीर्थ राज पुष्कर के अन्दर करीबन 16 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्य हुए हैं जिसमें पानी की सप्लाई, घाटों की मरम्मत घाटों का नवीनीकरण, पवित्र सरोवर में से मिट्टी निकालकर और सरोवर में जो बहुत तादाद में मिट्टी आती थी, सात करोड़ रुपये लगाकर के भूसंरक्षण, और वन विभाग की ओर से कार्य करवा करके उसको रुकवाने की कोशिश की गई है। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि तीर्थ राज पुष्कर में जाने के लिए जिस घाटी से हमको होकर के जाना पड़ता है वहां पर पैदल और चलते हुए वाहन की वजह से इतनी दुविधा उत्पन्न होती है कि कई बार दुर्घटनाएं होती रही हैं और उसमें जानें जाती हैं। इसके लिए पिछले टाइम में पूर्व मुख्य मंत्रीजी, भैरोंसिंह शेखावत की अध्यक्षता में जब पुष्कर विकास मण्डल की मीटिंग हुई थी तो हमने सुझाव दिया था कि जब मैं हज के लिए गया था, सभापति महोदय, तो मक्का–शरीफ के अन्दर

(श्री रमजान खान)

आठ सुरंगें बनी हुई हैं जहां सुरंगों के अन्दर से होकर गाड़ियां निकलती हैं तो मैंने निवेदन किया था उनसे कि तीर्थ पुष्कर की घाटी के अन्दर भी सुरंग बनाकर के ये सीधा रास्ता निकाल दिया जाये तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस सुझाव को बड़े ध्यान से, पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने मेरी बात को सुना और उस प्रस्ताव को स्वीकार करवा कर जो तकमीना बना है, 4 करोड़ 65 लाख रुपये का तकमीना बना। राज्य सरकार की तरफ से तो स्वीकृति हो गयी परन्तु केन्द्र सरकार के अन्दर पर्यावरण विभाग में वह फाइल लम्बित पड़ी हुई है। उनसे परमिशन मिलनी है। मैं चाहूंगा राज्य सरकार इसके ऊपर विशेष ध्यान दे कि यह महती योजना कार्यान्वित हो और जो सुविधा तीर्थ राज पुष्कर में आने जाने वाले तीर्थ-यात्रियों को मिलनी चाहिए, वह मिले।

सभापति महोदय, महामहिम के अभिभाषण में 8 घण्टे बिजली देने की बात कही। मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि 8 घण्टे बिजली मिल रही है। मगर मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 8 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है बल्कि 5–6 घण्टे बिजली मिल रही है और वह भी रात्रि के समय में बिजली मिल रही है। अब आप विचार कर लो कि सर्दी के टाइम में काश्तकार रात्रि के समय में इस ठिठुरती हुई सर्दी के अन्दर... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : 8 घण्टे बिजली मिल रही है, 8 घण्टे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप गलत बयानी कर रहे हैं। (व्यवधान) आठ घण्टे से ज्यादा बिजली मिल रही है। यह राजस्थान के किसानों को गुमराह करने की बात है।

श्री सभापति : माननीय विद्युत मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, बैठिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कम से कम सही बात तो कहो आप। आप किसानों को गुमराह करने की बात कह रहे हो। 8 घंटे से ज्यादा बिजली दी है। (व्यवधान) यह आपके खिलाफ बात जाती है इसलिए हम इसका प्रतिकार करना चाहते हैं। सही बात को सही बात कहिये। आप स्वीकार कीजिए कि बिजली मिल रही है। एक करोड़ रुपये रोज की बिजली मिल रही है।

श्री सभापति : विद्युत मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। विद्युत मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि कार्यों के लिये विद्युत की जो सप्लाई विद्युत मण्डल द्वारा की जा रही है वह 8-8 घंटे के 3 ब्लाक्स में की जाती हैं। एक ब्लाक में सवेरे 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, दूसरे ब्लाक में दोपहर को 2 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक और तीसरे ब्लाक में रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो एक गांव में या एक किसान कहिये, उसको 10 दिन तो रात्रि को मिलती है, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, फिर उसको 10 दिन मतलब वीकली मिलती है, इसको 10 दिन भी कह सकते हैं आप, दोपहर को 2 बजे से 10 बजे तक, और फिर एक बार

(डा. चन्द्रभान)

मिलती है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। तो ऐसा नहीं है कि रोजाना रात्रि को मिलती है। वह बदल–बदलकर पारी से मिलती है। लेकिन यह भी आपका कहना सही है कि हम रोजाना किसानों को दिन में बिजली नहीं दे रहे हैं। उसे दिन में भी दे रहे हैं, रात्रि को भी दे रहे हैं। लेकिन यह शिकायत, मैं एक-दो शिकायतों की बात तो नहीं करता, आपने यहां पर रखा है, मैं खुद ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और मैं इसकी आज ही जांच-पड़ताल कर लूंगा। मैं अजमेर गया था 7 दिन पहले तब तो यह शिकायत नहीं मिली थी। फिर भी कई जगह से, एक बात तो मानता हूं कि क्वालिटी की जहां तक बात है, हमारा पावर सिस्टम कमजोर है, पुराना है। हम बिजली तो यहां से दे सकते हैं लेकिन कई बार लोड-फैक्टर बढ़ जाता है जिसके कारण ट्रिपिंग होती है और ट्रिपिंग के चलते 8 घंटे के ब्लाक में कई बार किसानों को छह, साढ़े छह या सात घंटे बिजली मिलती है। लेकिन फिर हम दुबारा उसको 2–3 दिन के बाद में जहां छह–साढ़े छह घंटे बिजली मिलती है उसकी भी हम भरपाई करते हैं 8 के बजाय उसको 10 घंटे बिजली देकर के। कुल मिलाकर के राजस्थान में, सभापति महोदय, आपको भी कहना चाहूंगा, आप कहीं से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कुल मिलाकर के राजस्थान में 95 प्रतिशत जगह ऐसी हैं जहां 8 घंटे बिजली जरूर मिलती है। जहां कहीं नहीं मिलती है वह तन्त्र की कमी है।

श्री सभापति : प्लीज, ओवर कर दीजिए इसको।

डा. चन्द्रभान : वन मिनट, पिछले वर्ष 10 जनवरी को, 103 लाख यूनिट बिजली हमने कल ज्यादा दी है। पिछले वर्ष मिलती थी 640 लाख यूनिट और अबकी बार 746 लाख यूनिट बिजली हमने कल तक दी है। कुल मिलाकर के सप्लाई ठीक है। फिर भी कहीं सुधार की गुंजायश रहती है।

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, सदन की भावना यह है कि 8 घंटे चाहे, दिन; रात्रि कभी दें, 8 घंटे बिजली दीजिए।

श्री मदन दिलावर : बिजली चाहिए, बिजली, आंकड़े नहीं चाहिएं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह : आपने विद्युत ज्यादा दी है तो कनेक्शन भी तो बढ़ाए हैं।

श्री सभापति : माननीय रमजान खान जी, प्लीज।

श्री रमजान खान : मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को माना है।

श्री रतनाराम चौधरी : आपकी सरकार ने 8 सालों में 33 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन एक भी नहीं बनाया।

श्री सभापति : प्लीज, आप विराजिये।

श्री रमजान खान : माननीय सभापति महोदय, माननीय बिजली मंत्री महोदय स्वयं किसान हैं और ईमानदारी से इनसे पूछो कि रात्रि के समय इस ठिठुरती हुई सर्दी में किस तरह काश्तकार पिलाई करता होगा, इसका अंदाजा लगा सकते है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उद्योग-धन्धों को

(श्री रमजान खान)

रात में बिजली दो और उद्योग-धन्धे के हिस्से की बिजली काश्तकारों को दो और यह जो आपने ब्लाक बनाये हैं, रात को देने के ब्लाक, यह पूरा का पूरा टाइम काश्तकारों को रात्रि में सर्दी के अन्दर नहीं देकर बिजली दिन में मिलनी चाहिए। इस तरह का मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, जहां तक नर्सरी कनेक्शन हटाने की बात महामहिम के अभिभाषण में कही गयी, नर्सरी कनेक्शन हटाइये या रखें यह इनका लुक-आउट है। परन्तु मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने डिमांड नोटिस नर्सरी कनेक्शन लेने के लिये जमा करा दिये हैं उनका क्या होगा ? उसके बारे में कोई व्यवस्था आपने न तो आज तक दी है न आपकी कहीं अभिभाषण में आयी है। इस सम्बन्ध में भी आप विचार करें।

श्री सभापति : मेरी समझ में यह सवाल–जवाब का टाइम नहीं है।

डा. चन्द्रभान : श्रीमान्, मैं क्लीयर कर दूं। जिन लोगों ने डिमांड नोट के पैसे जमा करा दिये नर्सरी कनेक्शन में उन सबको 31 मार्च, 1999 से पहले–पहले कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

श्री रमजान खान ; सभापति महोदय, अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया था कि पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं में आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाकर के उनको सुदृढ़ बनाया जाएगा। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में पुष्कर नगरपालिका को आवास के पट्टे देने से राज्य सरकार ने वंचित कर रखा है। इसका पता नहीं चलता है कि एक धार्मिक नगरी है और वहां पर आवासीय पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर भी सरकार को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, अभिभाषण में लिखा है कि राज्य में सब्जी, फलों, फूलों एवं मसालों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि फलों एवं सब्जी का मामला तो ठीक है परन्तु फूल, जो कृषि जिंस में शामिल नहीं होने के कारण, फूलों के ऊपर 10 प्रतिशत टैक्स लगता है। तो जो भी फूलों की खेती करते है उनको बहुत ही हानि उठानी पड़ती है।

श्री सभापति : आपके वहां फूल होते हैं क्या ?

श्री रमजान खान : मेरे तो यहां पुष्कर के अन्दर फूल ही फूल होते हैं। फूल ही फूल हैं दूसरी कोई खेती होती ही नहीं है।

यहां तक की कृषि उपज मण्डी, फल मण्डी में इन फूल वाले काश्तकारों को फूल बेचने का अधिकार नहीं है। इसलिए बिचौलिये इन फूलों के मामले में इतनी दलाली करते हैं, सभापति महोदय, कि उससे काश्तकार बहुत ही पीड़ित है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फूल को भी कृषि जिंस में सम्मिलित करवाकर के काश्तकारों को राहत देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

(श्री रमजान खान)

माननीय सभापति महोदय, पेयजल की समस्या के बारे में यहां पर काफी चर्चा हुई। पेयजल की समस्या के लिए, मैं पूर्व में हमारे जो अकाल राहत मंत्रीजी थे, माननीय सांवरलाल जी जाट, जिन्होंने अपनी नीतियों के अन्दर यह तय किया कि अकाल राहत कार्यों के तहत टंकियों का निर्माण भी हो सकेगा इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और वह निर्माण अभी भी है। मैं कांग्रेस के शासन से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक हजार से आबादी कम है और जहां पर पी. एण्ड टी. योजना लागू नहीं हो सकती है ऐसी जगहों पर अकाल राहत के तहत टंकियां बनाकर के अगर उनको पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। जहां तक हैंडपम्प का सम्बन्ध है, हैंडपम्प से पेयजल की यह समस्या किसी भी कीमत में कभी भी खतम नहीं हो सकती है। हैंड-पम्प तो कभी खराब हो जाता है, कभी पानी नीचे चला जाता है, कभी क्या होता है। इसलिए हैंड-पम्प के भरोसे नहीं रहकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पानी की टंकियां बनाकर के इस पनघट योजना को लागू करके इस पेयजल की समस्या का समाधान होना चाहिए। क्योंकि आने वाली गर्मियों के अन्दर, इस बार भी पानी की त्राहि-त्राहि मचेगी आने वाली गर्मियों में यह स्थिति और भी बहुत भयंकर रूप ले सकती है।

इसके सम्बन्ध में, पेयजल के मामले में मेरे विधान सभा क्षेत्र मगरा गांव है जहां पर फ्लोराइड युक्त पानी है। सभापति महोदय, वहां पर गांव वालों की यह हालत है कि कई तो कूबड़े हो गये, कई लूले हो गये, कई बीमारियों से ग्रस्त हो गये। सभापति महोदय, जब इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने लगातार 3 चुनावों का बहिष्कार करके कहा कि हम वोट देने के लिए नहीं जाते। हमारी जब इस देश के अन्दर, इस प्रदेश में कोई सुनता ही नहीं है तो हम वोट ही नहीं देंगे। इस बार समझाकर उनसे वोट दिलवाया है। वहां पर भी पी. एण्ड टी. योजना लागू करने के लिए आबादी कम है, इसलिए पी. एण्ड टी. की योजना लागू नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर महोदय ने पी. एच ई.डी. अजमेर को निर्देश देकर के यहां पर योजना बनवाकर भिजवाई है 6 लाख 62 हजार रुपये की। और साथ-साथ जिला कलेक्टर, अजमेर ने एक डी.ओ. लैटर भी इस समस्या के समाधान के लिए मुख्य शासन सचिव, पी.एच.ई.डी. को लिखा है कि इस गांव की पेयजल की समस्या का तुरन्त निराकरण किया जाए, परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चार पांच महीने हो गये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गांव की पेयजल की स्वीकृति तुरन्त करायी जाए। इसके साथ-साथ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भूमिगत जल-स्तर में तेज गति से गिरावट हो रही है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो भूमिगत जल का स्तर है वह तेज गति से गिरावट की ओर जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अजमेर शहर को पानी देने के लिये पुष्कर

(15.00 बजे)

(श्री हरिसिंह (महुवा), सभापति, पदासीन)

(श्री रमजान खान)

विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गनाहेड़ा, बुढ़ा-पुष्कर और भावना से ट्यूबवेल्स खोद-खोद-कर अजमेर शहर को पानी दिया जा रहा था। हमने कई बार आन्दोलन किया परन्तु हमें यह कहा गया कि पानी पीना बहुत जरूरी है, खेत में देने के बजाए पीना बहुत आवश्यक है। हमने इस बात पर माननीय दृष्टि अपनाते हुए उस आन्दोलन को खत्म किया। अब मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से और खास कर पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अब अजमेर के अन्दर पर्याप्त रूप से बीसलपुर का पानी आ चुका है। जब बीसलपुर का पानी आ गया तो यहां पर गहाहेड़ा, बुढ़ा पुष्कर और भावता के काश्तकार, इस अजमेर जिले को पेयजल की सप्लाई की वजह से बरबाद हो रहे हैं। उनकी खेती बरबाद हो रही है। उनका भूमिगत जल स्तर दिनों-दिन नीचे जा रहा है उसको तुरन्त रोका जाए, क्योंकि बीसलपुर का पानी पर्याप्त रूप से अजमेर के अन्दर है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इसको तत्काल बन्द नहीं किया गया तो इस रोजी-रोटी के लिए कोई-न-कोई बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुंए इस पानी को बन्द कर दें तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, कृषि उपज मण्डी समितियों ने सड़कें तो बहुत बनायी और बना रही है परन्तु सड़कें बनाने के बाद उनका रख-रखाव करने के बारे में कभी झांककर के नहीं देखते। इसलिए पूरे प्रदेश में, विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो कृषि उपज मण्डी समितियों की सड़कों की हालत ऐसी है कि उन्होंने कभी मरम्मत कराने का मानस बनाया नहीं। उनको कहते हैं तो सुनते नहीं है। एक-एक फुट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। इसलिए या तो यह सड़कें बनाये नहीं, और बनाये तो उनके रख-रखाव का भी इन्तजाम करें। इन सड़कों का बनाना और रख-रखाव करना बहुत ही जरूरी है।

सभापति महोदय, हमारे महामहिम गवर्नर के अभिभाषण के अन्दर अल्पसंख्यक आयोग के गठन के बारे में जिक्र आया था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र अल्पसंख्यक आयोग के गठन से काम चलने वाला नहीं है। जब तक अल्पसंख्यक आयोग को कोई अधिकार नहीं देते हो, अल्पसंख्यक आयोग को कुछ शक्तियां सरकार नहीं देती है, खाली सुझाव देने से अल्पसंख्यकों की भलाई नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि या तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन करो मत, और अगर गठन करते हो तो उसको कोई-न-कोई अधिकार दिया जाए, ताकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उर्दू अध्यापकों की कमी के बारे में जिक्र आया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में उर्दू अध्यापकों की इतनी कमी है कि उर्दू अध्यापक की जगह हिन्दी अध्यापकों को लगाकर के उसकी खाना-पूर्ति कर ली जाती है और बच्चों को जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तृतीय भाषा लेना चाहते हैं उनको महरूम रहना पड़ता है।

(श्री रमजान खान)

इसलिए इसका पुख्ता इन्तजाम किया जाए कि जहां उर्दू अध्यापक की आवश्यकता है वहां उर्दू अध्यापक ही भेजा जाए, हिन्दी अध्यापक भेजकर उसकी पूर्ति नहीं की जाए। इसकी भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अन्त में आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हुआ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जीतमल जी (खाटू), जनता दल–(अनुपस्थित)। श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अभी वाद-विवाद चल रहा है। इस पर महुवा से आने वाले माननीय सदस्य, सभापति महोदय, आपने प्रस्ताव रखा था। इस आठ साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी काम, नीतियां, जो भी किया उसकी सजा तो राजस्थान की जनता ने निश्चित रूप से उनको दी है लेकिन उनको सजा देने के रूप में राजस्थान की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है और जो विश्वास इस 1998 के राजस्थान विधान सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सजा के रूप में और कांग्रेस के विश्वास के रूप में जो विश्वास किया है, मैं समझता हूं कि 52 से लेकर के 98 तक से पहले कभी राजस्थान की जनता ने नहीं किया और वह विश्वास, कोई भारतीय जनता पार्टी का शासन अगर देखें तो राजस्थान का 52 से लेकर के 77 तक कांग्रेस पार्टी ने जिस रूप से काम किया, उनकी गलत नीतियों के कारण, जनता के विरोध की नीतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी यहां शासन में आयी। लेकिन यह विश्वास जो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, दो-तिहाई से भी ज्यादा बहुमत दिया है, सबसे ज्यादा सोचनीय विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता का यह विश्वास कायम रख पायेगी या नहीं रख पायेगी, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वह इसलिए है कि राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर के आज तक, चाहे वह समाजवाद का नारा दिया हो, चाहे गरीबी हटाओ का नारा दिया हो, नारे तो बहुत दिये हैं, पारदर्शिता का भी नारा दिया है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यहां राजस्थान में यह भी कहा था कि जो दिल्ली से एक रुपया चलता है, गांव में पहुंचते-पहुंचते यह पन्द्रह पैसा रह जाता है। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात निकले। इसलिए अभिभाषण में क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया, इस बात का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि लागू क्या होगा। यह जो कुछ ही दिनों की सरकार है, यह नतीजा इस बात का निकलता है कि जिन ब्लैक-मार्केटरों पर, राजस्थान की सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो निर्णय किया, जो राजस्थान की गरीब जनता को लूटने की पूर्व सरकार ने छूट दे रखी थी, उन पर निर्णय किया, वह स्वागत योग्य था। लेकिन जब राजस्थान के ब्लैक-मार्केटरों ने राज-

(श्री अमराराम)

स्थान की मण्डियों को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया तीन दिन के लिए, तो राजस्थान की सरकार ब्लैक-मार्केटरों के सामने धराशायी हो गई। घुटने टेक दिये। और केवल उसमें ही नहीं, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राजस्थान की गरीबी रेखा ने नीचे जो राजस्थान का सबसे ज्यादा गरीब है, वह राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज लेता है। दूसरी वस्तुएं लेता है। उनकी चेकिंग करने के लिए राजस्थान की सरकार ने निर्णय किया। निर्णय 5.12.98 को किया गया कि उनकी सडन चेकिंग की जायेगी लेकिन 14 दिसम्बर को निर्णय वापस ले लिया गया। जब राशन डीलरों ने धमकी दी कि जिस तरह से ब्लैक-मार्केटरों ने हड़ताल की है, उसी तरह से राजस्थान के राशन डीलर भी हड़ताल करेंगे। राजस्थान की सरकार न केवल ब्लैक-मार्केटरों के बल्कि राजस्थान की गरीब जनता का राशन, जो ब्लैक में बेचकर के खाते हैं, उन्होंने धमकी दी, उनके सामने राजस्थान की सरकार ने फिर घुटने टेक दिये। इस बात के लिए राजस्थान की जनता चिन्तित है।

यहां पर प्याज का सवाल आया। कल हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री कटारियाजी कह रहे थे कि भाव बढ़ गये तो कौनसा अन्याय हो गया। किसान को पैसा मिल गया। कहां? कटारिया जी, किसान का प्याज तो एक रुपये किलो से लिया था और 60 रुपये में बेचा और आपके प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि प्याज मत खाओ, आप तो सेव खाओ। इसलिए सेव खाने के लिए छोड़ दिया। यह हालत, जिन कर्मों के कारण सजा दी है, लेकिन आज जो राजस्थान की सरकार जिन ब्लैक-मार्केटरों के खिलाफ जिस तरह से नत-मस्तक हो रही है इससे सबसे बड़ा आने वाला खतरा यह बताता है कि राजस्थान की सरकार पूर्ववर्ती सरकार की तरह इन ब्लैक-मार्केटरों, इन बिचौलियों के चक्कर में आएगी। और यहां तक इस अभिभाषण में जो राजस्थान में सबसे बड़ा विकास के लिए और चिन्ता का विषय है बिजली, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार भी और वर्तमान सरकार भी, बड़े-बड़े भाषण जो हमारे मुख्य मंत्री होते हैं, आज चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन कम हुआ है। राजस्थान में बिजली चाहे वह किसानों के लिए हो, गांवों के लिए हो, चाहे उद्योगों के लिए हो, आवश्यकता है। लेकिन राजस्थान में 51 साल की आजादी के बाद भी बिजली का उत्पादन कम है। अगर कम है तो इसके लिए गुनहगार न राजस्थान की जनता है, न राजस्थान का किसान है, न राजस्थान का उद्योगपति है और न राजस्थान का निवासी है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस गुनाह के लिए जिम्मेदार है।

आज राजस्थान का किसान, जिसने 14 साल पहले बिजली के लिए कनेक्शन मांगा था, 14 साल के बाद सरकारें बदल जाये, लेकिन कनेक्शन नहीं मिलता। उस किसान की मजबूरी का फायदा राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और हमारे बिजली मंत्रीजी कहते थे कि यह

(श्री अमराराम)

नर्सरी योजना बड़ी पापुलर हुई है और उनकी पापुलरिटी का निर्णय दे दिया चौमूं में, कि वहां हमारे मंत्रीजी, जो भी बने थे, पांच साल में राजस्थान की विधान सभा में नहीं आ पाये। और जो सबसे ज्यादा जीतने वाले थे हमारे भाई, वह 43 हजार से आये। यह उनका नतीजा था। लेकिन आज जहां सरकार ने जो घोषणा की है, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा नई सरकार को, कि उन्होंने सात से आठ घण्टे की घोषणा की है। कुछ जगह लागू भी है। लेकिन जो तंत्र आज कमजोर है, राजस्थान के जिन इलाकों में तीन ब्लाकों में सप्लाई दी जाती है, सिस्टम ही यही है कि रात और दिन में 24 घण्टे। वहां सप्लाई देने का आठ-आठ घण्टे का ही सिस्टम है। अगर दो घण्टे ट्रिप हो गयी तो जैसा ऊर्जा मंत्रीजी कह रहे थे, हम कम्पन्सेट कर देंगे। ऊर्जा मंत्रीजी 24 घण्टे से 26 घण्टे आप कर नहीं सकते और वहां बिजली को कम्पन्सेट आप नहीं कर सकते।

राजस्थान में 20 प्रतिशत ऐसी ग्रिडें हैं जिनमें सिस्टम नहीं है। चाहे 132 के. वी. का हो चाहे 133 के. वी. बनाना हो, 33 की लाइन ओवर लोड हो या 32 की लाइन ओवर लोड हो। 20 प्रतिशत ऐसी लाइनें हैं जहां दो ब्लाकों में आप बिजली नहीं दे सकते। वहां तीन ब्लाकों में देनी पड़ती है और वहां जो शॉर्ट रह जाती है, जो सिस्टम में फॉल्ट आता है, कम रहती हैं उसको कम्पन्सेट नहीं कर सकते। और जो सबसे बुरी हालत, सरकार ने थ्री-फेस और एग्रीकल्चर के लिए तो बढ़ाई है लेकिन जो राजस्थान का, आपके अभिभाषण में लिखा है कि राजस्थान की 77 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। आपने सिंचाई के लिए तो एक घण्टा बिजली बढ़ाई लेकिन राजस्थान की 77 प्रतिशत जनता के लिए वह रात को अंधेरे में सोएंगे। जिनके बच्चे शाम से लेकर सुबह तक पढ़ नहीं सकते, जो मिलती थी वह भी घटा दी गई है। केवल थ्री-फेस एक घण्टे बढ़ा दी गयी और रात को जितनी टू-फेस मिलती थी शाम से लेकर सुबह तक, उसको बंद कर दिया आपने। क्या हम राजस्थान के जो गांवों में बसते हैं, राजस्थान के 100 में से 77, राजस्थान के दूसरे नम्बर के नागरिक नहीं हैं। चाहे वह किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। अगर यह दोहरा व्यवहार राजस्थान की ग्रामीण जनता के साथ किया गया तो इसका बदला आने वाले समय में राजस्थान की ग्रामीण जनता लेगी, वह बख्शेगी नहीं। अगर बिजली की कमी है तो हम बांटकर लेंगे। राजस्थान में जो शहर में बसेगा उसका बच्चा तो कभी भी उठ कर रात को पढ़ सकता है लेकिन गांव में चाहे वह स्कूल में पढ़ता है, चाहे कालेज में पढ़ता है। अभी मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन वह रात को पढ़ नहीं सकता। रात को हमारा कोई बुजुर्ग उठेगा तो उसको अन्धेरे में बाहर जाना पड़ेगा और हमारी पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, 51 साल की आजादी के बाद जिस गरीब की झौंपड़ी में चिमनी से बल्ब नहीं आया, अगर उसके बच्चों ने कहीं उम्मीद करके बल्ब जला लिया, चाह लिया तो अन्याय नहीं किया।

पूर्ववर्ती सरकार ने नियम कर दिया कि जिस गरीब की झौंपड़ी में बल्ब जला

(श्री अमराराम)

हुआ मिलेगा उस पर 1000 रुपये की पेनल्टी होगी। जिस गरीब ने वहां कोई बण्डल और माचिस बेच दिया घर के सामने, तो उस पर 3600 रुपये पेनल्टी होगी। राजस्थान की पूर्व सरकार ने यह कह दिया, ऐलान कर दिया था कि कोई इंस्पेक्टर किसी भी दुकान को चैक करने नहीं जाएगा, इंस्पेक्टर राज खतम है। वर्तमान सरकार भी कह रही है कि कोई चैक करने नहीं जाएगा, छापा मारने नहीं जाएगा। लेकिन न पूर्व की सरकार ने और न वर्तमान सरकार ने यह कहा कि किसान के कुएं पर छापा मारने के लिए विजिलेंस नहीं जाएगी। 14 साल के बाद में अगर कनेक्शन नहीं दिया तो यह पूर्व सरकारों की कमी है। मैं तो इस बात को भी नहीं मानता कि 14 सालों में गरीब, जो एक लाख रुपये जमा नहीं करा पाये, वह अपने जेवर बेचने के बाद में भी, जमीन बेचने के बाद भी कनेक्शन नहीं ले पाये।

जैसा कटारिया जी कह रहे थे वह लाइन डालकर चला रहा है। अगर उसने गेहूं पैदा कर दिया, उसने सरसों पैदा कर दी, तो राजस्थान के लिए और इस भारत के लिए पैदा किया है। चोरी नहीं मानता मैं इस बात को। हमारी अक्षमता है, राजस्थान की सरकार बिजली पैदा नहीं कर पायी और कनेक्शन नहीं दे पायी। वह बच नहीं सकती। उसके पास अपना जेवर नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है। उसने अगर कनेक्शन ले लिया तो उसको आप अवैध कह सकते हैं, लेकिन विफलताएं हमारी हैं और सजा उनको दें, यह नहीं हो सकता।

आज इस बात की आवश्यकता है, आज इस देश में तेल आयात किया जाता है, दाल आयात की जाती है। गेहूं और चावल आयात किया जा सकता है। तो राजस्थान का किसान अगर बिजली के तार लगाकर गेहूं और दाल पैदा कर देता है, तिलहन पैदा कर देता है तो उसने अन्याय नहीं किया। इस देश के लिए पैदा किया है। अपने घर के लिए पैदा नहीं किया। अपने लिए भी पैदा करता है और देश के लिए भी पैदा करता है। यह कमजोरियां हमारी हैं।

आज जहां नर्सरी योजना को खतम करने के लिए अभिभाषण में लिखा गया, मैं विद्युत मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने 28 दिसम्बर को बिजली की नर्सरी योजना में फार्म लेना तो बंद कर दिया लेकिन तत्कालीन सरकार ने 50 पैसे से 1.43 पैसे यूनिट का लेना शुरू किया था। क्या मंत्रीजी आपने 28 दिसम्बर से बंद कर दिया? अभी भी नर्सरी योजना में जिन्होंने कनेक्शन लिया है अगर आपने योजना समाप्त कर दी है तो जिन भी किसानों ने नर्सरी में कनेक्शन लिया है, आज तक उनसे 50 पैसे यूनिट से बिल वसूल करने का आदेश आपको देना चाहिए, वरना राजस्थान के किसानों को आपने ठगा है। नर्सरी योजना समाप्त करने के नाम पर आज भी एक रुपये 43 पैसे राजस्थान के किसानों से वसूल किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसूल करती थी।

राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने जो पेनल्टी की थी चाहे किसान हो, चाहे कोई गरीब हो, बिल समय पर नहीं चुकाता

(श्री अमराराम)

था तो पांच प्रतिशत की पेनल्टी थी और पेनल्टी होनी चाहिये। पेनल्टी होनी चाहिये, मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं लेकिन राजस्थान की पूर्व सरकार ने केवल पेनल्टी नहीं, जो गरीब अपना पेट काटकर कुआं चलाता था, अगर बिल समय पर नहीं दे पाया तो 36 प्रतिशत का ब्याज और लगेगा। बैंक में ब्याज छह महीने के बाद लगता है लेकिन पूर्व सरकार ने 36 प्रतिशत, दो महीने बाद चक्रवर्ती से, राजस्थान के किसानों को मारने का काम किया। और जो राजस्थान में सबसे गरीब हैं, जो गरीब सबसे पीछे हैं, जो पैसा नहीं दे सकते उसका प्रोविजन इन्होंने कर दिया था कि उसका बिल न चुकाने के कारण कनेक्शन कट जाये तो बिजली की लाइन में वह नहीं आ सकता, दुबारा नहीं ले सकता। अब भी वह लागू है। मेरा सरकार से निवेदन है....

डॉ. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : 24 प्रतिशत है।

श्री अमराराम (धोद) : 36 प्रतिशत है।

डॉ. चन्द्रभान : 36 प्रतिशत इंडस्ट्री वालों के लिये है।

श्री अमराराम (धोद) : 24 प्रतिशत तो है और दो महीने से चक्रवर्ती है। दूसरा बिल दो महीने से आप देते हैं।

डॉ. चन्द्रभान : अब उसके बारे में विचार चल रहा है। लेकिन आपका यह कहना सही है कि वह 24 प्रतिशत है, उसको सरकार ज्यादा मानती है। उस पर विचार कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिये 36 प्रतिशत है।

श्री अमराराम (धोद) : अब आप उसका जोड़-बाकी करवा लें। मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान में जितने बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, छह महीने के बाद चक्रवर्ती ब्याज लेते हैं और आपके बिजली बोर्ड में दो महीने से बिल देने का कायदा है। एग्रीकल्चर हो चाहे डी. एल. हो, जब दूसरी दफा आता है तो उसके अन्दर ब्याज पर ब्याज लगकर आता है।

डॉ. चन्द्रभान : यह डिफाल्टर्स के लिये है, बाकी के लिये नहीं है 24 प्रतिशत।

श्री अमराराम (धोद) : डिफाल्टर तो होगा ही। जिसका अनाज एक रुपये में बिकेगा, जिसको कोई लेने वाला नहीं होगा। और सही कहा है कटारिया जी ने, कि इस देश में केवल किसान (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री अमराराम (धोद) : बिलकुल। कटारिया जी को आज याद आया, भारतीय जनता पार्टी को आज 50 साल के बाद याद आया है कि केवल यह राजस्थान का किसान, जो अपने खेत में अनाज पैदा करता है उसकी कीमत तय नहीं करता। अभी तो प्रधान मंत्री जी हैं, उनके, जो कि सक्षम प्रधान मंत्री हैं, क्यों नहीं कानून बनवा देते। लेकिन वह उसके लिये नहीं है। राजस्थान में हिन्दुस्तान की देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार ने घोषणा की, कि देश में जो भी गरीबी की रेखा के नीचे है, उसको आधी कीमत पर राशन मिलेगा। लेकिन

(श्री अमराराम)

राजस्थान की सरकार के मुखिया ने कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है। और न ही सरकार ने जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको आधी कीमत पर राशन देने का, मुझे तो इसमें दिखाई नहीं दिया। जो खुद कीमत तय नहीं कर सकते, उन किसानों की दुर्दशा है। ऐसी कोई फसल नहीं, जब भी फसल आयेगी, उसकी कीमत गिरेगी और थोड़े दिनों के बाद में जब वह पूरी की पूरी फसल किसान से मध्यस्थों के बीच में चली जाती है; वह अपने आप दुगुने और तिगुने भावों पर लूटने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आपसे

(15.20 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

निवेदन है कि सरकार जहां राजस्थान में बंद कारखाने हैं, बंद कारखानों के मामले में जहां सरकार यह घोषणाएं करती है, नोजवानों की बात करती है, रोजगार देने के बजाय जो रोजगार में लगे हुए थे, आज अकेले कोटा सिंथेटिक्स के पांच-साढ़े पांच हजार मजदूर थे, सैंकड़ों कारखानों से हजारों और लाखों की संख्या में राजस्थान के मजदूर बेरोजगार हुए हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार की कोई नीति नहीं है। राजस्थान की सरकार उन्हीं नीतियों पर चलना चाहती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कारखाने बंद करवाये थे। कारखानों की गलत नीतियों के कारण कारखाने बंद हो रहे हैं। मंदी का दौर है। जिन आर्थिक नीतियों के कारण, और उसका नतीजा है केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हिन्दुस्तान की राज्य सभा में उन पेटेंट कानून और बीमा नियमन विधेयक में दोनों एक साथ हैं, और उसी का नतीजा है कि पूरे हिन्दुस्तान में कारखाने बंद हो रहे हैं, उनका नतीजा यह हो रहा है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस अभिभाषण में जो राजस्थान का सबसे गरीब तबका है, जो गांव का 70 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत खेत में मजदूरी करता है, गांव में मजदूरी करके अपना पेट भरता है। उनके लिए 50 साल में कोई कानून नहीं बना। नीलगाय के लिए कानून बना दिया, मोर के लिए कानून, लेकिन जो गांव में मजदूरी कर के पेट भरता है उसके लिए हिन्दुस्तान और राजस्थान की सरकार ने आज तक कानून बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी सुरक्षा को कोई गारंटी नहीं है। उन खेतिहर मजदूरों के लिए कानून नहीं बना।

राजस्थान कैनाल के सैकण्ड फेज में जो अरबों बीघा जमीन है, पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि विशेष आवंटन से वो लेगा, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा। और वह लोग निश्चित रूप से जमीन लेंगे। लेकिन उस जमीन को इस इरादे से लेते हैं कि आज जिसने आठ लाख में मुरब्बा लिया है वह चार साल बाद 32 लाख में बेचेगा। उसका इरादा खेती करने का नहीं है। खेती को विकसित करने का नहीं है। फर्स्ट फेज की भी यह हालत है। सैकण्ड फेज में इस सरकार की भी वही नीतियां थीं, और आयी हुई सरकार की भी यही नीति है कि आक्शन से बेची जायेगी। गरीब किसान जो वास्तव में खेती का विकास करना चाहता है, जिसका पूरा परिवार आज तक खेती में लगा हुआ

(श्री ग्रमराराम)

है उसको कम कीमत पर, गरीब भूमिहीन किसान को, छोटे किसान को जमीन देने का इरादा, मैं समझता हूं यह सरकार भी नहीं रखती है । राजस्थान की जनता, इस राजस्थान कैनाल के ढाई हजार करोड़ रुपये का पेमेंट राजस्थान की जनता करेगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा भी राजस्थान के उस निर्धनतम व्यक्ति को मिलना चाहिये जो खेती में विश्वास रखता है न कि राजा । जिस तरह से पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने राजा ग्रौर रानियों को मुरब्बे दिये । पांच साल तक बड़े राजा—रानियों के गढ़ों को, जिन गढ़ों के ग्रन्दर राजस्थान के किसान ने चमचेड़ बुलायी थी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने उन गढ़ ग्रौर किलों को हैरीटेज होटल बना कर चमकाने का काम किया । लेकिन ग्राज भी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के उन राजा ग्रौर रानियों के पास 50 साल की आजादी के बाद भी कई सरकारें, कांग्रेस ग्रौर भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद भी हजारों एकड़ जमीन सीलिंग से ज्यादा है जो कानून के कटघरे में खड़ी कर रखी है । न पूर्ववर्ती सरकार निकल सकी और न ग्राज यह वर्तमान सरकार । वह जमीन जो खेती के लायक है, उनको जब तक निकाल कर नहीं देंगे, न राजस्थान की ग्रामदनी बढ़ेगी न राजस्थान का विकास बढ़ेगा । इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में यह निवेदन है कि राजस्थान की सरकार की जो भी जमीन है उस पर जो राजस्थान का सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे पिछड़ा हुआ है उसका हक सबसे पहले है न कि उसका है जिसने बेइमानी से, भ्रष्टाचार से, लाखों-करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है । इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जो विश्वास प्राप्त किया है ...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद—विवाद का जो समय निर्धारित किया था वह ग्रापके दल के लिए पांच मिनट था, ग्रौर साढ़े अट्ठारह मिनट बोल लिये । मेरा ग्रापसे ग्रनुरोध है कि ग्राप संक्षेप में समाप्त करें ग्रपना भाषण ।

श्री ग्रमराराम (धोद) : ग्राप का हुकुम शिरोधार्य ।

ग्रध्यक्ष महोदय, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो पैसे वाले हैं उनकी पैरवी करने के लिए कोई कमी नहीं है । राजस्थान की सरकार को उन लोगों की पैरवी करने की ग्रावश्यकता है जो राजस्थान के वे निर्धनतम लोग हैं जिनके लिए योजना केवल कागजों तक बनती है उन तक पैसा मिले ।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, ग्राज भी शिक्षा की सब से दयनीय हालत राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जो प्राइमरी शिक्षा है, ग्राज हालत यह है कि जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए गांव में हर पंचायत समिति में वहां 300—300 बच्चों को एक-एक ग्रध्यापक पढ़ाता है । उनको ग्रौर पिछड़ा हुग्रा 50 साल बाद में हम रखना चाहते हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, पाइंट ग्राफ आर्डर ।

श्री ग्रमराराम (धोद) : अगर राज-

(श्री अमराराम)

स्थान को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, आज भी कोई पंचायत समिति, जिला परिषद ऐसी नहीं है जहां 40 पर एक अध्यापक रखने का है। जहां अमर्त्य सेन, जो राष्ट्रीय पुरष्कार प्राप्त हैं, वो भी चाहते हैं कि शिक्षा का सार्वजनिकरण हो। हर बालक को शिक्षा 50 साल बाद भी, संविधान में तो लिख दिया है लेकिन हम आज तक नहीं दे पाये जबकि हमारे पास शिक्षित और ट्रेंड

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की वहां खड़े रहने की कोई परम्परा नहीं है, गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। मंत्री जी अध्यक्ष यों बात नहीं कर सकते हैं। आसन पर बैठे हुए अध्यक्ष जी, आप नयी परम्पराएं मत डालिये।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए जब तक शिक्षा पर इस बात का गहन अध्ययन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। राजस्थान सरकार के जो मंत्रियों के वक्तव्य आये हैं, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि राजस्थान सरकार अगर आठवीं तक के स्कूलों को फिर पंचायत राज के अधीन दे देंगी तो राजस्थान की 70–80 प्रतिशत जनता के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये।

श्री अमराराम (धोद) : मेरा तो मानना है कि राजस्थान की सरकार अगर ग्रामीणों के साथ भेद नहीं करना चाहती तो प्राइमरी एजुकेशन भी शिक्षा विभाग के तहत दे देनी चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं।

इस तरह से मंत्री आकर आसन के पास बात करे, यह अब तक की परम्परा नहीं रही है, यह नयी परम्पराएं डाल रहे हैं क्या आप ?

श्री अध्यक्ष : कौनसी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री आकर आसन के पास खड़े होकर बात करे। अब तक तो सचिव ही बात करते हैं इस तरीके से मंत्री जी भी आ कर के और आसन से, आप विराज जाएं नहीं तो मुझे बैठना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसी परिपाटी रही है। पूर्व में भी रही है और मैं प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से भी कई दफे अध्यक्ष महोदय से बात करता रहा हूं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को तो निश्चित तौर पर....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके वैश्म में आकर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वैश्म में मैं कर सकता हूं लेकिन कोई जरूरी बात हो तो मैं यहां भी कर सकता हूं। माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा में राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता के साथ जो क्रूर मजाक आज तक की सरकारों ने किया, उनके बच्चों को जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, उनके और पिछड़ने का

(श्री अमराराम)

काम किया है। मैं समझता हूं यह सरकार, जिसको बहुमत राजस्थान की जनता ने दिया है, राजस्थान की ग्रामीण और शहरी जनता ने दिया है, जो राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता के साथ क्रूर मजाक है, उसको मिटाने का काम करेगी। नहीं करेगी तो उसका प्रतिफल जो पूर्व सरकार को दिया है उससे भी बुरा आने वाले समय में इस सरकार को मिलेगा। इसलिए इस नसीहत को लेकर राजस्थान की सरकार चलेगी। इसलिए इस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल धन्यवाद प्रस्ताव में प्रस्तावक, समर्थक और बी. जे. पी. के माननीय सदस्य, श्री गुलाबचन्द कटारिया के बोलने के बाद कांग्रेस पार्टी का 8 घंटे और 56 मिनट बाकी रह गये और भारतीय जनता पार्टी के एक घंटा और 34 मिनट हैं। बाकी को पांच-पांच मिनट का समय था। इसमें अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य बोल चुके है, कितने मिनट बोले, मुझे मालूम नहीं है। हैं? 20 मिनट बोले। तो अब एक घंटा 14 मिनट इनके बाकी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संक्षेप में बोलें। बड़ी पार्टियों के 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे और दूसरी पार्टियों को पांच मिनट दिया है उसकी जगह दो-तीन मिनट इसमें मैं बढ़ोतरी करता हूं और इसी में आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्रीमती रमा पायलेट (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने सभी साथियों को नये साल की मुबारकबाद देने के साथ-साथ राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां आकर दिया, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर कुछ बोलना चाहूंगी। कल जब मैं भाषण सुन रही थी तो हमारे भाई बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कटारियाजी बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं बता-बताकर हम लोगों से पूछ रहे थे कि हमें यह भी पसन्द नहीं है और वह भी पसन्द नहीं है। और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने गिनायीं जो सुनने में मुझे बहुत अच्छी लगीं और एक बार तो मैं सकते में आ गयी कि ये बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, फिर हम सब क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता को देखा जाए और वास्तविकता में जाया जाए तो ऐसा लगता है कि कागज और प्रशासन में जो कर्मचारी क्लेरिकल, जो क्लर्क का काम करते हैं उनसे बहुत ज्यादा काम लिया गया और बहुत सुन्दर तरीके से कागजों का प्रयोग किया गया, स्याही का प्रयोग किया गया और बहुत बढ़िया तरीके से प्लान बनाया गया। योजनाएं बनायीं और वे योजनाएं बहुत सुन्दर नामों से अलंकृत की गयी और उनके अन्दर जो बातें रखी गयीं वह भी इतनी सुन्दर थीं कि पढ़कर के कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये योजनाएं गलत है। लेकिन वास्तविकता, कल से कई माननीय सदस्य यहां दिखा रहे हैं, बता रहे हैं फिर भी विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य आज भी मानने को तैयार नहीं हैं। यह वास्तविकता की बात नहीं है, व्यावहारिकता की बात नहीं है। व्यावहारिकता इस बात की है कि जो योजनाएं इतने सुन्दर तरीके से रेशम के धागे से बुनकर उन पर चार चांद लगाकर इस पूरे प्रदेश

(श्रीमती रमा पायलेट)

की जनता के सामने रखी गयीं, उनमें दूर से देखकर जैसे मोर को कहा जाता है कि बहुत सुन्दर है, दूर से देखकर जैसे उसकी प्रशंसा की जाती है, और हम लोग यहां तक प्रशंसा कर देते हैं उसकी कि मनुष्य को भी उसी परिभाषा में अगर उसकी सुन्दरता का बयान करना हो तो रख देते हैं। इसी तरह से इन योजनाओं को हम देखकर पूरे प्रदेश की योजनाओं को अगर कोई अन्य प्रदेश का व्यक्ति पढ़ता है या केन्द्र का व्यक्ति पढ़ता है या कोई विदेशी व्यक्ति पढ़ता है तो अवश्य ही ये सराहना करने लायक हैं। वे सराहना के काबिल हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन एक भी योजनाओं पर आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और ऐसी एक भी योजना, जो लिखित रूप में पूर्व सरकार के पास आज भी मौजूद है। मैं समझती हूं अगर आज उनको जाकर देखा जाए तो उनके पन्ने ज्यों की त्यों प्रेस हुए दफ्तर में मिलेंगे। अगर उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता, अगर वे योजनाएं कागजों पर लिखी गयीं, जो प्लानिंग बनायी गयी और जिसमें इस प्रदेश का पूरा पैसा बेकार कर दिया गया और उन व्यक्तियों से जिनके ज्ञान को हमको इस प्रदेश के विकास के लिए लगाना चाहिए था उस ज्ञान को उन कागजों के अन्दर सारे प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए व्यक्तियों के ज्ञान को उसमें बांधकर रख दिया गया है। हम भी गांवों में जाते हैं। किसानों को देखते हैं, किसानों की हालत को देखते हैं। वहां जो किसान की हालत पिछले आठ साल में देखने को मिलती है, मैं समझती हूं, उससे पहले कभी इतनी बदतर हालत नहीं थी।

1991–92 में जब पैट्रोल की बात आयी थी तो राज्य सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसानों को किसी तरह से शांत किया जा सके और उनकी जो छोटी–मोटी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर सके। कुछ ऐसे लाइसेंस भी दिये गये और कुछ लोग अनधिकृत रूप से ऐसा भी करते गये कि डीजल के अन्दर मिलावट करके किसानों को डीजल के नाम पर बेचते रहे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह मिलावटी डीजल भी उन डीलरों के पास से किसानों को मुहैया नहीं हुआ और यह आंखों देखी बात है कि किसानों ने ट्रैक्टरों को लाकर लम्बी-लम्बी कतारें पैट्रोल पम्पों के ऊपर लगाकर रात-रात गुजार दी फिर भी उनको मिलावटी डीजल भी मुहैया नहीं कराया गया। किसान अपने बच्चों की पालना, अपने परिवार के खाने-पीने की व्यवस्था करना, इस धरती के पेट को चीरकर करता है। सरकार जो गत आठ वर्षों में प्रदेश के अन्दर रही, मैं समझती हूं कि उसमें भी कुछ माननीय सदस्य इस जाति "किसान" से सम्बन्ध रखते होंगे और मुझे यह भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन ऐसे किसानों को, जो यहां राज्य में रहे और जो इस हाउस में रहें, उन्होंने बाहर वाले किसानों को अनदेखा क्यों कर दिया। उन किसानों के ऊपर उन्हें बिलकुल दया नहीं आयी, दया नहीं धर्म नहीं आया। अपना चरित्र जो नैतिकता के तौर पर दिखाना चाहिए वह नहीं दिखाया गया। वह किसान जो बड़े किसानों की जमीन को करता है,

(श्रीमती रमा पायलेट)

मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहती लेकिन ऐसे बहुत से बड़े किसान प्रदेश के अन्दर हैं जो अपनी खेती को दूसरे छोटे किसानों से करवाते हैं और उन छोटे किसानों का जो वेतन होता है, मजदूरी होती है वह बहुत ना के बराबर होती है। सरकार ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया। और ऐसे बहुत से किसानों ने इस हाउस के बहुत से सदस्यों का कई जगहों पर घेराव भी किया और उन पर अपने क्षेत्र में आने पर बन्ध भी लगाये, काले झण्डे भी दिखाये लेकिन चूंकि उस गरीब की आवाज को जिसमें इतना बल नहीं था, न किसी बलवान किसान ने सुना और न बलवान शक्तिशाली राज्य सरकार में निहित व्यक्तियों ने सुना। मुझे यह कोई शौक नहीं है कि मैं यहां हाउस में खड़ी हूं और कोई भी सरकार अगर हमसे पहले रही हो तो मैं उसकी आलोचना करूं। मैं सरकार के कार्य की आलोचना करना चाहती हूं न कि सरकार की।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी बहुत सी नीतियां इतनी अच्छी बनायी गयीं जिनमें आंगनबाड़ी और तरह-तरह की प्राथमिक शिक्षाओं को इतने अच्छे नाम दिये। हालांकि अगर मैं यह कहूं कि गत सरकार ने वही योजनाएं जो कांग्रेस सरकार ने बनायी थीं, नाम बदलकर उनको दूसरा जामा पहनाकर सामने खड़ा कर दिया था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर फिर भी जैसा था उसके हिसाब से भी उस शिक्षा के क्षेत्र में जो गांवों में होता रहा। अध्यापक शहरों में अपने ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते रहे। गांव के किसी दूर-दराज के स्कूलों में अध्यापक गये। एक दिन में पूरे रजिस्टर में हाजिरी भरकर चले आये। जिस स्कूल में दो अध्यापक हैं उन स्कूलों में एक अर्जी दे दो बिना दस्तखत के और स्कूल में रख दी गयी। खुदा-न-खास्ता भूले-भटके अगर शिक्षा अधिकारी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए चला आया, इन्क्वायरी करने के लिए चला आया तो उसका जो दूसरा साथी है उसने उसी दिन की तारीख और उस पर दस्तखत कर दिये। यह हालत शिक्षा की है। और ऐसी हालत भी शिक्षा की है कि जहां स्कूलों का भवन निर्माण, पानी, यह तो छोड़ दीजिये उनको बैठने के लिए टाट-पट्टी भी मुहैया नहीं है। गांवों में ऐसे भी स्कूल हैं जहां पीने के पानी का एक भी नल नहीं है। अगर खुदा-न-खास्ता एक हैण्ड-पम्प लगा हुआ है तो वह खराब हो गया। खराब हो गया तो उसका बस्ता बन्द। उसको बनाने का कोई तरीका नहीं है, उसको बनाने के लिए कोई नाम लेने वाला नहीं है। हैण्डपम्पों की बात मैं बीच में लेकर आ रही हूं। मुझे याद आता है कि ऐसे-ऐसे विधान सभा क्षेत्र और ऐसी-ऐसी तहसीलें इस प्रदेश के अन्दर हैं जहां 150—150 की संख्या में हैण्ड पम्प लगे लेकिन एक भी हैण्ड पम्प चालू नहीं है।

माननीय श्रीमती कमलाजी बेनीवाल यहां उपस्थित नहीं हैं आप उनसे बात करके देखें। उनके क्षेत्र में 150 हैण्ड पम्प्स लगे लेकिन एक भी नल काम का नहीं है। उन्हीं के यहां की बात नहीं कर रही। अब नहीं कर रहे हैं तो मैं तो कराने की गुजारिश कर रही हूं। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे स्कूल और ऐसे धार्मिक स्थान

(श्रीमती रमा पायलेट)

भी हैं जहां पर पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं कराया जाता। मैं 1992 की एक बात कहना चाहती हूं। मैं बूंदी से जयपुर की तरफ आ रही थी। रास्ते में बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई लोग खड़े थे, कम से कम हजारों की तादाद में थे। मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई और पूछा कि यहां पर क्या हो रहा है तो उन्होंने उंगली से दूर से दिखाया कि यह देखिये यह हो रहा है। और हो क्या रहा था, पचास-पचास, तीस-तीस और चालीस-चालीस की कतार में हमारी महिला बहनें अपने सिर पर घड़े रखकर, क्योंकि वहां पर कोई मेला होने वाला था उसके लिए वो पानी लेकर आ रही थीं। जहां लाखों व्यक्तियों का मेला लगता हो, जहां तीन-तीन धर्म स्थल हों, वहां पर अगर सरकार एक नलका नहीं लगा पायी तो मैं नहीं चाहते हुए भी, मैं नहीं चाहती मैं बुराई करूं, मैं नहीं चाहती कि मैं आलोचना करूं, लेकिन इस बात के लिए मैं नकारात्मक उत्तर भी नहीं देना चाहती। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूं कि सकारात्मकता के लिए बताइये कि आपमें क्या कमियां हैं।

उसके अलावा स्वास्थ्य की बात आपको बताती हूं। स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये गये सब जगह। और वहां ए.एन.एम. और दूसरे तीसरे नाम रखकर कुछ-कुछ विभाग से पोस्टिंग भी कर दी गयी। डाक्टर्स की पोस्टिंग वहां कर दी गयी। लेकिन जैसा हाल अध्यापकों का था बिल्कुल वैसा ही हाल डाक्टरों का है। डाक्टर्स रहते तो हैं लेकिन सिर्फ आन ड्यूटी। प्रेक्टिकली, फ़िज़िकली एग्ज़िस्टेंस उनकी वहां नहीं होती। कागजों में जरूर होती है और जब वह तनख्वाह लेने जाते हैं या उनका ऊपर नीचे का कोई और अधिकारी हो वो कभी उनकी चैक कर ले, तो ऐसा हिसाब किताब आपस में बैठाया हुआ है, ऐसी कड़ी आपस में जोड़ रखी है कि एक से दूसरे को पता ही नहीं चलता है कि वो काम कर रहा है। मजाल है उसके मुंह से कोई नकारात्मक शब्द निकल जाय। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं, कि आज किसी भी विभाग को आप देख लीजिए। हर विभाग के अन्दर छोटे चपरासी कर्मचारी से लेकर ऊपर के अधिकारी तक और पब्लिक सैक्टर में जो जनता के लोग हैं जो माननीय सदस्य और सदस्य हैं वो लोग भी एक ऐसे व्यूह चक्र में फंसे हुए हैं, एक ऐसा विशियस सर्किल बन गया है जिससे कि भ्रष्टाचार को मजबूती देने के लिए लगता है कि सब के सब जुड़े हुए हैं। चाहे वह राजनीति से जुड़े लोग हैं चाहे वह सरकार से जुड़े लोग हैं। चाहे वो अपना धन्धा करते है। ऐसा कुछ अपना धन्धा और प्राइवेट कार्य करने वाले हैं जो छोटे-मोटे उद्योग करने वाले हैं, बड़े उद्योग करने वाले हैं, उन्होंने एक ऐसा जाल फैलाया, उसका एक इतना बढ़िया अभिमन्यु जैसा चक्रव्यूह बना दिया है कि वो हर तरह से सरकार को अपने अन्दर लपेटने में काबिल रहे। और सारे माननीय सदस्य जो यहां उस वक्त सरकार के अन्दर थे, उनको सबको ऐसे लिप्त रखा कि बाहर आकर आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उन्होंने हिम्मत ही नहीं जुटाई कि वो आकर बाहर बताएं कि फलां जगह गलत हो रहा है और हम यह डिसीजन लेने वाले हैं। पिछली सरकार ने कहीं कोई गट्स नहीं दिखाये।

(श्रीमती रमा पायलेट)

कोई ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई कि आकर आम पब्लिक के सामने अपनी गलती को कबूल कर ले और यह कहे कि हां यह हमसे गलती हुई है। हम इस बात पर जरूर कार्यवाही करेंगे और जनता को न्याय देंगे। क्योंकि वो खुद उस चक्कर में घिर गये थे और वह मजबूर हो रहे थे। रास्ता मिल नहीं पा रहा था और अभिमन्यु एक ही हुए थे। बड़ी शर्म की बात रही उन दिनों।

पंचायत के तहत जो स्कूल आते हैं। पंचायती राज, हालांकि हमारे महानुभाव नेता द्वारा यह योजना शुरू करायी गयी थी। हमने उसको आगे क्रियान्वित किया। गत सरकार को जब यह पूरा प्रदेश और सरकार उनके हाथ में सौंप दी गयी तो उस पंचायत को, न कि एक टुकड़े में रखा बल्कि उसके कई ऐसे टुकड़े कर दिये जो असम्माननीय थे। जो हिसाब से होने चाहिए थे वह नहीं थे। अगर जीरो यहां है तो सौ वहां है। पचास यहां हैं तो दस यहां पर। उसमें कोई समन्वय नहीं रहा। और समन्वय नहीं होने के कारण जो उनके तहत स्कूल आए तो उसके तहत कार्य आये वो कार्य बिल्कुल नहीं हो पाये क्योंकि आपस में एक दूसरे की कड़ी से कड़ी अगर प्रशासन के अन्दर जोड़ दी जाती है तो वह कार्य सुगम होते चले जाते हैं। ऐसी कोई नई बात प्रशासन ने और सरकार ने नहीं रखी जिससे जो चुने हुए व्यक्ति हैं और जो सरकारी विभाग के व्यक्ति हैं, वह आपस में बैठें। उस बात का फैसला लें। मीटिंग करें और उस कार्यवाही को करें। हर आदमी इस ताक में रहा कि अगर हमें एक लाख रुपये का बजट यहां पर मिला है उस एक लाख रुपये में से कैसे पचास हजार रुपये का काम करें और एक लाख रुपये को कागज में कैसे चढ़ाएं। उसके लिए मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि हम सब, हमारी पार्टी के सभी व्यक्ति दूध के धुले हुए हैं। सब अंगुलियां बराबर नहीं होतीं (व्यवधान) ...जो बात है वह मैं सही कह रही हूं आपके सामने। लेकिन अब यहां सवाल आठ सालों का है और आठ सालों में ऐसा होता रहा है। मैं बहुत प्रशंसा करती, पिछली सरकार की मैं बहुत प्रशंसा करती अगर वो इस पिछले आठ साल में ऐसा अच्छा कार्य करके दिखाते कि आज हम सब यहां आप लोगों की प्रशंसा करते।

पिछले आठ साल में सड़कों की बहुत बड़ी–बड़ी योजनाएं बनायीं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर केन्द्र से और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर जो कार्य शुरू हुए थे उनके भी गीत गाये गये। जबकि प्रदेश सरकार को यह दिखाना और यह बताना और यह नम्बर लगाने चाहिए कि हमारी सरकार ने इतनी सड़कें बनायीं। और अगर सड़कें बना दीं, किसी की कहीं पर बत्ती लगी उसने अपना बजट पास करा लिया, सड़क बन गयी। तो सड़क बन गयी तो बन गयी, उसके बाद वह देखता ही नहीं है। कभी आज तक कोई ऐसी माननीय हाथों से बनी हुई कोई ऐसी वस्तु रही जिसको बिना रिपेयर के हम ऐसे के ऐसे रख सकते हैं? हर ऐसी चीज जो तकनीकी से बनायी जाती है जो मरम्मत चाहती है। और जब उसकी मरम्मत नहीं होती तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है जो आज हमें पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। जो सड़कें बनायी गयी थीं उनकी हालत

(श्रीमती रमा पायलेट)

इतनी खस्ता है कि आज इक्कीसवीं सदी में हम पहुंचने की बात कर रहे हैं। इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं, राकेट की उड़ान भरने की हम बात कर रहे हैं। आप अगर प्रदेश के गांवों के अन्दर चले जायं और वहां एम्बेसेडर गाड़ी और जीप भी चला लें तो आप मुझे उनका उदाहरण दे दीजिए ऐसे कौन कौनसे गांव हैं जिनमें से सारी की सारी जीप पास हो जाती हैं। फोर बाई फोर जीप भी सारे गांवों के अन्दर नहीं जा सकती। कई जगह ऐसी होती हैं और मैं ही नहीं, मेरा क्षेत्र ही नहीं, मैं समझती हूं तकरीबन पूरे प्रदेश के अन्दर ऐसे ऐसे गांव और ऐसी-ऐसी पंचायतें अभी हैं जहां से गाड़ी फोर बाई फोर भी पास नहीं होती। हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथीगण, हमारे गांव वाले लोग उतरते हैं, धक्का लगाते हैं और एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उस गाड़ी को पटकते हैं तब वह आगे रास्ता बना पाती है। (व्यवधान) चालीस वर्षों में हम लोगों ने जो काम किये थे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने चालीस साल को आठ साल के बराबर करके रख दिया। आठ साल में आपने जीरो कर दिया जो चालीस साल के अन्दर हमने काम किया था। और ऐसे ऐसे काम भी कर दिये जो मैं कहना तो नहीं चाह रही थी लेकिन मुझे मजबूर कर रहे हैं इस बात को कहने पर कि जो अत्याचार उस समय हुए उतने पिछले चालीस सालों में; आप अगर गिन कर बता दें तो मुझे जो चाहे सजा दे देना। ऐसी ऐसी महिलाएं और ऐसे ऐसे हमारे नौजवान बच्चे जिनके मां–बाप आज यूनिवर्सिटी में भेजने से कतराते हैं। जो मां–बाप आज अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को डर के मारे बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहते हैं। या तो वो अपनी बच्चियों को विद्यालय में भेजें और वहां पर शिक्षा ग्रहण करवाएं या फिर वो अपनी बच्चियों के मुंह पर तेजाब गिरवा गिरवा कर उनको घर में बैठाएं। आप इनका जवाब दीजिए अगर दे सकते हैं तो। जवान लड़कियों को विद्यालय में भेजते हुए मां–बाप कतराने लगे और उनको यह लगने लगा कि हम मां–बाप होते हुए हमारी ड्यूटी, शिक्षा की बात में बनती है, पहले लड़की के हाथ पीले करने की बनती है। और लड़की के हाथ पीले करने लायक जब आप लोगों ने नही छोड़ा लड़कियों को, तो कहां से लाएंगे आप इसका जवाब दीजिये मुझे। कौन लेगा उन लड़कियों को? बताइये आप। और बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आज तक ऐसे अधिकारियों को आपने कोई जामा नहीं पहनाया और आज तक भी आप उस बात की छानबीन नहीं कर पाये। आज तक भी उन दोषी लोगों का नाम आप लोग नहीं ले पाये। यानि आप गुण्डागर्दी से डरते हैं। जब सरकार आपके हाथ में थी तब भी आप गुण्डागर्दी करने वालों को सजा देने में डरते थे तो मैं समझती हूं कि अब अगर ऐसी बात हो गयी तो आप इसको कहने लायक नहीं हैं। ऐसे-ऐसे व्यक्ति आपने सरकार में लिये जो राज्य का नाम लेकर, सरकार का नाम लेकर अपना व्यापार कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को आपने राजगद्दी पर बैठा दिया। प्रदेश की जो सरकार का नाम माथे पर लगा कर चलते हैं ऐसे–ऐसे व्यक्तियों को आपने सरकार सौंप दी और

(श्रीमती रमा पायलेट)

ऐसे लोगों को आपने मंत्री बना दिया जिन्होंने इस प्रदेश का भट्टा बैठा दिया। जो इस प्रदेश के अन्दर रहने वाली जनता थी वह जनता गाड़ियों में बैठने के लिए तरस गयी क्योंकि उनके किराये इतने बढ़ा दिये गये कि आम गरीब किसान, आम गरीब मजदूर उसको वहन नहीं कर पाया और उसने बस में बैठने के बजाय पैदल चलना शुरू कर दिया। आपने यह उन्नति करके दिखाई 8 साल में। अब चालीस साल से उसको मिला लीजिए कहां ठीक बैठता है। आपने ऐसे लोगों को राजगद्दी सौंप दी जिन्होंने राज्य सरकार के नाम पर अपने धंधे चलाये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कह रहा हूं कि इसीलिए तो एक भी महिला जीत कर नहीं आयी।

श्रीमती रमा पायलेट : महिलाओं को छोड़ो। यह तो जनता की आवाज है। अच्छा हुआ आपने मुझे एक पाइन्ट याद दिला दिया। मैं नहीं कहना चाह रही थी हालांकि उस पाइन्ट को। कल जब आप बात कर रहे थे और माननीय सदस्य आप बोल रहे थे तो यह जवाब आ रहा था कि ठीक है, हमसे काम नहीं हुआ, तभी तो हम संख्या में चुनकर आये हैं। ऐसा नहीं है। आप इस वजह से कम संख्या में चुन कर नहीं आये। आप इस वजह से कम नम्बरों में चुनकर आये हो कि आपने जब 1990 में पहला चुनाव जीता तो आपने खूब दस्तावेज, पुलन्दे पहुंचाये और इस जनता को बिलकुल अंधा बना दिया ढोल ढपली राग गा–गा कर। वह मस्त हो गये जैसे कल मैं मस्त हो रही थी जब कटारियाजी बोल रहे थे। उसको असत्य और बढ़िया सपने दिखाये और आप भी क्यों नहीं दिखाते कोई भी व्यक्ति जब झूठ का हलवा बनाता है तो घी क्यों कम डाले। उसमें घी खूब डाला जाये और लोगों को खूब गुमराह किया गया। गुमराह करके उनकी वोटें आपने प्राप्त कर लीं। पहला तो चुनाव आप इस बात पर जीते। और जब दूसरे चुनाव की तैयारी करी तो उस पिछले तीन साल के दौरान सिर्फ आपने तैयारी ही यह करी थी कि हम–प्रशासन को कैसे फिट करें। हम लोगों के वोट लेने के लिए किस–किस तरीके से अपनी योजनाएं बनायें। सिर्फ वही योजनाएं आपने तीन साल में बनायीं, इसके अलावा कुछ नहीं बनायीं। और प्रशासन की सहायता लेते हुए, सरकारी मशीनरी की सहायता लेते हुए आपने दूसरा इलेक्शन जीता। अब तीसरा इलेक्शन आया, अब जनता के सामने खुलासा हो गया। अब जनता को पता लग गया कि यह तो वही व्यक्ति हैं कभी कुछ कभी कुछ। कभी कुछ कभी कुछ हमें ही दिखा दिखा करके हमें ही गलत बता-बताकर हमारी कमर, पीठ पर डंडे मारते हैं। वही किसान हैं। पहले तो गरीब आ गया सकते में कि यह तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। पता नहीं इतने साल से, चालीस साल से कांग्रेस की सरकार थी। यह पता नहीं क्या दे देंगे उस चक्कर में वोट मिल गये। दूसरी बार में आप लोगों ने ऐसा जमा लिया कि आपने अपना सब फिट कर लिया प्रशासन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से उन्होंने आपको वोट दिला दी। अब तीसरी बार लोगों की आंख हो गयी और प्रदेश की

(श्रीमती रमा पायलेट)

जनता की आंखें खुल गयी और उन्होंने यह देख लिया कि क्या सही है और क्या गलत है और दूध और पानी को अलग–अलग कर दिया। इस वजह से संख्या कम आयी है। और तो और, सुनिये आपने जब बजट पास किया। पिछली बार जब बजट में आपने सैल्स टैक्स का बजट बनाया था उसको पास करने के बाद 35 अमेंडमैंट आपने किये। जब बजट में एक बार पास हो गया तो कहीं कोई जरूरी या आवश्यक चीज है, उसमें आप अमेंड करना चाहते हैं तो आटे में नमक जितना तो चल जाता है लेकिन पूरा नमक ही नमक भर दो आटा ही नहीं मिले तो हर व्यक्ति कहेगा, हर व्यक्ति ऊंगली उठायेगा। अब 35 अमेंडमैंट जो आपने किये, उसमें इस सरकार को तीन सौ करोड़ का घाटा है। उसके अलावा जो जनरल बजट है, जिसका टैक्स 12 प्रतिशत था उसको घटा कर 8 प्रतिशत कर दिया जिसमें सीधा डेढ़ सौ करोड़ रुपये का सरकार को घाटा है। और कुछ ऐसे आइटम भी रखे हैं जिसमें एक निश्चित मार्का कर दिया है कि 31. 3. 99 तक इसकी दर कम कर दी जायेगी। जब एक बार बजट पास हो गया उसमें प्रतिशत की निश्चित राशि निर्धारित कर दी गयी, तो ऐसी क्या बात है कि बाद में सरकार को उसकी परसन्टेज को कम करना पड़ा। क्या इससे आप समझते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी की बदबू इधर उधर से नहीं आ रही आप लोगों में यह साफ जाहिर है इसमें कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों के सामने है। इसलिए मैं कह रही हूं कि ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह कहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है। प्रदेश में जब हमने सरकार ली है, हम देखते हैं कि पैसा है ही नहीं कहीं पर भी। हालत यह हो रही है कि जो मुझे हाउस में नहीं कहना चाहिये, मैं उस सबको कहना नहीं चाहूंगी। लेकिन फिर भी ऐसी हालत हो रही है कि आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह से चरमरायी हुई नजर आ रही है। वह क्यों नहीं चरमरायेगी, जो राजस्व के, वित्त के जरिये थे, साधन थे वह आपने खतम कर दिये। चुंगी आपने खतम कर दी, टैक्स कटौती आपने कर दी। यह चुनाव के लिये ऐसे स्टंट रचे गये क्या? लेकिन फिर भी अफसोस है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पूरे प्रदेश की जनता को, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, वह इतनी समझदार हो गयी कि चाहे तुम कितनी चुंगी खतम करो, टैक्स कटौती खतम करो और चुनाव स्टंट जितने मर्जी बना लो, लेकिन हम आपको अब समझ गये, हम आपको वोट नहीं देंगे।

पिछले काल में, माननीय सदस्य जो अभी मुझसे पहले बोल रहे थे, बिजली के मेगावाट की बात कर रहे थे। 8 साल का जो पिछला अर्सा था पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम था। महत्वपूर्ण समय था और तकरीबन सभी राज्यों में बिजली उत्पादन किया गया। किसी ने कितने मेगावाट बढ़ाया और किसी ने मेगावाट बतायी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान मे एक भी मेगावाट की बिजली पैदा नहीं की गयी यह बहुत शर्म की बात है। ....(व्यवधान) आठ साल की बात कर रही हूं मैं। तीन

(श्रीमती रमा पायलेट)

चार साल में, इतना महत्वपूर्ण पीरियड था कि जब अन्य प्रदेशों में हर जगह कई कई मेगावाट बिजली पैदा की गई लेकिन राजस्थान में पिछले साल एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं की गई उसका असर आपके सामने है। आपकी औद्योगिक इकाइयां इससे बिलकुल नीचे आ गयीं। आपकी कौनसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिसको ऊंचे स्तर से देखना चाहते हैं आप। पूरा प्रदेश, पूरा संसार यह समझता है कि राजस्थान में बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं और वहां पर उद्योग अच्छे चलते हैं। लेकिन बिजली आपने दी नहीं तो भिवाड़ी का बहुत अच्छा, कोई सफल औद्योगिकीकरण नहीं कह सकते। वह सब नीचे जा रहा है, उसका ग्राफ नीचे है। कोटा का नीचे है, अलवर का नीचे हैं बल्कि यहां तक कि एक-एक यूनिट बंद पड़ी हैं। यह उद्योग का हिसाब है।

मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से एक दो बात अपनी सरकार को कहना चाहती हूं। जो किसान है, अब तक जिसकी कमर तोड़ी गई है जो पहले अपने बच्चों के लिए दो जोड़ी कपड़े रखता था वह आज एक जोड़ी कपड़े पर आ गया है। उसका अगर हम कुछ उद्धार चाहते हैं तो कृषि की नीतियों में थोड़ा-सा बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे केन्द्र में भी माननीय वित्त मंत्रीजी ने एक पास बुक की घोषणा की थी उसी तरह से हमारी सरकार भी वहां बात करके, जो किसान लोग हैं उनको उनकी जमीन की पास-बुक दी जाये तो उनको बैंकों से कर्जा लेने में और अपने काम करने में सहुलित मिलेगी। मैं एक यह सुझाव देना चाहती हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाये तो जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनके परिवार को पालने के लिए उसमें चार चांद लगेंगे और उनकी जो बेक-बोन है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है थोड़ी-सी मजबूती उसमें उनको लगेगी। ताकि वह अपने बच्चों का भरण-पोषण अच्छी तरह से कर सकेंगे।

दूसरा, एक और बात कहना चाहता हूं। अध्यक्षजी, आपके माध्यम से हमारे यहां अभी सी. आई. ए. की जब मीटिंग हुई थी उसमें इजराइल के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि, इजराइल का वैसे संसार में सबसे अच्छा डेयरी फार्म है वहां पर। सबसे अच्छी दूध की डेयरीज वहां की है। उन्होंने बताया था कि वहां के नौजवान राजस्थान को देखने के लिए और राजस्थान में भ्रमण करने के लिए बहुत ही लालायित हैं और वह बहुत ही फेन हैं हमारे राजस्थान में आने के लिए। प्रति वर्ष 20 हजार युवक राजस्थान के अन्दर आते हैं राजस्थान को देखने के लिए लेकिन। उनको गाइडेंस की अच्छी सुविधा हम यहां पर करा सकें तो हमें वित्त में भी सहारा देगा और हमारा नाम भी दूसरे देशों में जाकर ज्यादा अच्छा होगा। पर्यटन विभाग में भी चार चांद, अपनी तरफ से हम इधर से उधर से, किसी तरह से हम अपना इन्तजाम करके पर्यटन स्थलों में थोड़ा-सा और व्यवस्थित ढंग से कर सकें, तो हमारे जो बाहर से आने वाले पर्यटकगण हैं उनको हम अच्छी तरह से अपने

(16.00)

प्रदेश की नोलेज दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं और उनसे हम पैसा भी कमा सकते हैं।

(श्रीमती रमा पायलेट)

एक तो हमारा नाम होगा और हम पैसा भी कमा पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगी कि पर्यटन विभाग पर भी हम थोड़ा-सा ध्यान दें ताकि हमारा प्रदेश पूरे संसार में एक अलग पहचान से, अलग से नक्शे पर आए और हमारी वित्तीय हालत भी पहले से ज्यादा अच्छी रहे।

मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी, जो पारदर्शिता का सबसे पहले हमारे माननीय राज्यपाल साहब के भाषण में कहा गया कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। और सारे विधान सभा के सदस्यों का उन्होंने इनकम टैक्स का ब्यौरा मांगा वह ब्यौरा इसी महीने के अन्दर-अन्दर, सारे सदस्यों की चल-अचल सम्पत्ति का सरकार के पास जमा चला जायेगा। यह एक बहुत अच्छा कदम है। इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी आयेगी, पारदर्शिता आयेगी जिससे जनता को यह मालूम होगा कि कौन-कौन सरकार को लूटने वाले, अत्याचार करने वाले, कोई ऐसे व्यक्ति तो सरकार के अन्दर नहीं हैं, इन सब का पर्दाफास इस बात से हो जायेगा। एक बात और मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूं। इन सब कामों को करने के लिए हमें मानिटरिंग, मैकेनिज्म की आवश्यकता है। अगर यह हम करके दे देंगे तो हमारे सब कार्य सुचारू रूप से चल पाएंगे।

एक मैं और अपना सुझाव देना चाहती हूं कि लोकपाल राज भी यहां पर हमें लाना चाहिए जिससे हमारी पूरी सरकार एक पारदर्शिता के घेरे के अन्दर आ जाये और हमारे सभी विभागों का लेना-देना, लेखा-जोखा सब बिलकुल साफ सबकी नजर में रहे, सारी जनता की नजरों में रहे। अब जो हमने लोगों के दुःख-दर्द, प्रदेश की जनता के दुःख-दर्द को जिन सरकारों ने नहीं सुना, उनसे आज अपने हाथ खाली हैं और नौजवान मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश में हैं। उनसे लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं, बहुत आशाएं भी हैं क्योंकि आठ साल में जो कुशासन वह देख चुकी है उनसे तंग आकर जितनी ज्यादा उम्मीद लगी है, मैं यह चाहूंगी कि हमारी सरकार पारदर्शिता को महत्व देते हुए और इस पूरे प्रदेश की जनता, जो इतने लम्बे-लम्बे आंसू आठ साल से बहा रही है उनको हम अपनी गोद में बैठाएं। उनके आंसू पोंछे और हम सब मिलकर बड़े सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में इस पूरे प्रदेश की जनता को अपना जीवन निर्वहन करने का रास्ता दें। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री किरोड़ीलाल।

श्री किरोड़ीलाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल कांग्रेस की 40 साल की उपलब्धियों को इस ढंग से गिनाया जैसे मानों हमारा कोई विक्रमादित्य का राज 40 साल से हिन्दुस्तान में चल रहा है और सारा मैला हमारे ऊपर फैंक दिया कि अपहरण सबसे ज्यादा हुए, बलात्कार हुए और मर्डर हुए। मेरे को ऐसा लगा इनके भाषण से जो अब तक मैं सुनता आया हूं कि 40 साल तक तो इस तरह की कोई घटना राजस्थान में, न हिन्दुस्तान में किसी कौने में हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही प्रधान मंत्री कांग्रेस में ऐसे थे जब तक ईमानदारी थी, श्रीमान् लाल

(श्री किरोड़ीलाल)

बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था जय जवान, जय किसान। उन्होंने जवानों का गौरव बढ़ाया, उन्होंने किसानों का गौरव बढ़ाया। और अब जब हमारे प्रधान मंत्री वैसे ही एक ईमानदार और पूरे राष्ट्र के हृदय सम्राट श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी आये हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर नारा लगाया जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। और उस विज्ञान से हमने पोकरण में बम विस्फोट किया और उस पोकरण के बम विस्फोट से देश का स्वाभिमान बढ़ा और हमारा भारत देश, जो एक छोटा-सा पाकिस्तान धमकी मार देता था, एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर भारतीय जनता पार्टी में राज में आया।

मैं कल से सुन रहा हूं भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार की चर्चाएं बहुत हो रही हैं और भ्रष्टाचार का जन्म ही तो कांग्रेस है। एक इंच जगह हिन्दुस्तान में कांग्रेस ने ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर भ्रष्टाचार नहीं फैलाया। आसमान पर फैलाया, जमीन पर फैलाया और समुद्र में फैलाया। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाजों में भ्रष्टाचार फैलाया, तो पृथ्वी पर चलने वाली तोपों में भ्रष्टाचार फैलाया और समुद्र में चलने वाली पनडुब्बियों में भ्रष्टाचार फैलाया, रेल की पटरी पर चलने वाले डिब्बों में फैलाया।

अध्यक्ष महोदय, गरीब और मरीजों की दवाइयों को खा गये। गरीबों के लिए मकान बनाये उनको खा गये। ऐसा कोई अंग, ऐसी कोई जगह इस कांग्रेस ने नहीं छोड़ी जहां पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं फैलाया और भ्रष्टाचार विरोधी उपदेश यह कल से हमको दे रहे हैं और कह रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया और प्रचंड मतों से हम आये हैं। हमको पता है यह प्रचंड मतों से कैसे आये हैं। 1993 में जो मेनीफेस्टो कांग्रेस का निकला और 1998 में जो मेनीफेस्टो निकला उसमें आपका फोटो है। 1998 के मेनीफेस्टो में भी आपका फोटो है। राजस्थान के सारे जाट समाज ने सोचा कि हमारे मदेरणाजी मुख्य मंत्री बनेंगे तो सारे जाटों ने भरपूर कांग्रेस को वोट दे डाला। इसलिए कांग्रेस प्रचंड मतों से आ गयी। 1998 में, मैंने कल ही कांग्रेस का मेनीफेस्टो देखा है उसमें मदेरणाजी का फोटो देखा है और एक अशोकजी गहलोत का फोटो था। हमने यह सुना चुनाव में मदेरणा जी मुख्य मंत्री बनेंगे तो जाटों ने वोट दे दिये। पंडित नवल किशोर बनेंगे तो पंडितों ने वोट दे दिये। अशोक गहलोत बनेंगे तो सैनी समाज ने वोट दे दिया। थोड़ी-थोड़ी चर्चा यह भी आई थी, गूजरों में पायलट साहब आ सकते हैं तो गूजरों ने दे दिया। यह जातिगत बातों को उठाकर।

श्री जनार्दन गहलोत : इसका मतलब यह है भैरोंसिहजी के नाम पर वोट नहीं दिया। भैरोंसिहजी के नाम पर वोट नहीं दिया, फिर भी आपने उनको नेता रख रखा है।

श्री किरोड़ीलाल : गहलोतजी, हम जाति के नाम पर वोट नहीं लेते। हम तो पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं। हमने पार्टी के नाम पर वोट मांगा।

श्री जनार्दन गहलोत : आप और मैं ही नहीं लेते, यह तो सब लेते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आपके पास नहीं है तो उसका क्या करें हम।

श्री किरोड़ीलाल : मैं किसी के मुख्य मंत्री बनने की खिलाफत नहीं करता, लेकिन आपके काबिल मुख्य मंत्री बनने के तुरन्त बाद पूरे राजस्थान का जाट समाज इकट्ठा हो गया और जाट समाज ने यह कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ तो विश्वासघात हुआ है। हमको ठग लिया है और इस कांग्रेस ने ठग लिया। यह एक महीने के बाद ही पूरे इलाके का जाट समाज इकट्ठा हुआ और उनके साथ वास्तव में ठगी की है। मेरे को लगता है आप एक-एक करके सबको ठग करके चले जाओगे और पांच साल में ऐसे बिदा होओगे जैसे गुलाब कटारियाजी ने कहा था कि दूसरी बिन्दी उड़कर 15 की ताकत में यहां पर आ करके बैठोगे, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ोगे। ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि आपने एक साथ सबके साथ विश्वासघात करना चालू कर लिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसी ने रोका था आपके 45 नेताओं के चित्र छपाते ? चित्रों को वह वोट देता है ? जनादेश का आदर कीजिये, जनादेश का।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने कहा था कि एक रुपया भेजते हैं, और 85 पैसा तो रास्ते में ही रह जाता है और जनता तक 15 पैसा पहुंच जाता है। केवल 15 ही पहुंचता है। कांग्रेस का प्रचंड मत आया, 15 के आगे एक ही बिन्दी और लगी है 150 हुआ है। मैं कांग्रेस की पूरी सत्ता पार्टी से कहना चाहूंगा कि जो राजीव गांधी घोषणा करके गये, जो कह करके गये थे, उसकी पालना करोगे, और आपने भ्रष्टाचार को राजस्थान से जड़ मूल से खतम कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के हम 33 आदमी भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार खतम किया तो।

महुवा से आने वाले विधायक हरिसिंह जी कल कह रहे थे विकास की गंगा भागीरथी हिमालय से आयी है, कांग्रेस लेकर आयी है। इस भ्रष्टाचार को भी कांग्रेस ही ऊपर से लेकर आयी है और नीचे तक पहुंचा दिया। इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब देखेंगे इस कांग्रेस को। कल हरिसिंहजी कह रहे थे गुड़ खा गये, डामर खा गये। आप तो लोह-लक्कड़, टेलीफोन, सब खा गये, इसका कोई हिसाब-किताब जनता को दिया है ? लेकिन जनता भी हिसाब-किताब लेने के लिए तैयार है। जिस ढंग का भ्रष्टाचार आपने फैलाया, आज क्या हो रहा है? वह भ्रष्टाचार कहां से आया, उस पर चर्चा की है। हम सत्ता में थे तब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और विपक्ष में थे तब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और अब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे। माननीय हरिसिंह जी जहां से आते हैं वहां के उदाहरण बताना चाहूंगा। एक गरीब के घर में चोरी हो गयी तो चोरी का मामला हमने उठाया। चोरी का सामान तो पुलिस वाले ला नहीं सके और उस चोरी के बदले पुलिस वालों ने पैसे मांगे। यह कांग्रेस के राज की घटना है। कहा, पैसा दोगे तब चोरी लाएंगे। इसकी जब खिलाफत की तो मैं विधायक ही था और मेरे ऊपर कांग्रेस के राज में गोली चलाई। उस भ्रष्टाचार के

(श्री किरोड़ीलाल)

खिलाफ शुरूआत भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में हमने की। उस गोली चलाने का परिणाम यह हुआ, एक नहीं उस समय विधान सभा में हम 32 की ताकत में थे। जब 32 विधायक वहां थाना मण्डावर में धरना देने के लिए पहुंचे, ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ हिस्सा लिया। आगे बढ़कर भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में हम 32 विधायकों ने वहां पर धरना दिया। उस रिश्वतखोर से रिश्वत भी वापस करवायी और रिश्वतखोर थानेदार और पुलिस के कर्मचारियों को हमने आपके राज में सस्पेंड करवाया। आपने भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में भी फैलाया।

मैं आपका इस उदाहरण के द्वारा ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। आपने बताया कि पंचायतों को पंगु कर रखा है। यहां हमारे दौसा के चार माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं पांचवां हूं, मैं वहां जिला प्रमुख हूं। एक पंचायत समिति में हर साल एक से डेढ़ करोड़ रुपये विकास के काम पर भेजे हैं। इससे भी ज्यादा करीबन 6–7 करोड़ पांच साल में पर पंचायत समिति में पैसा गया है। यह पंगु बनाने की बात कह रहे थे। यह पहली बार राजस्थान सरकार ने किया। भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने किया है। हमारे यहां सवाई माधोपुर में एक व्यक्ति का नाम ही प्रमुख पड़ गया, नत्थूसिंह जी जिला प्रमुख हुआ करते थे। उनका नाम तो दुनिया भूल गयी और उनको प्रमुख कहने लगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों में रिजर्वेशन किया, शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स का किया, ओ.बी.सी. को आगे लाये, महिलाओं को आगे लाये। सवाई माधोपुर एक ऐसा जिला है जिसमें पहली बार शिड्यूल कास्ट की महिला जिला प्रमुख बनकर आयी। कल कटारिया जी कह रहे थे कि यह भारतीय जनता पार्टी के शासन की देन है। वन्दना मीणा जिला प्रमुख बनकर के आयी, लक्ष्मी नीनामा जिला प्रमुख बनकर के आयी और मेरे जैसा व्यक्ति दौसा जिले में रिजर्वेशन के कारण जिला प्रमुख बना।

श्री जनार्दन गहलोत : वह तो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर के आयी। ले भागे उसको भी, आप तो उसको भी ले गये, बी.जे.पी. के भ्रष्टाचार में ले भागे। हम कांग्रेस में लाये, हम जीताकर के लाये, उसको ले भागे आप।

श्री किरोड़ीलाल : अध्यक्ष महोदय, गहलोत जी कह रहे थे यह हमारा है। यह कल बता रहे थे कि आपकी इच्छाशक्ति नहीं है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस की इच्छाशक्ति नहीं है। अगर कांग्रेस में इच्छाशक्ति होती तो यह रिजर्वेशन लाते, जिसमें एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. को महिलाएं प्रधान और प्रमुख बनतीं। हमारी इच्छाशक्ति थी। कल माननीय सदस्य कह रहे थे इनकी इच्छाशक्ति नहीं थी, इनके मोम के पैर थे इसलिए पिघल गये। हमारे मोम के पैर नहीं थे। हमारे गरीब की सेवा करने के पैर थे इसलिए गांव के गरीब किसान, मजदूर, महिला, एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के व्यक्तियों को हमने वास्तविक सत्ता हाथों में पकड़ायी। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. या महिला के हाथ में सत्ता जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने सत्ता

(श्री किरोड़ीलाल)

का विकेन्द्रीकरण किया। पंचायतों के श्रू किया। और विकास के बारे में बहुत बोले और कहा कि विकास तो हुआ ही नहीं। कुशासन आया कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के काम कराये। चाहे सड़कों का काम हो, चाहे पीने के पानी का काम हो, चाहे सब सेन्टर खोलने का काम हो, चाहे स्कूल खोलने का काम हो, चाहे विद्युतीकृत करने का काम हो। कांग्रेस के राज में तो ऐसा हुआ जैसे इन्द्र भगवान भी नहीं करते। इन्द्र भगवान जब बरसात बरसाते हैं तो वह यह नहीं सोचते कि जाट का खेत तो भर जाये और गुर्जर का खाली छोड़ दें। लेकिन कांग्रेस के 40 साल में क्या हुआ कि जिसने वोट दिया उसके तो सड़क लगा दी और जिसने वोट नहीं दिया, चाहे कितना ही बड़ा गांव हो, उसको सड़क नहीं लगायी। मेरे यहां पर, महुवा के विधायक बैठे हैं, हम दोनों पड़ौसी हैं, मेरे बड़े भाई हैं इनके गांव को तो सड़क 40 साल पहले लग गयी।

(16.15 बजे)

(श्री हरिसिंह (महुवा) सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय मेरे बड़े भाई हैं। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान में विकास के काम कराये, सड़कों का जाल बिछाया। हमारे दौसा के सारे विधायक बैठे हैं। यह जानते हैं कि हमारे राज में जितनी सड़कों का जाल बिछाया, अचम्भा करते हैं। गांव में सीमेंट की सड़कें बनी हैं और गांव को सड़कों से जोड़ा है।

कल कह रहे थे कि विकास की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ गया। वर्ष 1990 के अन्त तक डामर की केवल 42 हजार किलोमीटर सड़कें बनी थीं और मैटल की 4 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं। ग्रेवल रोड केवल 10 हजार किलोमीटर बनीं और फेयरवेदर रोड 400 किलोमीटर बनीं। माननीय सभापति जी, आपके 1990 तक के राज में 56900 किलोमीटर सड़क बनी और हमारे आठ वर्ष के राज में 1998 तक 20 हजार किलोमीटर की सड़कों में वृद्धि हुई। माननीय सभापति महोदय, डामर की 62 हजार किलोमीटर, मैटल की 58 हजार किलोमीटर और ग्रेवल की 10421 किलोमीटर और वेदर रोड 102 किलोमीटर। और मात्र एक वर्ष में जो अपना 1997-98 का साल हैं, उसमें 3908 किलोमीटर डामर की सड़कों का निर्माण करके कीर्तिमान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित किया है। कल एक सदस्य कह रहे थे कि डामर खा गये, जब इतनी सड़कें बन गयी तो यह डामर कहां से आया? वर्ष 1990 तक सिर्फ 10910 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया और भाजपा ने 8 वर्ष में इसे 19 हजार तक पहुंचा दिया। जितना कांग्रेस ने 40 वर्ष में किया ठीक उतना केवल 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर डाला। फिर भी आप इसको कुशासन कह रहे हैं। वर्ष 1990 तक सिर्फ 5716 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा और भारती जनता पार्टी को सरकार ने 8957 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा। ऐसा विकास की गंगा का प्रवाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 8 साल में किया है।

(श्री किरोड़ीलाल)

कर रहे थे। इनके इलाके में डकैतों का बहुत आतंक है। इन डकैतों के कारण लोग वास्तव में परेशान हैं। यह भी उस मुद्दे को उठाते हैं और मैं भी, विधान सभा में भी और बाहर भी, उस मुद्दे को उठाता हूं। मैंने तो पदयात्रा तक की। वहां की जनता पीड़ित है, माननीय विधायक पीड़ित हैं। वहां हमारी शिड्यूल्ड कास्ट की महिला के साथ आपके राज में कैसा अत्याचार हुआ, उसके पति को तो बदमाश उठा कर ले गए। उसके पति से बदमाशों ने कहा कि या तो तेरी सुन्दर महिला को हमको दे दो वरना हम तेरे को मार देंगे। यह धमकी कांग्रेस के राज में दी। लक्ष्मीपुर चमराला गांव है, मासलपुर थाने में पड़ता है। जनार्दनसिंह जी गहलोत जानते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट की महिला, मुक्ति उसका नाम था, उसको नहीं दिया तो रात में आए और उसके पति को बहका कर ले गए। और उन बदमाशों ने एक नहीं उसके 8–10 टुकड़े करके करौली की डाग में डाल दिया। दूसरे दिन उस महिला को ले गए, बहका कर कि तुम्हारा पति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में भर्ती नहीं था, उसकी तो हत्या कर डाली और बदमाश उसकी पत्नी को थाने में ले गए और पांच दिन तक उस थाने में उस शिड्यूल्ड कास्ट की महिला मुक्ति के साथ, कांग्रेस के राज में अपराधियों ने, जिन्होंने उसको मारा था, उसके साथ लगातार बलात्कार किया। पांच दिन तक, सभापति महोदय, पांच दिन तक बलात्कार किया। हम लोगों को पता लगा। हम वहां पहुंचे। हमने थानेदार को कहा, कांग्रेस का राज होगा तो होगा हम यह नहीं चलने देंगे कि शिड्यूल्ड कास्ट की महिला के साथ, यही नहीं सभापति जी, वहां यह भी सौदा हो गया कि इसको सात हजार में बेच दिया जाए। एक महिला के पति को मार दिया जाए, उसके साथ थाने में बलात्कार करे, पुलिस वाले उससे मिल लें और पुलिस थाने में बेचने का सौदा हो जाए। इससे शर्मनाक बात किसी राज में नहीं हुई। कांग्रेस के राज में हुई 1989 में हुई, जनार्दनसिंह जी गहलोत जानते हैं, अच्छी तरह से उनको पता है। उस महिला को हमने बरामद किया, हम पीछे लगे धरना दिया, उसको लेकर आए और सच्चाई आपके सामने रखी ये–ये कुकर्म आपके राज में अपराधियों ने किये हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : जगुताराम के साथ किसके राज में हुआ ? आपके राज में हुआ, कुछ तो बोलो उसके बारे में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बोलो, कुछ तो बोलो उसके बारे में (व्यवधान) उसको इम्पोटेंट कर दिया, किसी काम का नहीं रहने दिया, आपके शासन में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके बोलने का समय आ रहा है, आप जवाब देने के लिए अधिकृत हैं। माननीय सदस्य थोड़ी समय सीमा को ध्यान रखें, आपके अभी कई वक्ता शेष हैं।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा और बोलूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ी-सी दया करें।

(श्री किरोड़ीलाल)

माननीय सभापति महोदय, डकैतों के आतंक के बारे में भाई जनार्दन सिंह जी बोले थे। डकैतियां डलती हैं, असली डकैतों को मार नहीं रहे हैं आपके राज में। वैसे तो मारने का अधिकार किसी को नहीं है लेकिन अभी सरमथुरा में हुआ है। अभी भाई परसादीलाल जी और मैं एक कार्यक्रम में थे, मैंने इनका ध्यान आकर्षित किया। मैंने इनको कहा कि निर्दोष आदमी को पुलिस ने मार डाला। आपके राज में मार डाला और शिड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति को मार डाला। उसके नाक और कान डकैतों ने काट लिए, उसके बाद उसको मार डाला यह कह कर कि वह डकैत है। और जब उसके घर पर पुलिस गई, आपकी सरकार की पुलिस गई तो उसकी औरत उसके ऊपर पड़ गई. उसकी औरत ने उसको बचाया। हलूका नाम था, थाना सरमथुरा का मामला है, उसकी औरत के पटकी मारी और उसकी औरत को हटाया, पड़ौसियों को मारा और उसको बंदूक से मार कर आपके राज में फर्जी मुठभेड़ करके एक ऐसे आदमी को मारा है जिसके नाक–कान भी कट गए। कानून की व्यवस्था का, यह जंगलराज जो कायम किया है, दो महिने में, और किस थानेदार ने किया? जिस थानेदार और पुलिस के खिलाफ पहले के ही 302 का मुकदमा दर्ज है एक राजपूत के लड़के को मार दिया जो शादी से लौट कर आ रहा था। उसको गोली ठोक दी। उस थानेदार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो गया और वह थानेदार आपके राज में दुबारा, सरमथुरा से पहुंच गया और पहुंचते ही उसने एक काण्ड और कर डाला कि एक निर्दोष व्यक्ति को गोली से मार डाला। इससे ज्यादा कानून की व्यवस्था और बिगड़ेगी कि आपने दो महीने में, डेढ़ महिने में इतने व्यक्तियों की लाश कर दी। मुझे अफसोस हो रहा है सभापति महोदय, आप इसमें तो कम से कम कॉग्निजेंस लें कि आखिर में वह थानेदार वहां कैसे लग गया और उसके खिलाफ 302 का मुकदमा था, उसकी फाइल उठ कर यहां सी.आई.डी. में आ गई। 302 का मुकदमा दर्ज, मरे आम, सरमथुरा में मारा, पूरा सरमथुरा और बाड़ी बंद रहे। और उस थानेदार को गिरफ्तार करने की मांग की लेकिन आज तक उस थानेदार को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि दुबारा लाइसेंस दे दिया जिससे नाक-कान जिस हलूका की काटी थी, उसके घर पर जाकर और मारा।

सभापतिजी, इसमें आपको गम्भीर इसलिए होना पड़ेगा, उसकी घरवाली परेशान है और वह परेशान होकर कोई ऐसी घटना घटित न कर बैठे जिससे उस इलाके में कानून की व्यवस्था बिगड़ जाए। यह मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपके राज में हुआ है, इस पर सभापति महोदय, कोई व्यवस्था तो दें। आखिर में ऐसी घटना हुई है, आप इस पर निश्चित रूप से व्यवस्था दें?

श्री सभापति : आप इसका पूरा विवरण लिख कर अध्यक्ष जी को पेश कर दें, यह आधा-अधूरा विवरण है, इस पर कोई व्यवस्था इसलिए नहीं दी।

श्री किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, पूरा विवरण बता रहा हूं। उस व्यक्ति का

(श्री किरोड़ीलाल)

एस.टी., एस सी. के बारे में बोल रहे थे, बहुत ज्यादा शुभचिंतक हैं। यह पहली बार राजस्थान में, राजस्थान की सरकार ने किया कि एक से छह स्केल के उन आदिवासी, भील, गरासिया, भाइयों को जिनको 40 साल कांग्रेस ने नौकरी नहीं दी। उन्हें बहकाया और बहका–बहका कर वोट लिए। हमने उनका 45 परसेन्ट रिजर्वेशन कर दिया और बी. एड. और बी. पी. एड. के जितने लोग थे, उनको नौकरी दी।

श्री दयाराम परमार :.. बन्द कर दिया।

श्री किरोड़ीलाल : बन्द तो कांग्रेस के लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया।

श्री दयाराम परमार : बन्द कर दिया ....(व्यवधान) अभी भर्ती कर रहे हैं।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सभापति जी, दयाराम जी कह रहे हैं अभी भर्ती कर रहे हैं। मैं तो वह बात . हां, तो ये बहुत अच्छी बात है।

श्री दयाराम परमार : भर्ती कर रहे हैं। बन्द कर दिया आपकी सरकार ने। बहुत पहले से ही, जुलाई से बन्द कर दिया। आपने पहले से बन्द कर दिया लास्ट जुलाई से भर्ती नहीं की है।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से आदिवासी, भील, गरासिया भाइयों को हमने नौकरियां दी। कल कह रहे थे कि नौकरियां बन्द कर दीं। हमने रिजर्वेशन किया 45 परसेन्ट। स्पेशल रिजर्वेशन पंचायतों में किया, नौकरियों में किया, और हमारे बारे में कहते हैं कि भैरोंसिंह शेखावत की सरकार ने एस.टी., एस.सी. का बहुत शोषण किया, बहुत प्रताड़ित किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर आदिवासियों का एक हास्टल बना है। उस हास्टल के लिए कांग्रेस के राज के समय से हम अपील कर रहे थे कि हमारे बच्चे दूर-दराज से आते हैं। मीणा, भील. गरासिया, सहरिया के भाई यहां पर आते हैं। उनके रहने के लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं है। यह राजस्थान सरकार के भैरोंसिंह शेखावत ही थे जिन्होंने एक करोड़ की जमीन इन आदिवासी एस.टी. मीणों के लिए एक रुपये में दी। सभापति महोदय, राजस्थान के किसी भी मुख्य मंत्री ने नही दी।

श्री रामस्वरूप : भैरोंसिहजी ने चोर कहा था वहां पर मीणाओं को। उद्घाटन के अवसर पर, कि मीणा चोर होते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नो इन्टरप्सन प्लीज।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सभापति महोदय, कुशासन की बात की, संवेदनहीनता की बात की। अपहरण हुए उस पर सरकार सेंसेटिव नहीं। क्या राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण नहीं हुआ? उसके अपहरण में राज्य की सरकार ने कैसी तुरन्त कार्यवाही की, आतकवादियों को मार गिराया। माननीय सभापति महोदय, राजेन्द्र मिर्धा जैसी ऐतिहासिक घटना में जिस ढंग से राजस्थान की सरकार ने सक्रियता दिखाई, उसका आप लोगों ने, किसी

(श्री किरोड़ीलाल)

ने जिक्र नहीं किया। आप और मैं तो एक ही जगह के रहने वाले हैं। समलेटी में बम विस्फोट कांड हुआ, आप भी सभापति महोदय पहुंचे थे और मैं भी पहुंचा था। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय भैरोंसिह जी पहुंचे थे। वहां का मौका आपने देखा, सारे क्रूर आतंकवादी थे जिन्होंने कश्मीर में घटनाएं कीं, पंजाब में घटनाएं कीं, हरियाणा में भी कीं। वे सब के सब आई.एस.आई. के एजेन्ट थे, उन सबको राजस्थान की पुलिस ने पकड़ कर भीतर टिका दिया। क्या सरकार की संवेदनशीलता नहीं थी? इसी प्रकार से देश में जो नकली नोटों का प्रचलन हो रहा था, नकली नोटों के प्रचलन अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा और 22 अभियुक्त अभी तक जेल की हवा खा रहे हैं। उनसे 32 लाख बरामद किये हैं। राजस्थान की सरकार ने कितनी संवेदनशीलता इस मामले में जाहिर की। आपने कहा कि एस.सी. और एस.टी. के साथ अत्याचार ज्यादा हुए। मेरे दौसा जिले में एक अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ एक सीनियर आई.पी.एस. ऑफिसर डी.आई.जी. टंडन ने बदसलूकी की थी। राजस्थान की सरकार को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भैरोंसिहजी शेखावत को, उन्होंने प्रथम दृष्ट्या ऐसे डी.आई.जी. को सस्पैण्ड करके भिजवा दिया। आप बड़े बहुमत से आए हैं। उनको गिरफ्तार करके ले आना, मैं मान जाऊंगा कि आप एस.टी. का भला करना चाहते हैं। आपने महिला उत्पीड़न का मामला उठाया। कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत लूट गई। महिलाओं की इज्जत किस ने लूटी? माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं, आपके अपने जिले का मामला है, ठिकरिया में एस.टी. की जो महिला थी, उसकी इज्जत किसने लूटी? सभापति महोदय, अच्छी तरह से जानते हैं, उसको ध्वजारोहण नहीं करने दिया। उसकी मिठाई को फेंक दिया। महिला सरपंच को ध्वजारोहण नहीं करने दिया जाए, वह भी अनुसूचित जनजाति की महिला को और कांग्रेस के इन लोगों ने उसको बचाया। सभापतिजी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जाकर के यह कहा कि अपराधी मेरे पास हैं और अगर प्रशासन में दम हो तो गिरफ्तार करके देख ले। भैरोंसिंह शेखावत की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा, चाहे कितना भी बड़ा राजनेता उसको शरण क्यों न दे रहा हो। हमने महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होने दिया। शिवानी जनेजा कांड के बारे में कई लोगों ने कहा, क्या उस पर कार्यवाही नहीं हुई? उसमें पुख्ता कार्यवाही की, मुलजिमों को पकड़ा गया। और आपके राज में क्या हुआ? पिछला कांग्रेस का राज था, उस समय मैं विधायक हुआ करता था, धौलपुर में तो औरतों को बेचने की खुली मण्डी लगा करती थी। भैरोंसिंह शेखावत की सरकार ने, आप यह जानते हैं, गहलोत साहब पता नहीं जा रहे हैं, अभी आपका मामला आ रहा है, आप थोड़ा विराज जाएं, धौलपुर में तो औरतों की मण्डी खुले में लगती थी। माननीय सभापति महोदय, अच्छी तरह से जानते हैं कि वह महिलाओं की बिक्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खौफ के कारण बन्द हुई वरना 40 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई।

मैं जनार्दन सिंहजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये अभी डकैतों की बात

(श्री किरोड़ीलाल)

नाम बता रहा हूं, घटना का दिन बता रहा हूं। एफ.आई.आर. नम्बर बता रहा हूं। थानेदार का थाने का नम्बर बता रहा हूं, और इससे ज्यादा क्या विवरण दूं? आप इसके लिए अधिकृत हैं, आपको व्यवस्था देने का पूरा अधिकार है। आप उसको अध्यक्षजी के सर पर टालना चाहते हैं। मैं तो सोच रहा था कि हरिसिंह जी उपाध्यक्ष बनेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी और आप अभी से उनको टाल रहे हैं। निष्पक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस पर निश्चित रूप से कोई व्यवस्था देंगे और व्यवस्था देनी चाहिए, इससे बड़ा गम्भीर मामला कोई नहीं हो सकता।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति जी, आप चेयर पर बैठे हैं, आप सरकार को डाइरेक्शन दे सकते हैं। ऐसा मामला है तो सरकार को कम से कम डाइरेक्शन दीजिए कि इस मामले में, सीरियस मामला है, इस पर कांग्नीजेंस लें और सरकार इसकी जांच कराए। You have ample powers as you are sitting there.

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार सब चीजों को गम्भीरता से ले रही है, डाइरेक्शन देने की जरूरत नहीं।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है, कल आप हमको कह रहे थे कि इनकी इच्छाशक्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है। ऐसा गम्भीर मामला मैंने बताया, उसके बाद भी सरकार यह कहे हम गम्भीरता से ले रहे हैं। क्या गम्भीरता से ले रहे हैं? मैं परसादीलाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक सभा में दोनों एक साथ रहे। मैंने इनको पहले निवेदन कर दिया। अब तक क्या गम्भीरता रही? हम 5-6 दिन पहले मिले थे, क्या कार्यवाही हुई? सभापति महोदय, सदन के नेता यहां विराजमान हैं। एक महत्वपूर्ण मंत्री जी का मैंने ध्यानाकर्षण विधान सभा के बाहर कर दिया। मैं यह व्यवस्था चाहूंगा, उन्होंने क्या गम्भीर कार्यवाही की, इतना सा तो पूछ लें।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, आप नियमों से आइए। माननीय सदस्य, आप पूरे स्टेटमेंट की मांग करिए। कायदे से आइए, सरकार की ओर से आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। आप कायदे से आइए, ये तो बहुत होते हैं भाषण। कायदे से, नियमों में आइए। आप एडजोर्नमेंट मोशन लाइए, 131 का लाइए। कायदे से आइए। यहां बाईपास होकर नहीं आ सकते।

श्री हीरासिंह चौहान : यह जरूरी नहीं है। जब सरकार से कोग्नीजेंस चाहा जाता है, यहां सदन के नेता बैठे हैं, सदन के नेता का कर्तव्य बनता है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप नियमों से आइए।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सदस्य ने जिस प्रकार केस को रेफर किया है, उनका कर्तव्य यह बनता है इसमें कुछ काग्नीजेंस लें, सरकार की ओर से कुछ कहें।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, माननीय किरोड़ीलाल जी ने जो मुद्दा उठाया है वह वैसे काफी गम्भीर है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि सदन की व्यवस्था के अन्दर जब रिप्लाई होगा, उसके अन्दर सरकार रिप्लाई देगी। अभिभाषण के बीच में कोई उसकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था दे दें आप। हम तो उस दिन सुन लेंगे रिप्लाई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, बार–बार कहा जाता है संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है। संवेदनशील और पारदर्शी सरकार के समक्ष इस तरह के गम्भीर मसले आएं और सदन के सम्माननीय नेता बैठे रहें, मैं समझता हूं संवेदनशीलता का परिचय देकर इस पर उनको रिएक्शन देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राठौड़ जी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कई बार स्थगन प्रस्तावों को रेफर कर दिया जाता है कि माननीय सदस्य जब बजट पर वाद-विवाद करेंगे उस समय इस विषय पर बोल सकते हैं। सभापति की ओर से निर्देश दिया जाता है, माननीय अध्यक्ष की ओर से निर्देश दिया जाता है, कोई माननीय सदस्य कोई विषय उठा रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कभी भी ऐसी सदन में परम्परा नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जा सके। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 302 का अपराधी थानेदार वहां बैठा है और इन्हीं के द्वारा दूसरा काण्ड किया गया है और उस पर सरकार कुछ चिन्तन नहीं कर रही है, यह बड़े खेद का विषय है।

श्री सभापति : माननीय चौहान साहब, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं और आसन की परिसीमाओं को आप जानते हैं। वाद-विवाद में कई बार इस ढंग से मुद्दे उठते रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : सब जानकारी है सरकार को (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमारी प्रार्थना है, हम मात्र प्रार्थना कर रहे हैं और आसन के माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आसन बहुत बड़ी ताकत है, आसन व्यवस्था दे सकता है।

श्री सभापति : ठीक है माननीय सदस्य, आप बोलें, अपना भाषण कंटीन्यू करें।

श्री मदन दिलावर : बहुत गम्भीर मसला है। आसन बहुत बड़ी ताकत है, वह इस पर व्यवस्था दे सकते हैं।

श्री सभापति : आप अपना भाषण कंटीन्यू करें। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा अपराध आपके राज में हुआ....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपने वक्ता की समय सीमा का ध्यान रखिये। आसन ने यह भी सुन ली। सरकार यहां बैठी हुई है, सरकार ने यह बात सुन ली।

श्री मदन दिलावर : बहुत गम्भीर मामला है माननीय सभापति महोदय, जिसने 302 का केस किया है उसको वापस वहां लगा दिया है और जिस प्रकार का काण्ड कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावरजी।

श्री किरोड़ीलाल : बहुत गम्भीर मसला है, समय कम है।

श्री सभापति : गम्भीर मसला है उसको सरकार ने भी सुना है और आसन ने भी सुना है।

श्री किरोड़ीलाल : समय कम है, ऐसे ही टाल रहे हैं तो गलत बात है।

श्री सभापति : आप उसको विवाद का विषय न बनाएं। प्लीज माननीय चौहान साहब, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, विवाद का विषय न बनाएं। माननीय सदस्य बहुत अच्छे बोल रहे हैं आप इन्टरप्ट क्यों कर रहे हैं इनको।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसे मामलों को कहां उठाएंगे। विधान सभा के सदन में उठा रहे हैं, गम्भीर मामला है और सरकार मौन बैठी है।

श्री सभापति : सदन में उठते हैं।

श्री मदन दिलावर : आप सभापति हो। आपके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था दी जा सकती है। इसलिए आप व्यवस्था दें।

श्री हीरासिंह चौहान : इस पर व्यवस्था देनी पड़ेगी। इट इज वेरी सीरियस मैटर। सरकार जान और माल की रक्षा के लिए है और सरकार का क्या कर्त्तव्य बनता है? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : आसन से हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका प्रोटेक्शन चाहिए सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय, आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सर्वोच्च आसन पर बिराजमान हैं, आप प्रोटेक्शन दीजियेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन की मर्यादाओं के सम्बन्ध में मुझे जानकारी है, माननीय आप बिराज जाएं (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : एक नौजवान महिला का पति मारा गया, इतना गम्भीर मामला है। एक एस. टी. की महिला का मामला है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कुछ व्यवस्था तो दो। सदन के नेता यहां बिराजे हुए हैं, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं आप बिराज जाएं। (व्यवधान) आप मेरी

(श्री सभापति)

व्यवस्था कहां मान रहे हैं। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हम तो आप से इतनी अपेक्षा रखते हैं, आप कुछ डाइरेक्शन दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार की इच्छा शक्ति है तो कुछ करें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप कुछ डाइरेक्शन दीजिये।

श्री रामप्रताप : यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है और एक महिला के पति का इस तरीके से कत्ल हुआ। 302 का मुलजिम अगर वह थानेदार है तो इतना समय जाया हो रहा है। मेरे खयाल से हम वैसे ही समय जाया कर रहे हैं। इतना गम्भीर मामला है जिसको हम इस तरीके से ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कटाराजी। (व्यवधान) आप सरकार में रहे हुए व्यक्ति हैं और आसन की मर्यादाओं की भी आपको जानकारी है। इस ढंग के मुद्दे कई बार सदन में उठते हैं। अपने नियमों में बहुत गुंजाइश है कि आप दूसरे किसी नियम के अन्तर्गत... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जरूरत क्या है ? आप यहां पर बिराजे हुए हैं, आप दे सकते हैं।

श्री सभापति : मैं क्या हूं? मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप शांति कायम रखें और माननीय सदस्य अपना भाषण कंटीन्यू करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था देनी पड़ेगी। इतना बड़ा मामला है।

श्री दयाराम परमार : वाद-विवाद में किस तरह की व्यवस्था दी जाती है। आप धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। सरकार जवाब देने को तैयार बैठी है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप एडजोर्नमेंट मोशन लगाओ, सरकार जवाब देने को तैयार बैठी है।

श्री मदन दिलावर : हलकेपन से लेना इस सदन के लिए उचित नहीं है माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आठ साल नियम याद नहीं आये आपको। दुनिया भर के काण्ड हो गए, कभी जवाब दिया आपने? इस सरकार ने पहले कभी आठ साल तक जवाब क्यों नहीं दिया ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप व्यवस्था दें सभापति महोदय। आप इतने कमजोर कैसे हो गये माननीय सभापति महोदय ? हत्या का मामला हैं, हत्यारा वहां लगा हुआ है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप हमसे जवाब मांग रहे हो ? बहस हो रही है और जवाब मांग रहे हैं। जनता ने दे दिया जवाब। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, आप नहीं देना चाहें तो कम से कम सदन के नेता को डाइरेक्शन दें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप कुछ तो व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप डाइरेक्शन दे सकते हैं। आप कुछ तो व्यवस्था दें।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अभी जो बात कही कि सरकार को इस पर पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए या वक्तव्य देना चाहिए। मैं समझता हूं प्रतिपक्ष के सभी सदस्य, सभी तो नहीं कुछ सदस्य मंत्रिमण्डल में, सरकार में रहे हुए हैं। और राज्यपाल के अभिभाषण पर जब सामान्य वाद-विवाद होता है उस पर सब तरह के मुद्दे उठते हैं और उन मुद्दों पर चर्चा होती हैं। और वो चर्चा होने के बाद सदन के नेता जो भी हैं या मुख्य मंत्री जब जबाव देंगे, तब जवाब आएगा। उसके बाद भी अगर प्रक्रिया के अनुसार कोई जवाब से आप सन्तुष्ट न हों तो हमारे प्रक्रिया के नियम हैं। इन नियमों के अन्दर, हीरासिंह जी चौहान तो खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं और ये खुद ही बतला दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त कई मुद्दे उठते है, कभी कोई व्यवस्था इन्होंने दी है क्या इस प्रकार की? कोई इस प्रकार की व्यवस्था दी हो तो ये खुद कोट कर दें। हमारे पास में प्रक्रिया के नियम हैं, नियम 49 है, नियम दूसरा है। आधे घंटे की चर्चा है, आप कोई दूसरा मोशन ला सकते हैं, उसके ऊपर अपने आप जवाब मिल जाएगा। एक स्पष्ट उत्तर आ जाएगा। माननीय राठौड़ साहब ने कहा पारदर्शिता की बात है, वो भी आपके सामने आ जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर कोई डाइरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : आप अपना भाषण कंटीन्यू करें।

श्री रामप्रताप : यह बात सदन के नेता कहें तो अच्छी बात रहेगी।

श्री किरोड़ीलाल : यह बात सदन के नेता कहते तो अच्छी बात होती। इससे ज्यादा भाषण आगे महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपना भाषण कंटीन्यू करें।

श्री किरोड़ीलाल : मैं भाषण चालू कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, लेकिन भाषण का महत्व क्या हुआ जब आपकी सरकार संवेदनशील न हो, पारदर्शिता न दिखा रही हो। एक आदमी को मार दिया, जिसका नाक और कान डकैत काट ले गए, भौमपुरा का, सरमथुरा थाने का रहने वाला है। और जिस थानेदार ने पहले निर्दोष व्यक्ति को मार दिया उसके खिलाफ 302 का मुकदमा है। और 302 का जिस थानेदार के खिलाफ मुकदमा है वो सी.आई.डी. में पड़ा है। वो थानेदार सरमथुरा में लगा हुआ है। यह अत्याचार नहीं चलने देंगे। अगर आप इस पर व्यवस्था नहीं देंगे तो डा. किरोड़ीलाल धरना देगा, इस बैल में देगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था देनी चाहिए। इतना गम्भीर मामला है और यह +++ सरकार चुपचाप बैठी हुई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन को डाइरेक्शन न दें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : किसी प्रकार की उसमें हां-हूं भी नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन की अपनी परिसीमाएं हैं।

श्री मदन दिलावर : यह+++सरकार है यह+++सरकार है। पहली बार+++सरकार आई है। (व्यवधान) इस प्रकार के नेता पहली बार बने हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : समाज कल्याण के महिला सदन के अन्दर बलात्कार हुआ था आपके समय में। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, आप बहुत सीनियर आदमी हैं। प्लीज दिलावर जी। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज याद आ रहा है आपको। बलात्कार हुआ था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराज जाएं। (व्यवधान) श्री दिलावरजी, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : महिला सदन में बलात्कार हुआ। गर्भवती हो गई महिलाएं और ये समाज कल्याण मंत्री थे। (व्यवधान) आज बोल रहे हैं ये। शर्म आने की बात है आपको। आज तो नियम याद आ गए। भाषण कर लो जो करना है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मण्डावर थाने में किशोर मीणा की हत्या हो गयी उसके बारे में बोलो। पुलिस कस्टडी में आपके शासन में... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आप अपना भाषण समाप्त कर चुके ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो वहीं के थे। किशोर मीणा की हत्या के बारे में क्यों नहीं बोलते ? पुलिस कस्टडी में हुई, आप क्यों चुप रहे ? बोलिये आप। (व्यवधान) आप हत्या हत्या में फर्क कैसे डालते हो। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल :... राजनीति कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : किशोर मीणा की हत्या हुई उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं ? मण्डावर थाने में हुई है किशोर मीणा की हत्या। उसके बारे में आप एक शब्द भी नहीं बोलते। हत्या हत्या में फर्क करते हो आप।

श्री सभापति : माननीय जोशी जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता बैठे हुए है। इतना गम्भीर मामला है। जब वह अपना जवाब दें सरकार की ओर से, तब इस बारे में भी जवाब देने की कह दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : सरकार गम्भीरतापूर्वक सुन रही है। अब यह सरकार का काम है कि वह जवाब दे और सरकार जवाब नहीं दे तो नियमों में किसी दूसरे तरीके से

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

आइये। अब आप अपना भाषण कंटीन्यू रखें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : एक-एक बात का जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं कह चुका हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :....इसको सम्मिलित कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कानून और नियमों की बात सीखो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नेता महोदय आप से अनुरोध है, आप बड़े ही संवेदनशील हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, इस तरह से लोमहर्षक कांड आपके सामने आया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सदन को बाई-पास करने की है। नियम, उप नियम से आइये आप। (व्यवधान) आप सदन में बाई-पास ट्रेक नहीं निकाल सकते और आपके लिए निकलेगा भी नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सदन के नेता भी हैं....

श्री सभापति : माननीय आपकी पार्टी का समय जा रहा है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इतना इम्पोर्टेन्ट मामला है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने 10 मिनट का समय बर्बाद किया। आपकी बात सुन ली गम्भीरतापूर्वक। आपने बात कही है, सरकार आप की बात सुन रही है। It is up to the Government.

श्री शैलेन्द्र जोशी : They want to adopt a by-pass....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : भारतीय जनता पार्टी के राज में भी आप विधायक थे। (व्यवधान) जवाब नहीं देते। यह मूक-दर्शक बनकर सदन के नेता विराज रहे हैं, कुछ तो फरमायें। इतना ही कह दें कि हम देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : सरकार हर माननीय सदस्य के भाषण का जवाब देती रहे तो सदन का संचालन नियमपूर्वक नहीं हो पायेगा, बिलकुल नहीं हो पायेगा। आप प्लीज आसन को डिक्टेट नहीं करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अत्याचार हो रहा है....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया मान्यवर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कृपया, इतनी बड़ी बात हो जाए और सदन के नेता चुपचाप बैठे रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री सभापति : मान्यवर, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ऐसा पहले तो हुआ ही नहीं। आप भी पांच साल तक यहां विराजें हैं तब भी ऐसा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बहुत ही विद्वान और सीनियर सदस्य हैं, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आश्वासन नहीं दे रहे हैं हमें। (व्यवधान)

श्री सभापति : सरकार सुन रही है, गम्भीरतापूर्वक सुन रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बोल क्यों नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सदन के नेता बोल नहीं रहे हैं।+++(व्यवधान)

श्री सभापति : अगर बोलते हुए आप 20 आक्षेप लगायेंगे और हर आक्षेप का सरकार अगर तुरन्त जवाब देगी तो सदन की कार्यवाही नहीं चल पायेगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने कोई बात कह दी, सरकार का ध्यान दिला दिया, सरकार का ध्यानाकर्षित कर दिया, अब यह सरकार का काम है। (व्यवधान) माननीय डाक्टर साहब, आप अपना भाषण कंटीन्यू रखें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप एक मिनट दे दें। मैं आपको यह बता....

श्री सभापति : माननीय मैं इस पर वाद-विवाद नहीं होने दूंगा। माननीय, इस पर वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कृपया सुनें तो सही आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बहुत समय ले चुके हैं मान्यवर। आप विराज जाएं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप सुनें तो सही। (व्यवधान) मैं क्या कह रहा हूं और आप बीच में.... (व्यवधान) .. मैं यह कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई मामला, कोई विधायक सरकार के किसी मंत्री के, सदन के बाहर भी ध्यान में ले आये, और अपराध और हत्या का मामला हो, तो उस पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए क्या? जब माननीय परसादी लालजी को डाक्टर साहब ने चार दिन पहले बता दिया तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? और यह अहिंसा के पुजारी हैं, जैनी हैं, जो हमारे नेता हैं, यह हत्या का मामला है। (व्यवधान) गलत बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय आप फिर उसी बात पर आ गये। आपकी पार्टी का समय जाया कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी :....हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए। (व्यवधान) यह गलत बात है।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह पानी मांगने गये थे उन पर डंडे बरसाये थे अहिंसा के पुजारी पर....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पिटवा दिया आपने। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मीणा साहब, आप उलझें नहीं। कृपया आप विराज जाएं। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रताप सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की और हमारे डाक्टर साहब फिर यह मामला सदन में ले आये। सदन के नेता यहां मौजूद हैं तो इस पर कोई व्यवस्था तो दिलवाइये। कोई जवाब दिलवा दें। सदन के नेता खड़े होकर यह ही कह दें कि बजट पर रिप्लाई होगा तो . (व्यवधान) कुछ तो कहें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप गलत परम्परा डालने के लिए आसन को मजबूर कर रहे हैं। कई बार मुद्दे उठते हैं और वाद-विवाद में कई मुद्दे माननीय सदस्य उठायेंगे और सरकार को अगर बार-बार खड़ा होकर के....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह सामान्य बात नहीं है। आप सामान्य बात की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह असामान्य बात है, यह असामान्य ही बात है। असामान्य बात ही उन्होंने कही है। सरकार सुन रही है और सरकार को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी तो आपकी मांग पूरी हो जायेगी। लेकिन आसन को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मामला बिलकुल स्पष्ट है। आपने एक घटना का जिक्र किया, इसकी सत्यता की स्वीकृति शायद आपने भी कर दी कि ऐसा कुछ हुआ है। मंत्री महोदय माननीय परसादीलाल ने भी कह दिया कि ऐसा हुआ है। यानि किस्सा तो हो गया। तो यह बड़ा गम्भीर है। अब केवल माननीय सदस्य की यह मांग है कि जो कुछ भी मैंने बात रखी है उस पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी। अभी आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे भले ही नहीं कहें। लेकिन माननीय सभापतिजी ने भी परोक्ष रूप में यह निर्देश दिया कि सरकार जब जवाब देगी तब बता देगी। यही बात यदि आप कह दें कि जब आप जवाब देंगे तो इस बात पर विचार रखेंगे, इसमें क्या प्रतिष्ठा का सवाल है? इसको क्यों प्रतिष्ठा का सवाल बना रहे हैं आप? यह हमेशा की परम्परा रही है कि जब कभी ऐसे विषय उठे हों तो मंत्रियों ने जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जब आप सत्ता में थे, आठ साल तक बराबर इतनी बहस होती रही है और हमने इतने सवाल उठाये हैं, और कितने आपके भ्रष्टाचार की, और कितनी ही बातें उठायी हैं। हमने कभी यह मांग की है क्या कि इसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : हम अपने आप देते थे।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात सुनिये। यह सरकार जो भी यहां मुद्दे उठ रहे हैं, सब पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके कुछ न कुछ कार्यवाही करेगी, कुछ न कुछ जवाब देगी। लेकिन यह आप कह दें.... (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन के नेता बोल गये, अब क्या बात रह गयी। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह आप कैसे बाध्य कर सकते हैं कि अभी का अभी

(श्री चन्दनमल बेद)

जवाब दीजिये और इस चीज का जवाब आपको यों देना पड़ेगा और यों देना पड़ेगा। आपने जो काम किया नहीं, वह हमसे कराना चाहते हो।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर साहब, अपना भाषण चालू रखें। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बेद : बार-बार आप कह रहे हैं, हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार मुझे इंगित करके कह रहे हैं कि अहिंसा के पुजारी हैं, जैनी हैं। तो जैनी होना कोई पाप तो नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने जैनी नहीं कहा है, अहिंसा के पुजारी कहा है।

श्री चन्दनमल बेद : उन्होंने कहा है जो वहां बैठे हुए हैं।

श्री प्रताप सिंह : हत्या हो रही है। कुछ तो बोलो, यह कहा है मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे पूरी आशा और अपेक्षा है, यह कहा है (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बेद : मेरी बात सुनिये आप। अहिंसा के पुजारी हैं, जैनी हैं, उस पर तो आपको भंवरलाल जी ने लाठियां बरसायी हैं। भंवरलाल जी ने लाठियां बरसायी हैं। आप मेरे को क्या चैलेंज करना चाहते हैं। मेरे पास तो फोटोग्राफ हैं उसके। आपने जो लाठियां बरसायी हैं उसके।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय चन्दनमल जी साहब, जिस पानी की समस्या को लेकर आपने लाठी खायी या नहीं खायी, उस समस्या के लिए पांच साल तक विधान सभा में एक शब्द बोले नहीं आप उस पर। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बेद : नहीं खायी, यह कह रहे हैं आप?

श्री भंवरलाल शर्मा : खायी या नहीं खायी, मैं तो था नहीं वहां।

श्री चन्दनमल बेद : लाठियां नहीं खायीं, यह कह रहे हैं आप?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो था नहीं न। खायी या नहीं खायी आई डोंट नो। पर पांच साल तक....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, कृपया विषय से बाहर नहीं जाएं। कृपया विषय से बाहर नहीं जाएं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मेरे को चार्ज किया है साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चार्ज लगाया है। स्पेसिफिक चार्ज लगाया है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने पांच साल तक विधान सभा में कभी उस विषय पर कोई सवाल नहीं दिया, कभी ध्यानाकर्षित नहीं किया; कभी बोले नहीं उस समस्या पर। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो आप क्षेत्र में गये, तब लोगों ने कहा कि आप अब आये हो क्या। तो आपने यह प्रदर्शन कर दिया। यह तो विधान सभा चुनाव के लिए सब कुछ था। इसलिए इस विषय को छेड़िये मत। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका स्पष्टीकरण हो गया। ब्रामनवास से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपना भाषण कंटीन्यू करें। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : पांच साल में बोला या नहीं बोला। (व्यवधान) पांच में बोला या नहीं बोला, अगर पानी की समस्या थी और अगर मैं एक ही दिन बोला, तो क्या उस समस्या का हल करना पानी मंत्रीजी का फर्ज नहीं था ? और क्या पानी मांगने वाले शांत प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाना फर्ज था आपका ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके क्षेत्र में जो कुछ आपने किया उससे अधिक समस्याओं का समाधान किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, अब आप अपना भाषण कंटीन्यू करें और समय सीमा का ध्यान रखें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए क्योंकि आज बोलने वाले काफी हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, हमारे रोजे चल रहे हैं। आप एक दिन और बढ़ा दीजिये। 15 तारीख के बजाय आप 16 तारीख कर दीजिये सरकार की रिप्लाई का। पहले अध्यक्ष जी के चैम्बर में बात हो गयी थी और उस रोज भी यह तय किया गया था कि समय नहीं बढ़ाया जाएगा। कोई वक्ता बोले तब तक आप बढ़ा दें तो बात अलग है। लेकिन आप यह कहें, मेरा पर्सनल विरोध है इससे।

श्री सभापति : आप विराजें। क्या सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया गया।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सभापति महोदय, चन्दनमल जी ने जो अपना मौन व्रत तोड़ा और हिंसक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आश्वस्त किया उसके लिए पूरा विपक्ष बहुत-बहुत बधाई देना चाहता है। पर एक ज्यादती आपने कर डाली। पहले तो जाटों के साथ कर डाली और अब अल्पसंख्यकों के साथ....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अल्पसंख्यकों की हितैषी बनती है सरकार, और अब रोजे में आपने समय बढ़ा दिया। मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद का सदन से बहिर्गमन)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री किरोड़ीलाल : रोजा है, रोजा का ध्यान नहीं रखा। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती कर डाली। माननीय सभापति महोदय, मैं और आप जहां रहते हैं। आपको पता है एक 14 साल की लड़की अनिता ने कांग्रेस के राज में बलात्कार होने

(श्री किरोड़ीलाल)

के कारण फंदा लटकाकर आत्महत्या कर ली। माननीय सभापति महोदय, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, आपके इलाके का मामला है, वह फंदे पर इसलिए लटक गई कि आपके राज में उसको कोई तवज्जोह नहीं दी, प्रोटेक्शन नहीं दिया। उसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। आपको पूरी जानकारी है। जब आपके राज में बलात्कार जिनके साथ हुआ है, बलात्कारी गिरफ्तार नहीं किये जा रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष हैं वह आत्महत्या कर करके मर रहे हैं। आपने कल अखबारों में पढ़ा होगा, सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री किरोड़ीलाल : एक महिला सरपंच के साथ आपके राज में अलवर में, बलात्कार कर डाला। आप कह रहे थे कि हमारा राज तो ऐसा विक्रमादित्य का राज है और ऐसी सोने की डंडी आपके हाथ में लग गई, जहां घुमाओगे वहीं जनता का कल्याण कर डालोगे। कल श्री राधेश्याम जी बोले....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री किरोड़ीलाल : इनके गंगानगर में एक ही परिवार के तीन लोगों की जिनमें से एक छह साल के बच्चे की नृशंस हत्या की है, जिस पर अभी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। एक मासूम बच्चे को मार दिया गया, बुरी तरह से, बटल मर्डर कर डाला। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने मांग की, आपने उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो अभी से गूंगे-बहरे हो गये और अगर आप इस ढंग से रहे तो जैसा गुलाबचन्द जी ने कहा था कि 15 के आगे जो जीरो लगा हुआ है, वह भी कुछ दिनों बाद उड़ जायेगा। माननीय सभापति महोदय, चुनावों के बाद से इलाकों में गुण्डागर्दी ज्यादा हो रही है, कुछ गरूर कांग्रेस के लोगों में ज्यादा आ गया। कांग्रेस के लोग आम आदमियों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बामनवास में हो रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कांग्रेस की इच्छा के हिसाब से वोट नहीं डाला उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उनको पंचायत समितियों, तहसील और थानों में नहीं जाने दे रहे हैं। इस तरह का अत्याचार बामनवास में हो रहा है और सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा ही महुवा में हो रहा है। त्रिलोक सिंह एडवोकेट, आपके गांव के पास रहने वाला, जब वह अपने गांव जा रहा था, वह त्रिलोक सिंह राजपूत एडवोकेट था। उसके स्कूटर से उसको उठाकर ले गये। उसके पैरों पर आग लगा डाली। आपके राज में यह कर डाला, 15 दिन बाद ही कर डाला। केवल इसलिए कर डाला कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया। सभापति महोदय, आपको पता है, गोरधन सैनी जो आपका कार्यकर्ता है, भा. ज. पा. का तो नहीं है, लेकिन वह पत्रकारिता करता था। वह हाकर है, अखबार बांटता है। आपके गांव में कांग्रेस के बदमाश कार्यकर्ताओं ने उसको रोका, उसको मारा-पीटा। आप अपने गांव के,

(श्री किरोड़ीलाल)

उस गोरधन सैनी को कम से कम प्रोटेक्शन तो दो। अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका और उन मुकदमे को उठाकर, कुछ राजनैतिक प्रभाव से सी.आई.डी. में ले आये। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के लोग जो जीत–जीत कर जा रहे हैं, जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दुकानों को तोड़ रहे हैं। इस तरह की कार्यवाही को भी आपको रोकना होगा। आपने अगर दुर्भावना से किसी प्रकार की कार्यवाही की तो यह ठीक नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मंडावर में हुआ। आपने देखा, माननीय श्री अशोकजी गहलोत ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो चाहे एम. एल. ए. हो, कोई भी जन प्रतिनिधि हो, उनको उसका सत्कार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह ध्यान है, मंडावर के उप सरपंच पर प्राणघातक हमला किया। जीप से किया। उस जीप को दौड़ाकर उप सरपंच के ऊपर चढ़ाया, मारने की नीयत से चढ़ाया। और गुंडे वहां पर पहुंचे, हथियार लेकर वहां पर पहुंचे। केवल इसलिए पहुंचे कि उस उप सरपंच ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। इसमें क्या दोष है? क्या आप इस राज में इसलिए आये हो कि आप द्वेष भावना से काम करना चाहते हैं? मैं सदन के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मंडावर के जो उप सरपंच पर हमला किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, मारने की नीयत से किया है, जीप से मारने की कोशिश की, उस पार्टी को भी उठा कर यहां पर ले आये। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको पीटा, उसको ले आये, होटल पर हमला किया, उसको ले आये। माननीय सभापति महोदय, गांव के समाज कंटकों ने पत्रकार पर हमला किया, उसकी फाइल भी यहां से हो गई। किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपने संवेदनशील होने का नारा दिया है, चाहे आप यहां सदन में बोले हो या इसका दम्भ भर रहे हो। तो मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं सभापति महोदय कि एफ. आई. आर. नं. 357/98, जो थाना महुवा में दर्ज हुई है जिसमें होटल में तोड़-फोड़ की, आपके कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने की, उसमें कार्यवाही की जानी चाहिए। एफ. आई. आर. नं. 196/98, जो थाना मंडावर में दर्ज हुई जो सेक्शन (3) में दर्ज हुई, अनुसूचित जनजाति को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है उसमें कार्यवाहीं की जानी चाहिये। एफ. आई. आर. नं. 198/98, जो 308 आई.पी.सी. में दर्ज हुई है प्राणघातक हमले में, उसकी फाइल भी यहां पर मंगा ली गई। उसमें कार्यवाही की जानी चाहिए। एफ. आई. आर. नं. 108/98 और 182/98 जो थाना सलेमपुर में दर्ज हुई है, पत्रकार पर हमले की हुई है। माननीय सभापति महोदय, आपको पता है, पत्रकार पर एक बार हमला हुआ। उसने बचने की कोशिश की तो जब थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया तो मुकदमा दर्ज कराने के बाद यह धमकी देते हुए कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराने की, उस गोरधन सैनी ने जब मुकदमा दर्ज कराया तो उसके बाद दुबारा उस पर हमला कर दिया। ऐसे

(श्री किरोड़ीलाल)

अत्याचार कांग्रेस के राज में हो रहे हैं। ऐसे अत्याचार कांग्रेस के राज में कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे हैं, जनता के ऊपर हो रहे हैं। जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। एस. टी. एस. सी. के लोगों पर हो रहे हैं, ओ. बी. सी. के ऊपर हो रहे हैं। गोरधन सैनी अपना छोटा-सा धंधा करता है, उसका रास्ता बंद है, माननीय सभापति महोदय के गांव से होकर निकल नहीं सकता इसलिए मैं सदन से चाहूंगा कि ऐसे हमलों को रोका जाये। किसी द्वेष भावना से किसी पर हमला नहीं किया जाये। आपको जनता ने 150 की ताकत से भेजा है उसी हिसाब से काम करके दो। यह नहीं चल सकता कि आपका एक झूठा पुलिंदा, हमारी ट्रू-कापी करके जो यहां अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने पेश किया, मैं उसका भरपूर शब्दों में विरोध करता हूं। और जो यह अभी दो महीनों में नाटक रच डाला है इस कांग्रेस ने, इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस कानून व्यवस्था को सुधारें, जंगल का राज नहीं बनाये, किसी के दबाव में आकर पुलिस कानूनों को नहीं तोड़ें....

श्री सभापति : माननीय श्री शैलेन्द्रजी जोशी। आप बिराजिये। बिराजें, बहुत हो गया।

श्री किरोड़ीलाल : अब उस मामले में क्या हुआ? सभापति महोदय, दो मिनट, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री किरोड़ीलाल : जो मंडावर थाने में अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो थानेदार को लाइन हाजिर करा दिया। थानेदार एस. सी. का था, छोटा थानेदार एस. सी. का था। कोई कारण यह सरकार नहीं बता सकती कि थानेदार को लाइन हाजिर क्यों किया? केवल इसलिए किया कि कांग्रेस के लोगों के खिलाफ.... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह बहुत हो चुका, आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, थाना मंडावर जिला दौसा में किशोर मीणा की हत्या हुई, इनके शासन में हुई, ये कुछ नहीं कर पाये। भारतीय जनता पार्टी के लोग मंडावर थाने के अन्दर अपराध करने के पहले वहीं बैठे नजर आते थे।

श्री किरोड़ीलाल :... इसलिए थानेदार को लाइन हाजिर किया, शिड्यूल्ड कास्ट का था इसलिए किया, शिड्यूल्ड ट्राइब का था इसलिए किया। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के अधिकारियों के साथ (व्यवधान) इसलिए लाइन हाजिर किया जा रहा है।

श्री सभापति : बिराजिये आप। बस माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, महुवा से आये विधायक द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, मैं उसके समर्थन में अभिव्यक्ति कर रहा हूं।

सबसे पहले मैं हमारे सदन में नव निर्वाचित समस्त सदस्यों को धन्यवाद देता

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हूं नव वर्ष पर कि नव वर्ष उनके लिए बहुत ही सुखमय हो, उनकी इच्छा के मुताबिक उनका हो।

श्रीमान् सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर चुनाव अपने आप में एक जनादेश होता है और यह मेंडेट भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार की नोन-परफोरमेंस का मेंडेट है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो नाकारा सरकार है उसके खिलाफ जनता ने मेंडेट दिया। और यह पोजीटिव मेंडेट था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन यह मेंडेट क्यों मिला इसके पीछे बहुत ही आधारभूत कारण रहे हैं। राजस्थान सचिवालय भा. ज. पा. के शासन में ट्रांसफर मंत्रालय भवन बनकर रह गया। हमने देखा कि आखिरी 2–3 महीनों में राजस्थान का सचिवालय सम्पूर्ण सचिवों सहित ट्रांसफर्स की डिजायरों के कारण फाइलों का अम्बार लग गया और भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव के पहले जनता का मतलब समझा, बी से बगैर, जे से जिम्रो और पी से प्याज के "बगैर जिम्रो प्याज के", और जनता ने महंगाई के विरोध में आपको नतीजा बता दिया। मेरा निवेदन करना यह है कि चुनाव के जो नतीजे आये उसमें कांग्रेस को लगभग दुगुनी सफलता मिली और आपको 95 की जगह 33 सीटें मिलीं। कांग्रेस को 44.87 प्रतिशत वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को 33.31 प्रतिशत मिले। इस तरह कांग्रेस के पक्ष में बढ़ता हुआ जनता का जनादेश, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध घटता हुआ जो जनादेश है, उसका भा. ज. पा. के लोगों को सम्मान करना चाहिए। उनको इस तरह से तिलमिलाकर, छटपटाकर, घबराकर अपनी अभिव्यक्ति यहां बोखलाहट के रूप में नहीं करनी चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि जनादेश आपको मिला था 1993 में। हमने बड़े अदब से, बड़े आदर से, बड़ी तहजीब से, बड़े रेस्पेक्ट से उसे स्वीकार किया था। आप भी ग्रहण करने की स्वस्थ परम्परा, हैल्दी ट्रेडिशन बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि वह आपके स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्द्धक होगा अन्यथा हानिकारक होगा।

श्री अमराराम (धोद) : 1993 में मिला नहीं था, खरीदा था। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह खरीदा था उसी की बात कहता हूं। जब खरीदा तब ही तो यह स्थिति हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई है, राजस्थान में एक खुशहाली का वातावरण आया है।

(17.00 बजे)

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो स्थिति छोड़ी, वह आर्थिक रूप से बहुत ही दयनीय थी। 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और देनदारी छोड़ी। उस स्थिति को सम्भालने के लिए राज्य सरकार को मजबूरन श्वेत पत्र जारी करना पड़ा, और एक दीवालियेपन की स्थिति विकास के नाम पर कर दी। मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 23 हजार करोड़ रुपये तक की तो देनदारी छोड़ दी लेकिन आपने आउट-पुट क्या

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दिया ? वह कौनसी सड़कें थी जिनको कि आप गिना रहे थे । नाबार्ड क्या राजस्थान सरकार की योजना है ? वर्ल्ड बैंक फाइनेंस जो एग्रो मार्केटिंग का है, वह क्या आपकी योजना है ? राजस्थान सरकार के पैसे से राज्य सरकार ने जो फाइनेंस जनरेट किया उससे आपने कितने किलोमीटर सड़कें बना दीं, यह बताइये । आज आप कह रहे हैं, आपने हैण्ड पम्प लगा दिये । राजीव गांधी टेक्नीकल मिशन हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर हुआ, उसका फाइनेंस मिला उससे आपने योजना बनाई, वाहवाही आप लूट रहे हैं । इस तरह का जो गलत, मिथ्या और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वह आप सोचें कि ऐसा नहीं है । नये सदस्यों को मालूम नहीं है लेकिन जो पुराने सदस्य हैं, वह सब जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो सबसे प्रमुख चीज है वह पैरा नंबर आठ है। उसका एक शब्द है–पिछली सरकार के आठ वर्षों के कुशासन में राज्य की कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गई । यह बिलकुल सत्य बात है । अभी मेरे साथी भाई कह रहे थे कि यह हुआ, वह हुआ । मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में जुगताराम, जिसका कि मेल जेनेटल ओरगन पुलिस कस्टडी में काट दिया गया, उसके बारे में आपने कौन से आंसू बहाये, आपने क्या किया ? क्या आपके मुख्य मंत्री महोदय सवाई मानसिंह अस्पताल में देखने भी गये जबकि हमारे विपक्ष के नेता और हम सब सदस्यों ने वहां पर जाकर देखा, उससे पूछा कि किस निर्ममता से बी.जे.पी. के राज में इस तरह का हुआ । माननीय सदस्य, मंडावर के थाने की स्थिति बी. जे. पी. के शासन में क्या थी ? सभापति महोदय, मण्डावर, जो कि आपका निर्वाचन क्षेत्र है, उसकी स्थिति यह थी कि जो चोर चोरी करता था, जो बलात्कारी बलात्कार करता था वह पहले आकर थानेदार के सामने कुर्सी पर बैठकर कहता था, हां, यह जो फरियादी है इसकी रिपोर्ट लिखो । लेकिन कुछ नहीं होगा थानेदार साहब, क्योंकि हमारे पास फलाने आदमी का टेलीफोन आ गया है, बी. जे. पी. के आदमी का । शर्म खाओ, इस तरह का शासन दिया आपने । वह मोटर साइकिल चोरी के लोग कहां पकड़े गये, किस जाति के थे, नाम बताइये। आपने अभी एक हत्या को लेकर इतना बवण्डर उठाया, मैं निवेदन करना चाहूंगा.. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें । यह कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं कहा । आप बिराजें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : I am not naming any name. I am not mentioning any name.

श्री किरोड़ीलाल : मैं यह कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : नो इन्टरप्शन, प्लीज ।

श्री किरोड़ीलाल : चोर की, अपराधी की कोई भी जाति नहीं होती ।

श्री सभापति : इन्होंने किसी जाति का नाम, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया ।

श्री किरोड़ीलाल : वह जाति विशेष का नाम ले रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैंने पार्टी की बात कही है। पार्टी की, बी. जे. पी. के शासन की। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई जाति विशेष का नाम नहीं लिया है। माननीय सदस्य, आप विराज जाएं अब। मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने भी धैर्य रखा, मैंने भी पेशंस रखा (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : इनको यह तो कहिये कि आपको सम्बोधित करके कहें।

श्री सभापति : आप विराजें। आप बहुत इन्टरप्शन करते हैं माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी तरफ देखें, यह हमारी तरफ हाथ नहीं करें .

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज। इन लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनी है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : इन गूजर और मीणों में इन पंडितजी का क्या होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं जीत कर आया हूं, यह हुआ और मेरे खिलाफ दोनों ही जाति के प्रतिनिधि थे। मेरा निवेदन यह है सभापति महोदय....

श्री किरोड़ीलाल : शैलेन्द्र जी, दोनों एक हो जाते तो आप यहां नहीं पधारते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसा है कि हो कैसे जाते। आपका कण्डक्ट और मेरा कण्डक्ट एक सा थोड़ी है जो हो जाते। मेरा निवेदन यह है कि थाना मण्डावर, जिला दौसा में किशोर मीणा की हत्या हुई पुलिस कस्टडी में। लेकिन बी.जे.पी. की सरकार ने क्या किया? मुझे बहुत खुशी होती, आप एक शब्द भी उसके लिए बोलते। लेकिन आपकी अभिव्यक्ति कुण्ठित रही क्योंकि आप हर चीज एक एंगल से देखते हैं और आज कांग्रेस का राज है तो दोनों की बात समानता से देखी जाती है। इस तरह किसी के लिए बोला जाय, किसी के लिए नहीं बोला जाय। मोटर साइकिल चोर, पूरे जयपुर से बीस मोटर साइकिल ले गये और कहां बरामद हुई, किस जाति के लोगों से बरामद हुई, किसने शेल्टर दिया, किसने प्रोटेक्शन दिया, कौन संरक्षक थे, किसने पुलिस के अधिकारियों को टेलीफोन किया। जरा बता दें कोई यहां पर। और मिली कहां वह? यह सारी बातें हैं। जो मौन धारण किये हैं, मौन अपने आप में हजार ताकतें रखता है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आज कांग्रेस का राज आने के बाद बैंक की डकैती हुई, बिहार से, मद्रास से, तमिलनाडु से, पुलिस गई और 45 लाख रुपये की बरामदगी भी की और मुलजिमों को हाजिर किया। यह है संवेदनशील प्रशासन, यह है चुस्त प्रशासन, यह है दुरूस्त प्रशासन.. (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सदस्य के वहां डकैती हो गई....

श्री सभापति : प्लीज, नो इन्टरप्शन, प्लीज।

श्री किरोड़ीलाल : मैं उसकी कह रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तड़पिये मत, घबराइये मत, आप बौखलाहट नहीं बतायें।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री परसादीलाल : भाषण में टोका-टाकी नहीं हो सभापतिजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा यह निवेदन करना है सभापति महोदय, कल हमारे बड़ी सादड़ी से आने वाले साथी भाई ने यह कहा कि शिक्षा जगत में बहुत कुछ किया बी.जे.पी के शासन में। हां, कुछ किया। क्या किया, मैं बताता हूं। आप देखिये, सबसे पहले, 1952 से लेकर आज तक कभी भी पुलिस के संरक्षण में परीक्षाएं नहीं हुई। आज मंत्री महोदय ने परीक्षाएं करवा दीं और किससे करवाई, ढांढ़ों के डाक्टरों से, पशु चिकित्सकों से। और पशु चिकित्सकों ने क्या किया कि जब हिन्दी का पेपर था तो इंग्लिश का पेपर खोल दिया क्योंकि ढांढ़ों के डाक्टर थे। पुलिस प्रशासन से परीक्षा कराई, राज्य का पूरा प्रशासन एक महीनें तक ठप्प रहा। एक महीने तक सारे कलेक्टर, सारे एस.डी.ओ., ए.सी.एम., पूरा अमला केवल परीक्षाएं कराने में रहा। और यही नहीं, हमारे शिक्षा मंत्री का तुगलकी फरमान निकाला .. (व्यवधान) आप सुनिये। हमारे शिक्षा मंत्री का तुगलकी फरमान निकला, क्या निकला, राजस्थान के सभी एक-एक जन-जन को मालूम है कि हम शिक्षा में बगैर परीक्षाओं के इनको पास करा देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप ही थे जो बगैर परीक्षा के आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन जनता ने आगे नहीं बढ़ाने दिया। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : माननीय मंत्री जी परसादीलाल जी डिक्टेट कर रहे हैं इनको कृपया ..

श्री सभापति : नहीं-नहीं, इन्टरप्शन नहीं। आप विराजें। कृपया विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैंने 24 साल वकालत की है और आपको मैं डिक्टेट कराने की कैपेसिटी और हैसियत रखता हूं। मेरा निवेदन करना यह भी है कि श्रीमन् ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री क्या जुल्फें निकालते हुए आ रहे हैं। सभापति महोदय, यह सदन है। सदन के अन्दर इस तरह....

श्री सभापति : आप विराजिये। आप विराजें कृपया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, यही नहीं, शिक्षा जगत की यह भी उपलब्धि रही कि तीन पर्चे आउट हुए और इसके अलावा स्कूली ड्रेस, आपको मालूम है आर.एस.एस. के गणवेश की, महोदय, क्या ड्रेस होती है, स्कूल के बच्चे को खाकी नेकर और सफेद कमीज पहनने पर मजबूर किया गया। यह किया और स्कूल का गणवेश बना दिया गया, राजस्थान के स्कूलों में आर एस.एस. की शाखाएं चला दीं। यह आपकी उपलब्धि रही...(व्यवधान) मैं पूरी बात कह रहा हूं। आप सुनने का माद्दा रखिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माननीय सदस्य को अभी यह भी पता नहीं है कि हमने स्कूल ड्रेस कौन-सा किया....

श्री सभापति : आप विराजिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह दुर्भाग्य है कि इनके चश्मे में आर.एस.एस. ही आर.एस.एस. चमकता है । हमारी सफेद कमीज है ही नहीं.. (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, पूरे राजस्थान को पता है । जो बच्चे ..

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन इनको तो चश्मे में वह संघ ही संघ दिखता है न .

श्री सभापति : माननीय कटारिया जी ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिए रात को भी, इनको सपने में भी आर.एस. एस. ही आर.एस.एस. दिखता है, वैसा ही इनका दिमाग है ।

श्री सभापति : माननीय, जो बच्चे ड्रेस पहन कर जा रहे हैं, पूरा राजस्थान जानता है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जिस संगठन ने गांधीजी की हत्या की उसका अगर सपना नहीं आये तो किसका आयेगा । जो राष्ट्र के हत्यारे हैं उनका सपना आना जरूरी है । महात्मा गांधी की हत्या करने वालों का सपना नहीं आयेगा तो किसका आयेगा । कोई पाकिस्तान के देशद्रोही का आयेगा । (व्यवधान) आर.पी.एस.सी. के प्रश्न पत्र कितने आउट करवाये ।

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज । माननीय ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आर.पी.एस.सी. के प्रश्न पत्र किसके जमाने में, किस शिक्षा मंत्री के काल में आउट हुए । सबसे पहले, 1952 से पहली बार आप ही के शासन-काल में हुए । आप ही शिक्षा मंत्री थे । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अबोध बच्चों का मस्तिष्क खराब करने के लिए आपने पाठ्यक्रम में इंग्लिश की किताब में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का पाठ्यक्रम घुसा दिया । न जवाहरलाल नेहरू का, न श्रीमती इन्दिरा गांधी का, न लाल बहादुर शास्त्री का । पण्डित दीनदयाल उपाध्याय और इंग्लिश की किताब में । यह पाठ्यक्रम में आपने तब्दीली की जिससे कि विषाक्त वातावरण हो जाय नव पीढ़ी में । आपकी यह देन है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब से यह स्कूलों का समय लगा है, आप ही एक ऐसे शिक्षा मंत्री रहे जिन्होंने साढ़े नौ से लेकर साढ़े तीन बजे तक की स्कूलें कर दीं । आज राज-स्थान के बच्चे दूर-दूर से भूखे जाते हैं, शिक्षक भूखे जाते हैं । सुबह साढ़े नौ बजे उनकी माताएं गाय-भैंसों का दूध निकालती हैं और छोटा-मोटा काम करके जब तक आती हैं तब तक बच्चे बैग डालकर एक नदी, दो नदी, तीन किलोमीटर पार करके, एक किलोमीटर दूर जाते हैं और साढ़े तीन बजे भूखे लौट कर आते हैं । न पढ़ाई हो पाती है, न वह बच्चे कोई पोषाहार लेकर जाते हैं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वापस से इस तुगलकी आदेश को रद्द करके साढ़े दस से साढ़े चार का स्कूल करें, ताकि एक रूटीन

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कायम हो मेरा यह भी निवेदन है कि (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चौहान साहब, पांच साल बाहर रहे थे आपको कुछ मालूम नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं-नहीं, सारा मालूम है मुझे तो लेकिन यह जो स्कूल का टाइम है न अब यह सामान्य टाइम है।

श्री सभापति : माननीय आपको अभी थोड़ी देर बाद में बोलना है आप जवाब दे देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अधीर नहीं हों, आप विचलित नहीं हों। आप कम्पित नहीं हों।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वैसे स्कूलों की दूरी इतनी है कि गोफन में भाटा करके फेकें न तो एक स्कूल से जाकर के दूसरी में गिर जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह आप भाटे की नहीं आप मिसाइल की बात कर रहे होंगे।

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें। आप अपना भाषण चालू रखें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, निजी शिक्षण संस्थाओं में 8-8 महीने से वेतन नहीं मिला। उनको एड नहीं दी गई। आज भी 8-8 महीने के वेतन रूके पड़े हैं। अब हमारी सरकार ने सहायता दी तो उनको वेतन मिल पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन का प्रावधान किया और सेन्ट्रल बोर्ड का कर दिया जिससे कि आज राजस्थान सैकण्डरी बोर्ड की जो मान्यता है, जो प्रभाव है वह कम हो गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके समय में बी. जे. पी के शासनकाल में स्कूलों में, जो शहरी स्कूल है उसमें कोई भी संरक्षक, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हो, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश नहीं कराना चाहता। उसको मालूम है कि शिक्षा मंत्री महोदय के काल में जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उसकी पढाई की क्वालिटी कितनी पूअर रही है यह आपकी उपलब्धि है। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग को आपने रसातल में पहुंचा दिया, भट्टा बैठा दिया। और तो और शिक्षाकर्मी योजना, जिसके लिए आप कल वाहवाही लूट रहे थे वह योजना कांग्रेस के शासनकाल में चलाई गई। कांग्रेस की देन है। आपने तो शिक्षाकर्मी योजना का केवल भाजपाकरण कर दिया उसमें आर.एस.एस. के लोग बैठा दिये। शिक्षा में राजनीति प्रवेश करवा दी आपने और जन लुभावनी नीति की दुर्दशा कर दी। आपने जनादेश की खिल्ली इस तरह उड़ाई कि जिसके कारण आज राजस्थान के जो शिक्षक हैं उन्होंने अप्रेल में हड़ताल की। आपने 9, 18, 27 साल पर पदोन्नति का लाभ तो नहीं दिया उनको, लेकिन आज तक उनका जो 28 दिन का वेतन था उसके लिए भी वे दर-दर की ठोकरें खाते हैं। आपकी सरकार ने जाते-जाते उनका न तो समायोजन किया जिनका रिटायरमेंट हो गया उनका रिटायरमेंट अटका पड़ा है क्योंकि उन दिनों के अवकाश को किसमें काउन्ट किया जाए। इस तरीके से आपने

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

राजस्थान के शिक्षकों के साथ जो खिलवाड़ किया उसका भी नतीजा है वह भी आपके लिए कारण बना आपकी सरकार के 33 तक सिमटने के लिए। और तो और सभापति महोदय, क्या कहा जाए हमारे हिन्दुओं के मंदिरों को आपने नहीं छोड़ा। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आपने ट्रांसफरों का अड्डा बना दिया चाहे वह महावीर जी हो, महावीरजी का जैन तीर्थस्थल हो, चाहे सालासर के हनुमानजी हों चाहे एकलिंगजी रणकपुर में हो केसरियाजी, उनके तहखानों में बैठ-बैठ कर आपने आर. एस. एस. के लोगों को लाकर ट्रांसफरों की लिस्ट बनाई। और कांग्रेस के लोग प्रगतिशील विचारधारा के लोग लेफ्ट पंथ के शिक्षकों को लम्बी दूरियों 4–4, 3–3 सौ किलोमीटर पर आपने ट्रांसफर कर दिया। यह था आपका नंगा नाच शिक्षक जगत में। आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं। मेरा यह भी कहना है कि आपने बी.जे.पी. के राज में शिक्षा का संघीकरण कर दिया और शिक्षा का आपने नेकरीकरण कर दिया। आपने परीक्षा के सामान्यीकरण के नाम पर मिडिल स्कूलों में एक परीक्षा करवाई। राजस्थान में 134 मिडिल स्कूलों में 0% रिजल्ट रहा वह भी केवल आपके ही काल में रहा। कल माननीय कटारिया जी ने यह बोला कि राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोपर्टी है तो एक विभाग में, देवस्थान में है। इसलिए

(17.15 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

ठीक है प्रापर्टी तो आपको दिख गई, देवस्थान विभाग में देवताओं की मूर्ति भी दिखी होगी। मैं इस सदन में चुनौती देता हूं, कटारिया साहब बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य यह बतायें, कांग्रेस के 40 साल के शासन काल में हिन्दुओं के मन्दिरों में भगवान की जो मूर्ति चोरी की गई उसके मुकाबले 8 गुना ज्यादा चोरी बी.जे.पी. के 8 साल के शासन काल में हुई है और उनकी बरामदगी नहीं करवाई आपने। आप क्या मन्दिर बनाएंगे। आप किस मस्जिद की बात करते हैं। आपका जो शासन था, बड़ा साम्प्रदायिकता का था। जब-अब आप सत्ता में आये तब-तब तनाव नहीं हुआ। जब-जब आप सत्ता के बाहर रहे आपने तनाव किया। इस तरह मूर्तियों की चोरी के नाम पर और तो और, माननीय सभापति महोदय, 10 लाख की कोई रजिस्ट्री करायेगा तो उसको बी.जे.पी. के शासन काल में छूट होगी 50% की। कोई गरीब 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार की लागत की रजिस्ट्री करायेगा तो छूट 1% की भी नहीं होगी। अब ये किसके हिमायती हैं, बी. जे. पी. के लोग किसके हिमायती हैं? लखपति, पूंजीपतियों के या खकपतियों के। ये किसके आंसू पोछेंगे? यह तो एक रिकार्डेड फेक्ट है। मेरा निवेदन करना यह है कि इस तरीके से इन्होंने जो शिक्षा जगत को एक तरह से तहस-नहस किया, उसके कारण आज जो हमारी पीढ़ी है वह पंगु हो गई। हमारी कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में आई, सत्ता में आते ही यह पहला अवसर है जब राजस्थान में किसी मुख्य मंत्री ने इस बात को आधार बनाया कि हम हमारे चुनावों में किये गये वायदें हैं उनको पूरा करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : वह पत्र भी पढ़वा दो न आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह बिलकुल आपको बंटवाएंगे । इतनी आसानी से नहीं मिलेगा इसके लिए प्रयत्न और यत्न करना पड़ेगा। इसके लिए मानसिकता बनानी पड़ेगी ।

श्री नन्दलाल मीणा : हां-हां बना लेंगे ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके लिए आप मानसिकता बनाइये। वातावरण निर्माण का काम करिये जो आप कभी किया करते थे।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : कांग्रेस के दफ्तर में जाकर लेना पड़ेगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातें न करें ।

श्री नन्दलाल मीणा : घोषणा पत्र की एक माला और बनवा लो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कम से कम आपका मन तो प्रसन्न रहे ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : खैर, हमारे मन प्रसन्न की बात नहीं है आप चिन्ता मत कीजिये । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमने परमाणु बम का विस्फोट किया । परमाणु बम का विस्फोट तो किया, लेकिन उस विस्फोट का नतीजा क्या निकला ? इस परमाणु बम विस्फोट करने से पहले दुनिया में किसी भी देश को पता नहीं था कि पाकिस्तान के पास न्युक्लियर वेपन है या पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की कोई पॉवर है या पाकिस्तान के पास किसी भी तरह की एक्सप्लोजन करने की क्षमता है । यह केवल भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति का परिणाम था कि हमारे बम विस्फोट करने के बाद तत्काल पाकिस्तान ने एक ही नहीं, अनेक परमाणु बमों का एक्सप्लोजन करके पूरी दुनिया को बता दिया कि वह भी छठी शक्ति है । यह आपकी गलती थी कि आपने जग-जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान के पास न्युक्लियर पॉवर है और आज पाकिस्तान की पूरे विश्व के अन्दर न्युक्लियर पॉवर के रूप में कीमत करा दी । नहीं तो वह अपने परीक्षण बंद किये था क्योंकि पाकिस्तान को सहायता की जरूरत थी लेकिन a right action on a right time with a right technique is called politics. और आपने समय गलत चुना । आपको मालूम है कि माननीय सभापति महोदय, हमारी संसद में लोक सभा के अध्यक्ष संगमा साहब ने यह कहा था "The doctrine of restraint is more powerful than the atom bomb and hydrogen bomb." जो कोई भी चीज को रोके रखने की, आज हमारा जनादेश है 197 में से 150 सदस्यों का, और तीन सदस्य हमारे और जीतेंगे । इसके बाद भी हम कितने धैर्य से, कितनी सौम्यता से, कितनी सरलता से, कितनी सहजता से, कितनी शालीनता से, कितने पेशंस से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं । हममें बौखलाहट नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि इस जनादेश के पीछे बड़ी गम्भीरता है । हम से जनता की आकांक्षाएं अपार हैं और हमको जनता की आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करना है । इसलिए सबसे पहले हमारा दर्पण जो हमने हाथ में लिया है वह है चुनाव घोषणा पत्र । और हमारे मुख्य मंत्री महोदय, सभी मन्त्रिमण्डल के सदस्य और हम कांग्रेस के विधायक, पूरे जोर-शोर

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

से एकजुट होकर इस ताकत में लगे हुए हैं कि किसी तरह यह हमारा जो एक पवित्र दस्तावेज है पांच साल के लिए, इसको हम अंगीकृत करें ताकि हम इसका इंप्लीमेंटेशन करें, इसका एन्फोर्समेंट करें, इसका रीयल एग्जीक्यूशन करें। ऐसी स्थिति में मेरा यह कहना है कि आपने जो परमाणु बम का एक असामयिक तौर पर, एक अनटाइम टाइम पर जो आपने एक्सप्लोजन करके पूरे जगत को बता दिया कि आप ही नहीं आपका पड़ौसी राष्ट्र भी न्युक्लियर पॉवर रखता है। वह भी गलती थी।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज के प्रचंड जनादेश के कारण भारतीय जनता पार्टी के दो दर्जन मंत्रीगण जनादेश की भेंट चढ़ गये और इससे ज्यादा मंत्री कभी भी राजस्थान में परास्त नहीं हुए। वह अपने आप में इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि आपकी जो नीति थी वह कुनीति थी। आपका आसन था वह कुशासन था। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने आते ही सबसे पहले वह घोषणा की जिसके लिए चुनाव में पहले वायदा किया था। सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के लिए अधिसूचना जारी की गई और राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 की। हालांकि सभापति महोदय, हमें एक हजार करोड़ रुपये की देनदारी हुई फिर भी हमने जनता के किये गये वायदे को पूरा किया।

इसके अतिरिक्त चुनाव घोषणा पत्र को अमलीजामा पहनाने के लिए संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के अनुरूप हमने सरकार में गरीब, पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग और महिलाओं को आरक्षण देने के लिए भी अमलीकरण चालू कर दिया। और राजनीति में अपराधीकरण और विधान मण्डलों में से आपराधिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए भी हमने हमारी नीति बनाई है। सबसे पहले मैं यह निवेदन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करना चाहूंगा कि राजस्थान की बी.जे.पी. की सरकार ने पांच मेगावट भी बिजली नहीं बनाई और हमको बड़े गगनचुम्बी आकाशीय नजारे दिखाये कि बाड़मेर के पास जैसलमेर जिले में एक किलोमीटर लम्बी सोलर एनर्जी की चिमनी बनेगी जो कि साइंटिफिक अप्रेट्स टू थीटा से घुमेगी और उस पर रिफलेक्टर मिरर लगाये जाएंगे। उसकी हमने यहां पर स्लाइड देखी। वहां पर फिल्म-शो हुआ। इस तरीके के ढोंग किये गये और यह कहा गया मान-नीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा, माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा कि यह परपीच्युअल सोर्स हैं जो कि आज तक न कांग्रेसियों के दिमाग में आया था और यह सोलर एनर्जी है, यह तो एक शाश्वत ऊर्जा स्रोत हैं जो मुफ्त में मिलता है। आज तक क्यों भूल की थी, और बड़ी वाहवाही लूटी गई। मैं यह पूछना चाहता हूं, काश उस समय ऊर्जा मंत्री महोदय यह देख लेते कि विश्व में क्या कभी किसी ने 15 मेगावाट भी सोलर एनर्जी किसी संयंत्र से प्राप्त की है जो आप यहां पर 560 मेगावाट का एस्टेब्लिशमेंट करने वाले थे। लेकिन सब कुछ बरबाद था। आपने कभी नहीं सोचा कि राजस्थान में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कि राजस्थान में मैं यह चाहता हूं कि उद्योगपति आये। मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगपति आये लेकिन बिजली ही नहीं थी तो आपने तो कभी भी 8 साल में कोई भी पावर जनरेट नहीं की। ऐसी स्थिति में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने, हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय ने आते ही नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की 650 मेगावाट क्षमता की 1758 करोड़ की लागत से बनी हुई, जिसमें से 20 पर्सेन्ट राजस्थान को हिस्सा मिलेगा, बिजली मिलेगी, आपने तो इस संयंत्र को बिजली नहीं दी थी। बी जे.पी. की सरकार से हमारे केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री कुमार मंगलम ने कई बार कहा लेकिन आपने अन्ता में जमीन तक नहीं दी। और हमारी सरकार ने आते ही जमीन उपलब्ध करवाई। जिसका नतीजा यह निकला कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बटन दबाया, हमारे ऊर्जा मंत्री कुमार मंगलम की उपस्थिति में यह घोषणा की गई कि....

श्री किरोड़ीलाल : बटन काहे का दबाया ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : रिमोट कंट्रोल का। रिमोट कंट्रोल से पर्दा हटाने का। आप इतना भी नहीं समझते, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। आजकल पर्दे को हटाने के लिए रिमोट कंट्रोल की जरूरत है, आप ज्ञान में अभिवृद्धि कर लीजिये महाशय।

श्री प्रताप सिंह : जमीन किसने दी है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : जमीन हमने दी है। आप त्याग पत्र दे दें या मैं त्याग पत्र दे दूं। जमीन हमारे शासन में हुई है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उद्घाटन का जो स्टोन लगा है, उसका पर्दा दूर से ही सरकाया जा रहा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री प्रताप सिंह : पूरे राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, यह जमीन देने की कार्यवाही हमारे शासन में हुई है।

श्री प्रताप सिंह : आपके शासन में तो यह हुआ है (व्यवधान) शिवनारायण जी और हीरालाल जी सहरिया को इंविटेशन कार्ड तक नहीं दिया उसका। आपके शासन में तो यह हुआ है।

श्री सभापति : माननीय प्रतापसिंह जी बैठिये। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, एक एस टी. का एम. एल. ए. चुनकर आये और उसको कार्ड नहीं देना यह तो सरकार में पहला अत्याचार हो गया।

श्री सभापति : वो इनका पर्सनल मामला है।

श्री किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्य अनुसूचित जनजाति के थे इसलिए उनको कार्ड नहीं दिया गया। यह तो एस. टी. के लोगों के साथ ज्यादती हो गई।

श्री सभापति : यह सदन का विषय नहीं है। (व्यवधान) प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनके बयान का स्वागत किया था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राठौड़ साहब, मैं कर दूं शंका का निवारण।

श्री सभापति : सिंघवी साहब बैठिए प्लीज।

श्री रामस्वरूप : यह बीच-बीच में बोल रहे हैं। ट्रेनिंग दो इनको पहले।

श्री सभापति : प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह खाम-ख्वाह चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। किरोड़ीलाल जी की इतनी उम्र हो गई, इनको याद होना चाहिये कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका पर्दाफाश होने के लिए इन्विटेशन नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : चालू रखिए शैलेन्द्र जी। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : जो शांति धारीवाल जी बोले हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जिसके कारण न्यौता नहीं दिया गया। सहरियाओं ने कोई ऐसी घटना की क्या ?

श्री सभापति : अब हो सकता है कोई पर्दे वाली बात हो या स्पष्ट नहीं कही जा सकती हो।

श्री किरोड़ीलाल : आप ही पूछें। सह-रिया समाज ने कोई ऐसी घटना की हो तो उस पर्दे को थोड़ा दूर करें रिमोट कंट्रोल से, आप निर्देश दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पर्दा हट गया जनादेश का, 150 सीट आ गई यही पर्दा था जो जनता ने हटा दिया।

श्री सभापति : माननीय शैलेन्द्र जी आसन की ओर संकेत करके बोलिए आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने आते ही फिजूल खर्च पर रोक लगाई और एक करोड़ रुपये की बचत होगी इसलिए सेल्युलर फोनों को तालों में बन्द करवा दिया जो कि बी. जे. पी. के राज में इसका अतिरिक्त खर्च होता था। इसी तरह से राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में जो बिजली की सप्लाई थी वह केवल तीन या चार घंटे आती थी। उसको एक करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करके आठ घंटे से भी ज्यादा की बिजली सप्लाई की, और आश्वस्त किया कि किसानों को किसी भी कीमत पर बिजली नहीं रोकी जायेगी।

श्री किरोड़ीलाल : फोनों को तालों में बन्द करा दिया, कारों को भी गैरेज में तालों में बन्द करा दो तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप, प्लीज आसन को सहयोग कीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने समस्त जिलाधीशों को यह आदेश दिया कि राजस्थान की जनता का प्रत्येक व्यक्ति जिला स्तर पर ही अपनी समस्याओं का निराकरण करवाये। यदि उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है और वो समस्याएं जिला स्तर की होती हैं तो उनको एक तरह से रेस्पोंसिबल ठहराया जायेगा। इस तरीके से जिला प्रशासन के लिये जवाबदेही की एक नई श्रृंखला खड़ी की है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान के पहले कांग्रेस के मुख्य मंत्री हुए हैं बी.जे.पी.,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

के कुशासन के बाद, जो चाहते हैं कि जन-प्रतिनिधियों का सम्मान हो। चाहे वो बी.जे.पी. का पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद का हो, एम.एल.ए. हो, एम. पी. हो, उन सबको सम्मान दिया जायेगा। इससे एक नया सन्देश जायेगा।

श्री किरोड़ीलाल : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : क्या है पाइंट ऑफ आर्डर ?

श्री किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है और ट्रेजरी बेंच पर एक भी केबिनेट मिनिस्टर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठे हैं, बैठे हैं, आप चालू रखिए। विराजें।

श्री किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, फ्रन्ट रो गायब हो गई पूरी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के आते ही कच्ची बस्तियों के नियमन के लिये बाड़े-बन्दी की व्यवस्था की गई जिससे कि अतिरिक्त लोग वापस प्रवेश नहीं कर ले। उनका रेगुलराइजेशन हो सके। इसके अलावा कमजोर तबके के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिये विशेष ध्यान दिया गया है। यही नहीं महिला आयोग मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए घोषणा की गई है।

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, सूचना का अधिकार कि किस पंचायत समिति में कौनसी सड़क बन रही है, कितने की सेक्शन हुई है, कौन ठेकेदार है, किस क्वालिटी का इसमें इनपुट होगी, उस सूचना के अधिकार के लिए भी पहल की गई है जिसके लिए बी.जे पी. के शासन में स्टेच्यू सर्किल पर हम लोगों ने धरना दिया। लेकिन आपने देखी-अनदेखी की और आज तक सूचना का अधिकार नहीं मिला। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने ए.सी. और टेलीफोन उपकरण की खरीद पर आते ही रोक लगा दी जिससे कि फिजूलखर्ची यहां से हटी। हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त कार्यों को टाइम बाउण्ड प्रोगाम देने का आश्वासन दिया है इसके अन्तर्गत आने वाली गर्मी से पहले सारे हैंड पम्प और जल के जो संसाधन है वह वापस करेक्ट कर लिए जायेंगे। इस तरह से उद्योगपतियों को जो राज्य से एक तरह से निराशा हो गई थी कि राजस्थान राज्य में कोई उद्योग नहीं लगाया जाये, उनमें फिर से एक आशा की किरण पनपी है। और जब उन्होंने देखा कि किसानों को बिजली आसानी से मिल रही है, गारंटी से मिल रही हैं, तब उनमें यह भावना जागृत हुई कि वापस वो भिवाड़ी में आयें और अपनी बिजली की उपलब्धता के आधार पर रोजगार लगायें। अपनी इंडस्ट्री को रीओपन करें।

श्री किरोड़ीलाल : आपके बिजली नहीं आ रही थी उसके लिए मानव शृंखला लेकर इसी राज में 15 दिन पहले आने का घेराव किया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैंने बिजली को लेकर नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राज में रहते हुए भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। आप जैसे संघर्षशील व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मेरे यहां एक डकैती हुई। हमने पुलिस में कहा और उसके बाद पुलिस कुछ इफेक्टिव कार्यवाही नहीं कर पाई। मैं कहना चाहता हूं पुलिस के सारे अधिकारी तो आपके लगाये हुए हैं श्रीमान्। उन्होंने पहल नहीं की तो मैंने तो उनको कोसा। इस कुशासन के लिये तो आप जिम्मेदार हैं, आपके लगाये हुए पुलिस अधिकारी मेरे क्षेत्र में हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने इनके खिलाफ घेराव किया उनको घेरना जरूरी था और, और भी घेरूंगा मैं।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय सदस्य बहुत दु:खी हैं। इतना प्रचंड मत आने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा इसलिए मानव श्रृंखला लेकर थानों का घेराव कर रहे हैं....(व्यवधान) अब तक कार्यवाही हो जाती।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी तरह थाना जलाने की घोषणा कर दूं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप इनकी पीड़ा और दर्द को समझें।

श्री सभापति : इनकी पीड़ा और दर्द को तो सरकार समझ रही है। वह अपने आप काग्निजेंस लेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार में पूछ नहीं है, कोई नहीं पूछता। श्री बनवारीलाल जी बैठे हैं आप कहो उनसे। आप देखो यह बोलते-बोलते (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल : आप इतने पीड़ित क्यों हो रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान में पहला उदाहरण है जब राजस्थान की सरकार नये जनादेश से आयी उसके बाद मंत्रियों और विधायकों को जो शासक दल के है, उनको अपनी चल अचल सम्पति की घोषणा के लिए शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। और आने वाले चुनाव से पहले भी इस बात को देखा जायेगा कि किसकी कितनी अभिवृद्धि हुई। यह एक सच्ची मंशा का सबूत है, यह एक पारदर्शिता है, यह एक संवेदनशीलता है और हमारी राजनीति में ईमानदारी का सबसे ज्यादा पैरा-माउंट इंडिकेशन है।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंचायती राज के प्रतिनिधियों को, आज मेरे को बी. जे. पी. का कोई साथी यह बताये कि मेरे साथी, माननीय विधायक को, पंचायत समिति के सदस्य को और जिला परिषद के सदस्य को गये पांच साल में क्या अधिकार मिला ? क्या आने जाने का टी.ए.डी.ए. भी टाइम पर मिल गया ? आपको टी.ए.डी.ए. कितना मिले उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आपने उसके लिए कोई अधिकार नहीं दिया और क्या किया ? माननीय सभापति महोदय, एक सरपंच एक ग्राम पंचायत का निर्वाचित होता है, जो पंचायत समिति का सदस्य है वह डेढ़ पंचायत पर निर्वाचित होता है।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वह डेढ़ पंचायत का निर्वाचित जो पंचायत समिति का सदस्य है उसके पास पावर बी. जे. पी. शासन में जीरो, जिला परिषद् का सदस्य जो कि नौ पंचायत का हैड होता है उसको पावर जीरो और सरपंच पावरफुल। यह थी आपकी देखी अनदेखी, यह था पंचायती राज। यह था 1959 में जो नागौर में जवाहरलाल जी नेहरू ने जो स्थापना की थी। वह आपके कुत्सित मंशा-पूर्ण रवैये के कारण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रला-इजेशन नहीं किया था लेकिन आपने कोई भी नई चीज नहीं की। आज आप कहते हैं कि क्या अधिकार मिलेंगे।

श्री सभापति : वह नागौर में 1959 में नेहरू जी ने ही की थी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने सबसे पहले आते ही यह भी घोषणा की कि हमारे शासन के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी अब फीता नहीं काटेगा, उद्घाटन नहीं करेगा और शिलालेख पर उसका नाम भी नहीं होगा क्योंकि लालफीताशाही और नौकरों से काम कराना गलत नीति के विरुद्ध काम था, हमारा काम नहीं रहा। इसलिए हमने कह दिया कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की एक तरह से पैरा-माउंट इंटरेस्ट में रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी जिसने कि प्याज, आलू, तेल हमने हमारी जिन्दगी में गये 50 साल में कभी भी 60 रुपये से ऊंचा, सरसों का और तिल का तेल नहीं देखा, कभी भी प्याज गये 50 साल में, जब से भारत आजाद हुआ है 5 रुपये किलो से ज्यादा नहीं हुआ, आपके शासन में 50, 75 और 80 रुपये किलो ट्रेवल कर गया। इसके अतिरिक्त, आलू जो कि कभी 8 रुपये किलो नहीं हुआ .

श्री प्रताप सिंह : यह आप किसको कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन को सम्बोधित कीजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको जो भी एड्रेस करना है, सभापति महोदय को कीजिए। + + + यह क्या है ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, यह प्याज और तेल की बात कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कौन सी सभ्यता का प्रतीक का इशारा कर रहे हैं आपके सामने ? भारतीय जनता पार्टी की यही सभ्यता है, + + + ?

श्री प्रताप सिंह : उसी ढंग से जोशी जी को अपना गुरु मानकर बोल रहा हूं जैसे यह बोलते हैं।

श्री सभापति : कृपया आप कितना समय और लेंगे। समाप्त कीजिए। हां, अच्छा बोल रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने, माननीय

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सभापति महोदय, 1991 की जनसंख्या के अनुसार एक हजार की आबादी के गांव को एक सम्पर्क सड़क से जोड़ने की घोषणा की है। आपके यहां अभी भी बी. जे. पी. के शासन में मेरी पंचायत समिति में 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो कि कनेक्ट नहीं हो पायी हैं। ऐसी स्थिति में, हम ग्रामीण अंचलों के लोगों को शहर के नजदीक लाकर उनकी हर तरह से प्रोस्पेरिटी देखना चाहते हैं। यही इस बात का द्योतक है कि जो जो हमको जनादेश दिया है उसके अनुसार हम अमल कर रहे हैं और एक्जिक्यूशन करने की हमारी पायस सोल है।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से काला-बाजारी करने वालों को एक छोटा सा मिशन चलाकर जो खलबली पैदा कर दी। बी. जे. पी. के शासन में जमाखोरी, मुनाफाखरी जिन लोगों ने की, एक तरह से अनअलार्म थे उनको चेतावनी दी गयी कि समय रहते हुए या तो सम्भल जायं, अन्यथा इस बार एक और भी कठोर कानून बनाकर और सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। क्योंकि अब जनता का राज आ गया है और भारतीय जनता पार्टी जिसका कि नाम बी. से भ्रष्टाचार, जे. से जननी और पी.से पार्टी था और चुनाव के 15दिन पहले राजस्थान की जनता ने बी.जे.पी. का नाम, माननीय सभापति महोदय, क्या कर दिया बी. से भागो, जे. से जनता और पी. से पकड़ेगी और भाग गयी जनता और पकड़ लिया और 150 की सीट दे दी। इस तरीके से आपने शासन में किया, जिस तरह की कानून व्यवस्था रही, जिस तरह आपने शिक्षा में गलतियां की, राजस्थान का पूर्णतया शिक्षक समुदाय आपसे उद्वेलित है। आज भी वह अपने वेतन के

(17.36 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

लिए जगह-जगह ठोकर खा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन करना यह है,

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो नमक आन्दोलन छेड़ा था उस नमक की कीमत बी.जे.पी. के शासन में बहुत ज्यादा बढ़ गयी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस पार्टी के बहुत ज्यादा माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आगे जो समय दिया गया है पहले मैंने कहा था 10 मिनट में आप अपना भाषण समाप्त कीजिये। आप कितने मिनट से बोल रहे हैं? इसमें दूसरे माननीय सदस्यों का समय कट जायेगा इसलिए आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह महंगाई आकाशीय हो गयी, प्याज, नमक, खाद्य तेल, आलू, हरा धनिया और सब्जियां इस तरह हो गयी कि जिस तरह कोई बहुत ही साधन सम्पन्न और विलासिता की चीजें, आम जरूरत की चीजें हो गयी। ऐसी स्थिति में, राजस्थान की जनता अगर आपको सत्ता से नहीं हटाती, जनादेश के प्यारे आप नहीं होते तो किसके प्यारे होते। ऐसी स्थिति में, जबकि आपने

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

राजस्थान में कानून व्यवस्था को भी ठप्प किया और भ्रष्टाचार भी किया। माननीय पूर्व निर्माण मंत्री कहते थे कि राजस्थान की सड़कों पर जो गड्ढे हैं वह मेरे दिल के फफोले हैं और मैं उनको दूर करके रहूंगा। मैं कहता हूं वे दिल के फफोले तो हट गये। वह तो खुद ही गड्ढे में चले गये और जब कि राजस्थान में आज सड़कों की यह स्थिति है कि करोड़ों रुपये खर्च कर दिये, फिर भी जगह–जगह क्षतिग्रस्त हो गयी 6 महीने बनने के बाद आज सड़कों का नाम नहीं, सड़क ऐसी लगती है जैसे कोई फासिल्स हो, जैसे कोई अवशेष हो, जैसे ऐसा लगता है कि नये युग में कोई सड़क बनी थी। यह स्थिति 6 महीने में हो गयी। आप गुणवत्ता की बात करते रहे लेकिन गुणवत्ता की परवाह नहीं की। मेरा निवेदन करना यह है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, 8 जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय, ने इस सदन में अभिभाषण दिया है। मैं इस अभिभाषण का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस अभिभाषण में ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिसकी मंजूरी राजस्थान के मंत्री मण्डल ने दी है। मैं समझता हूं इस प्रकार के अभिभाषण और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता परन्तु महामहिम राज्यपाल की मजबूरी थी कि जिस अभिभाषण को मंत्री मण्डल ने बनाया उसे संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उनको पढ़ना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुशासन जैसे शब्दों का उपयोग, इसमें जनता को लूटा इस प्रकार का उपयोग, सारा का सारा विकास कार्य ठप्प हो गया, इस प्रकार की चर्चा मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता को जैसे धोखा दे रहे हैं, उनकी आंखों में मिर्ची झौंक रहे हैं। इस प्रकार का अभिभाषण है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यह भी इसमें कहा कि शासन व्यवस्था, ला–एण्ड–आर्डर की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के काल में बिलकुल ठप्प हो गयी थी। यह भी कहा कि डकैतियां हुई, अत्याचार हुए, अनुसूचित जाति के ऊपर हमले हुए, उनका शोषण हुआ। यह भी इसमें चर्चा की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं और एक बानगी बताना चाहता हूं कांग्रेस के इस शासनकाल की कि किस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में, केवल एक नमूना बताना चाहता हूं, 30 दिसम्बर, 1988 को भाइयों और उनकी पत्नियों को अलग–अलग कुकर्म पर मजबूर किया कांग्रेस के राज में ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : 10 साल पहले की बता रहे हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : खैरवाड़ा की बात है जब गुलाबसिंह शक्तावत गृह मंत्री थे और घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाए थे।

श्री मदन दिलावर : मेड़ता जैसा

(श्री मदन दिलावर)

काण्ड। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक परिवार के ऊपर हत्या का मुकदमा लादने के लिए तीनों सगे भाइयों को थाने में उठाकर लाया गया। उस रात तीनों भाइयों को एक ही बैरक में रखा गया। रखने के बाद में रात को उनको नंगा किया गया। नंगा करके एक-दूसरे से कुकर्म करने की दृष्टि से उनको लिटाया गया। उनके गुप्तांगों में कूपी भरकर पेट्रोल डाला गया।

श्री दयाराम परमार : आप कहां की बता रहे हो, खैरवाड़ा का तो मैं हूं। झूठी कहानी गढ़ी गयी थी।

श्री मदन दिलावर : एक दूसर पर पर लिटाकर कुकर्म करवाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी हुआ, यह भी हुआ फिर तीनों भाइयों की तीनों पत्नियों को उठाकर लाया गया।

श्री दयाराम परमार : कहानी गढ़ते रहो।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं वहां गया था। उस महिला के साथ हमारे फोटो हैं। (व्यवधान) उनके साथ कुकर्म किया गया।

श्री दयाराम परमार : मैं था मौके पर। आपसे पहले मैं गया था। उस महिला के साथ आपकी फोटो है। मैं तो उनके घर 7 बार गया हूं, आप तो एक बार गये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : बाद में नहीं, पहले।

श्री परसादीलाल मीणा : महिला के साथ फोटो क्यों खिचवाया ?

श्री नन्दलाल मीणा : वह आपको पता लगे कि आपके शासन में किस प्रकार के कुकर्म होते हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, तीसरे दिन उन तीनों भाइयों की पत्नियों को थाने में लाया गया। फिर देवर से भाभी के साथ, जेठ से छोटी बहू के साथ नंगा करके कुकर्म करवाया गया। इस प्रकार का अपराध, मैं समझता हूं अंग्रेजों के काल में भी इस प्रकार का अत्याचार नहीं हुआ होगा, जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के काल की चर्चा कर रहे थे। कुशासन की इस प्रकार का कुशासन कभी हो सकता है, कभी आया था। जिसने भी सुना होगा उसकी आत्मा पर क्या बीती होगी। मैं समझता हूं यदि कोई देख लेता तो आप जैसा भला आदमी, वैसे तो आपने देखा होगा। सुना होगा यदि आप देख लेते तो मैं समझता हूं कि आप इस विधान सभा में नहीं रहते, यहां नहीं आते। किस प्रकार के लोग इस प्रकार के अत्याचार को वृत्तान्त करने वाले लोग, सत्ता में यहां रहते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बानगी इनको बताना चाहता हूं। कांग्रेस का शासन आ गया और कहा कि हम 150 आये हैं। निश्चित रूप से 150 आये हैं। जनता ने जो फैसला दिया है उसको मैं शिरोधार्य करता हूं और उसके सामने नत-मस्तक होता हूं कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। उसके फैसले में किन्तु, परन्तु करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी शपथ लेते

(श्री मदन दिलावर)

हैं। दूसरे दिन सांगोद में दंगा हो जाता है। छात्रों के सिर फूट जाते हैं। और किस बात को लेकर के सिर फूट जाते हैं, सिर इसलिए फूट जाते है कि शिक्षा मन्दिर के अन्दर सरस्वती मां की वन्दना नहीं होगी। शिक्षा मन्दिर के अन्दर वन्दे—मातरम का गान नहीं होगा। सारे के सारे कांग्रेसी लीडर वहां इसलिए जाते हैं कि जिस प्रकार की चर्चा, जो लोग कर रहे हैं वन्दे मातरम का गान नहीं हो, सरस्वती मां की वन्दना नहीं हो यह ठीक चर्चा कर रहे हैं। और इन शिक्षा मन्दिरों में और विद्या मन्दिरों में इस प्रकार की सरस्वती वन्दना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के कांग्रेस के वहां के एम. एल. ए., कांग्रेस के वहां के नेता, कांग्रेस में बाद में जो मंत्री बन गये हैं श्रीमान् शांतिकुमार धारीवाल जी, वहां जाकर के कहते हैं इस प्रकार की मांग ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस देश के अन्दर वन्दे मातरम पर पाबन्दी होगी? क्या इस देश के अन्दर सरस्वती वन्दना के ऊपर पाबन्दी होगी? यदि पाबन्दी है, पाबन्दी होगी तो मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर वन्दे मातरम पर पाबन्दी करने वाला सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता है क्योंकि वन्दे मातरम को लेकर के हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे देश को स्वतंत्र करवाया है। वन्दे मातरम ऐसा गान था जिसको लेकर लोग देशभक्ति प्रस्फुटित करते थे, उनमें देशभक्ति भरते थे। पर हाय रे, कैसे दिन आये हैं कि आज हमारे इस स्वतंत्र देश के अन्दर वन्दे मातरम पर पाबन्दी की बात कांग्रेस के नेता करने लग गये।

श्रीमान् मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के शासनकाल में अनुसूचित जाति के लोगों पर कितने अत्याचार हुए होंगे। इसकी एक छोटी सी बानगी देना चाहता हूं। श्रीमान्, राजस्थान में 1988 के अन्दर 34 अनुसूचित जाति के लोगों की कांग्रेस के शासन में हत्या करवाई। उसके बाद 11 लोगों की, उसके बाद 45 लोगों की, उसके बाद 136 लोगों की। इस प्रकार से प्रतिवर्ष कांग्रेस के शासनकाल में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या करवाते रहे राजस्थान में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके बाद राज गया, आपका राज आ गया। यह क्या बात पढ़ रहे हो।

श्री मदन दिलावर : हां, ये पूरे प्रदेशों के आंकड़े हैं। इसको उठाकर के देख लें। कौनसे प्रदेश के पूछना चाहते हैं। मैं यह भी बता सकता हूं।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के ऊपर, किस प्रकार से इनका शोषण किया, 40 साल में अनुसूचित/जनजाति के ऊपर किस प्रकार से शोषण किया। इनको शिक्षित नहीं होने दिया। कांग्रेस ने अनुमान लगाया कि ये लोग शिक्षित हो गये तो अधिकारों की मांग करेंगे। इसलिए इनको शिक्षित नहीं होने देना चाहिए। इनके वहां पर कभी सड़क नहीं बने, इनको पानी की व्यवस्था नहीं हो, इनकी पूरी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो। इसलिए उनके 8–8 किलोमीटर तक प्राथमिक विद्यालय नहीं, 20–20 किलोमीटर तक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं....

श्री दयाराम परमार : माननीय सदस्य, क्या आप बी. जे. पी. के राज में पढ़े ?

श्री मदन दिलावर : मैं समझता हूं कि ये मंत्री हैं और इनको थोड़ा-सा मर्यादाओं का ज्ञान करवा देंगे तो कृपा होगी।

श्री परसादीलाल : आपको भी था ना ?

श्री किरोड़ीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहिए। कम से कम मंत्री तो टोका-टाकी नहीं करें। संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं तो, और तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रीजी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है और मैं ऐसा देखता हूं कि ट्रेजरी बेंचेज के और काउंसिल आफ मिनिस्टर्स के ज्यादातर माननीय सदस्य सदन से अनुपस्थित हैं। यह आप गलत परीपाटी डाल रहे हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों को यहां पर सदन के अन्दर उपस्थित रहना चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : यह प्रताड़ित करने की संज्ञा में तो नहीं आयेगा ना ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था के लिए सरकार ने छात्रावास खोल दिये। एक बच्चे पर कितना खर्चा बैठता था 110 रुपये। 1990 में जब हम आये, हमने देखा, बढ़ाकर उसको 170 रुपये किये। 170 रुपये में एक छात्र कपड़ा खरीदेगा, जूते भी खरीदेगा, साबुन भी खरीदेगा, मंजन भी खरीदेगा, भोजन भी खरीदेगा, बिजली का बिल भी उसमें से चुकायेगा। आखिर में अनुसूचित जाति के बालकों को आप क्या देना चाहते थे ? अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों को आप क्या देना चाहते थे। झूठी वाहवाही लूटना चाहते थे। भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ऐसे गौ-शालाओं की तरह के भवनों में, किराये के भवनों में उन बालकों को रखा गया, जहां पर कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं। अंधेरा ही अंधेरा। वहां इतनी गन्दगी, सफाई करने वाला कोई नहीं, भोजन बनाने वाला कोई नहीं। बच्चे खुद बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, 170 रुपये को बढ़ाकर के क्रमवाइज 450 रुपये प्रतिमाह किया है। जिसमें भोजन की सारी की सारी व्यवस्था बालकों को सरकार की तरफ से दी गयी। चालीस साल में छात्रावास खोले 360 और हमने आठ वर्षों में छात्रावास खोले 250। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन काल में अनुदानित छात्रावासों की स्थिति भी आपको बता देना चाहता हूं। कांग्रेस के नेतागण अपने घरों को भरने के लिए फर्जी छात्रावास चलाया करते थे। उनका सारे का सारा पैसा हड़प लिया करते थे। हमने आकर के उन पर थोड़ा-सा अंकुश लगाया तो यहां विधान सभा में बड़ी बौखलाहट हुई कि छात्रावास बन्द कर दिये। राजनीतिक आधार पर बंद कर दिये। हमने राजनीतिक आधार पर नहीं, जनता की खरी कमाई का पैसा कुछ लोगों की जेबों में जा रहा था इसलिए बन्द किया। भ्रष्टाचार पर रोक लगायी तो यहां विधान

(श्री मदन दिलावर)

सभा में कांग्रेस के नेताओं ने बहुत + + + की। हमने कहा कि आठ बन्द कर रहे हैं, दस, बीस बन्द कर रहे हैं। हम सैकड़ों खोल देंगे परन्तु उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। छात्रावास पर सातवीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में छात्रावास पर खर्च किया 68.13 लाख रुपया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 627.73 लाख रुपया खर्च किया। इसका प्रतिशत जब आंकते हैं तो 961 प्रतिशत के लगभग बैठता है। 961 प्रतिशत इसमें बढ़ोतरी हुई है। छात्रवृत्ति में आप देखिये, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 313.97 लाख रुपया खर्च किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में 962.77 लाख रुपये खर्च किया जो 300 प्रतिशत से भी अधिक होता है। अन्य योजना, विकलांग कल्याण, 79.33 सातवीं पंचवर्षीय योजना में खर्च किया, जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 817.48 लाख रुपया खर्च किया जो लगभग 800 प्रतिशत होता है। बाल कल्याण से 65.20 सातवीं पंचपर्षीय योजना में, और आठवीं में 225.33, जो लगभग 245 प्रतिशत होता है। महिला कल्याण, इसी प्रकार से अन्य कल्याणकारी योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया। यह कह रहे हैं कि आठ साल में क्या हुआ? जनता ने देखा है वह अलग बात है कि हम बहुत बड़ी संख्या में जीतकर नहीं आये हैं। केवल विकास ही पैमाना नहीं होता जीतकर आने का, अनेक बातें होती हैं। जिस प्रकार से जज्बात भड़का करके वोट लिये हैं, उधर मालियों की तरफ चले गये तो कहा कि अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री बनेंगे, वोट दे दीजिये। जाट समाज की तरफ गये तो कहा कि मदेरणा जी मुख्य मंत्री बनेंगे। सम्माननीय मदेरणा साहब की क्या स्थिति है। सम्मान-मदेरणा साहब का हम सम्मान करते हैं। हम चाहते थे कि मदेरणा साहब मुख्य मंत्री बनें। इस राजस्थान की प्रगति होती। बहुत बड़ी खुशहाली होती लेकिन मदेरणा साहब को, मैं समझता हूं कि, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वे स्वयं समझते हैं इस बात को कि उनको मुख्य मंत्री नहीं बनाकर के इस जनता के साथ धोखा किया है। जनता ने उनको वोट दिया और यह सोचकर के वोट दिया था कि बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, इस राजस्थान को खुशहाली दे सकते हैं। इस राजस्थान का बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का कल्याण कर सकते हैं, ऐसे मुख्य मंत्री बनेंगे। लेकिन मुख्य मंत्री नहीं बनाया। मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि यह आपकी पार्टी का मामला है, किसको बनाया है.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप कह रहे हैं कि + + + को बना दिया। माफी मांगनी चाहिये। आप बोले हैं, मैंने सुना है। आप बोल रहे हैं जो कोट पहन करके बैठे हैं। यह हमारा अधिकार है कि हम किसको

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री संयम लोढ़ा)

बनायें। आप कौन होते हैं यह कहने वाले ....(व्यवधान) ...

श्री हीरासिंह चौहान : किसने कहा ? (व्यवधान) ना-ना, मैं कुछ भी कहूंगा विपक्ष में....(व्यवधान) ...

श्री संयम लोढ़ा : हमारी पार्टी का नेता कौन बनें, इसका फैसला हम करेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : आप कौन होते हो, हम (व्यवधान) ...

श्री संयम लोढ़ा : जो भी करें, वह हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों की स्थिति के बारे में मैंने बताया। विकलांग लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। नेत्रहीन, मंदबुद्धि, आर्थोपीडिक्स दृष्टि से विकलांग, उनके बारे में कभी भी कांग्रेस की सरकार ने विचार नहीं किया। एक साल में केवल बीस लाख रुपये पन्द्रह लाख रुपये खर्च होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद....

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह सब कांग्रेस की योजनाएं थीं।

श्री मदन दिलावर : साढ़े तीन करोड़ रुपया इस वर्ष योजना में रखा। मैं समझता हूं कि यह सरकार उसको खर्च नहीं कर पा रही है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से खर्च करेंगे। सोच ही नहीं पा रहे हैं। आवासीय विद्यालय की योजना, अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी प्रकार की जैसे पब्लिक स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार की टोंक और अटरू में स्थापना हुई। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी देखने गये थे। मैं समझता हूं कि उनको बहुत पसन्द आया होगा, वे भी इस योजना को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जाकर के उस अटरू वाले को देख लें। जिस प्रकार से रिजल्ट, शत-प्रतिशत बालक बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होते हैं। किस प्रकार का अनुशासन। शत-प्रतिशत बोर्ड की परीक्षा में शत-प्रतिशत, प्रथम श्रेणी में छात्र पास होते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था, कितना अच्छा अनुशासन। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, जो गरीब छात्र डाक्टर बनना चाहते हैं, इन्जीनियर बनना चाहते हैं, उन लोगों को, व्यवस्था के नाम पर, आर्थिक दृष्टि के नाम पर किसी प्रकार की सहायता कांग्रेस सरकार नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद योजना बनायी और सैकड़ों लोगों को इस प्रकार की सहायता पिछले दो साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं। यदि पी एम.टी. करना चाहते हैं तो जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो कोचिंग कराते हैं, ऐसे कोटा के कुछ संस्थान, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उसमें प्रवेश होने के बाद सारा का सारा पैसा फीस का जो वहां लिया जाता है, अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से वहां उस संस्थान को जमा कराया जाता है। कल्पना कीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि एक छात्र पर बीस हजार रुपये प्रति वर्ष सरकार खर्च करती थी फीस के और पांच सौ रुपये महीना खर्चा उन पर भोजन इत्यादि पर, और एक हजार रुपये स्टेशनरी के। यही नहीं यदि उसका पी.

(श्री मदन दिलावर)

एम. टी. और पी. ई. टी. में सलैक्शन हो जाता है तो उसके बाद चालीस हजार रुपये बिना ब्याज के अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाता है ताकि वह चार-पांच वर्ष का कोर्स उस खर्चे से करके आ जाये और फिर छः साल बाद 36 किश्तों में उनसे वसूल किया जाता है। यह कभी कांग्रेस की सरकार ने नहीं सोचा। इस प्रकार का दिमाग में नहीं आया। अनुसूचित जाति के लोगों को 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत ब्याज पर कार, टैक्सी, जीप, ट्रैक्टर, टेंट-हाउस, रैस्टोरेन्ट इनके लिए लोन देने का कार्यक्रम कब चालू हुआ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक ट्रैक्टर दिया था माननीय मंत्रीजी ने, वह भी आपने अपने भाई को दे दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वह मदन दिलावर के भाई को दिया था?

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह भी आपने अपने भाई को दे दिया।

श्री मदन दिलावर : मदन दिलावर के भाई को दिया था? आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर दिये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है कि कांग्रेस के जो माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, उनमें अनुसूचित जाति के लोगों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के प्रति कोई सोच नहीं है। कई अनुसूचित बहुल्य गांव जिनको हमने सम्बल गांव नाम दिया है, कई ऐसे गांवों के प्राथमिक विद्यालय बन्द करने की योजना है। अखबार में पढ़ा है। तीन सौ-चार सौ विद्यालय खोले हैं उनको बंद कराएंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़िये, उसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में 150 की आबादी पर स्कूल खोलेंगे। बन्द किसी को नहीं रख रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : यह तो खोल ही चुके हैं। सड़कों के बारे में इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो उल्लेख किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा जा चुका है। एक हजार की जनसंख्या के गांवों को जोड़ा जा चुका है। मैं समाज कल्याण की चर्चा कर रहा था। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति को डेढ़ गुणा से लगाकर के ढाई गुणा तक बढ़ोतरी की है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह क्या बता रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति आरक्षण को आप उठाकर के देखेंगे तो आप चालीस साल का रोस्टर उठाकर के देखें, चार और छः प्रतिशत से ज्यादा कभी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।

श्री रामस्वरूप : यह कांग्रेस की देन है, आप बोल रहे हो। बातें बना रहे हो।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है कि इनको अस्पताल भिजवा दें तो आपकी कृपा होगी और मेरे ऊपर मेहरबानी हो जायेगी।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल उल्टे आंकड़े बता रहे हैं। यह शिड्यूल्ड कास्ट है, आप

(श्री मोहनलाल चौहान)

वाहवाही लूट नहीं सकते। आपको वहां परख लिया है।

(18.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विकलांग हैं, जो शादी करना चाहते हैं, पैसे के अभाव में शादी नहीं कर सकते, सगाई तो उनकी हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि कोई विकलांग हैं, गरीब हैं, शादी करना चाहते हैं तो पांच हजार रुपये सरकार की तरफ से उसको दे दिये जाएं। कई लोगों की शादियां करवायीं। विधवा महिला है, गरीब है, उसके पुत्र की शादी करना चाहती है लेकिन पैसा नहीं है तो हमने कहा कि पांच हजार रुपये विधवा महिला को इसके बेटे की शादी करने के लिए दे दिये जाएं। ऐसे गरीबों के प्रति कांग्रेस राज में सोच नहीं आई। उनको लूटने का प्रयत्न हुआ। उन पर अत्याचार करने का प्रयत्न हुआ।

हमने विकलांग विवाह परिचय सम्मेलन कराने का भी प्रयत्न किया और उसके माध्यम से सैकड़ों लोग एवं वर-वधुएं आपस में मिले और सैकड़ों लोग उस विकलांग विवाह परिचय सम्मेलन के माध्यम से अपने घर बसा सके। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग में पिछले आठ वर्षों में जो प्रगति हुई है और समाज कल्याण विभाग ने जो काम किये हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा काम न तो कभी कांग्रेस ने किया था, न अब आने के बाद कांग्रेस सरकार कभी कर सकेगी।

ढोली समाज के जो गरीब लोग हैं, उनका बाजा का धन्धा समाप्त हो गया है। गांव में कोई उनसे बाजा नहीं बजवाना चाहता। उनके पास ढोल होता है, इसलिये अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि वह समूह बना लें और 82 हजार रुपये तक का बाजा निःशुल्क और बिना किसी गारण्टी के अनुसूचित जाति निगम की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे बाजे जयपुर में दिये हैं। लेकिन ऐसा सोच कभी भी कांग्रेस का नहीं रहा। विकलांग लोगों को भी 6 प्रतिशत पर ऋण दिया।

पहले अनुसूचित जाति के लोगों की बात की थी मैंने, अब मैं विकलांग लोगों की बात कर रहा हूं। जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनको स्वच्छकार बन्धु कहते हैं, उनको भी 6 प्रतिशत पर ऋण एक लाख से लेकर चार लाख तक और छात्रवृत्ति। मैं समझता हूं 5,23,560 लोगों को 1990–91 में हमने छात्रवृत्ति दी और 1997–98 में 7,62,000 लोगों को छात्रवृत्ति दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं रहा। केवल अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर यहां केवल वोट बटोरने का धन्धा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां महिला सदन चलता है। महिला सदन में ऐसी परित्यक्ता बहनें, ऐसी संकटग्रस्त बहनें रहती हैं, वर्षों से पता नहीं क्यों उन बहनों को इकट्ठा करके वहां रखा गया, उनके पुनर्वास की योजना क्यों नहीं बनायी गयी। वह अभी शादी की इच्छा रखती थीं, उनकी शादी क्यों नहीं की गयी। पता नहीं पिछले कांग्रेस की सरकार के समय में कई प्रकार के कांड सामने आये थे। अमुक मंत्री ने

(श्री मदन दिलावर)

यह किया । अमुक कांग्रेस के एम.एल.ए. ने यह किया । अमुक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यह किया । महिला सदन में घुस गया । ऐसा किया । हमने कहा, नहीं, ऐसा नहीं चलने देंगे ।

श्री परसादीलाल : जोगेश्वर गर्ग ने क्या किया ?

श्री मदन दिलावर : वह आपने किया था, वही । हमने कहा कि इनकी शादी के लिये योग्य वर ढूंढें । और भारतीय जनता पार्टी के शासन में 80 बहिनों को पुनर्वासित करके उनका घर बसाया और जो शादी पर एक हजार रुपये कांग्रेस के शासन में मिला करते थे, कैसे शादी होती एक हजार रुपये में, कोई कल्पना कर सकता है ? किसी की शादी एक हजार रुपये में होगी और हमने उस शादी का पैसा बढ़ाकर पांच हजार किया ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय मंत्री जी, जब आप समाज कल्याण मंत्री थे, (व्यवधान) हां, पूर्व मंत्रीजी, जब आप समाज कल्याण मंत्री थे तब विमंदित महिला गृह में एक आवासनी के नाजायाज गर्भ रहा और उसके बच्ची पैदा हुई और आपने किसी अपराधी को नहीं पकड़ा ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों का परिणाम, कभी बोर्ड की परीक्षा परिणाम आप उठाकर देखें चालीस सालों का, तो तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहा । प्रयत्न किया गया कि छात्रावासों में पढ़ने वाले बालकों का परीक्षा परिणाम बढ़े । 60 प्रतिशत के ऊपर, दसवीं क्लास, ग्यारहवीं क्लास, बारहवीं क्लास में बोर्ड की परीक्षाएं होती है, ऐसे परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़े हैं । इसलिए प्रयत्न किया गया, कार्यवाही की गयी, सबको मुस्तैद किया गया । छात्रावास अधीक्षकों का प्रशिक्षण कराया गया । तब जाकर सम्भव हुआ है । नहीं तो पहले तो केवल कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक अड्डे बने हुए होते थे । लेकिन हमने कहा इसमें राजनीति नहीं चलने देंगे । बच्चों को ठीक प्रकार की शिक्षा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करें ।

महाराणा प्रताप के साथ न्याय के लिये लड़ने वाले गाड़ियां लुहारों के बारे में किसी ने विचार नहीं किया । जो माणिक्यलाल जी वर्मा ने कुछ काम किया था, उसके बाद कांग्रेस के लोग भूल गये । वह दर-दर की ठोकरें खाते रहे कि महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ की धरती पर युद्ध करने वाले उनका साथ देने वाले लोगों ने शपथ ली थी, (व्यवधान) तुम्हारे घर में नहीं लड़े । हमने कहा इनको 100 वर्ग-मीटर का जमीन का भूखण्ड निःशुल्क सरकार की तरफ से दिया जाये और पांच हजार रुपये उनको मकान बनाने के लिए सहायता दी जाए । ऐसे हजारों गाड़िया लुहारों को पट्टे दिये । उनके मकान बनाने के लिये अनुदान दिया । लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यह भी नहीं किया ।

श्री बनवारीलाल बैरवा (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : पण्डित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में यह योजना चालू हुई थी ।

श्री मदन दिलावर : योजना तो आपने बनायी थी लेकिन योजना के ताला लगा दिया था ।

श्री देवेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा) : पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने गाड़िया लुहारों को बसाया था, तब आप पैदा ही नहीं हुए थे।

श्री मदन दिलावर : चित्तौड़ में गाड़िया लुहारों के भूखण्डों पर जहां बड़े भारी मकान बने हुए थे, कांग्रेस के लोगों ने कब्जे कर लिये और गाड़िया लुहारों को वहां से भगा दिया। उनकी सम्पत्ति लूटने का प्रयत्न हुआ। लेकिन कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ।

कांग्रेस के राज में, अब मैं एक दिसम्बर के बाद की चर्चा करूं। मुझे पता चला है छात्रावासों को जो निर्माण की स्वीकृति दी है, उसे रोक दिया गया है। निर्माण नहीं हो, पैसा नहीं है, कहां से आएगा? छात्रावास खोलने की स्वीकृति हुई थी, छात्रावास प्रारम्भ न हो, आखिर यह क्या करना चाहते है? अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के ऊपर यह क्या अत्याचार करना चाहते हैं? क्या सन्देश देना चाहते हैं जनता में, कि सरकार भूखी-नंगी है। अनुसूचित जाति के लोगों की सुविधा खो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 दिसम्बर के बाद 12 जिलों में डकैत प्रवेश कर गये। एक व्यक्ति को शाहबाद-किशनगंज से उठाकर ले गये। उसकी हत्या कर दी गयी। दो रेबारी वहां से उनके चंगुल से छूटकर आये हैं। वह बता रहे हैं पांच और लोग कब्जे में है। रोज डकैती की वारदातें हो रही हैं। रोज चोरियां हो रही हैं। ठगी हो रही है। जयपुर में लाखों की डकैतियां हो रही हैं। कोटा में ठगी हो रही है। ऐसा लगता है सारे कांग्रेस के प्रचारकों ने जो प्रचार किया होगा, जिताने के लिये, खुली छूट दे दी गयी है, जनता को लूट लो जितना लूट सको। कितने दिन आपने काम किया था, कितना पारिश्रमिक होता है? जितना पैसा तुमने हमें दिया है वह लूट लो, और लूटने की खुली छूट दे दी। माता-बहनों पर अत्याचार की सीमाएं सारी की सारी टूट चुकी हैं। शादी नहीं करने पर जलाकर मार डालने का प्रयास। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लड़की से कहा जाता है, मेरे से शादी करो। वह कहती है, नहीं। मेरे पिताजी तय करेंगे मुझे किससे शादी करनी है। जलाकर मार डालने का प्रयास।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : तीन महीने पहले का किस्सा है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अभी-अभी का है, अखबार पढ़िये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, इसकी एक बानगी बताना चाहता हूं। लक्ष्मीपुरा में हाल में ही रो रही महिला, जो स्थायी रूप से भीलवाड़ा जिले की छलीलाखेड़ा गांव की है। 27 दिसम्बर को रात को टोंक के तीन युवकों ने, पप्पू और उनकी पत्नी का अपहरण कर जीप में डालकर जबरदस्ती ले गये। उसके पति को रास्ते में छोड़ दिया और आगे ले जाकर उसके साथ तीन दिन तक लगातार पांच लोगों ने बलात्कार किया। यह महिलाओं को सुरक्षा देने वाली सरकार है। इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कोटा में एक भूलीबाई को सरेआम चाकुओं

(श्री मदन दिलावर)

से गोदकर मार दिया। माली समाज की थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी माली समाज के बताये जाते है। उनके मुख्य-मंत्रित्व काल में एक माली समाज की भूली-बाई की हत्या कर दी गयी और इधर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ गया। इनकी मां की हत्या की जाती, इनकी बहन की हत्या की जाती, इनकी बेटी की हत्या की जाती, क्या फर्क पड़ता? क्या वह राजस्थान की बेटी नहीं थी? क्या मुख्य मंत्री की बेटी नहीं थी? क्या वो मेरी बहिन नहीं थी, क्या इनकी मां नहीं थी? इस प्रकार से उसकी हत्या कर दी गयी। क्या फर्क पड़ता है। इस कांग्रेस को। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : कांग्रेसी नहीं कह रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : रोज के काम हैं, ऐसा तो चलता रहता है।

अध्यक्ष महोदय, मामला यहां ही नहीं रुकता है, मामला तो आगे बढ़ रहा है। मैं तो बारां जिले की घटना आपको बता रहा था। दौसा जिले की बांदीकुई थाना क्षेत्र के गांव में एक बड़ियाकलां में गुरुवार 28 तारीख को दामोदर पुत्र हरिनारायण सेठी के घर हथियारों, बन्दूकों से कूद कर हजारों रुपये की डकैती डाली। डकैतों ने डकैती तो की है, लेकिन घर में सो रहे दामोदर पुत्र हरिनारायण सेठी, जो 55 वर्ष का है, रुक्मणी देवी व मदनलाल उम्र 32 की बड़ी निर्दयता से पिटाई की। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की पिटाई, उनकी हत्याएं निरन्तर हो रही हैं। डकैत गोदाम का ताला तोड़ कर 22 लाख का माल लूट कर ले गये, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बरामद कर लिया पहली बार।

श्री मदन दिलावर : यह तो चुनावी चन्दा था, क्या फर्क पड़ता है। 9 घंटे में तीन लूट की वारदातें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको पता है यह माल बरामद हो गया?

श्री मदन दिलावर : पंचतारा होटलों से चोरियां। कलेक्टर कार्यालय को भी नहीं बख्शा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 45 लाख की रिकवरी हो गयी है जयपुर शहर में।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर कार्यालय को भी नहीं बख्शा। यह सरकार जिला कलेक्टर कार्या-से चोरी करवा सकती है। कलेक्टर कार्यालय को नहीं बचा सकती वह आम जनता की क्या रक्षा करेगी। (व्यवधान) क्या रक्षा करेगी, अध्यक्ष महोदय, आप बताइये। रोज स्कूटर की डिक्कीज के ताले टूट रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। पैसे निकाले जा रहे हैं। नशीली चाय पिला कर के सवा लाख के जेवर लूट ले गये। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, इस प्रकार की बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। यह कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है तो फिर बुरी किस को कहते हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं।

यहां गृह मंत्रीजी नहीं हैं, लगता है शायद गृह मंत्रीजी को डर लगता था यह

(श्री मदन दिलावर)

सुनते हुए। वह सुनना नहीं चाहते थे। शायद ऐसा लगता है उनको संरक्षण है, इस बात का वह संरक्षण दे रहे है नशीली चाय पिला कर के लूट लो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सारी गैंग्स आपके वक्त में काम करती थीं। अब उनको हम पकड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा समय तो लगता ही है। यह सारी गैंग्स आपके वक्त की हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दिलावरजी के नेतृत्व में चलती थीं क्या यह गैंग्स? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ही टोकाटाकी कर रहे हैं, क्या मर्यादा सिखायेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह कहे जाएं और हम सुनते जाएं, यह हमारी आदत नहीं है। यह मर्जी आये जो +++चार्जेज लगाते जाएं और हम बिलकुल बैठे-बैठे सुनते जाएं। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम इनकी सारी बात मान रहे हैं, वह हम मानने को तैयार नहीं हैं। जहां गलत बोलते हैं वहां हम निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि आप गलत बोलते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को तो सुनना पड़ेगा ही। अब सत्ता में हो तो सुनना तो पड़ेगा ही न। क्यों नहीं सुनेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है, हम आपका इसमें मार्गदर्शन चाहते हैं कि इधर से कोई माननीय सदस्य बोलेगा और यदि वह उनको नहीं भायेगा तो वो बीच-बीच में आपत्ति करेंगे तो वह अधिकार हमको भी मिलेगा क्या ? आपने तो मना किया हुआ है कि बीच में कोई व्यवधान नहीं करेगा। एक सैकण्ड।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, माने वाली बात नहीं कही, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (राज्य मंत्री, समाज कल्याण): माने वाली बात नहीं कही गयी, यह बात कही गयी कि जो बात सही नहीं लगेगी तो विरोध किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं आपसे उत्तर नहीं चाह रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके वक्त भी जब आप यहां विराजते थे हम उधर से बोलते थे तो आप खट से उसका जवाब दे दिया करते थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब देना आता था हम को तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका मतलब यह नहीं कि आप बिलकुल बोलते जाएं और मर्जी आये जो हमारे खिलाफ चार्जेज लगाते रहें और हम सुनते रहें। यह कभी हुआ नहीं है और यह कभी होना भी नहीं चाहिये।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भवंरलाल शर्मा (हवामहल) : दो दिन से अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि जब आप बोलेंगे तो कोई बीच में टोकाटाकी नहीं करेगा। अब आपको कोई विशेष सुविधा इसमें है तो आप करवा दें कि उनको ही है कि सब को ही है। क्या व्यवस्था है आपकी ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, बाहर से ट्रक आ रहा है, रात को ट्रक को रोका जाता है। ड्राइवर को ट्रक के पीछे बांध दिया जाता है। खेतों में ले जाया जाता है और हजारों रुपये लूट लिये जाते हैं। सरकार सोयी हुई है। कोई एक्शन नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। आखिर में किस प्रकार से इस कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक कहा जाता है। बांसवाड़ा में रुपयों का भरा हुआ बैग था उसको छीन कर ले गये। कहां की घटना सुनाऊं, कहां की बात कहूं ? कौनसी जगह खाली बची है जहां इस प्रकार की अत्याचार की घटनाएं नहीं हुई हैं ? जहां चोरियां, लूट, डकैती, ठगी, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और फिर कहा जाता है कि कानून व्यवस्था ठीक है। डकैत मध्य प्रदेश से राजस्थान में घुस आये, यह कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है ? महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है ? ठगी हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी कहा कि 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ गये। 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा, कैसा कर्जा ? क्या परिसम्पत्तियां नहीं बनायी ? क्या इस पैसे को घर ले जाया गया? परिसम्पत्तियां बनायीं। राजस्थान की जनता से जाकर के पूछिये कितना विकास हुआ है। उधर हुए बैठे माननीय सदस्य अभी कहना चाहेंगे कि आप हार गये इसलिए यह नकार देंगे। इससे अन्तर नहीं आता। यह हार—जीत चलती रहती हैं। उसकी परिसम्पत्तियां भी बताइये।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा श्वेत पत्र जारी करेंगे। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने भी कहा है कि श्वेत पत्र जारी करें उसके साथ यह भी बता दें कि परिसम्पत्तियां कितनी हैं। मैं समझता हूं राजस्थान का विकास किया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : विनाश।

श्री मदन दिलावर : विकास किया है। आपका विनाश हो, हमें कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगाएं। जिस प्रकार से गलत तरीके से, गलत प्रकार से बार—बार अखबारों में समाचार देकर राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसको रोकें। राजस्थान की जनता गुमराह नहीं होगी। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, काठ की हांडी चढ़ गयी अब दूसरी बार यह काठ की हांडी नहीं चढ़ने वाली।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहा अभिभाषण दिया है उसके धन्यवाद प्रस्ताव का मैं विरोध प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. करणसिंह यादव ।

डा. करणसिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पहली बार बोल रहा हूं और मुझे मौका मिला है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर महुवा से आये हुए माननीय सदस्य के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का ।

बहुत हर्ष का विषय है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के बिंदु नम्बर 54, 55, 56, 57 और 58 में राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण की बात कही है । इस घोषणा से राजस्थान के पिछड़े वर्ग में और इन दलित वर्गों में एक नयी चेतना का संचार हुआ है क्योंकि जो 8 साल का पिछली सरकार का कार्यकाल था उस कार्यकाल में इन वर्गों के लिये कल्याण की बात तो दूर रही इन वर्गों का शोषण किया गया।

अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का सौभाग्य था कि यहां सामाजिक न्याय से जुड़े महामहिम पूर्व राज्यपाल श्री बलिराम भगत राजस्थान में आये । राष्ट्रपति शासन का समय था और उनको, इस बात की बेचैनी हुई कि जब सारे भारतवर्ष में सामाजिक न्याय का डंका बज रहा है, राजस्थान में इन वर्गों के कल्याण के बारे में जो पहले ढाई वर्ष की सरकार थी, जो बी. जे. पी. की सरकार थी, उसने कतई नहीं सोचा । इसलिए उन्होंने अपने कौंसिल ऑफ एडवाइजर्स में यह बात तय की कि राजस्थान में मण्डल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया जाय, पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाय । कुछ ही दिनों बाद में राजस्थान में नयी बी. जे पी. की सरकार बनी । निश्चित रूप से बी. जे. पी. की सरकार ने राज्यपाल महोदय ने जो अधिसूचना जारी की थी उसको कायम रखते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात को माना । लेकिन पांच साल गुजर गये । जब वी. पी. सिंह जी के जमाने में मण्डल कमीशन के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन और धरने हुआ करते थे, जब लोग जल-जलकर मरते थे तब आम तौर पर एक बात कही जाती थी और खास तौर पर बी. जे. पी. के नेता कहा करते थे कि देखो भाई, इनको नौकरियों में आरक्षण मत दीजिये । पहले इनको पढ़ाई-लिखाई में योग्य बनाइये, इनको शिक्षा में आरक्षण दीजिये । पांच साल का पिछला कार्यकाल बीत गया । राजस्थान सरकार में न तो मेडिकल कालेज में पढ़ने के लिए आरक्षण है और न इंजीनियरिंग कालेज में है । न पी. ई. टी. में है और न पी. एम. टी. में है । और न किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में एक के सिवाय । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे पूर्व मंत्री महोदय, स्वास्थ्य विभाग को, जो कि संभवतः जनता दल बैक ग्राउण्ड से आये थे, उन्होंने नर्सिंग प्रशिक्षण में, एकमात्र ऐसा व्यवसाय प्रशिक्षण है जिसमें उन्होंने आरक्षण की बात की । उसके अलावा पांच साल से राजस्थान का पिछड़ा वर्ग पिछली सरकार के सामने बार-बार आवेदन कर रहा है, बार-बार विनय कर रहा है, बार-बार अनुनय कर रहा है लेकिन इस पिछली सरकार की आज तक कान पर जूं तक नहीं रेंगी ।

आप देखिये उत्तर भारत के सभी राज्यों में, आप पड़ौस के हरियाणा को

(डा. करणसिंह यादव)

देखिये जहां पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण राजस्थान से बाद में लागू हुआ था। आप दिल्ली की सरकार को देखिये, आप यू. पी. की सरकार को देखिये। आप मध्य प्रदेश में देखिये और अब आप बिहार में देखिये। इन सब राज्यों ने एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है सारे उत्तर भारत में, जहां पर शिक्षा के अन्दर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे बच्चों को बी. एड. में, हमारे बच्चों को एम. एड. में, हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में, हमारे बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन में कहीं रिजर्वेशन नहीं दिया गया। यही कारण है कि राजस्थान की पूरी की पूरी पिछड़ी जाति, अल्प संख्यक और दलित वर्ग के लोग बी. जे. पी. से नाराज थे और उसी का परिणाम है कि आज 33 की संख्या में सिमट कर आ गयी।

श्री अमराराम चौधरी : आप तो दिला दोगे ?

डा. करणसिंह यादव : जो बिन्दु मैंने बताये हैं उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र है कि इन वर्गों के शैक्षणिक कल्याण के लिए यह सरकार कार्यरत होगी। इस बात का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में है। जिन नौकरियों में आरक्षण की बात कही गयी, मैं पिछले पांच साल से बराबर प्रत्यक्षदर्शी हूं, आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, उस आरक्षण को इतना तोड़ा–मरोड़ा गया। एक प्रसाद कमीशन ने लगाया "क्रीमीलेयर"। राजस्थान में क्रीमीलेयर के बारे में किसी सरकारी अधिकारी को किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर को यह मालूम नहीं कि क्रीमीलेयर की क्या अवधारणा है। जब 1990 के अन्दर एक लाख की आमदनी के ऊपर क्रीमीलेयर की बात की गयी थी, वही बात 1997 के अन्दर एक लाख रुपये की आमदनी की बात कही जा रही है। जबकि अब नये–नये पे कमीशन बन–बनकर के लोगों की आमदनियां बढ़ चुकी। उसका नतीजा क्या है कि आप ओ. बी. सी. का लड़का गांव के तहसीलदार के पास में सर्टिफिकेट मांगने के लिए जाता है तो उसको वह सर्टिफिकेट नहीं मिलता। एक अध्यापक का लड़का जिसकी पे स्केल 1640 रुपये चालू होती है, इस सरकार ने निकाल दिया कि 1640 से ऊपर पाने वाले पे स्केल का अभ्यर्थी है, उसके बच्चे को ओ. बी. सी. का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अध्यक्षजी, 1640 अध्यापक का ग्रेड है। 1640 के ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आ जाते हैं। उसकी रोजमर्रा की पीड़ा मुझ जैसे ओ. बी. सी. के जुड़े हुए आदमी रोजमर्रा सुनते हैं। यही नहीं, एक ऐसा आदेश तत्सरकार ने निकाला है कि जो अभ्यर्थी 1640 रुपये की ग्रेड में है अगर वह किसी नौकरी में जाता है तो उसको भी क्रीमीलेयर में मान लिया गया। मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा।

(18.25 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

इन वर्गों के लोग नौकरी की तलाश में हैं और उनको अध्यापक की नौकरी मिल गयी। पहले वे ले लेंगे फिर अगर उनको सीनियर लेक्चरर या कालेज, स्कूल लेक्चरर की नौकरी मिली तो उस नौकरी को करने जाएंगे। अगर उनको तहसीलदार की नौकरी मिल गयी तो वह ले लेंगे और

(डा. करणसिंह यादव)

पढ़ाई करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वे आर. ए. एस. बनें और आई. ए. एस. बनें। लेकिन जब ऐसे केन्डीडेट परीक्षा देने के लिए गये तो यहां के डी. ओ. पी. विभाग ने, यहां की सरकार ने एक आदेश निकाला कि अब आपको आरक्षण की क्या जरूरत है। आप तो पहले ही कालेज के अन्दर लेक्चरर हो गये। आप तो तहसीलदार बन गये। आरक्षण की मण्डल कमीशन की इम्पलीमेंटेशन में बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्रीमीलेयर की अवधारणा केन्डीडेट से नहीं होकर उसके मां–बाप की इनकम से, उसके बाप की क्या हैसियत है, उसके पिता क्या आई. ए एस. अफसर थे या आर. ए. एस. अफसर सीनियर ग्रेड के थे, उनकी दस साल की आमदनी थी या उनके पास में 100 बीघा सिंचित जमीन थी इस बात को साधारण आदमी समझ सकता था कि वह गलत आदेश था। लेकिन हमने कोशिश की। शुरू से लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी तक जाकर यह बात कहने की कोशिश की, लेकिन दस महीने तक किसी के कान में जूं नहीं रेंगी। और उसका नतीजा यह रहा कि मुझ जैसे सरकारी नौकरी में रहने वाले आदमी को हजारों लोगों के साथ जयपुर में युवाओं के साथ स्टेच्यू सर्किल पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ा और कोर्ट में कैसेज करने पड़े। तब जाकर उस आदेश को वापस लिया और उसका नतीजा है कि आज राजस्थान में ओ बी. सी. के 20–30 लड़के काम कर रहे हैं। यही नहीं, जो ओ. बी. सी. का रिजर्वेशन है उसके अन्दर इतनी काम्पलेक्सेज डाल दी गयीं जो अधिसूचना, जो लोग सब्जेक्ट से वाकिफ हैं वे जानते हैं कि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो केन्डीडेट इन वर्गों का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का ओ बी.सी. का केन्डीडेन्ट अगर अपनी नारमल मैरिट से आता है, उसके खुद के मार्क्स अगर अच्छे हैं, तो उसको रिजर्वेशन कोटे में नहीं माना जायेगा। उसको जनरल केन्डीडेट के रूप में माना जायेगा, लेकिन राजस्थान में पिछले पांच साल में क्या हो रहा है, रिजर्वेशन का उल्टा मतलब हो गया है। रिजर्वेशन एस. सी., एस टी. और ओ. बी. सी. का नहीं होकर रिजर्वेशन जनरल कास्ट का हो गया है। मैं आपको ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं जहां पर ओ. बी. सी. के केन्डीडेट की अनुसूचित जाति के केन्डीडेट से ज्यादा परसेंटेज होने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिली। कारण कि यहां के अधिकारियों ने यहां की पूर्व सरकार ने बता दिया कि हमें तो 100 में से 21 आदमी लेने थे, आपके 21 रोस्टर पाइंट थे, 21% का आपका आरक्षण था। 21 की बात करके उन्होंने कहा कि अगर 22 वें लड़के के मार्क्स जनरल केन्डीडेट से ज्यादा हैं तो भी नहीं। ऐसे मैं दसियों उदाहरण आपको गिनाऊंगा बैठकर, मेरे पास मौजूद हैं। यही कार्य किया राजस्थान की पूर्व सरकार ने।

आप अनुसूचित जाति की बात करते हैं। आठ साल से आपके एक ही शिक्षा मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्री। सौभाग्य है इस सदन का कि वे आज सदन में मौजूद नहीं हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के रिकार्ड को उठाकर देखिये। अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की कितनी तादाद है, कितना रिजर्वेशन इम्पलीमेंटेशन

(डा. करणसिंह यादव)

किया है। लोगों को पिछले दरवाजे से भरती करते गये और पिछली सरकार जब जाने वाली थी तब रोजमर्रा केबिनेट मीटिंग किया करती थी। तब इस बात की भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह से इन 166 लोगों को, जिनको बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी इन्टरव्यू के, बिना किसी फारमल्टी के माई-भतीजावाद की तरह से टोटल रिजर्वेशन को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन को, इग्नोर करते हुए जिन पदों को भर लिया गया था, उनको मानवीयता के आधार पर आर्डिनेंस लाकर रेगुलराइज कर दीजिये। आज भी वे लोग बाहर बैठे हैं और पिछली सरकार में तो बिलकुल ऐसा लग रहा था कि जाते-जाते तो इसको कर जाएंगे। मुझ जैसे व्यक्ति तो आपकी सरकार में एक–दो लोग थे जिनकी आत्मा को हमने झकझोर दिया कि आप केबिनेट में बैठे हुए हैं मेघवाल साहब। केबिनेट में यह कब डिसीजन होगा कि 166 को दे दिया। रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आप क्या जवाब देंगे बाहर आकर लोगों को। यह है हालत अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की राजस्थान विश्वविद्यालय में।

एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में पिछले साल में इन्टरव्यू हुए थे। यहां की सलेक्शन कमेटीज में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक मात्र मुसलमान बहुत बड़ा क्वालिफाइड आदमी विदेशों से डाक्टरेट की हुई, पूरे अनुभव प्राप्त करते हुए उसको सलेक्शन नहीं दिया गया प्रोफेसर के पद पर। एकमात्र अनुसूचित जाति का डाक्टर मीणा, मैं नाम भूल रहा हूं जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशस होते हुए भी उनको नहीं किया। पद रिक्त छोड़ दिये गये। यह रिजर्वेशन का इम्पलीमेंटेशन पिछली सरकार ने यहां पर किया है। तो आप जब पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, एक बात आयी थी कि अनुसूचित जाति निगम के साथ ओ.बी.सी. के लड़कों को रोजगार मिल सके, वे अपने कुटीर उद्योग खोल सकें, उनके लिए हम धन का प्रावधान करेंगे। पिछली राजस्थान सरकार एक उदाहरण दे कि एक ओ. बी. सी. के बच्चे को कारखाना खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए, कोई लघु उद्योग खोलने के लिए पैसा दिया गया हो। यह आपकी अवधारणा रही है इन वर्गों के साथ। और यही कारण है कि आज इस संख्या के अंदर आकर के सिमट कर रह गये।

अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के आरक्षण की बात करते हैं। मैं पिछले पांच साल से बराबर पूछ रहा हूं और यह बात मैं वर्तमान सरकार में भी बराबर उठाता रहूंगा, मेरे आज तक समझ में नहीं आया अनुसूचित जाति और जनजाति का नौकरियों में आरक्षण 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 12। मुझे मेडिकल कालेज का जब सिलेबस और प्रोस्पेक्टस, जब मेडिकल कालेज में भर्ती किया जाता है, अभी माननीय पूर्व मंत्रीजी कह रहे थे, हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। लड़कों को पी. एम. टी. और पी. ई. टी. के लिए। तब उस आरक्षण की संख्या रख दी जाती है 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत। जो

(डा. करणसिंह यादव)

नौकरियों में आप प्रतिशत देने जा रहे हैं उससे आधा प्रतिशत आप उनको आरक्षण में देते हैं। और हकीकत में अगर प्रेक्टिकल में आप उठाकर देखें तो राजस्थान में जिस तरह से 600 सीटें मेडिकल में भर्ती की जाती हैं उनमें से कुछ सैण्ट्रल की सीटें निकल जाती हैं, कुछ अन्य प्रदेशों की सीटें निकल जाती हैं, तो व्याहारिक जो रिजर्वेशन है, वह साढ़े 6 प्रतिशत और साढ़े चार प्रतिशत आता है। मुझे यह बताइये कि आप किस तरह से 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का रिजर्वेशन पूरा करेंगे जब आपने इतने लोगों को ट्रेनिंग के अन्दर ही नहीं लिया। जब आपने प्रशिक्षण ही नहीं दिया उन लोगों को, जब आपने मौका ही नहीं दिया है। आपके लोग रह जाते हैं। और आजकल प्रशिक्षणों से पढ़-कर के इन जातियों में भी बहुत सारे लड़के निकल-निकल कर आ रहे हैं लेकिन उन लोगों के लिए अपोर्चुनिटी नहीं है। यह रहा है पिछले पांच सालों का, आठ सालों का बी.जे.पी. का लेखा-जोखा।

श्री किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, कांग्रेस कुछ करेगी क्या या यह भाषण रह जाएगा? पूरा रिजर्वेशन देगी क्या? 6 का 12 करेगी और 8 का 16 करेगी क्या?

श्री सभापति : यह सरकार के सोच का विषय है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महो-दय, आसन से मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य की यह पहली स्पीच है। कृपया इंटरप्शन नहीं करें।

श्री सभापति : व्यवधान पैदा नहीं किया। उन्होंने केवल मांग की है। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह तो इनको रेस्ट देने के लिए किया है।

डा. करणसिंह यादव : धन्यवाद मुझे रेस्ट देने के लिए। निश्चित रूप से यह जो सरकार है, जिन बिन्दुओं पर 55 से 58 तक यह बात कही गई कि यहां पर पिछड़ी जाति के लिए एक आयोग, बोर्ड की स्थापना होगी। मैं इस सदन से दरख्वास्त करूंगा अध्यक्षजी के माध्यम से, कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सदन की कमेटीज है, अध्यक्ष जी, उस तरह की एक कमेटी पिछड़े वर्गों का इम्प्ली-मेंटेशन प्रोपर हो रहा है या नहीं, यह क्रीमिलेयर का कन्सेप्ट प्रोपर हो रहा है या नहीं। रिजर्वेशन के ऐसे कैसेज जिनमें मैंने आपको बताया है कि ओ.बी सी का लड़का एस. सी., एस.टी. का लड़का ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसका दोष सिर्फ इतना ही है कि उसका नाम ओ.बी.सी. में लिखा हुआ है। अगर वो लड़का जनरल होता, उसकी जाति के आगे यादव, सैनी या गूजर नहीं लिखा हुआ होता तो वह नौकरी में आ जाता। ऐसे दसियों उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं जो मैं सदन की टेबल पर आपके सामने पेश करूंगा। राजस्थान में मैं निश्चित रूप से पूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके कार्यकाल में चिकित्सा विभाग में एक काम जरूर अच्छा हुआ कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी खोली। लेकिन पिछले दिनों के अन्दर शुरू-शुरू में उस सोसायटी ने अच्छा काम किया लेकिन बाद

(डा. करणसिंह यादव)

में उसके ऊपर भी सरकारी नियंत्रण, जी. एफ. आर. के कानून-कायदे बना दिये गये।

इसके अलावा तो जहां तक चिकित्सा सेवाओं का सवाल है, बहुत कुछ करना है। मेडिकल कालेज की हालत बहुत खराब है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं प्री-मेडिकल के जो शिक्षा देते हैं। फर्स्ट ईयर, सैकिन्ड ईयर, थर्ड ईयर को जिनके अनेकों पद रिक्त पड़े हुए हैं और हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि उन पदों को भर सकें। ऐसी आशंका की जाती है कि आने वाले दिनों में हमको चिकित्सा विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिलेंगे। मेडिकल कालेज, कोटा लगभग खाली पड़ा रहता है। कारण क्या है? खोल दिया गया पोलिटिकल रीजन्स से। चाहते थे वहां के मंत्री, और वहां के विधायक गण। लेकिन वो वह सब कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पैदा नहीं कर पाये कि वहां पर वह स्टाफ को आकर्षित कर सके, वहां लोगों को ले सके। और तो और, कोटा मेडिकल कालेज में पढ़ने वाला छात्र भी अपने आपको गुनहगार समझता है और हर प्रयत्न करता है कि मैं किसी तरह से आकर के यहां रह जाऊं। चिकित्सकों की कमी। गांवों में आप सभी लोग विधायक बैठे हैं। आप सबको मालूम है कि आपके यहां पर किस तरह काम चल रहा है। चिकित्सकों का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ऐसे केन्द्र मिलेंगे जहां एक ओर दर्जन. आठ-छह विशेषज्ञ बैठे हैं। गोविन्दगढ़ कस्बा है चौमूं का। आठ डाक्टर है वहां पर। आउट डोर वहां पर कोई पचास मरीजों का भी नहीं रहता। पास में खेजड़ौली गांव है, बड़ा गांव है। सिर्फ एक डाक्टर है वहां पर और वह दिन-रात काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, चिकित्सक आपको इस तरह मिलेंगे. मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक गांव में एम.डी. एनेस्थिसिया, बेहोशी का विशेषज्ञ वहां पर मौजूद है। वहां पर आपरेशन का काम नहीं, एकमात्र डाक्टर है। गांव वाले कहते हैं कि यह दवा ढंग से नहीं लिख पाता क्यों कि इसका तो प्रशिक्षण एनेस्थिसिया के लिए हुआ है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी बहरोड़ के अस्पताल में जहां सर्जरी का विशेषज्ञ है, जहां गायनोकोलोजिस्ट है, जहां पर आर्थोपेडिक्स का सर्जन है वहां पर एनेस्थिसिया का डाक्टर नहीं है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान में सब जगह चिकित्सा विभाग के अन्दर है। और यही कारण है कि आज लोग जयपुर की तरफ भागते हैं। बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। कस्बों में नहीं रहकर, उनका विश्वास उन कस्बों के अस्पतालों में नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था बहुत चरमरायी हुई है। उसकी ओर नयी सरकार को ध्यान देना होगा। नयी सरकार ने अपने राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है, इस बात को प्रमुख रूप से प्रचारित किया है कि वह गांवों की चिकित्सा के लिए नये कार्य, नयी योजनाएं बनाएंगी।

अध्यक्षजी, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए इस बात के लिए राज्यपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस घोषणा पत्र के माध्यम से, जो नयी सरकार ने युवाओं को नौकरियों में देने का वायदा किया है, जिस तरह से साठ साल की उम्र को 58 साल में परिवर्तित किया है उससे बड़ा नया जोश आया है युवाओं में। मैं समझता हूं कि नयी सरकार जल्दी ही

(डा. करणसिंह यादव)

नौकरियां खोलकर के युवा लोगों को मौका देगी और ऐसे लोग जो रिटायरमेंट पर बैठे हुए अपना रिटायर्ड जीवन 58 से 60 की उम्र में निकाल रहे थे, न कोई सक्रिय काम कर पा रहे थे, न उनमें कोई इन्सेंटिव रहा हुआ था । प्रशासनिक पद पर कोई आदमी बैठा है तो वह सोचता है कि मैं अपने हाथ से कोई ऐसा डिसीजन न लूं, साल छह महीने में रिटायर होने वाला हूं, मेरे हाथ से कोई गलत काम नहीं हो जाय । कोई नयी योजना नहीं बनाई । ऐसे लोगों से हम 31 मार्च को छुटकारा कर पाएगे । इस बात के लिए भी मैं राज्यपाल जी को इस अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय महुवा से आये हुए विधायक जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री जयदेव जी इन्दौरिया ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : श्रोम गंग गणपतयें: नमः । श्रद्धास्पद सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन में पधारकर उद्घाटन भाषण दिया है, उसके सम्बन्ध में माननीय हरिसिंह जी ने धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया और जिसका अनुमोदन माननीय ताम्बी साहब ने किया । उसके सम्बन्ध में अहम किंचित निवेदयामि ।

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर मैं दूसरी बार आया हूं । पहले 1980 से 1985 तक विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला और उस अरसे में कई अभिभाषण देने के लिए राज्यपाल महोदय यहां पधारे । किन्तु आते ही यह घोषणा कर दी जाती कि राज्यपाल महोदय अस्वस्थ हैं, इसलिए पहली एक पंक्ति पढ़ दें और अन्तिम पंक्ति पढ़ दें और वह भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय । एक दफा हुआ तब तो कोई बात नहीं । दूसरी बार भी जब अभिभाषण देने के लिए राज्यपाल महोदय, उपस्थित हुए तो पुनः यह घोषणा कर दी गई कि राज्यपाल महोदय का भाषण बिना पढ़े ही पढा हुआ मान लिया जाए । इस पर मैंने निवेदन किया था उस वक्त, यह बहुत पवित्र सदन है । इस सदन में इस ढंग की असत्य बात स्वीकार क्यों की जाए कि पढ़ा ही नहीं और बिना पढ़े को ही पढ़ा हुआ मान लिया जाए । यह परम्परा गलत है । यह मैंने निवेदन किया था । इस बार जब राज्यपाल महोदय पधारे तो मेरे मन में यही आशंका थी कि पहले वाली तरह ही ऐसी घोषणा न कर दी जाए कि उस बिना पढ़े हुए अभिभाषण को ही पढ़ा हुआ मान लिया जाए । इसके लिए मैं माननीय राठौड़ साहब को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रस्ताव उन्होंने नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कौन से राठौड़ की बात कर रहे हैं ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हमारे जो संसदीय मंत्री है श्री खेतसिंह राठौड़, तो मेरा यह राठौड़ का जो शब्द है वह उन्ही के लिए मैंने प्रयोग किया था, कोई अन्य राठौड़ भ्रम में नहीं पड़े ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राज्यपाल महोदय ने अपना पूरा भाषण आदि से अन्त तक अपने स्वयं

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

के मुख से यहां उच्चारित किया । इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने अपने उस अभिभाषण की पुस्तिका में गत वर्षों में जो घटनाएं घटित हुई उनको समझकर, अध्ययन करके, उनके अभिभाषण से ऐसा लगा कि वो उन घटनाओं से कुण्ठित थे और इसलिए उन्होंने एक शब्द ऐसा भी जोड़ लिया अपने अभिभाषण में जो प्रतिपक्ष को अखर रहा हैं । किन्तु, माननीय सभापति महोदय, जो घटना घटित हुई वो सबके सामने थी । और सारी जनता उनके कार्यों से खुश नहीं थी और इस असन्तोष का इजहार जनता ने लोकसभा चुनाव में ही प्रकट कर दिया था । फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं होने के कारण जनता ने जनतांत्रिक ढंग से अपने मतदान में जो निर्णय दिया वो आज इस सदन में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है । यह सही है कि गत वर्षों में प्रशासन से मंत्रिमण्डल का प्रभाव समाप्त हो गया और प्रशासन स्वेच्छा से सब काम करने लगा । और उसमें उससे भ्रष्टाचार का प्रादुर्भाव हुआ जिससे जनता बहुत त्रस्त हो गई । लोगों को यह महसूस होने लगा कि स्कूलों के अन्दर मास्टर नहीं हैं, कार्यालयों में अधिकारी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के ऐसे कई स्कूलों के नाम बता सकता हूं जिनमें 11–11 पद रिक्त पड़े हैं । कोई अध्यापक की व्यवस्था नहीं है । बच्चे स्कूलों में आते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं । इस ढंग की व्यवस्था से जनता में एक असन्तोष और आक्रोश हो गया कि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । इन्तजाम नाम की कोई बात नहीं है । इससे जनता ने रुष्ट होकर अपना जो मतदान है, वह वर्तमान सरकार के पक्ष में देकर निर्णय लिया ।

सभापति महोदय, मैं यहां सुबह ग्यारह बजे से बैठा हूं और सारे पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार मैंने यहां सुने हैं । उनके सम्बन्ध में मैं यहां कोई विशेष चर्चा नहीं करूंगा, उनकी कही हुई बात को यहां दोहराना सदन का समय नष्ट करना है । जैसी बातें आज दोनों तरफ से हुई हैं, वे अखबारों में निश्चित रूप से जाएगी । और मेरे से पूर्व वक्ता ने जो भाषण दिया है बहुत ही गम्भीर, पूर्ण जानकारी के साथ दिया है और मैं उनको साधुवाद देता हूं । अन्यथा तो दोनों तरफ से बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार । माननीय सभापति महोदय, यह खबरें अखबारों में जाती हैं और हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सब आजकल शिक्षित हो गई हैं वो पढ़ती हैं । और पढ़कर के मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है । इसलिए यहां जो भी कथन प्रकट किया जाए, जो भी मन्तव्य यह प्रस्तुत किया जाए वो बहुत संजीदगी के साथ किया जाए । आज सारे दिन में मुझे माननीय सदस्यों के विचार सुनकर कोई बौद्धिक सामग्री उपलब्ध नही हुई जिस पर कि गम्भीरता से विचार और चिन्तन किया जाए । मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं और आप चाहे तो मैं सात बजे तक बोल सकता हूं ।

श्री सभापति : नहीं, नहीं बहुत है ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : लेकिन मैं यह चाहता हूं....

श्री सभापति : आपका सन्देश पर्याप्त है, काफी अच्छा बोले आप।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : लम्बा बोलने में, माननीय सभापति महोदय, ऐसा न हो जाए कि अब सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित हो रही है और अन्तिम समय में कोई कटुता आ जाए इसका भी मुझे ध्यान रखना है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बिलकुल नहीं आयेगी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, 11वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में और इस नूतन वर्ष में वर्तमान सरकार की तरफ से मुझे तोहफा प्रस्तुत किया गया है। जो तोहफा दिया गया है उसका तो विषद वर्णन मैं कल करूंगा। (व्यवधान) नहीं, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि कल फिर उसकी द्वितीयावृत्ति हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज ही कर दो कल मौका नहीं मिलेगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : और द्वितीयावृत्ति करना सदन का समय नष्ट करना है।

श्री सभापति : तो विराजिये फिर।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इसलिये आप इन्तजार कीजिये कल तक। और यह जो तोहफा मुझे वर्तमान कांग्रेस सरकार की तरफ से मिला है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे ही दिया गया है। वह तोहफा सिर्फ मुझे ही दिया गया है विशेष मेहरबानी के लिए।

(18.52 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

आप उस तोहफे से वंचित हैं, यह आपका सौभाग्य है। भगवान न करे कि कल मेरे कहने के बाद में शायद आपका भी किसी का नम्बर आ जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नमन करता हूं। माननीय महुवा से पधारे हुए हरिसिंह जी ने बहुत ही सारगर्भित विचार इस सदन के सामने प्रकट किये। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय से पूर्णतया सहमत हूं कि कोई भी वक्ता अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रकट करे तो उसके बीच में किसी तरह का व्यवधान उपस्थित नहीं होना चाहिए। मैं आपके इस निर्णय से सहमत हूं और इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे सदन का समय तो बचेगा ही और बचे हुए समय का सदुपयोग होगा लेकिन इसके साथ-साथ सदन के अन्दर एक अनुशासन भी रहेगा जो बहुत जरूरी है। जब टी. वी. में हम देखा करते थे और यहां आपस में इस ढंग का अभद्र और अशोभनीय प्रदर्शन देखते तो बैठे हुए लोग यह चर्चा करते कि इससे तो गांवों की बैठक ही अच्छी होती है। हम लाखों की तादाद में वोट देकर यहां जिन लोगों को भेजते है तो हमारा यह दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम सदन की मान, प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखें। इससे आपकी भी शोभा बढ़ेगी और सदन की भी शोभा बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुबारा इस सदन में आने का जो अवसर मिला उसके लिए जिन लोगों ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने सहयोग और समर्थन किया हैं

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं । जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : अब केवल चार मिनट रहे हैं । अगर कल ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्य आज की तरह अनुपस्थित रहे, तो मैं कुछ समय के लिए हाउस को स्थगित कर दूंगा जब तक वह यहां उपस्थित नहीं हो जाते ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल से नहीं रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी को तो कोई कार्य था इसलिए वह कह करके गये थे । वह काम में व्यस्त थे । लेकिन दूसरे माननीय सदस्य जो ट्रेजरी बैंचेज के हैं, वह सदन में नहीं हैं । जबकि आज अभिभाषण का बड़ा महत्वपूर्ण वाद-विवाद का समय है उसमें वह उपस्थित नहीं रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, उनको हाजिर रहना चाहिये था । कल से उन सबको हिदायत दे दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 13 जनवरी, 1999 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.57 बजे बुधवार; 13.1.99 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची)

क्र. सं.	सरपंच का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त दिनांक
1.	श्री नन्नूसिंह	बोकोली	नगर	29.8.94
2.	श्री रसीद खां	कैथवाड़ा	नगर	6.6.94
3.	श्री अखेसिंह	जालूवी	नगर	16.11 94
4.	श्री रामसिंह	डाबक	नगर	24.2.95
5.	श्री कमरूद्दीन	गुलपाड़ा	नगर	24.2.95
6.	श्री कमरू खां	गुलपाड़ा	नगर	12.6.95
7.	श्री सरदार खां	खेस्ती	नगर	15.2.97
8.	श्री रोशन लाल	गहनवार	नगर	20.5.97
9.	श्रीमती किरन देवी	आलम शाँह	नगर	7.7.97
10.	श्री दाऊद खां	जयश्री	नगर	12.11.98
11.	श्री दीपचन्द	घाटमाका	कॉमा	11.8.94
12.	श्री सुवन खां	पापड़ा	कॉमा	27.8.94
13.	श्री गफार खां	बामनवाड़ी	कॉमा	19.8.94
14.	श्री यूनिस	जैतरी पीपल	कॉमा	28.9.94
15.	श्री बशीर खाँ	घेसिंगा	कॉमा	12.6.95
16.	श्री विजेन्द्र सिंह	बरोली घास	कॉमा	12.7.95
17.	श्री दीनू	वामनवाडी	कॉमा	17.12.95
18.	श्री यादराम	छिछड़वाड़ी	कॉमा	16.2.98
19.	श्री खुरशीद	सबलाना	कॉमा	7.5.97

क्र. सं.	सचिव का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	विचाराधीन दिनांक
1.	श्री रामजीलाल गुप्ता	तरोडरा	नगर	28.2.96
2.	श्री महेन्द्रपाल शर्मा	गुलपाड़ा	नगर	12.9.94
3.	श्री धनीराम शर्मा	सिरथला	नगर	31.3.94
4.	श्री चन्द्रशेखर	सोमका	नगर	23.6.94
5.	श्री रामजीलाल	तरोडर	नगर	15.7.98
6.	श्री मानसिंह	ढाबक	नगर	3.8.98
7.	श्री माणकचन्द	बामनवाड़ी	कॉमा	22.6.89
8.	श्री रामकुमार शर्मा	ऊचेड़ा	कॉमा	16.9.90

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

उप खण्ड मुख्यालय क्षेत्र बांदीकुई का सड़क मरम्मत प्रकरण

39. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय बांदीकुई से बिवाई एवं गूलर से आभानेरी तक सड़क पर जगह-जगह खड्डे पड़े हुये हैं ? यदि हां तो उक्त सड़कों की मरम्मत व डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि बांदीकुई से बिवाई के बीच लीलोज की पुलिया का कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

उत्तर

(1) जी, हां । उपखण्ड मुख्यालय बांदीकुई से बिवाई सड़क ग्रामीण सड़क है जिसकी कुल लम्बाई 15 किलोमीटर है । गूलर से आभानेरी सड़क ग्रामीण सड़क है जिसकी कुल लम्बाई 4 किलोमीटर है ।

बांदीकुई से बिवाई सड़क की साधारण मरम्मत का कार्य समिति वित्तीय आवंटन एवं प्राथमिकताओं की दृष्टि रखते हुये प्रारम्भ नहीं किया जा सका । अतिरिक्त आवंटन होने पर इसे इसी वर्ष साधारण मरम्मत का कार्य कराने के प्रयास किये जायेंगे ।

गूलर से आभानेरी सड़क पर पर्यटक महत्व की दृष्टि से 3 किलोमीटर लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य किया जा चुका है एवं एक कि.मी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है ।

उक्त दोनों सड़कों पर नवीनीकरण (डामरीकरण) का कार्य संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कराये जाने का प्रयास किये जायेंगे ।

(2) जी, हां । मुख्य पुलिया का कार्य मय एप्रोचेज के कार्य के सांसद कोष योजना के तहत 7.07 लाख रुपये का स्वीकृत हुआ था । पुलिया का कार्य पूर्ण किया जा चुका है डामरीकृत एप्रोचेज का कार्य शेष है जिसे इसी वित्तीय वर्ष में कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

राज्य में अवैध वाहन से हानि

40. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? वर्तमान में जयपुर से प्रतिदिन कितने अवैध वाहन प्रस्थान करते हैं ?

(2) उक्त अवैध वाहनों के संचालन से परिवहन निगम को प्रतिदिन कितना नुकसान हो रहा है ?

(श्री अमराराम)

(3) उक्त अवैध वाहनों से होने वाली आर्थिक हानि को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में अवैध वाहनों का संचालन है। सरकार इनकी रोकथाम हेतु सतत् प्रयत्नशील है। इन वाहनों का कोई निश्चित मार्ग व समय नहीं होता। अतः जयपुर अथवा किसी भी स्थान से अवैध रूप से चलने वाले वाहनों की संख्या निश्चित नहीं है।

(2) अवैध रूप से संचालित वाहनों से निगम को प्रतिदिन होने वाली हानि का निश्चित आंकलन सम्भव नहीं है।

(3) इन वाहनों से होने वाली आर्थिक हानि को रोकने हेतु निम्नांकित प्रयास किये जा रहे हैं :-

1- अवैध वाहनों की नियमित रूप से चैकिंग किये जाने की विभाग द्वारा व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त चैकिंग के विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं।

2- जिलों में प्रत्येक माह 7 से 10 दिन तक वाहनों की चैकिंग हेतु संयुक्त सघन अभियान चलाया जाता है, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, व स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। जहां मोबाईल मजिस्ट्रेट नियुक्त है, वहां वे भी इस अभियान में शामिल होते हैं।

खातेदारी भूमि में पानी की कमी पर किसानों को अन्य भूमि का आवंटन

41. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों की खातेदारी भूमि पानी की कमी अथवा अन्य कारणों से बेकार हो जाने की स्थिति में कृषकों को आबादी भूमि, चारागाहों, सिवाय चक बांधों आदि की भूमि आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन कृषकों ने उक्त स्थानों पर पक्का निर्माण कर लिया है ? क्या उनको भूमि आवंटित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विषय में जो नियमों में प्रावधान है वो निम्न प्रकार है :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48 एवं उनके अन्तर्गत बने राजस्थान काश्तकार (सरकारी) नियम, 1955 के नियम-24-एए के अन्तर्गत एक श्रेणी के खातेदार काश्तकार उसी श्रेणी के खातेदार काश्तकारों से अपनी अपनी कृषि भूमि की अदला-बदली सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार की लिखित अनुमति से कर सकते हैं। अगर ऐसी भूमि एक से अधिक तहसीलों से सम्बन्धित हो तो जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से एक श्रेणी काश्तकार भूमि की अदला-बदली करा सकते हैं।

(राजस्व मंत्री)

इसके अन्तर्गत सिवायचक भूमि की अदला-बदली की जा सकती है किन्तु चारागाह एवं आबादी भूमि इस हेतु आवंटित नहीं की जा सकती है।

इस मामले में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–3) विभाग द्वारा जो परिपत्र जारी किये गये हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

एस. 2(197) राजस्व/ग्रुप–3/86 जयपुर दिनांक 12–9–86 एवं परिपत्र क्रमांक 5(1) राज/6/95/2 दि. 9-1-95 इस परिपत्र के अन्तर्गत सिवायचक भूमियों के विनिमयन पर लगायी गयी रोक हटायी जा चुकी है। दोनों परिपत्रों की प्रतियां संलग्न है।

(2) प्रश्न अस्पष्ट है। प्रश्न किस स्थान से सम्बन्धित है। यह स्पष्ट नहीं होने से वस्तुस्थिति से अवगत कराना सम्भव नहीं है। यदि नियमों के तहत आवंटन का पात्र हो तो आवंटन किया जा सकता है।

CONFIDENTIAL

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GR. III) DEPARTMENT

To :

The All Collectrors.

No, F, 2 (197) Rev./Gr. 3/86 Jaipur, dated 6/12th Sept, 1986

SUBJECT :–Proposals for exchange of Siwai/Gochar/Charagah lands for the private Khatadari lands.

Sir,

It has been noticed that many Collectors are recommending proposals for exchange of private Khatadari lands with Siwai chak/Gochar/Charagah lands. In some cases these proposals are accompanied by the consent of the Gram Panchayats. Similarly in many cases proposals are baing made for allotment of Siwai chak/Gochar/Charagah lands for Various public purposes proposed by individuals/institutions.

The matter has been carefully considered and it has been decided that the Government would not consider any proposal for exchange of private Khatedari lands with Siwai chak/Gochar/

Charagah lands All the proposals pending with the State Government on the date of this circular have been filed and no correspondence shall be entertained in respect thereof. Any proposal of this nature sent hercafter will be filled and will not be acknowledged.

In so far as the allotment of Siwai Chak/Gochar/Charagah lands for public utility buildings is concorned, the cases may be considered on merits. For such cases, a full justification will have to be provided by the Collector himself, More endorsement of the recommendations of the Gram Panchayats, Tehsildar of Sub Divisional Officer by the Collector will not be accepted as a valid recommendation by the Collector. While making recommendation the Collector should, interalia, give a complete justification for the astablishment of the institution, cerbify that alternative land is not available or provide a full justification as to why the available altornative land cannot be utilised for the proposed public utility building. Any propasal without these specific recommendations will not be acknowledged and will be filed.

The receipt of this letter should be enknowledged.

sd/–
(H. C. PANDE)
Secretary to the Government
6-9-86

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 5(1) राज/6/95/2 जयपुर दिनांक 9.1.1995

जिला कलेक्टर,
समस्त (राजस्थान)

विषय :–निजी खातेदारी भूमि से चारागाह/सिवायचक भूमि से विनिमय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(197) राज/ग्रुप-3/88 दिनांक 6/12 सितम्बर, 1986 जिसके तहत गोचर और सिवायचक

भूमियों के विनिमय के मामलों में रोक लगाई गई थी, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सिवायचक भूमियों से विनिमय पर लगाई रोक एतद् द्वारा हटाई जाती है।

चारागाह भूमि से विनिमय किये जाने पर रोक यथावत रहेगी। कृपया पत्र की पावती भिजवायें।

भवदीय

ह०/

(आई. सी. श्रीवास्तव)

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

पंचायत राज संस्थाओं को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता

42. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो नागौर जिले की किस-किस संस्था को कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि को खर्च करने के लिये सरकार ने क्या कोई निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो कब-कब तथा उनकी अनुपालना कहाँ तक हुई ? उक्त आदेशों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में विभिन्न अनुदानों यथा सामान्य अनुदान, रखरखाव अनुदान, प्रारम्भिक अनुदान, विकास अनुदान, प्रोत्साहन अनुदान आदि के रूप में आर्थिक सहायता दी है। नागौर जिले की समस्त पंचायती राज संस्थाओं को संलग्न सारिणी अनुसार वर्षवार राशि का आवंटन किया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने राशि को खर्च करने के लिए विभागीय आदेश क्रमांक एफ 165(12) 1/लेखा/बजट/95-96/221 दिनांक 22.9.94 एवं 449 दिनांक 8.5.96 जारी किये हैं जिनकी प्रति संलग्न हैं।

वर्ष 1996-97 से ग्राम पंचायतों को सामान्य अनुदान मैचिंग अनुदान एवं रखरखाव अनुदान की आवंटित राशि को दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत देय अनुदान के मैचिंग शेयर के रूप में उपयोग किये जाने के निर्देशों के कारण अब उक्त राशि का उपयोग दि. 24.4.98 के आदेश संख्या एफ 184 (16) आर.डी.पी.आर डी./लेखा/बजट/96-97 के अनुसार किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ (जयपुर) का प्रस्तावित अभयारण्य प्रकरण

43. श्री रामचन्द्र (जमवारामगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जिला जयपुर के क्षेत्र जमवारामगढ़ में अभयारण्य बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में ?

(2) उक्त वन अभयारण्य क्षेत्र में किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी भूमि किस-किस किस्म की आयेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के ग्रामों का पुनर्वास कहां-कहां एवं किस आधार पर किया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र की अधिसूचना एफ 11(12) रेवेन्यू/8/80 दि. 31.5.82 द्वारा अभयारण्य घोषित किया जा चुका है। इस वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है।

(2) उक्त वन्य जीव अभयारण्य में कुल 86 ग्रामों की 230.94 वर्ग किलोमीटर वन भूमि तथा 69.96 वर्ग किलोमीटर राजस्व भूमि सम्मिलित हैं। ग्रामों की सूची "परिशिष्ट क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त क्षेत्र में किसी भी ग्राम का पुनर्वास प्रस्तावित नहीं है। क्योंकि वहां के निवासियों की दैनिक गतिविधियों में अभयारण्य बनाने से कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा।

वन्य जीव अभयारण्य जमवारामगढ़ के अन्दर आने वाले ग्रामों की सूची

1. राम्यावाला
2. श्री रामगोपालपुरा
3. नीमला
4. किलतपुरी
5. सिंहपुरी
6. रामावाला
7. थली
8. सानकोटड़ा
9. रास्यावाला
10. कानड़वास
11. बस्सी
12. काली बरखेड़ी
13. ढिगोता
14. कानीखोर
15. पातलवास
16. मावनी
17. गोपी नावापुरा
18. महंगी
19. सानकोटड़ा
20. दातली
21. गुडा हुक्का
22. दांतली
23. — (अस्पष्ट)
24. नांगल तेजसिंह
25. सामरेड कला
26. रामपुरावास सामरेड़

27. रायपुर
28. खरड़
29. घोरेट
30. बामनवाटी
31. महुंगोर
32. नांगल तेजसिंह
33. रायसर
34. श्रीरामजीपुरा
35. गोपालगढ़
36. मीमावास
37. घाट जमवा
38. झरूण्डा
39. खावा
40. पालड़ी खुर्द
41. खरकड़ा
42. पालडी कला
43. गोढ़ पालड़ी
44. सरजोली
45. बूज
46. मानोता
47. झोल
48. डोडा डूंगर
49. पापड
50. रामपुर बास रामगढ़
51. साऊं
52. कस्बा रामगढ़
53. टोडा मीना
54. मावगढ़
55. गोडीपाना
56. नीमी
57. कस्बा रामगढ़
58. नरपतियावास
59. जुबलपुरिया
60. कोलीपाना
61. पाली
62. बासना
63. बिसूरी
64. घाटा जलधारी
65. नांगल तुलसीदास
66. किलनबास
67. कूदा
68. लूनेढा
69. रायसर
70. रामसर
71. गुढा
72. रायसर
73. गोडीपाना
74. सामरेड कला
75. किटठलपुरा
76. सुरेठी
77. बलोड़
78. जयसिंहपुरा
79. केला का बास
80. चिलपिली
81. गोपीनाथपुरा
82. मीमावास
83. घाटी घनश्यामपुरा
84. नीपुरा
85. खावा
86. झरूण्डा

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की अपूर्ण सड़कें

44. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार ने ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की क्या कोई नीति बना रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा इसमें किन-किन योजनाओं के तहत ग्रामों को सड़कों से किस तरीके से जोड़ा जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990 से 1998 तक विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितनी सड़कें किन योजनाओं के तहत स्वीकृत हुई और कितनी के कार्य चालू कर दिये गये तथा कितनी के कार्य किन कारणों से चालू नहीं किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, कब तक ?

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादोती में गुढाचन्द्रजी से लालपाल तक क्या किसी योजना के तहत कोई सड़क स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कितनी कितनी लागत से कितने-कितने ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के लिए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सड़कों के चरणबद्ध विकास हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 1994 में सड़क विकास नीति बनाई थी इस नीति अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में सभी पंचायत मुख्यालयों एवं 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों को डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

आयोजना मद के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम, परिगणित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाबार्ड एवं ग्रामीण सड़कों द्वारा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से विशिष्ट संगठन योजनाओं के अन्तर्गत, विश्व बैंक सहायता से कृषि विकास योजना के अन्तर्गत एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सड़क नीति के प्रावधानों के अनुसार गांवों को सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है।

(2) वर्ष 1990 से 1998 के बीच टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में निम्नानुसार कुल 64 सड़क कार्य स्वीकृत हुये। इसमें से 60 कार्य चालू कर दिये गये एवं 4 कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तहसील नादौती

क्र. सं.	योजना	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	चालू नहीं किये जा सके कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	एम. एन. पी.	10	5	5	—
2.	नाबार्ड	1	—	1	—
3.	विशिष्ट संगठन योजनायें	20	15	4	1
	योग	31	20	10	1

तहसील–टोडाभीम

क्र. सं.	योजना	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	चालू नहीं किये जा सके कार्य
1.	एम. एन. पी.	6	—	4	2
2.	नाबार्ड	1	—	1	—
3.	विशिष्ट संगठन योजनायें	15	8	6	1
4.	ए. डी. पी.	11	10	1	—
	योग	33	18	12	3

चार कार्य जो चालू नहीं किये जा सके उन कार्यों में नादौती तहसील में एक कार्य सम्पर्क सड़क बड़ागांव (आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत), टोडाभीम तहसील में सम्पर्क सड़क कटारा अजीज (निर्बन्ध योजनान्तर्गत स्वीकृत) व सम्पर्क सड़क पीलवा (एम. एन. पी. में स्वीकृत) भूमि विवाद के कारण एवं संपर्क सड़क त्रिशूल में पुलिया निर्माण (एम. एन. पी. में स्वीकृत) सिंचाई विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण चालू नहीं किये जा सके। विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) जी, हां। अधूरी सड़कों को पूर्ण करने का विवरण मय कार्य की प्रगति के परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(4) जी, हां। गुढाचन्द्र जी (0/0) से लालसर (11/0) सड़क की कुल लम्बाई 11 कि.मी. है इसमें से 8/0 से 11/0 तक कृषि उपज मंडी समिति द्वारा डामर कार्य पूर्ण कर दिया गया है व 4/0 से 8/0 के बीच सम्पर्क सड़क पाल के नाम से वर्ष 93–94 में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 4.00 लाख रुपये में ग्रेवल कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शेष

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

शेष 0/0 से 4/0 तक कोई स्वीकृति नहीं है।

गुढाचन्द्र जी से लालसर के मध्य दो ग्राम जाहरा (1223/91) एवं पाल (पंचायत मुख्यालय 2192/91) आते हैं। ग्राम पाल मांडारेज लालसर सड़क से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है एवं ग्राम जाहरा ग्रेवल सड़क से पाल ग्राम से जुड़ा हुआ है। सड़क विकास नीति अनुसार ग्राम जाहरा को डामर सड़क से नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रणथम्भौर व सरिस्का प्रोजेक्ट के गांवों का पुनर्वास प्रकरण

45. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) केन्द्र सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत रणथम्भौर एवं सरिस्का प्रोजेक्ट के क्षेत्र में कुल कितने गांव आये एवं उनमें से कितने गांवों का पुनर्वास कहां–कहां किया जा चुका है और कितने गांवों का पुनर्वास किया जाना शेष है।

(2) उक्त शेष गांवों का पुनर्वास कब तक एवं कहां–कहां किया जायेगा ?

(3) उक्त दोनों अभ्यारण्यों में गत पांच वर्षों में शेरों की संख्या का तुलनात्मक विवरण संख्या में कमी होने के कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टाइगर प्रोजेक्ट रणथम्भौर उद्यान के क्षेत्र में 20 गांव/गुवाड़े आये थे। जिसमें से 16 गांव विस्थापन हेतु प्रस्तावित थे। उनमें से 12 गांवों को वर्ष 1975–76 में कैलाशपुरी एवं गोपालपुरा में विस्थापित किया जा चुका है तथा 4 गांवों को पुनर्वास किया जाना शेष है।

सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में कुल 24 गांव/गुवाड़े आये थे जिसमें राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का में स्थित कुल 12 गांवों में से एक गांव करनाकावास का विस्थापन बांदीपुल ढुलावा सीरावास में किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के शेष 11 गांव का पुनर्वास किया जाना शेष है।

(2) शेष गांवों के संतोषप्रद पुनर्वास हेतु पुनर्वास पेकेज तैयार किया जा रहा है जिसके अनुमोदन उपरान्त शेष गांवों का पुनर्वास भी किया जावेगा।

(3) बाघ परियोजना में गत पांच वर्षों में कराई गई वन्य जीव गणना के दौरान उपलब्ध बाघों की गणना का विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 पर है। परिशिष्ट के अवलोकन से सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में कमी नहीं हुई है।

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में मामूली कमी हुई है। जिसके कारण ठीक से पता करना कठिन है क्योंकि वे कई प्रकार के जैसे कि बूढ़ा होने पर मृत्यु, प्रवास या बीमारी आदि से अकाल मृत्यु इत्यादि इत्यादि।

(राज्य मंत्री, वन)

बाघ परियोजना रणथम्भौर तथा सरिस्का में विगत 5 वर्षों में कराई गई वन्य जीव गणना के दौरान प्राप्त बाघों की संख्या का विवरण

वर्ष	बाघों की संख्या रणथम्भौर टाइगर रिजर्व			सरिस्का टाइगर रिजर्व
	रा. रा. उ.	अन्य	योग	
1993	25	11	36	24
1995	27	11	38	25
1997	24	8	32	24

तहसीलदार बौंली (सवाईमाधोपुर) के विरुद्ध जांच प्रकरण

46. **श्री किरोड़ीलाल** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को बौंली के तहसीलदार के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर द्वारा जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायतों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच सहायक कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सरपंच ग्राम पंचायत सांडिया (पाली) का निलम्बन प्रकरण

47. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सांडिया पंचायत समिति सोजत (पाली) के सरपंच को वर्ष 1997 में गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो उसे अब तक निलम्बित नहीं करने में कौन अधिकारी दोषी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त सरपंच को निलम्बित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा आरोप गम्भीर नहीं माने जाने के कारण सरपंच को निलम्बित नहीं किया गया है।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

विधान सभा क्षेत्र बानसूर की आरा मशीन प्रकरण

48. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुल कितनी आरा मशीन (लकड़ी चिराई की मशीन) लगी हुई है? क्या उक्त सभी मशीनें लाइसेंसशुदा हैं?

(2) उक्त आरा मशीनों पर लकड़ी कहां–कहां से आती हैं?

(3) क्या सरकार आरा मशीनों पर पड़ी हुई लकड़ी को जब्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बानसूर विधान सभा क्षेत्र में 13 आरा मशीनें हैं उक्त सभी मशीनें लाइसेंसशुदा नहीं है।

(2) आरा मशीनों पर लकड़ी प्रायः कृषकों के स्वयं के खेतों से आती हैं।

(3) राजस्थान वन उपज (आरा मशीन स्थापना एवं नियंत्रण) नियम, 1983 (The Rajasthan Forest Produce (Establishment & Regulation of Saw Mills) Rules, 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी की सड़कों का मरम्मत प्रकरण

49. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौरासी में डूंगरपुर से पीठ, पीठ से पुनावाड़ा, डूंगरपुर से बिछीवाड़ा, थाना से विरपुर वाया मेवाड़ा, झोथरी से माल चौकी वाया सुराना, गैंजी से डाकणमारिया गुजरात सीमा और गैंजी से चारवाड़ा सड़क मरम्मत योग्य है? यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों पर मरम्मत कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, उपरोक्त वर्णित सड़कों में जहां पर साधारण मरम्मत अपेक्षित है, उनमें से कुछ कि.मी. में पेच रिपेयर कार्य करवा दिये गये हैं, जिसका विवरण संलग्न है। यह कार्य अभी भी प्रगति पर है इन सड़कों के अधिक क्षतिग्रस्त हिस्सों पर एवं उन कि.मी. में जहां नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण नोर्मस के अनुसार वांछित है उन पर नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता अनुसार करवाये जाने के प्रयास किये जावेंगे। विस्तृत टिप्पणी परिशिष्ट–"क" संलग्न है।

परिशिष्ट—'क"

1. **डूंगरपुर से पीठ सड़क**—यह मुख्य जिला सड़क है । डूंगरपुर से पीठ सड़क की कुल लम्बाई 45 कि.मी. हैं । जिस पर पेच कार्य पूर्ण कर दिया गया है । उक्त सड़क के कि.मी. 20 से 27, 31 से 38 तथा कि.मी. 41 व 42, कुल 18 कि.मी. में सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण की आवश्यकता है । जिसके लिए कुल 91.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी । जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर किया जाना सम्भव होगा ।

2. **पीठ से पुनावाड़ा सड़क**—यह ग्रामीण सड़क है । पीठ से पुनावाड़ा सड़क की कुल लम्बाई 12 कि.मी. है । इस सड़क पर वर्तमान में 7 कि.मी. में पेच कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा शेष 5 कि.मी. में से 3 कि.मी. का नवीनीकरण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । तथा शेष 2 कि.मी. में अत्यधिक पेच होने से नवीनीकरण की आवश्यकता है जिसके लिए 5.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी । जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर किया जाना सम्भव होगा ।

3. **डूंगरपुर से बिछीवाड़ा सड़क**—यह अन्य जिला सड़क है । डूंगरपुर से बिछीवाड़ा सड़क की कुल लम्बाई 22 कि.मी. है । उक्त सड़क पर पेच कार्य पूर्ण कर दिया गया है । यह सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 पर उदयपुर से बिछीवाड़ा के बीच कहीं पर भी यातायात अवरुद्ध होने पर, वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम में ली जाती है जिससे अत्यधिक वाहनों का यातायात हो जाता है । उक्त 22 कि.मी. में से कि.मी. 4, 5, 6, 7 व 13 से 22 कुल 14 किमी. की सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है । जिसके लिए 140.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी । जिसको वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर किया जाना सम्भव होगी ।

4. **थाना से विरपुर वाया मेवाड़ सड़क**—यह अन्य जिला सड़क है । थाना से विरपुर वाया मेवाड़ा सड़क की कुल लम्बाई 32 कि.मी. है । उक्त सड़क पर 26 कि.मी. में पेच कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष 6 कि.मी. अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से पेच कार्य से मरम्मत करना सम्भव नहीं है । इसके लिए सुदृढ़ीकरण व रिन्युवल की आवश्यकता है जिसके लिए 24.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी । जिन 26 कि.मी. में पेच कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें से भी 15 कि.मी. का नवीनीकरण की आवश्यकता है । जिसके लिए 30.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी । जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर किया जाना सम्भव होगा ।

5. **झोतरी से माल चौकी वाया सुराता सड़क**—यह ग्रामीण सड़क है । झोतरी से माल चौकी वाया सुराता सड़क की कुल लम्बाई 12.5 किमी. है । उक्त सड़क

पर महत्वपूर्ण खान क्षेत्र होने की वजह से इस पर अत्यधिक भारी वाहनों का यातायात रहता है। इसलिए इस सड़क की स्थिति खराब है। जिसमें से 4 कि.मी. का अत्यधिक पेच कार्य पूर्ण किया जा सकता है जिसे जनवरी माह में पूर्ण कर लिया जावेगा तथा शेष 8.5 कि.मी. में से 4 कि.मी. का नवीनीकरण तथा 4.5 कि.मी. सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण की आवश्यकता है जिसके लिए 30 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी जिनको वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर किया जाना सम्भव होगा।

6. **गैंजी से डाकन मारियां गुजरात सीमा सड़क**—यह ग्रामीण सड़क है। गैंजी से डाकन मारियां गुजरात सीमा सड़क की कुल लम्बाई 14 कि.मी. हैं। जिसमें से 6.25 कि.मी. डामर सड़क है। उक्त 6.25 कि.मी. में से 2.25 कि.मी. में पेच कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 4 कि.मी. में पेच कार्य 15 दिन में पूर्ण कर लिया जावेगा। शेष 7.75 कि.मी. कच्चा मार्ग है। जिसके निर्माण हेतु 30 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी।

7. **गैंजी से चारवाड़ा सड़क**—यह ग्रामीण सड़क है। गैंजी से चारवाड़ा सड़क की कुल लम्बाई 12 कि.मी. है। जिसमें से 3 कि.मी. ग्रेवल है तथा 9 कि.मी. कच्चा हैं। जो मरम्मत की श्रेणी में नहीं आती हैं इसके निर्माण हेतु 110.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी।

पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति

50. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माह दिसम्बर, 1998 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति क्या थी ? क्या सरकार बसों का किराया कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना तथा कब से और इससे होने वाली वित्तीय हानि का क्या प्रबन्ध किया जायेगा ?

(2) राज्य में विभिन्न स्थानों से संचालित होने वाली अवैध विडियो कोच बसों के नियमन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति रहेगी ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1998–99 में माह दिसम्बर तक निगम को अनुमानित रूप से 33.40 करोड़ रुपये की हानि रहने की सम्भावना है। यात्री किराये को तर्कसंगत करने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

(2) अवैध वाहनों के नियमन सम्बन्धी कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) की सड़कों का मरम्मत प्रकरण

51. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1998 के दौरान जिला झुन्झुनूं में उदयपुरवाटी-छापोली, मण्डावरा-मावता, मणकसास-बागौली सराय सड़कों पर कितनी धनराशि मरम्मत/पैचवर्क कार्यों पर व्यय की गई ?

(2) उक्त कार्यों के लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उदयपुरवाटी क्षेत्र के उक्त कार्यों पर कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा इसके लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998 के दौरान जिला झुन्झुनूं में उदयपुरवाटी छापोली, मण्डावरा मावता, मणकसास, बागौली सराय सड़क पर सामान्य मरम्मत/पैचवर्क करवाने पर 0.97 लाख रुपये व्यय किये गये।

(2) उक्त सड़कों के सुधार के लिए 4.97 लाख रुपये का खण्डीय स्तर पर तकमीना तैयार किया गया था, लेकिन उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य सड़कों की सुधार की प्राथमिकताओं के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका।

(3) उदयपुरवाटी क्षेत्र की उक्त सड़कों पर साधारण मरम्मत हेतु लगभग 15.00 लाख रुपये एवं नवीनीकरण आवृति अनुसार सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण कार्य हेतु 60.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी जिसकी स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर है।

परिशिष्ट—3

(अतारांकित प्रश्न संख्या–47 का विवरण)

क्र.सं.	नाम भू.पू. नरेश/परिवारजन	नाम चक/ग्राम	रकबा भूमि स्टैण्डर्ड एकड़
1.	श्री तेजसिंह पुत्र श्री जयसिंह राजपूत भूतपूर्व महाराजा अलवर	अलवर	152
		नंगलीकोता	—
		सोनावा	28
		खोहरा	9
		कुशालगढ़	2
		कडूकी	46
		जटियाना	3
		मजीट	141
		वृन्दपुर	33
		ईटाराणा	192
	कुल योग		606 स्टेण्डर्ड एकड़

नोट :—उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 30.4.71 में सीलिंग के अन्तर्गत 576 स्टे. एकड़ भूमि को अधिकतम सीमा जोत में माना है। किन्तु गैरसायल द्वारा 30 स्टे. एकड़ जमीन किस ग्राम की कम कराई जानी है, इस सम्बन्ध में घोषणापत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए भूमि घोषणापत्र प्रस्तुत होने पर वांछित चक से कम की जायेगी। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां विचाराधीन है।

परिशिष्ट—"क"

भूतपूर्व नरेश, जयपुर की विभिन्न ग्रामों में स्थित भूमि का विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्राम नाम	दिनांक 21.4.76 में अधिग्रहण की गई भूमि बीघा	बिस्वा	मुक्त रखी गई भूमि बीघा	बिस्वा	वि. वि.
1.	जयपुर	1–खातीपुरा	25	12	—	—	
		2–साल्यावास	2	19	—	—	
		3–प्रेमपुरा	12	17	—	—	
		4–भोजपुरा	409	10	—	—	
		5– ,,	72	05	11	00	
		6–बोरखातीपुरा	1240	10	—	—	
		7–भवानीशंकरपुरा	—	—	179	08	
		8–झालाना चौड	—	—	416	09	
2.	बस्सी	1–बड़वा	1087	05	820	11	
		2–पड़ासौली	—	—	679	09	
3.	आमेर	1–आमेर	160	00	757	01	
		2–लालवास उर्फ बिशनपुरा	—	—	542	19	
4.	जमवारामगढ़	1–जमवाघाट	22	03	—	—	
		2–सुरेठी	155	19	—	—	
		3–बिठलपुरा	1398	17	—	—	
		4–जमवारामगढ़	39	08	—	—	
		5–घाटी घनश्यामपुरा	1029	01	—	—	
		6–गोपालगढ़	3683	12	—	—	
5.	दौसा	1–मण्डाना	14	12	750	00	वर्तमान में
		2–रानी का बाढ़	—	—	515	12	जिला दौसा
	योग		9354	10	4672	09 = 14026.19	

भूतपूर्व महाराजा जोधपुर के सीलिंग अधिनियम के तहत
ग्रामवार रकबा की सूची

क. सं.	नाम ग्राम	रकबा (बीघा में)
	तहसील सोजत	
1.	शिवपुरा	6677-00
2.	चांदासनी	1313-01
3.	पांचवा खुर्द	3294-03
4.	धुरासनी	150-19
5.	चुन्देलाई	3384-05
6.	सरदार सामेद	9955-15
7.	सोबडावास	11116-18
8.	पोटलिया	2142-04
		38034-68
	तहसील मा. ज.	
1.	खारडी	2293-15
	तहसील बाली	
1.	बाली	7084-00
	तहसील देसूरी	
1.	सादड़ी चक-1	128-10
2.	सादड़ी चक-2	171-17
		300-07
	तहसील पाली	
1.	माम्बोलाई	5136-00
2.	झीतड़ा	599-06
3.	मण्डली दर्जियात	599-12
4.	नीमली उदा	5870-12
5.	ददीया	4331-04
6.	माकरीवाला	499-12
7.	खारड़ा	3605-18
8.	कानावास	842-15
		21484-19

तहसील–बिलाडा–जोधपुर

1.	बिलाडा चक–3	2574-17
2.	बीजासनी	368-12
		2943-09

तहसील–जोधपुर जिला–जोधपुर

1.	जोधपुर	773-01
	योग	72913-19

भू. पू. महाराजा, अलवर	अखण्ड अधिकारी, अलवर 31-3-95
भू. पू. महाराजा, जयपुर	क्षतिपूर्ति आयुक्त, जयपुर अप्रेल, 86
भू. पू. महाराजा, जोधपुर	पुराना कानून राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय वर्ष 97 से नये कानून में उपखण्ड अधिकारी, सोजत 6-9-73

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 48 का विवरण)

नोट :-अतिक्रमित क्षेत्रफल—बिस्वा में

नाम अतिक्रमी	अतिक्रमण वर्ष (संवत्) 2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	विशेष विवरण
1. केदार, बनवारी पि. बद्री केदार दत्तक पुत्र हरसहाय	5	6	6	6	–	–	5	5	3	5	5	5	बेदखल नहीं किया गया
2. नरसी पुत्र गोपाल हरी. ब्रा.	–	2	2	2	–	–	–	1	1	1	1	1	बेदखल
3. मांगू पुत्र सोहन कुम्हार व प्रभात पुत्र रतन	–	1	1	1	–	–	–	–	2	2	2	2	,,
4. मांगीलाल पुत्र छीतर हरि. ब्रा.	–	2	1	2	–	–	–	1	1	1	1	1	,,
5. गंगाराम पुत्र हरि.	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	,,
6. घासी पुत्र सोहन हरि. ब्रा.	–	1	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	,,
7. सीताराम पुत्र रामसहाय हरि. ब्रा.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	,,

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची)

उप–वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, सीकर द्वारा विगत पांच वर्षों में किये गये व्यय का मदवार विवरण

क्र.सं.	बजट मद	वर्ष	व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
2406–वानिकी तथा वन्य जीवन		1993–94	294.66 लाख
01–वानिकी		1994–95	331.79 लाख
102–समाज तथा फार्म वानिकी		1995–96	484.60 लाख
(IX)–ओ.ई.सी.एफ. जापान की		1996–97	268.99 लाख
सहायता से, अरावली पर्वत		1997–98	244.43 लाख
शृंखला में वृक्षारोपण			

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1995 से 1998 तक जिला सवाईमाधोपुर एवं करौली में वन विकास कार्यों हेतु आवंटित बजट एवं उपयोग का विवरण

आवंटित बजट			(राशि लाख रुपयों में)
वर्ष	जिला सवाई माधोपुर	जिला करौली	राशि के उपयोग का विवरण
1995–96	207.79	105.42	राशि का उपयोग कराये गये वृक्षारोपण का संधारण, नवीन वृक्षारोपण, संघनन एवं वन बन्दोवस्त कार्य, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण,
1996–97	228.28	166.20	जल एवं भू-संरक्षण कार्य, भवन निर्माण संचार प्रचार एवं प्रशिक्षण, पौधशाला का संधारण एवं नवीन पौध तैयारी, कृषि वानिकी, वाहनों के रखरखाव, सड़कों की मरम्मत, एनीकट निर्माण,
1997–98	222.33	207.33	कानूनी सुविधाओं, वायरलेस संधारण, वर्कचार्ज कर्मकारों के वेतन, वन सुरक्षा आदि कार्यों पर किया गया।

परिशिष्ट "ख"

जिला सवाईमाधोपुर एवं करौली में वर्ष 1998 में कराये गये वृक्षारोपण जीवित पौधों का विवरण

जिले का नाम	वृक्षारोपण स्थल का नाम	लगाये गये कुल पौधों की संख्या	किस्म वृक्ष छायादार वृक्ष	किस्म वृक्ष कांटेदार वृक्ष	जीवित पौधों का विवरण
सवाईमाधोपुर	अमावरा बनी	25000	5000	20000	80 प्रतिशत
	कोटड़ी	40000	7000	33000	80 "
	सूली की डूंगरी	35000	7000	28000	85 "
	रेबासा	50000	9000	41000	85 "
	सिरोही	35000	6000	29000	90 "
	शिवाड़	30000	6000	24000	80 "
	कुश्तागांव	44000	8800	35200	80 "
	रघुनाथपुरा	11000	1800	9200	81 "
	सुकार	22000	4400	17600	82 "
	बालेर	10000	1900	8100	75 "
	क्यारदा	10000	2000	8000	75 "
	कुश्रागांव	7000	1200	5800	80 "
	जाखोलास	4000	700	3300	90 "
	हिन्दुपुरा	3000	550	2450	90 "
	ईसरदा	6000	1200	4800	85 "
	ताजपुर	15500	3000	12500	85 "
	नाथों का टापरा	35000	6000	29000	90 "
	बिच्छूदोना	17500	3500	14000	90 "
	बोरखेड़ा	35000	6800	28200	85 "
	खेड़ा	17500	3000	14500	80 "
करौली	डोबला	50000	2000	48000	85 "
	शुभनगर	50000	3000	47000	90 "
	बापू महाराज	50000	2000	48000	85 "
	श्रौडिच	50000	2000	48000	89.2 प्रतिशत
	सैंतेरी	50000	1400	48600	89.72 प्रतिशत
	धुसैटी	35000	2000	33000	85 प्रतिशत
	शत खोहरा	35000	7000	28000	89.71 प्रतिशत
	महुश्रा खेड़ा	30000	—	30000	90 "

1	2	3	4	5	6
	वरैण्डा	35000	12010	22990	88.09 प्रतिशत
	मूडरी	35000	7000	28000	90 ,,
	दुधारी	25000	3000	22000	90 ,,
	खिरखिड़ी	35000	4000	31000	93 ,,
	सैंगरपुरा	22000	7000	15000	90 ,,
	खिरखिड़ा	22000	8218	13782	87.89 ,,
	घास	20000	4000	16000	90 ,,
	खेड़ी शीश	22000	4000	18000	90 ,,
	ददेरौली	33000	5000	28000	95 ,,
	छतरी का पुरा	10000	2000	8000	85 ,,
	दांतली	10000	3400	6600	84 ,,
	रामपुरा	10000	5800	4200	90 ,,
	वरैंड	23000	4000	19000	90 ,,
	चतुर्भुजपुरा	10000	1000	9000	90 ,,
	गोशाला	30000	—	30000	85 ,,
	टोडीवाला हनुमान	33000	10000	23000	90 ,,
	पाचौली	33000	8000	25000	90 ,,
	हरिजनपुर	35000	3000	32000	70 ,,
	छाबर खोह	35000	4500	30500	70 ,,
	लूलोज	35000	1850	33150	89.99 ,,
	गुसाई डाडा	35000	3530	31470	87.23 ,,
	फुलवाडा	35000	3000	22000	85 ,,
	इमरतापुरा	30000	9000	21000	90 ,,
	बालेर	55000	—	55000	70 ,,

छायादार एवं कांटेदार किस्म के अन्तर्गत निम्न प्रजातियों के पौधे सम्मिलित हैं :—

छायादार पौधे : चुरैल, शीशम, अरडू, सिरस, बेलपत्र, केशिया, श्यामा, करेंज, अमलताष, अशोक इत्यादि ।

कांटेदार पौधे : देशी बबूल, खैर, कुमठा, खेजड़ी, रोझ, इजराइली बबूल, बेर आदि ।

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 1998–99 में डामर/डब्लू बी. एम. तथा ग्रेवल की प्रस्तावित नई सड़कों की सूची

सा. नि. वि. खण्ड मेड़तासिटी

क्र. सं.	सड़क कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वर्ष 1998–99 में प्रस्तावित वित्तीय	मौतिक लक्ष्य डामर	डब्लू.बी.एम.	ग्रेवल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योजना मद							
	(अ) 5054 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य)							
1.	चुई से चुआ सड़क	2–0	5–00	4–20	2–0	—	—	कार्य पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क बिखरनियां कलां	3–0	10–00	4–33	2–30	—	—	,,
3.	चकढाणी से राजोद	3–50	6–00	5–58	3–50	—	—	,,
4.	सांजू से खींवताना	1–50	7–40	2–88	0–50	—	—	,,
5.	रेण से सिरासना	2–25	10–00	5–38	0–75	—	—	,,
6.	ईडवा से बंवरला	1–50	5–00	4–85	1–50	—	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	बंवरला से श्रांतरोली	2–00	4–00	3–16	2–00	—	—	कार्य पूर्ण
8.	सम्पर्क सड़क सुदबाड़	2–00	6–00	3–00	1–70	—	—	,,
9.	,, खींवताना	1–00	4–00	0–71	1–00	—	—	,,
10.	हिम्मतनगर से जालसू नानक	1–50	4–00	2–00	0–50	—	—	डामरीकरण कार्य प्रगति पर
11.	चुई से चुश्रा सड़क	1–00	2–00	0–80	1–00	—	—	कार्य पूर्ण
12.	सम्पर्क सड़क बिखरनियां कलां	2–00	4–00	2–00	2–00	—	—	,,
(ब)	**5054–बी. एम. एस. पी.**							
13.	रेण से सिरासना सड़क	7–50	37–50	15–95	7–50	—	—	कार्य पूर्ण
14.	छोटीखाटू से जाखेड़ा सड़क	4–00	24–00	10–00	—	4–00	—	कार्य प्रगति पर
(स)	**5054–नाबार्ड**							
15.	निम्बड़ी–कोठारिया से गोठड़ा सड़क	8–00	51–46	25–00	4–00	4–00	—	कार्य प्रगति पर
16.	सम्पर्क सड़क खींवताना	1–50	7–63	3–00	—	1–50	—	,,
17.	निम्बड़ी कोठारियां से राजलोता	6–00	22–85	9–00	—	4–00	—	,,
18.	सम्पर्क सड़क बिखरनिय, कलां	4–00	16–03	6–50	—	3 00	—	,,
19.	,, जालसू नानक	1–00	3–78	3–34	1–00	—	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(व)	8443-आश्वासित रोजगार योजना (जि. ग्रा. वि. अभिकरण द्वारा संचालित विशिष्ट योजना)							
20.	सम्पर्क सड़क खैरवा	3–00	5–00	3–40	—	3–00	—	कार्य प्रगति पर
21.	पण्डवाला से मोगास	3–00	5–00	2–00	—	3–00	—	कार्य पूर्ण
22.	बंवरला-मांतरोली	6–00	10–50	3–71	—	3–00	—	,,
23.	सम्पर्क सड़क डाग्रोली मोटी	5–00	8–75	1–93	—	5–00	—	,,
24.	,, सूदवाड़	3–00	6–20	3–32	—	3–00	—	,,
25.	,, चोलियास	1–50	3–15	1–47	—	1–50	—	,,
26.	,, राजलोता	1–00	2–10	1–12	—	1–00	—	,,
27.	,, खींवताना	1–50	3–15	2–90	—	1–50	—	,,
28.	,, कुत्यासनी	3–50	7–35	6–53	—	3–50	—	,,
29.	,, माच्छोजाई	6–00	7–00	7–00	—	—	6–00	,,
30.	निम्बड़ी चांदावता से दारिया कलां	3–50	10–00	10–00	—	3–50	—	,,
31.	सम्पर्क सड़क गुन्दीसर	1–50	1–80	1–80	—	—	1–50	कार्य प्रगति पर
32.	झाड़वास से बून्द	5–00	6–00	6–00	—	—	5–00	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(य)	**अकाल राहत कार्यक्रम संवत् 2055**							
33.	रामबेरी श्मशानघाट ग्रेवल सड़क मेहराणा	1–00	0-80	0–80	—	—	1–00	कार्य प्रगति पर
34.	ओरियाणा से बोफली	3–00	3–00	3–00	—	—	3–00	,,
35.	मांडल जोधा से खारोलबास	2–00	2–60	2–60	—	—	2–00	,,
	योग :	98–25	305–25	169–26	31–25	44–50	18–50	

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 1998-99 में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु आवंटित राशि का विवरण

सा. नि. वि. खण्ड मेड़तासिटी

क्र.सं. मद	कार्य का नाम	वर्ष 1998–99 में आवंटित राशि	लम्बाई कि.मी.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
(1) 3054– सड़कें एवं पुल	(अ) साधारण मरम्मत कार्य	17–20		
	(ब) नवीनीकरण कार्य			
	1. मेड़तासिटी डेगाना तग्गड़ सड़क कि.मी. 4/0 से 6/0	2–50	2–0	
	2. डेगाना-हरसौर सड़क कि.मी. 2/0 से 5/0	4–00	3–0	

1	2	3	4	5
	3. रिड से लेगोकी ढाणी 4/0 से 6/0	2–80	2–0	
	4. रेण से सांजू सडक कि.मी. 0/0 से 6/0 व 7/0 से 9/0	6–31	8–0	
	5. मेड़तासिटी बग्गड़ डेगाना कि.मी. 10/0 से 13/0 व 14/0 से 17/0	9–00	6–0	
	6. सम्पर्क सड़क आकेली "ब" कि.मी. 4/0 से 6/0	2–00	3–0	
		26–61	24–0	
	(स) विशेष मरम्मत			
	1. अजमेर-बाडीघाटी-भैरून्दा-डेगाना (रा. रा. 18) कि.मी. 27/0 (थांवला विलेज पोरशन)	1–90	1–0	
	सकल योग (3054)	45–71	25–0	
(2) 2245–बाढ़ बचाव	1. बाडीघाटी-डेगाना तड़नाऊ सड़क कि.मी. 27, 39, 68 व 69 में सुदृढ़ीकरण कार्य ।	15–00	1–5	
	2. डेगाना-हरसौर सड़क कि.मी. 1, 18 व 21 में सुदृढ़ीकरण कार्य	2–80	0–50	
	योग :	17–80	2–0	

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों का विवरण

क्षतिग्रस्त सड़कें

क्र.सं.	सड़क का नाम	वर्गीकरण	विधान सभा क्षेत्र में कुल लम्बाई कि.मी.	सड़क की वर्तमान स्थिति
(अ) विभागीय सड़कें				
1.	बस्सी तूंगा लालसोट सड़क	मु. जिला सड़क नं. 61	कि.मी. 26.0	कि.मी. 13 एवं 14 के पटरी क्षतिग्रस्त, पेच कार्य पूर्ण
2.	चाकसू-तूंगा लवाण सड़क	,, 60	कि.मी. 30.0	पेच कार्य पूर्ण पटरी क्षतिग्रस्त
3.	बांसखो से नई का नाथ	ग्रामीण सड़क	कि.मी. 7.0	पेच कार्य पूर्ण, पटरी क्षतिग्रस्त
4.	कानोता–नायला सड़क	,,	कि.मी. 6.0	पेच कार्य पूर्ण, पटरी क्षतिग्रस्त
5.	कानोता साम्भरिया सड़क	,,	कि.मी. 18.0	8 कि.मी. लम्बाई में पेच कार्य पूर्ण, 10 कि.मी. में शेष
6.	अप्रोच सड़क सवाई-माधोसिंहपुरा	,,	कि.मी. 7.0	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
7.	अप्रोच सड़क कादेड़ा से खेजरी बुजुर्ग	,,	कि.मी. 4.0	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
8.	अप्रोच सड़क चाकसू गरूडवासी सड़क	,,	कि.मी. 7.40	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
9.	अप्रोच सड़क रामजानकी ग्राम	,,	कि.मी. 1.0	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
10.	चाकसू कोटखावदा सड़क से राडोली सड़क	,,	कि.मी. 1.5	,, ,,

1	2	3	4	5
11.	कोटखावदा तूंगा सड़क से महादेवपुरा वाया माधोपुरा	ग्रामीण सड़क	कि मी. 1.25	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
12.	गढ़ की कोठी से राजपुरा पातालवास सड़क	,, ,,	कि.मी. 1.70	काजवे क्षतिग्रस्त
13.	अप्रोच सड़क दत्तवास	,, ,,	कि.मी. 2.20	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
14.	लिंक सड़क जटवाड़ा	,, ,,	कि.मी. 2.50	,, ,,
15.	लिंक सड़क भ्रर से रेल्वे स्टे.	,, ,,	कि.मी. 1.00	,, ,,
16.	लिंक सड़क बिहारीपुरा	,, ,,	कि.मी. 1.00	,, ,,
17.	लिंक सड़क बस्सी रेल्वे स्टे.	,, ,,	कि.मी. 2.00	,, ,,
18.	अप्रोच सड़क धूलावाया बड़वा पड़ासौली	,, ,,	कि.मी. 13.0	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
19.	लिंक सड़क बस्सी से देवगांव	,, ,,	कि.मी. 11.20	पोट होल्स के कारण, पटरी/सड़क क्षतिग्रस्त
20.	लिंक सड़क कल्याणगंज से दामोदरपुरा	,, ,,	कि.मी. 2.0	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
21.	लिंक सड़क रा. उच्च. मार्ग-II से कल्याण श्री जी बैनाड़ा	,, ,,	कि.मी. 2.0	,, ,,
22.	लिंक सड़क बाल रश्मि से खेड़ी सड़क	,, ,,	कि.मी. 5.50	,, ,,
23.	लिंक सड़क रामरतनपुरा	,, ,,	कि.मी. 2.5	,, ,,
24.	लिंक सड़क कानोता से गायत्री माता मन्दिर	,, ,,	कि.मी. 2.50	अत्यधिक क्षतिग्रस्त
25.	लिंक सड़क जीतावाला	,, ,,	कि.मी. 2.0	पोट होल्स के कारण क्षतिग्रस्त
26.	लिंक सड़क कानोता से रेल्वे स्टेशन	,, ,,	कि.मी. 2.0	अत्यधिक क्षतिग्रस्त
27.	बांसखो से मूडला सड़क	,, ,,	कि.मी. 7.0	पोट होल्स के कारण, सड़क क्षतिग्रस्त

1	2	3	4	5
28.	रोजवाड़ी से गुमानपुरा वाया माधोगढ़	ग्रामीण विकास	कि.मी. 4.7	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
29.	अप्रोच सड़क खेड़ी	,, ,,	कि.मी. 1.7	,, ,,
(ब)	कृषि विपणन बोर्ड से स्थानान्तरित सड़कें			
30.	लिंक सड़क जयपुर–बस्सी सड़क से कानोता	,, ,,	कि.मी. 1.5	,, ,,
31.	लिंक सड़क बांसखो से मटेरी वाया पाटन	,, ,,	कि.मी. 5.0	,, ,,
32.	लिंक सड़क बस्सी से मनोहरपुरा	,, ,,	कि.मी. 4.1	,, ,,
33.	लिंक सड़क जटवाड़ा से बड़वा वाया पड़ासौली	,, ,,	कि.मी. 8.0	,, ,,
34.	लिंक सड़क कानोता–नायला सड़क से बैनाड़ा वाया कोंथाडा	,, ,,	कि.मी. 8.0	,, ,,
35.	लिंक सड़क बस्सी से सांभरिया	,, ,,	कि.मी. 11 5	,, ,,
36.	लिंक सड़क तूंगा से देवगांव	,, ,,	कि.मी. 9.00	,, ,,
37.	लिंक सड़क पाटन से मूंडला	,, ,,	कि.मी. 2.00	,, ,,
38.	लिंक सड़क कानोता सांभरिया से फालयावास	,, ,,	कि.मी. 2.00	,, ,,
39.	लिंक सड़क हंस महल से मटेरी	,, ,,	कि.मी. 8.60	,, ,,
40.	लिंक सड़क अनन्तपुरा	,, ,,	कि.मी. 2.0	,, ,,
41.	लिंक सड़क आगरा रोड़ से दूधली सुजानपुरा	,, ,,	कि.मी. 2.10	काजवे क्षतिग्रस्त
42.	लिंक सड़क माधोगढ़ से अनन्तपुरा	,, ,,	कि.मी. 2.50	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
43.	लिंक सड़क बस्सी से जीतावाला	,, ,,	कि.मी. 8.40	,, ,,
44.	बस्सी तूंगा से नई नाथ महादेव	,, ,,	कि.मी. 5.80	,, ,,

1	2	3	4	5
45.	लिंक सड़क बस्सी से करणगढ़ वाया मोरिडा रूपपुरा	ग्रामीण विकास	कि.मी. 6.7	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
46.	लिंक सड़क प्रह्लादपुरा से जयराम का वास	,, ,,	कि.मी. 3.60	,, ,,
47.	लिंक सड़क सब यार्ड बस्सी से दूधली वाया रोहिताशपुरा	,, ,,	कि.मी. 3.30	,, ,,
48.	लिंक सड़क बांसखो रेल्वे स्टे. से पाटली वाया गूजरों की ढाणी	,, ,,	कि.मी. 3.70	,, ,,
49.	लिंक सड़क तूंगा से महादेवपुरा	,, ,,	कि.मी. 3.00	,, ,,
50.	लिंक सड़क देवगांव से कांशीपुरा	,, ,,	कि.मी. 4.25	2.0 कि.मी. में पेच एवं शेष कि.मी. क्षतिग्रस्त
51.	बांसखो फाटक से धूलारावजी	,, ,,	कि.मी. 8.0	पोट होल्स के कारण सड़क क्षतिग्रस्त
52.	लिंक सड़क बस्सी-सांभरिया सड़क से मरेला ।	,, ,,	कि.मी. 2.0	,, ,,

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूची)

भरतपुर जिले में संचालित छात्रावास की सूची मय स्वीकृत एवं प्रवेशित छात्र संख्या एवं स्वीकृत राशि

क्र.सं.	नाम छात्रावास व स्थान	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र सं.	स्वीकृत राशि
1.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (9)			
	1–भरतपुर	70	65	159285.00
	2–उच्चैन	25	25	65081.00
	3–नदबई	25	25	66916.00
	4–कामां	25	19	49120.00
	5–रूदावल	25	23	56910.00
	6–सीकरी	25	19	48020.00
	7–रूपवास	25	25	59694.00
	8–वैर	25	25	69830.00
	9–नगर	25	22	63865.00
2.	राजकीय विमुक्ति जाति छात्रावस (4)			
	1–कन्या, भरतपुर	40	40	107773.00
	2–बालक, भरतपुर	35	35	93130.00
	3–बालक, डीग	30	30	78398.00
	4–बालक, कुम्हेर	30	26	63609.00
3.	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास (1)			
	1–बयाना	25	21	61080.00
4.	अनुदानित छात्रावास (1)			
	1–आर्य महिला विद्यापीठ, भूसावर	90	90	192880.00

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 58 का बजट अनुमान विवरण)

CENTRAL SOCIAL WELFARE BOARD

'SAMAJ KALYAN BHAWAN'
B-12, Tara Creacent,
Institutional Area,
South of I.T.I.,
NEW DELHI–110016
Dated : 14.10.97.

No. F 9/17/Raj/97–98/ICU
The Chairperson,
Rajasthan State Social
Welfare Advisory Board,
Jaipur.

Subject : Revised Budget Estimated for 1997–98 and Budget Estimate for 1998–99 for the State Board Establishment.

Madam,

Please refer to your letter No. SWB/Acctt/Budget/97–98/2016 dated 28.8.97 under which the Revised Budget Estimate for 1997–98 and 1998–99 has been sent to this office. The following estimate have been proposed to the Govt., of India for approval under Non-Plan State Board establishment of State Social Welfare Advisory Boards. In case any modification is made by the Govt., the same will be communicated to you, otherwise the provision may be treated as final and funds will be released only after receipt of grand from the Govt. of India, New Delhi.

The following instruction should be strictly adhered to while incuring expenditure during the current and ensuing financial year.

1. No-re-appropriation/diversion of fund from Pay and Allowances/Pension/CPF (Board contribution) shall be made by the State

Board. In case of any re-appropriation/diversion made by the Board under this heads of accounts, be ape /Accountant of the State Board will be personally responsible for any diversion.

2. The State Board should and seperated detailed proposals for additional funds to implement recommendation of Vth Pay Commission, as and when these are adopted by the State Govts., separate funds will be released towards C.S.W.B. liability for this head letter.

3. A lump-sum provision is being made for all expenses other than Pay & Allowances and Pension/CPF (liabilities). The State Board should incur expenditure under heads other than pay and allowances and pension/CPF as per budget approved by the Finance Committee "here no Finance Committee is constituted, the State Board shall get the budget approved by the concerned Deptt. in the State Govt. It may be noted that share should be a specific approval of the State Govt. to the State Board Establishment budget so that where is no problem subsequently in securing the State Govt. share for the establishment expenditure.

4. No New Post will becreated by the board and the Provision for vacant post has not been allowed in the Budget.

5- Although provision is made in the Budget for remittance of pension charges, the C.S.W.B. shere of pension liabilities will be released only on receiving refund of CPF contribution of CSWB share with interest earned thereon. No pension payment will be released under CPF contribution are remitted.

6. The allocation is final and no further enhancement will be entertained in future.

The following provision has been approved.

S.No.	Head of Budget	R.B.E. 1997–98	RBE 1998–99
1.	Pay & Allowances	16.59 (in lakh)	17.06 (in lakh)
2.	Pension/Gratuity CPF Boards Contribution.	1.32	1.83
3.	Other Expenditure	6.00	6.00
	Total	23.91	24.89
	C.S.W.B. Share 50%	11,95,500	12,44,500

Yours faithfully
Sd/–
(O. P. MAHAJAN)
ACCOUNTS OFFICER

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची)

पंचायत समिति धोद (सीकर) के पूर्व सरपंचों में आडिट रिपोर्ट के हिसाब से बकाया राशि की सूची

क्र.सं.	सरपंच का नाम, ग्राम पंचायत	बकाया राशि	आडिट वर्ष	वर्तमान स्थिति
1.	श्री हरिसिंह भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, धोद	30,561/-	1987–88	श्री हरिसिंह भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ थाना लोसल में एफ.आई.आर. करवाई गई थी तथा मामला सी.जी.एम. कोर्ट सीकर में विचाराधीन है।
2.	श्री गौरीशंकर शर्मा, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत शाहपुरा	72,426/-	1987–88	श्री गौरीशंकर भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत शाहपुरा के विरुद्ध इन्द्रा आवास कालोनी निर्माण के रुपये 72,426/– के गबन के सम्बन्ध में पुलिस थाना लोसल में मुकदमा नम्बर 86/94 दर्ज करवाया जा चुका है, जिसकी जांच पुलिस थाना लोसल द्वारा की जा रही है।

पंचायत समिति धोद (सीकर) की साधारण सभा की बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई है ।

1. 27.3.95
2. 18.5.95
3. 13.7.95
4. 27.9.95
5. 30.11.95
6. 30.1.95
7. 12.3.95
8. 31.5.96
9. 19.9.96
10. 16.10.96
11. 5.3.97
12. 16.6.97
13. 27.10.97
14. 16.4.98
15. 22.8.98 कोरम के अभाव में स्थगित
16. 26.12.98

नोट :—नवम्बर, 97 में लोक सभा चुनाव तथा माह अक्टूबर, 98 में विधान सभा चुनाव सम्बन्धी आचार संहिता लागू होने के कारण माहवार बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है ।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची)

क्र.सं. विद्यालय का नाम पंचायत समिति-नगर	छात्र संख्या	अध्यापकों की संख्या	क्र.सं. विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	अध्यापकों की संख्या
1 2	3	4	1 2	3	4
1. सेमलाखुर्द	173	5	24. रानोता	84	2
2. पूठका	118	2	25. बूचका	74	2
3. ग्रदपुरी	119	2	26. घोघोली	44	1
4. लोधाहेही	65	2	27. जीतरेड़ी	184	3
5. डोमराकी	63	2	28. खेड़ली गूजौर	120	3
6. रायपुरखुर्द	118	1	29. बंगूता का वास	55	1
7. लादियाका	70	2	30. कमानोता कला	120	4
8. मनकपुरी	17	1	31. सोमसी	123	5
9. ताजापुर	70	2	32. जगड्का	66	2
10. चकसेमली	16	1	33. कुम्हारेडी	120	3
11. फतेहपुरखुर्द	60	1	34. रोजगी	95	2
12. बांसकेचकी	63	1	35. नीमकी	65	2
13. बूराका	83	2	36. मूण्डोती	166	4
14. खोहरी	221	2	37. चचाचेलवा	45	2
15. लहरवाड़ा	24	1	38. नंगला शान	96	2
16. दानोता	60	1	39. मावली	95	1
17. बानसबूरजा	152	1	40. खंकावली	132	4
18. इदगाहवास	77	1	41. शेखपुरा	120	3
19. मालीवास	42	1	42. वीरथला	65	1
20. मनापुरी	31	1	43. चिरावल गूर्जर	84	3
22. मानोताकला	102	5	44. दण्डा का	67	3
21. कसोदा	74	2	45. चिरगांव	179	6
23. पीपलू	159	3	46. देरू खात्र	201	6

1	2	3	4	1	2	3	4
47.	सिरथली	83	2	75.	बजोरखेड़ी	39	1
48.	बरखेड़ा साद	70	2	76.	किशनपुरा	152	2
49.	बलदरा का	147	3	77.	निहाम	102	2
50.	जयश्री	37	1	78.	ठेकरी	132	1
51.	वेनती घोकला	59	1	79.	पालो	32	1
52.	बेनती चंदा	86	2	80.	नकटपुर	46	1
53.	कुरकेन	163	2	81.	महरामपुर	86	2
54.	कतूकपूर	112	3	82.	घमूडकी	51	1
55.	पालकी	177	2	83.	लवान	38	1
56.	दोराला	81	2	84.	सीकरी पटी	50	2
57.	नंगला भोगरा	56	2	85.	पुनाय	133	2
58.	बाछाका	78	2	86.	अकबरपुर मेव	94	1
59.	अलधानी	125	2	87.	बदवास	63	2
60.	गुलमानी	110	2	88.	झांतली	63	1
61.	बेरूकन्या	101	3	89.	फूटाकी	104	1
62.	जयश्री कन्या	58	2	90.	खेडला नाग्राबाद	39	1
63.	सीकरी	361	9	91.	गढ़ तेस्की	72	1
64.	एडवर मानपुर	79	2	92.	खड़खड़ी	43	1
65.	छापर	77	2	93.	क. झन्झर	113	1
66.	रूस्तमपुर	100	2	94.	पहाड़ी छात्र	75	1
67.	रामगढवास	42	1	95.	कन्होर	245	2
68.	हुस्सेपुर	103	2	96.	गोपालगढ़	248	3
69.	खेड़ा छज्जू	23	1	97.	माडांका	53	1
70.	घनियालपुर खेडा	77	1	98.	मालीकी	43	1
71.	वक्सूका	74	2	99.	पीलसू	88	1
72.	सहानका	64	1	100.	नाचड़ा	43	1
73.	भूडली	274	2	101.	नंगला काला	73	1
74.	मिठ्ठपुरा	90	1	102.	हुस्सेका	42	1

1	2	3	4
103.	असरूका	104	2
104.	आलमपुर	78	1
105.	गाजूका	88	2
106.	पाण्डेयका	10	1
107.	बयाना	73	2
108.	बुराना	108	2
109.	बुरानी	63	1
110.	महदमपुर	62	1
111.	सोलोका	52	1
112.	के पहाड़ी	252	4
113.	बोडोली	57	2
114.	चुदपुर	44	3
115.	घघवाड़ी	121	2
116.	सेहडुंगर	11	2
117.	चंदपुरा	111	2
118.	बेला	151	2
119.	कलियाना	34	1
120.	सोलपुर	79	1
121.	गूवारपुर गढी	93	1
122.	नंगला आरामसिह	34	1
123.	घार	80	2
124.	इकतहांस	44	1
125.	शेखपुर	26	1
126.	अमयपुर	107	1
127.	रावड़ा	54	1
128.	जाटोला	47	1
129.	लहरपाड़ी	26	1
130.	उंचकाकी	65	2
131.	बुजारिया बास	59	1
132.	गुलपाडा	301	6
133.	बवारी	75	2
134.	उडकी मोहम्मदा	85	2
135.	पालीक	52	2
136.	पासावत	87	1
137.	पंचलहेरी	65	1
138.	जहवास	81	2
139.	रायपुर	147	2
140.	बलदेवास	69	1
141.	रनियाला	105	2
142.	सुकेती	40	1
143.	नांगल	58	2
144.	बडका	82	2
145.	रसूलपुर	78	2
146.	कोलहेरी	41	1
147.	कन्या पालका	60	2
148.	सुदरावली छात्र	253	8
149.	मुढेरा	359	10
150.	बेरोडा	232	6
151.	पालसू	109	3
152.	नंगली रामरतन	61	2
153.	सारंगपुर	68	2
154.	पूतली	79	2
155.	कन्या सुदरावली	264	6
156.	दूघाबेली	342	8
157.	रविदासपुर	123	3
158.	कडोला	66	2

1	2	3	4
159.	सुजालपुर	111	3
160.	डभावली	158	3
161.	भूतका	118	3
162.	अकबरपुर फोजदार	180	3
163.	नोगांव	72	2
164.	इसनाका	103	2
165.	अकबरपुर फोजदार	110	2
166.	मूडिया	236	5
167.	मूंडिया चाश्रा	67	2
168.	नगला भूरिया	26	1
	योग पं. सं. नगर	16606	357
1.	नोनेरी (पं.स. कामां)	215	7
2.	नंगला भोगेरा	175	2
3.	पथवारी	71	2
4.	कीरावता	68	2
5.	बतई ढहरा	83	2
6.	खेडली कुमानी	171	3
7.	परेही	135	2
8.	नंगला मटकी	59	2
9.	नंगला वनपरिया	40	2
10.	बम्बाबाडी	71	2
11.	लोहरगढ़	47	2
12.	नंगला कुदन	102	2
13.	अकावा	278	6
14.	राधानगरी	160	4
15.	दाना	105	3
16.	बजेरा	41	2

1	2	3	4
17.	कुलवाना	84	3
18.	नंगला कुलवाना	102	3
19.	कनवाडी	99	3
20.	अकबरपुर	48	2
21.	सतवास	291	6
22.	पालडी	137	2
23.	नंगला बल्देव	74	2
24.	नंगला इश्वरसिंह	88	2
25.	नंगला हरिनारायण	75	2
26	उधैन	107	2
27.	रोशियाका	143	3
28	नंगला शहजाद	134	2
29.	नंगला मुकारिब	152	1
30.	दांतका	77	1
31.	इसनका	109	2
32.	खेरावा	64	1
33.	पानियाखुर्द	63	1
34.	बोलखेडा	229	4
35.	उमाका	125	3
36.	बादली	64	2
37.	हुमाका	166	2
38.	बादली	124	2
39.	धर्मशाला	108	2
40.	रंगबिरंगा	64	1
41.	जोतगामेती	158	2
42.	जोत सदरबुद्दीन	59	1
43.	आरदूका	98	1
44.	भोजपुर	101	2

1	2	3	4
45.	हेवलका	62	2
46.	लबीना	98	1
47.	झारला	90	2
48	लिवासना	72	1
49.	पोरका	75	1
50.	बूडाका	31	2
51.	बीजासन	86	2
52.	खोहरा	69	1
53.	नीमला	100	2
54.	माची	58	1
55.	खेड़ा	127	2
56.	भोजपुरी	153	3
57.	घोघोर	119	3
58.	घावा	133	5
59.	छोटा घाटा	127	4
60.	मुल्लाका	79	1
61.	मोरोली	42	1
62.	सहसन	282	5
63.	चानिया काल	88	1
64.	अहलगढ़ी	175	2
65.	सामजीका	143	1
66.	मृगसका	111	2
67.	दाहूना	82	1
68.	डाठल	38	1
69.	मण्डीपुर	114	1
70.	कनवाडी	60	1
71.	गधानेर	116	1
72.	धोसेडा	153	2
73.	नांगल	44	1
74.	रावकला	81	1
75.	मोरी	286	3
76	जुरहरा	157	5
77.	सतपुडा	66	3
78.	जीराहेडा	116	3
79.	संगारा	101	2
80.	हुल्ताना	82	2
81.	खैंचाताना	94	2
82.	कांकनखोरी	103	2
83.	कूकरपुरी	89	1
84.	जुरहरी	108	3
85.	बहादुरपुर	76	2
86.	गूरीरा	220	6
87.	नेतवारी	132	3
88.	सबलगढ़	78	1
89.	नंगला डबोकर	105	2
90.	गुरगांव	99	3
91.	लाडलाका	98	3
92.	कलतरिया	90	1
93.	नंगला बादीपुर	77	2
94.	विरार	163	4
95.	खानपुर	107	2
96.	खूटेपुरा	70	2
97.	लडूका	82	2
98.	करनूका	246	6
99.	लालपुर	68	3
100.	नंगला	89	2

1	2	3	4	1	2	3	4
101.	गीमरी	128	1	118.	नंदेरावास	150	3
102.	गडसोरा	82	1	119.	लीवासना	100	1
103.	भैंसेडा	95	2	120.	खेडली काजी	81	1
104.	मोजाका	74	1	121.	रायरा	144	3
105.	मल्हाका	90	1	122.	मुरार	100	1
106.	मोठका	95	1	123.	खटकरका	42	1
107.	नंगला फिरोजपुर	76	1	124.	सरवरका	58	1
108.	कन्या जुरहरा	85	2	125.	जात गुलाब	0	0
109.	कलावता	83	2	126.	रसूलपर	0	0
	लोकजुम्बिश योजना				शिक्षाकर्मी विद्यालय		
110.	खेडली अलीमुद्दीन	29	1	127.	डाबरा	110	2
111.	कन्या सहसन	106	2	128.	खल्लूका	110	3
112.	बडोदा	67	1	129.	चुनावढा	90	2
113.	ककल दोला	72	2	130.	जातरी पहाड़ी	70	2
114.	दूदवास	125	2	131.	खेड़ली नानू	147	2
115.	बगीची	65	2	132.	कंचननर	184	2
116.	सहसन	153	2	133.	जोतरी पीपल	152	3
117.	जाजमका	53	2	134.	थरबाना	137	3

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट–'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का विवरण)

राज्य सरकार के विभागों द्वारा इंटरनल राजस्थान को जारी किये गये विज्ञापनों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	जारी किया गया विज्ञापन	लागत (रु.)
1.	पर्यटन विभाग	बैक कवर	1,06,250.00
2.	चिकित्सा विभाग (आई.ई.सी)	दो रंगीन पृष्ठ	1,36,000.00
3.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	दो श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	68,000.00
4.	अल्प बचत विभाग	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
	कुल योग		3,44,250.00

परिशिष्ट–'ख'

राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रम, सहकारी संस्थाएं एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं द्वारा इंटरनल राजस्थान को जारी किये गये विज्ञापनों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	जारी किया गया विज्ञापन	लागत (रु.)
1.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	एक अन्दर कवर	85,000.00
2.	रीको	तीन रंगीन पृष्ठ	2,04,000.00
3.	लघु उद्योग निगम	तीन रंगीन पृष्ठ	2,04,000.00
4.	बी. आई. पी.	दो रंगीन पृष्ठ	1,36,000.00
5.	इन्दिरा गांधी नहर मण्डल	एक रंगीन पृष्ठ	68,000.00
6.	राजस्थान वित्त निगम	एक रंगीन पृष्ठ	68,000.00
7.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	दो रंगीन पृष्ठ	1,36,000.00
8.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	एक रंगीन पृष्ठ	68,000,00
9.	राजस्थान राज्य मिनरल एण्ड माइंस	दो श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	68,000.00
10.	राजफैड	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00

1	2	3	4
11.	कृषि विपणन बोर्ड	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
12.	राजस्थान बीज निगम	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
13.	राजस्थान आवासन मण्डल	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
14.	जयपुर विकास प्राधिकरण	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
15.	आवास विकास लिमिटेड	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
16.	गंगानगर शुगर मिल	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
17.	राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000 00
18.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
19.	राजस्थान राज्य साक्षरता मिशन अभिकरण	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
20.	राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम	एक श्वेत एवं श्याम पृष्ठ	34,000.00
	कुल योग		14,11,000.00